माला, खंड 20, अंक 21 गुरुवार, 22 अगस्त, 1968/31 श्रावण, 1890 (शक)
th Series, Vol. XX, No. 21 Thursday, August 22, 1968/Sravana 31, 1890 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

4th

LOK SABHA DEBATES

[पांचवा सत्र
Fifth Session]

Preservation Unit
Registered
24.1.86
Parliament Library

(खंड 20 में अंक 21 से 28 तक हैं
Vol. XX contains Nos. 21—28)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मुल्य : एक रुपया। Price : One Rupee

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी / अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of the Lok Sabha Debates and contains Hindi / English translation of speeches etc. in English / Hindi

विषय-सूची/CONTENTS

(खण्ड 20, पाँचवां सत्र, 1968)

अंक 21, 22 अगस्त, 1968/31 श्रावण, 1890 (शक)

No. 21, August, 22, 1968/Sravana 31, 1890 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

तारांकित प्रश्न संख्या

Starred Question Nos.

	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
602	झरिया और आसनसोल कोयला क्षेत्रों में हड़ताल	Strike in Jharia and Asansol Coal Fields	1-2
603	खाद्यान्नों को क्षति	Damage to Foodgrains	7-10
604	वनस्पति में रंग मिलाना	Colourisation of Vanaspati	10-14
605	कोयला खानों में हड़ताल	Strike in collieries	2-7
609	मतदाताओं की आयु सीमा घटाना	Reduction in Age Limit of Voters	14-17
	अल्प-सूचना प्रश्न	**Short Notice Question No.**	
9	विश्व मौसम सूचक केन्द्र के रूप में भारत	India as world weather watch Centre	17-19
	प्रश्नों के लिखित उत्तर	**Written Answers to Questions**	
	तारांकित प्रश्न संख्या	**Starred Question Nos.**	
601	कम गहरे नलकूपों की सिंचाई प्रणाली	Shallow Tubewell System of Irrigation	19-20
606	सीमेन्ट कर्मचारियों द्वारा हड़ताल	Strike by Cement Workers	20
607	मछली पकड़ने के प्रयोजन हेतु माल्पे पत्तन का विकास	Development of Malpe Port for fishing purposes	20-21
608	खगरिया और बेगूसराय के बीच नलकूपों का वितरण	Distribution of Tubewells between Khagaria and Begusarai	21
610	मछली पालन तथा गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के उद्योग का विकास	Development of Fisheries and Deep Sea Fishing Industry	21-22
611	सरकारी क्षेत्र में उपभोक्ता उद्योग	Consumer Industries in Co-operative Sector	22
612	उत्तर प्रदेश में आदर्श सहकारी जिले	Ideal Co-operative districts in U. P.	22-23

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

त० प्र० सं० S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Page
613	मध्य प्रदेश सर्किल के रेलवे डाक सेवा कर्मचारियों द्वारा हड़ताल	Strike by R. M. S. Employees of Madhya Pradesh Circle	23
615	पंजाब तथा हरियाणा में जवानों द्वारा गेहूँ का लदान	Loading of wheat in Punjab and Haryana by Jawans	23
616	दिल्ली में तारघरों के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए साप्ताहिक छुट्टी	Weekly off for Class IV employees in Telegraph Offices in Delhi	23-24
617	नई चीनी मिलें	New Sugar Mills	24
618	इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज का दूसरा कारखाना	Second Unit of Indian Telephone Industries	24
619	ट्रैक्टर प्रशिक्षण और परीक्षण सेवा बुदनी के कर्मचारियों को जंगल भत्ता	Jungle allowance for Tractor training and testing service Budni Employees	25
620	साराभाई कैमिकल्स लिमिटेड, बड़ौदा	Sarabhai Chemicals Ltd., Baroda	25-26
621	भारत सेवक समाज, नाहन के हिसाब किताब की लेखा परीक्षा	Audit of accounts of Bharat Sewak Samaj, Nahan	26
622	गोरक्षा समिति	Cow Protection Committee	26-27
623	कलकत्ता के निकट दुग्ध चूर्ण का पकड़ा जाना	Seizure of Milk Powder near Calcutta	27
624	उत्तर प्रदेश में अनाज की बिक्री	Sale of foodgrains in U. P.	27
625	भारत सेवक समाज, नाहन द्वारा वेतन न दिया जाना	Non-Payment of salaries by Bharat Sewak Samaj, Nahan	28
626	सूखे के कारण फसलों को क्षति	Damage to crops as a result of drought	28
627	रूस से ट्रैक्टरों का आयात	Import of Tractors from USSR	28-29
628	भारत जापान तथा फारमोसा में भूमि की जोतें	Land holdings in India, Japan and Formosa	29
629	जीवन निर्वाह व्यय सूचकांक	Cost of Living Index	29-30
630	पश्चिम बंगाल में मध्यावधि चुनाव	Mid-term elections in West Bengal	30
अतारांकित प्रश्न संख्या		**Unstarred Question Nos.**	
4778	चौथी पंचवर्षीय योजना में मध्य प्रदेश को खाद्यान्न का दिया जाना	Allotment of Foodgrains to Madhya Pradesh during Fourth Plan	30
4779	मद्रास में अनाज सुखाने वाले यंत्रों का लगाया जाना	Installation of grain dryers in Madras	30-31

अ० प्र० सं० U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
4780	फसल संरक्षण के लिये रॉकेटों का प्रयोग	Use of Rockets for crop protection	31
4781	कालिन्दी के पोस्टमास्टर की गिरफ्तारी	Arrest of Post Master of Kalindi	31
4782	मध्य प्रदेश में डाक घर	Post Offices in M.P.	31-32
4783	मध्य प्रदेश के सियोनी तथा छिंदवाड़ा जिलों में पोस्ट बाक्स	Post Boxes in Seoni and Chindwara Districts of Madhya Pradesh	32
4785	दूर-मुद्रकों (टेलीप्रिंटरों) का निर्यात	Export of Teleprinters	32
4786	दिल्ली की कालकाजी कालोनी में भूमि के प्रीमीयम मे कमी	Reduction of premium on land in Kalkaji colony, Delhi	33
4787	पशुवध	Slaughtering of Animals	33
4788	दिल्ली दुग्ध योजना का असंतोषजनक कार्य	Dismal performance of DMS	33
4789	मध्य प्रदेश में वन विकास कार्यक्रम	Forest Development Programmes for Madhya Pradesh	34
4790	महाराष्ट्र राज्य में वसूली का लक्ष्य	Procurement Targets for Maharashta State	34-35
4791	धान और चावल का वसूली मूल्य	Procurement price of paddy and rice	35
4792	चावल की मिलें	Rice mills	35-36
4793	आन्ध्र प्रदेश में सहकारी क्षेत्र में कोल्ड स्टोरेज प्लांट (शीतागार सयंत्र)	Cold storage plants in co-operative sector in Andhra Pradesh	36
4794	खेती के यंत्रों के निर्माण के लिये जापानी फर्म के साथ सहयोग का करार	Collaboration agreement with Japanese Firm for Manufacture of Agricultural Machinery	36-37
4795	सहकारी चावल मिलें	Cooperative Rice Mills	37
4796	नीम की गिरी का लोशन	Neem Kernel Lotion	37
4797	भरतपुर डिवीजन के गंगापुर नगर एक्सचेंज और जयपुर के बीच टेलीफोन लाइन	Telephone Line between Gangapur City Exchange of Bharatpur Division and Jaipur	38
4798	राजस्थान में सार्वजनिक टेलीफोन व्यवस्था रहित थाने	Police Stations without P. C. O. facility in Rajasthan	38
4799	राजस्थान को उर्वरकों का सम्भरण	Supply of fertilizers to Rajasthan	38-39
4800	ट्रैक्टरों तथा बिजली चालित हलों का आयात	Import of Tractors and power tillers	39
4801	गुजरात में नये डाकघर	New Post Offices in Gujarat	40
4802	चुनाव याचिकाएं	Election petitions	40

प्र० प्र० सं० U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
4803	सामुदायिक विकास कार्यक्रम के लिये सहायता	Assistance for community Development programme	40-41
4804	स्वीडन की एक फर्म को गुप्त सैनिक मानचित्र का पता लगना	Leakage of a secret Military Map to a Swedish Firm	41
4805	इमारती लकड़ी का बहकर पाकिस्तान को जाना	Flowing of timber to Pakistan	41-42
4806	सहकारी समितियों का विकास	Development of cooperatives	42
4807	बिहार में दुग्धशाला सहकारी समितियां	Dairy cooperatives in Bihar	43
4808	बिहार में सहकारी चीनी कारखाना	Cooperative sugar factory in Bihar	43
4809	उत्तर प्रदेश में कार्मिक संघ	Trade unions in U.P.	43
4810	राष्ट्रमंडलीय देशों को समाचार संबंधी समुद्री तारों की दरें	Commonwealth press cable rates	43-44
4811	कुल्टी खनन क्षेत्रों में भूमि का धंस जाना	Land subsidence in Kulti Mining areas	44
4812	कोटा में टेलीफोन उद्योग	Telephone Industry in Kotah	44
4813	विदेशी तेल कम्पनियों में नौकरी की सुरक्षा के लिये गोखले आयोग	Gokhale Commission on job security in foreign oil companies	45
4814	स्टेट बैंक द्वारा भारतीय खाद्य निगम को दिये गये ऋण	Loans given by State Bank to Food Corporation of India	45-46
4815	पश्चिम बंगाल में गहरे नलकूप खोदना	Sinking of Deep Tubewells in West Bengal	46
4816	अलाभप्रद जोतों पर लगान	Land Revenue on Uneconomic Holdings	46
4817	उर्वरक की आवश्यकताएं	Requirements of fertilizers	47
4818	हिन्दी टेलीप्रिंटर	Hindi teleprinters	47-48
4819	त्रिपुरा में कृषि योग्य भूमि	Cultivable land in Tripura	48-49
4820	उड़ीसा में लघु सिंचाई योजनाएं	Minor irrigation schemes in Orissa	49
4821	पूर्वी पाकिस्तान से आये हिन्दुओं का पुनर्वास	Rehabilitation of Hindus Migrated from East Pakistan	49-50
4822	विभिन्न राज्यों में भूमि का वितरण	Land Distribution in various States	50-51
4823	उत्तर प्रदेश में चकबन्दी	Consolidation of holdings in U. P.	51
4824	डाक तथा तार बोर्ड का पुनर्गठन	Reorganisation of the P & T Board	51-52
4825	बिहार में मध्यावधि चुनाव	Mid-term Elections in Bihar	52

अ० प्र० सं० U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
4826	उत्तर प्रदेश में मध्यावधि चुनाव	Mid-term Elections in U. P.	52-53
4827	राज्यों में परती भूमि	Fallow land in states	53-54
4828	हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर फैक्टरी	Hindustan Teleprinter factory	54
4829	दिल्ली में चिड़ियाघर पर व्यय	Expenditure on Zoo in Delhi	54
4830	गाजियाबाद इंजीनियरिंग कम्पनी को ट्रैक्टरों के निर्माण का कोटा	Quota for manufacture of tractors to Ghaziabad Engineering Co.	55
4831	नलकूप लगाने की योजना	Tubewell Installation scheme	55
4832	स्वचालित यंत्रों का प्रयोग	Introduction of Automation	55-57
4833	राष्ट्रीय शिशिक्षु योजना	National Apprenticeship scheme	57-58
4834	चीनी का वितरण	Distribution of Sugar	58
4835	हरियाणा में मांस तैयार करने का कारखाना	Meat Processing Factory in Haryana	58-59
4836	संसद् तथा राज्य विधान मण्डल में नागालैंड के प्रतिनिधि	Representatives of Nagaland in Parliament and State Legislature	59
4837	चांदा जिले में कोयला खानों के मजदूरों के लिये मकान	Houses for Colliery Labourers in Chanda District	59
4838	कोयला खानों में श्रम कानूनों का उल्लंघन	Violation of Labour Laws in Collieries	59-60
4839	साराभाई कैमिकल्स लिमिटेड	Sarabhai Chemicals Ltd.	60
4840	खेमकरण में मकानों के निर्माण के लिये सहायता	Aid for Construction of Building in Khem Karan	60
4841	उर्वरकों का आयात	Import of Fertilizers	60-62
4842	बिहार और उत्तर प्रदेश में बिजली के नलकूपों का लगाया जाना	Installation of Electric Tubewells in Bihar and Uttar Pradesh	62
4843	पटसन मिलों के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल	Strike by jute mill workers	62
4844	पाकिस्तान के साथ दावों का निपटारा	Settlement of Claims with Pakistan	62-63
4845	नरेला (दिल्ली) में तेल मिल	Oil Mills in Narela (Delhi)	63
4846	दक्षिण भारत में संसद् का सत्र	Parliament Session in South	64
4847	मार्ग में खाद्यान्नों को क्षति	Loss of Foodgrains in Transit	65
4848	पश्चिम बंगाल में केन्द्रीय केन्द्रक पटसन बीज गुणन प्रक्षेत्र	Central Nucleus jute seed multiplication farm in West Bengal	65

अ० प्र० सं० U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
4849	भारत सेवक समाज, नाहन को ठेके	Contracts to Bharat Sewak Samaj, Nahan	65-66
4850	भारत सेवक समाज, नाहन	Bharat Sewak Samaj, Nahan	66
4851	बर्मा से स्वदेश वापस आने वाले लोगों को रिहायशी प्लाटों का नियतन	Allotment of residential plots to Repatriates from Burma	66
4852	दिल्ली टेलीफोन अधिकारियों द्वारा सहकारी भूमि पर अनधिकृत कब्जा	Encroachment of Government land by Delhi Telephone Authorities	67
4853	थाइलैंड से चावल का आयात	Import of rice from Thailand	67
4854	कृत्रिम चावल	Artificial rice	67-68
4855	चान्दा जिले में कोयला खानें	Collieries in Chanda District	68
4856	भारत सेवक समाज, नाहन	Bharat Sewak Samaj, Nahan	68
4857	भारत सेवक समाज, नाहन द्वारा अध्यापकों को वेतन न दिया जाना	Non-payment of salaries to teachers by Bharat Sewak Samaj, Nahan	68-69
4858	सूखाग्रस्त क्षेत्र	Drought affected Areas	69
4859	क्षार वाली भूमि में चुकन्दर की खेती	Cultivation of sugar beet in Alkaline soils	69-70
4860	उद्योग में जबरी छुट्टी तथा बड़े पैमाने पर भर्ती के मामलों पर विचार करने के लिये त्रिपक्षीय समिति	Tripartite committee to review cases of mass recruitments and layoffs in industry	70
4861	अन्तर्राष्ट्रीय गेहूं करार वाले देशों से खाद्य सहायता	Food aid from international wheat Agreement Signatories	71
4862	बन्दरगाह और गोदी कर्मचारी	Port and dock workers	71
4863	त्रिपुरा को अनाज की सप्लाई	Supply of foodgrains to Tripura	71-72
4864	त्रिपुरा में कृषि विकास कार्यक्रम	Agricultural development programme in Tripura	72-73
4865	त्रिपुरा में आदिम जातियों की भूमि का बेचा जाना	Sale of tribal's lands in Tripura	73
4866	भविष्य निधि अधिनियम	Provident Fund Act	73
4867	चीनी सम्बन्धी नई नीति	New sugar policy	74
4868	मध्य प्रदेश में बीजों तथा उर्वरकों की उपलब्धि	Availability of seeds and Fertilizers in Madhya Pradesh	74
4869	मध्य प्रदेश में कृषि उत्पादन	Agricultural production in M.P.	74-75
4870	मध्य प्रदेश में सामुदायिक विकास खन्डों के लिये रेडियो सेट	Radio sets for Community Development Blocks in Madhya Pradesh	75

अ० प्र० सं० U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
4872	फसल के अनुमान	Crop Estimates	75-76
4873	उत्तर प्रदेश में ग्राम समाज, सहकारी समितियों तथा वन विभाग के अधीन भूमि	Area of land under gram samaj, cooperative socieities and forest Department in U.P.	76
4874	बुलन्दशहर में कस्टोडियन के अधीन भूमि	Land under Control of Custodian in Bulandsbahr	76
4875	औद्योगिक सम्बन्धों के बारे में राष्ट्रीय श्रम आयोग का मत	National Labour commission views on Industrial Relations	76-77
4876	सुपर बाजार में वस्तुओं का उधार बेचा जाना	Supply of goods on credit through Super Bazar	77
4877	अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन प्रादेशिक सम्मेलन	Regional Conference of I L O	78
4879	खाद्यान्न का आयात	Import of foodgrains	78-79
4880	डाक तथा तार विभाग के पुनर्गठन के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश	A.R.C's Recommendation on Re-organisation of P & T Department	79
4882	गोआ में नदी तट पर अयस्क के लदान के स्थान	River Ore Loading Points in Goa	79
4883	गोआ में डाक तार विभाग में समाविष्ट कर्मचारियों को पेंशन का आंशिक भुगतान	Part Payment of pensions to absorbed P and T employees in Goa	79-80
4884	केन्द्रीय सूखा क्षेत्र अनुसंधान संस्था, जोधपुर	Central Arid Zone Research Institute, Jodhpur	80-81
4885	पश्चिम बंगाल में साझीदार की बेदखली	Eviction of share croppers in West Bengal	81-82
4886	दिल्ली में राशन के गेहूँ की कीमत	Price of rationed wheat in Delhi	82
4887	अनाज तथा उर्वरक को देर से उतारने का शुल्क	Demurrage on unloading of food-grains and fertilizers	82-83
4888	खाद्यान्नों को भण्डारों में रखने, उतारने, चढ़ाने तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में होने वाली हानि सम्बन्धी समिति	Committee on food storage handling and transit losses	83

अ० प्र० सं० U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
4889	दिल्ली मद्रास, बम्बई और कलकत्ता को सीधे डायल घुमा कर टेलीफोन करने की व्यवस्था	S.T.D. Service between Delhi and Madras-Bombay-Calcutta	83-84
4891	पिछले सामान्य चुनावों पर मुख्य चुनाव आयुक्त का प्रतिवेदन	Report of the Chief Election Commissioner on the last General elections	84
4892	टेलीफोन ट्रंक एक्सचेंज कार्यालय का धारवाड़ ले जाया जाना	Shifting of telephone trunk Exchange Office to Dharwar	84
4893	मध्य प्रदेश के वेतुल जिले में शरणार्थी परियोजना	Refugees project in Betul district in Madhya Pradesh	85-86
4894	केन्द्रीय पौध संरक्षण तथा भांडागारण केन्द्र, धारवाड़	Central Plant Protection and storage, Dharwar	86
4895	गायों और भैंसों के कृत्रिम गर्भाधान	Artificial insemination of cows and Buffaloes	86
4896	दिल्ली का चिड़ियाघर	Delhi Zoo	87
4897	पंजाब की मंडियों और रेलवे स्टेशनों में भीगे हुए अनाज का पड़ा रहना	Foodgrains lying in wet condition in Mandis and Railway Stations in Punjab	87
4898	भारतीय खाद्य निगम को हानि	Loss to Food corporation of India	87-88
4899	भारत को क्यूबा से तकनीकी सहायता	Cuban technical assistance for India	88
4900	सियरसोल कोयला खान	Searsole colliery	89
4901	स्टैन्डर्ड वैगन कम्पनी	Standard Wagon Co.	89-90
4902	विभिन्न राज्यों में कृषि योग्य परती भूमि	Cultivable land lying fallow in various states	90-91
4903	बिहार काटन मिल्स (प्राइवेट) लिमिटेड फुलवाड़ी शरीफ के कर्मचारियों को लाभांश की अदायगी	Payment of Bonus to Workers of Bihar Cotton Mills (P) Ltd. Phulwari Shariff	91-92
4904	बिहार में भूमि पर कृषकों का अधिकार	Rights of Agriculturists over land in Bihar	92
4905	प्रसन्ना दत्ता की काजोरा कोयला खान	Prasanna Dutta's Kajora Colliery	92-93
4906	कोयला खान मजरी बोर्ड का पंचाट	Coal Wage Board Award	93
4907	उत्तर प्रदेश में साई नदी से होने वाला भूमि का कटाव रोकना	Prevention of soil Erosion by River Sai in Uttar Pradesh	93-94
4908	विकास खण्ड	Development Blocks	94

अ० प्र० सं० U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
4909	विकास खण्ड	Development Blocks	94
4911	कांडला में गोदाम (साइलो)	Silo at Kandla	94-95
4912	मैसूर में चीनी के कारखाने	Sugar Factories in Mysore	95
4913	पदत्याग के बाद महान्यायवादी का वक्तव्य	Attorney General's Statement after Resignation	95
4914	फरीदाबाद में पठान शरणार्थी	Pathan Refugees in Faridabad	95-96
4915	भारतीय मुसलमानों की निष्क्राम्य सम्पत्ति	Evacuee properties belonging to Indian Muslims	96
4916	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन	Employees Provident Fund Organisation	96-97
4917	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन	Employees Provident Fund Organisation	97
4918	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन	Employees Provident Fund Organisation	97
4919	गोदामों में अनाज की क्षति	Damage of Foodgrains in godowns	98
4920	तुलसीपुर चीनी मिल, उत्तर प्रदेश	Tulsipur Sugar Mills, U.P.	98
4921	न्यू दिल्ली कोआपरेटिव बैंक, लिमिटेड	New Delhi Cooperative Bank Ltd.	98-99
4922	छम्ब जौड़ियां क्षेत्र के पीड़ित लोगों के लिये सहायता कार्य	Relief works for Chhamb Jaurian Sector Victims	99
4923	बड़ी संख्या में शरणार्थियों का आगमन	Influx of Refugees	99-100
4924	मध्य प्रदेश में औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र	Industrial Training Centres in Madhya Pradesh	100
4925	खेतिहर मजदूरों की सहकारी समितियां	Co-operative societies of agricultural labourers	100
4926	बिहार में मध्यावधि चुनाव	Mid-term elections in Bihar	101
4927	दिल्ली में पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों का पुनर्वास	Rehabilitation of Refugees from East Pakistan in Delhi	101-102
4928	राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र में भूमि पर गैर कानूनी ढंग से कब्जा	Illegal occupation of land in States and Union Territories	102
4929	जमींदारी उन्मूलन अधिनियम	Zamindari Abolition Act	102-103
4930	संसद् सदस्यों के विशेषाधिकारों को संहिताबद्ध करना	Codification of privileges of M.Ps.	103

अ० प्र० सं० U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
4931	संसद् सदस्यों की टेलीफोन वार्ता का रिकार्ड किया जाना	Tapping of telephone conversation of M.Ps.	103
4932	चीनी मिलों द्वारा चीनी के स्टाक को बेचना	Disposal of sugar stocks by sugar Mills	104
4933	उद्योगों के लिये प्रशिक्षणार्थियों का प्रशिक्षण	Training of apprentices for industries	104-105
4934	वीर सावरकार की स्मृति में डाक टिकट	Veer Savarkar Commemoration Stamp	105
4935	छोटे किसानों के लिए वैज्ञानिक उपकरण	Scientific equipments for small farmers	105
4936	काश्मीर में कृषकों को उर्वरक का सम्भरण	Supply of fertilizers to farmers in Kashmir	105-106
4937	चीनी मिलें	Sugar Mills	106
4938	मुख्य सचेतकों के सम्मेलन द्वारा की गई सिफारिशें	Recommendations made by Chief Whips' Conference	106-107
4939	दिल्ली में यमुना के पार की बस्तियों में दूध के डिपो	Milk depots in colonies across Jumna in Delhi	107
4940	गांधी शताब्दी डाक टिकट	Gandhi centenary postage stamp	107
4941	राज्यों में कृषि फार्म	Agricultural Farms in States	107-108
4942	पुनर्वास विभाग के अराजपत्रित कर्मचारियों को पुनः रोजगार देना	Absorption of non-gazetted employees of the department of Rehabilitation	108
4943	काजू का उत्पादन तथा निर्यात	Production and Export of Cashew	108-109
4944	असामियों द्वारा काश्त की जाने वाली भूमि	Agricultural Land under Tenant Cultivation	109-110
4945	केरल में बेरोजगारी	Unemployment in Kerala	110-111
4946	केरल को चावल की सप्लाई	Rice Supplies to Kerala	111
4947	दिल्ली में निष्काम्य सम्पत्तियां	Evacuee properties in Delhi	111-112
4948	भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्नों की वसूली	Procurement of foodgrains by Food Corporation of India	112
4949	दिल्ली में शरणार्थियों को अलाट किए गये क्वार्टरों की भूमि का किराया	Ground rent of quarters allotted to Refugees in Delhi	112-113
4950	कोसी बांध क्षेत्र में डाक घर	Post Offices in Kosi Embankment Area	113

अ० प्र० सं० U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
4951	बिहार के कुछ स्थानों में डाकघर तथा सार्वजनिक टेलीफोन	Post Offices and P.C.O. in certain places in Bihar	113.114
4952	भारतीय खाद्य निगम	Food corporation of India	114
4953	सामुदायिक विकास कार्यक्रम	Community Development Programme	114
4954	भारत सेवक समाज, नाहन को सहायता	Aid to Bharat Sewak Samaj, Nahan	114-115
4955	भारत सेवक समाज, नाहन को सहायता	Aid to Bharat Sewak Samaj, Nahan	115
4956	पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों के लिए कालकाजी कालोनी, दिल्ली में घरों की व्यवस्था	House accommodation for refugees from East Pakistan in Kalkaji Colony, Delhi	115
4957	दिल्ली में कालकाजी कालोनी में प्लाटों के लिये भूमि का किराया	Ground Rent for plots in Kalkaji Colony, Delhi	115-116
4958	केन्द्रीय राजकीय फार्म, सूरतगढ़	Central State Farm, Suratgarh	116
4959	चीनी का उत्पादन	Sugar Production	116-117
4960	मथुरा जिले में भूमि का आवंटन	Allotment of land in Mathura District	117
4961	भारतीय खाद्य निगम द्वारा अर्जित लाभ	Profits earned by Food Corporation of India	117-118
4962	राज्यों को खाद्य बोनस	Food Bonuses to State	118
4963	दिल्ली टेलीफोन क्षेत्र में बिल बनाने की व्यवस्था का पुनर्गठन	Reorganisation of Billing system in Delhi Telephone District	118-119
4964	कम टिकट वाले डाक की वस्तुएँ	Under Stamped Postal articles	119
4965	चीनी का उत्पादन	Sugar Production	119-120
4966	शाहदरा दिल्ली में बूचड़खाना	Slaughter House in Shahdara, Delhi	120
4967	अनाज बैंक	Grain Banks	120-121
4968	भारत जापान सहयोग	Indo-Japanese Collaboration	121
4969	संचार मंत्रालय से सम्बद्ध सलाहकार बोर्ड तथा समितियां	Advisory Boards and Committees attached with the Ministry of Communications	121-122
4970	राष्ट्रीय खाद्य बजट	National Food Budget	122
4971	दिल्ली में राशन से चीनी को निकालना	Exclusion of sugar from ration in Delhi	122
4972	ट्रैक्टर मरम्मत तथा सेवा केन्द्र	Tractor Repair and service stations	122-123
4973	चावल का आयात	Import of Rice	123-144

अ० प्र० सं० U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4974	तांबे के तारों की चोरी	Theft of Copper Wire	124-125
4975	अहिन्दी भाषी राज्यों के न्यायालयों में प्रचलित कानूनी शब्दावली	Legal expressions prevelent in the courts in the non-Hindi States	125-126
4976	दिल्ली के वकीलों के विरुद्ध शिकायतें	Complaints against Delhi Advocates	126
4977	उत्तर प्रदेश में चूहों इत्यादि द्वारा अनाज की क्षति	Damage of Foodgrains by rodents in U.P.	126-127
4978	उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने सम्बन्धी योजना	Schemes for raising agricultural production in U.P.	127
4979	उत्तर प्रदेश में संचार सुविधाओं का विस्तार	Expansion of communication facilities in U.P.	127-128
4980	कल्याणी, पश्चिम बंगाल में तारापुर एण्ड कम्पनी में भूख हड़ताल	Hunger strike in Tarapur and Co. Kalyani (West Bengal)	128-129
4981	अशोक नगर आर० आई० सी० फैक्टरी कलकत्ता	Ashoke Nagar R. I. C. Factory, Calcutta	129
4982	फसल बीमा योजना	Crop Insurance Scheme	129
4983	लोह अयस्क खान कल्याण निधि	Iron Ore Mines Welfare Fund	129-130
4984	जम्मू तथा कश्मीर राज्य को उर्वरकों का आवंटन	Allotment of Fertilizers to Jammu and Kashmir State.	131
4985	बिहार में उठाऊ सिंचाई और नलकूप सहकारी समितियां	Lift Irrigation and Tubewell Co-operatives in Bihar	132
4986	पश्चिम बंगाल में आटा मिल	Flour Mills in West Bengal	132
4987	उत्तर प्रदेश में गेहूँ की वसूली	Procurement of wheat in U. P.	133
4988	रोजगार के अवसर	Employment opportunities	133
4989	बिक्री योग्य फालतू कृषि जिन्सें	Marketable agricultural surplus	133-134
4990	खनन क्षेत्र में अस्पताल	Hospitals in Mining Areas	134-136
4991	बारबिल (उड़ीसा) में बुक की गई ट्रंक कालों की संख्या	Number of Trunk calls booked at Barbil (Orissa)	136
4992	मेसर्स पी० सी० राय एण्ड कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड	Messrs P.C. Ray and Co. (P) Ltd.	136-137
4993	अन्दमान वन श्रमिक संघ	Andaman forest labour union	137
4994	अन्दमान वन विभाग द्वारा ट्रकों का आयात	Import of trucks by the Andaman forest Department	137-138

अ० प्र० सं० U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
4995	सुपर फॉस्फेट उर्वरक का आयात	Import of super phosphate fertilizer	138-139
4996	भारतीय खाद्य निगम द्वारा अनाज खरीदा जाना	Purchase of foodgrains by Food corporation of India	139
4997	बेरोजगारी बीमा योजना	Unemployment insurance scheme	139
4998	केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड	Central advisory board	139-140
4999	पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले लोगों के लिये ऋण	Loans for migrants from East Pakistan	140
5000	मैसूर मत्स्य निगम	Mysore Fisheries Corporation	140
5001	प्राईमरी कृषि ऋण सहकारी समितियां	Primary Agricultural Credit Co-operative societies	140-141
5002	खाद्यान्नों की कीमतें	Prices of Foodgrains	141-142
5003	अनाज का रक्षित भन्डार	Buffer stock of Foodgrains	142
5004	मजूरी बोर्ड पंचाट	Wage Board Award	142-143
5005	अत्यावश्यक वस्तुओं को उत्पादन के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए स्थायी तकनीकी समिति	Standing Technical Committee for collecting Data of cost of production of Essential Commodities	143-144
5007	चीनी के नये कारखाने	New Sugar Factories	144
5008	आसाम में दंगों के कारण संचार व्यवस्था में गड़बड़	Disruption of Communication system in Assam due to Riots	144
5009	हिन्दी के दूरमुद्रक	Hindi Teleprinters	144-145
5010	खंडवा में स्वचालित टेलीफोन केन्द्र	Automatic Telephone Exchange at Khandwa	145
5011	मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायतों को डाक घर की सुविधाएं दी जाना	Post office facilities to Gram Panchyats in M. P.	145
5012	मध्य प्रदेश में तार घर	Telegraph offices in M.P.	146
5013	मध्य प्रदेश में संकर बीजों का वितरण	Distribution of Hybrid seeds in M.P.	146
5014	सरकारी क्षेत्र के उद्योगों का प्रशासन	Administration of public sector industries	146
5015	पश्चिम बंगाल को चावल का आवंटन	Allotment of rice supplies to West Bengal	146
5016	श्रम स्थायी समिति	Labour Standing Committee	147
5017	विश्व खाद्य कार्यक्रम	World Food Programme	147-148

अ० प्र० सं० U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
5018	उड़ीसा के पोस्ट मास्टर जनरल क कार्यालय का स्थानान्तरण	Shifting of Office of P.M.G. Orissa	148
5019	खाद्यान्न लाने लेजाने पर लगे प्रतिबन्ध	Restriction on Movement of Food-grains	148-149
5020	बैंकों के माध्यम से किसानों को ऋण दिया जाना	Loan to Farmers through Banks	149-150
5021	कपास का उत्पादन	Production of Cotton	150
5022	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के सम्बंध में खर्च	Expenditure on Scheduled Castes and Scheduled Tribes	150
5023	ग्रामीण जनता के लिए संचार सम्बन्धी सुविधायें	Communication facilities for Rural Population	151
5024	राजस्थान में टेलीफोन उपकरण निर्माण कारखाना	Telephone Equipment Manufacturing Factory in Rajasthan	151
5025	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के अनुसंधान कार्यक्रम	Research Programmes of I.A.R.I.	151-152
5026	हिन्दी आफिसर	Hindi Officer	152-153
5027	समाचार पत्रों के कर्मचारियों की हड़ताल	Newspaper Workers' Strike	153
5028	सिविल मैरेज	Civil Marriages	153-154
5029	देश में टेलीफोन बूथ	Telephone Booths in the country side	154
5030	कृषि मजदूरों के पुनर्वास संबन्धी योजना	Scheme for Rehabilitation of Agricultural Labourers	154-155
5031	पौड़ी गढ़वाल में तारों तथा मनीआर्डरों का वितरित न किया जाना	Non-Delivery of Money Orders and Telegrams in Pauri-Garhwal	155
5032	पौड़ी गढ़वाल में नये डाकघर	New Post Offices in Pauri-Garhwal	155-156
5033	एशियाई देशों के श्रम मंत्रियों का सम्मेलन	Asian Labour Minister's Conference	156
5034	चीनी का उत्पादन तथा निर्यात	Sugar Production and Export	156-157
5035	श्रम क्षेत्रों में दंगे	Disturbances in Labour Areas	157
5036	राज्यों के तार घरों में अंग्रेजों के टेलीप्रिंटरों की संख्या	Number of English Teleprinters in Telegraph Offices in States	157-158
5037	संसद् सदस्यों को राज्य सड़क परिवहन की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधायें	Free Travelling Facilities to M.Ps. in State Road Transport Buses	158
5038	औद्योगिक विवादों के लिये औद्योगिक न्यायिक प्राधिकरण	Industrial Judicial Authority for industrial disputes	158

अ० प्र० सं० U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
5039	पश्चिम बंगाल में ग्रामीण ऋण की आवश्यकता	Rural Credit requirement in West Bengal	158-169
5040	अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सदस्यों की दिल्ली में सहकारी समिति	Cooperative store for Members of A.I.C.C. in Delhi	159
5041	अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों के प्रति पंजाब सर्किल के वरिष्ठ अधिकारियों का भेदभावपूर्ण रवैया	Discriminatory Attitude of senior officers of Punjab Circle towards scheduled castes Employees	159-160
5042	कर्मचारी राज्य बीमा निगम	Employees State Insurance corporation	160
5043	केरल की भोजन के लिये राजसहायता सम्बन्धी मांग	Kerala's demand for food subsidy	160-161
5044	कपास की खेती वाली भूमि	Area under cotton cultivation	161
5043	लखीमपुर खेड़ी (उत्तर प्रदेश) में हिन्दुस्तान शूगर फैक्टरी	Hindustan Sugar Factory, Lakhimpur Kheri in U.P.	161-162
5046	सहकारी चीनी कारखाना	Co-operative sugar factory	162
5047	हिन्दुस्तान शूगर फैक्टरी गोला गोकरण नाथ लखीमपुर खेड़ी	Hindustan sugar factory Gola Gokaran Nath, Lakhimpur Kheri	163
5048	हिन्दुस्तान शूगर फैक्टरी गोला गोकरण नाथ, लखीमपुर खेड़ी	Hindustan Sugar Factory, Gola Gokaran Nath, Lakhimpur Kheri	163
5049	तमिल कवि बराथीडसन के सम्मान में डाक टिकट	Postage Stamp in Honour of Tamil Poet Barathidsan	163
5050	ए० जी० डिविजन, मद्रास के रैलवे डाक सेवा के रिकार्ड कार्यालय में रिक्त स्थान	Vacancies in Record Office of Railway Mail Services A. G. Division, Madras	164
5051	रेलवे डाक सेवा के डिविजनों का विजयवाड़ा को स्थानान्तरण	Shifting of R.M.S. Division to Vijaywada	164
5052	तीसरी श्रेणी के सार्टरों का आंध्रसर्किल को स्थानान्तरण	Transfer of Class III Sorters to Andhra Circle	164-165
5053	ए० जी० डिविजन मद्रास के रेलवे डाक सेवा के रिकार्ड कार्यालय के चतुर्थ श्रेणी के पद	Class IV Posts in R. M. S. Record Office and A.G. Division Madras	165
5054	पश्चिम बंगाल में भूख से मृत्यु	Starvation Deaths in West Bengal	165-166

अ० प्र० सं० U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
5055	मेरठ में हरिजनों, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जतियों के लिये आरक्षित भूमि	Land reserved for Harijans, scheduled castes and scheduled tribes in Meerut	166
5056	बंगलौर उपनगरीय फार्म में नए विद्युत-चालित हैरो तथा टिलर का प्रयोग	Use of New Power Harrow and Tiller in Bangalore Suburban Farm	166-167
5057	अनाज की खेती की तुलना में गन्ने की खेती के अधीन भूमि	Area under sugar cultivation vis a vis for crops	167
5058	श्रम विधान संहिताकरण	Codification of Labour Legislations	
5059	अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन	All India Whips' Conference	167
5060	उत्तर प्रदेश में नलकूप लगाने के परिणामस्वरूप हुई हानि	Loss due to Installation of Tubewells in U.P.	168
5061	लघु सिंचाई साधनों के लिये राजस्थान को सहायता	Aid to Rajasthan for Minor Irrigation Schemes	168
5062	भैंस जाति के पशुओं का विकास	Development of Buffalo Family	168-169
5063	उर्वरक तथा हैवी कैमिकल उद्योगों सम्बन्धी मजूरी बोर्ड	Wage Board for Fertilizer and Heavy Chemical Industries	169
5064	बांदा जिले में सहकारी बैंक	Cooperative Banks in Banda District	170
5065	दिल्ली टेलीफोन केन्द्रों में रद्द किये गये ट्रंक काल	Trunk Calls cancelled at Delhi Telephone Exchanges	170
5066	भारतीय मजदूर की मासिक औसत मजूरी	Average Monthly Wages of Indian Labour	170-171
5067	रेलवे डाक सेवा के डिब्बे	R.M.S. Coaches	171
5068	कांडला बन्दरगाह से खाद्यान्न की ढुलाई	Transport of Foodgrains from Kandla Port	171-172
5069	बिहार में खाद्यान्नों का समाहार	Procurement of Foodgrains in Bihar	172
5070	चीनी मिलों का बन्द होना	Closure of Sugar Mills	173
5071	अध्ययन दल	Study Groups	173-174
5072	आस्ट्रेलिया से भेड़ों का आयात	Import of sheep from Australia	174
5073	मंत्रालयों में दिल्ली दुग्ध योजना के डिपो खोले जाना	Opening of Delhi Milk Depots in Ministries	174-175
5074	वनस्पति संरक्षण के लिये ऊपर से छिड़काव करने वाली मशीनें	Aerial Spray Machines for Plant Protection	175-167

अ० प्र० सं० U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
5075	मध्य प्रदेश में पौधा संरक्षण के लिये सहायता	Aid for Plant Protection in Madhya Pradesh	176-177
5076	संयुक्त डाकखाने का विभागीय तारघर में बदला जाना	Conversion of combined post office into a Departmental Telegraph Office	177-178
5077	मजदूर संघों का पंजीकरण	Registration of Tade Unions	178
5078	मनीपुर में खाद्य स्थिति	Food situation in Manipur	178-179
5079	चंडीगढ़ के संघ राज्य क्षेत्र से राज्य सभा में प्रतिनिधित्व	Representation in Rajya Sabha from Chandigarh Union Territory	179
5080	पंजाब में होशियारपुर चुनावक्षेत्र	Hoshiarpur Constituency in Punjab	179
5081	लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन	Amendment of Representation of the people Act	179
5083	रूस से ट्रेक्टरों का आयात	Import of tractors from Russia	180
5084	स्वविवेकी अनुदानों का वितरण	Distribution of discretionary grants	180
5085	कलकत्ता की टैक्समाको में हड़ताल	Strike in Texmaco, Calcutta	180-181
5086	भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारी	Employees of the Food Corporation of India	181
5088	केरल में तेल वाले ताड़वृक्ष की काश्त	Cultivation of oil palm in Kerala	181-182
5089	हैदराबाद और विजयवाडा के तीसरी श्रेणी के डाक कर्मचारियों द्वारा ज्ञापन	Memorandum by class III Postal Employees of Hyderabad and Vijayawada	182
5090	अच्छलदाह, इटावा स्थित कौशलपुरी सहकारी समिति का फार्म	Kaushalpuri cooperative society Farm, Achhalda, Etawah	182
5091	अशोकपुरी सहकारी कृषि फार्म, अच्छलदाह, इटावा (उत्तर प्रदेश)	Ashokpuri Co-operative Agricultural Farm, Achhalda, Etawah (U.P.)	182-183
5092	खंडसारी पर उत्पादन शुल्क	Excise Duty on Khandsari	183
5093	किसानों को राहत	Relief to Farmers	183-184
5094	मिर्जापुर (उत्तर प्रदेश) में लघु सिंचाई की सुविधाएं	Minor Irrigation Facilities in Mirzapur (U. P.)	184
5095	आसाम में शरणार्थियों के लिए भूमि का अधिग्रहण	Acquisition of land for refugees in Assam	184
5096	गुजरात में शीतागार की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए केन्द्रीय ऋण	Central loan for cold storage facilities in Gujarat	184-185

अ० प्र० सं० U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
5097	बम्बई में स्वचालित टेलीफोन केन्द्र	Automatic Telephone Exchange in Bombay	185
5098	शिलांग में स्वचालित टेलीफोन केन्द्र	Automatic Telephone Exchange in Shillong	185
5099	उड़ीसा के सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिये निधियां	Funds for Drought hit Areas of Orissa	185-186
5100	अल्पकालिक ऋणों को मध्यकालिक ऋणों में बदलना	Conversion of Short Term Loans into Long Term Loans	186
5101	श्रम अधिकारी सेवा	Labour Officers Service	186-187
5102	कृषि स्नातक	Agricultural Graduates	187
5103	अनुसूचित जातियों के अधिकार तथा विशेषाधिकार	Rights and Privileges of Scheduled Castes	187
5104	उत्तर प्रदेश में चकबन्दी	Consolidation of Holdings in U.P.	187-188
5105	बुलन्दशहर के राशन विक्रेता के विरुद्ध शिकायतें	Complaints against Ration Dealer of Bulandshahr	188
5106	श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम	Working Journalists Act	188-189
5107	हल्दिया स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था	Industrial Training Institute at Haldia	189
5108	दिल्ली में चलते फिरते तथा ग्रामीण डाकघरों में डाक टिकटों का उपलब्ध न होना	Non-availability of stamps at Mobile and Rural Post Offices in Delhi	189
5109	मध्य प्रदेश में किसानों को दीर्घकालिक ऋण	Long term loans to farmers in Madhya Pradesh	189-190
5110	कुल्टी के केन्दुआ बाजार में भूमि का धंस जाना	Land subsidence in Kendua Bazar, Kulti	190
5111	इन्डियन आयरन एन्ड स्टील कम्पनी	Indian Iron and Steel Co.	190-191
5112	इन्डियन आयरन एन्ड स्टील कम्पनी	Indian Iron and Steel Co.	191
5113	पश्चिमी बंगाल के बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों के सहकारी बैंकों द्वारा ऋण की वसूली	Realisation of Loans by Cooperative Banks in Flood affected areas in West Bengal	191-192
5114	मध्य प्रदेश में टिड्डी दल का उत्पाद	Locust Menace in Madhya Pradesh	192
सभा पटल पर रखे गये पत्र		Papers Laid on the Table	192-195
राज्य सभा से सन्देश		Messages from Rajya Sabha	195
सदस्यों की गिरफ्तारी तथा रिहाई		Arrest and Release of Members	195-196

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
विधेयक पारित	Bills passed	196-198
(1) विनियोग (रेलवे) संख्या 3 विधेयक,	(1) Appropriation (Railways) No. 3 Bill, 1968 and	
(2) विनियोग (रेलवे) संख्या 4 विधेयक	(2) Appropriation (Railways) No. 4 Bill 1968	
स्वर्ण (नियन्त्रण) विधेयक	Gold (control) Bill	198-203
खन्ड 11 से 16	Clauses 11 to 16	
चैकोस्लोवाकिया की स्थिति पर प्रधान मंत्री के वक्तव्य के बारे में प्रस्ताव	Motion re-Prime Minister's statement on situation in Czechoslovakia	203-225
श्री रा० ढो० भन्डारे	Shri R. D. Bhandare	
श्री मी० रु० मसानी	Shri M. R. Masani	
श्री ं० वेंकटासुब्बया	Shri P. Venkatasubbaiah	
श्री बलराज मधोक	Shri Balraj Madhok	
श्री हनुमन्तैया	Shri Hanumanthaiya	
श्री फ्रैंक एन्थनी	Shri Frank Anthony	
श्री कन्डप्पन	Shri S. Kandappan	
श्री बाकर अली मिर्जा	Shri Bakar Ali Mirza	
श्री योगेन्द्र शर्मा	Shri Yogendra Sharma	
श्री मोहम्मद इस्माइल	Shri M. Muhammad Ismail	
श्री चन्द्रजीत यादव	Shri Chandra Jeet Yadav	
श्री जी० भा० कृपालानी	Shri J. B. Kripalani	
श्री पी० राममूर्ति	Shri P. Ramamurti	
श्री रवि राय	Shri Rabi Ray	
श्री बी० शंकरानन्द	Shri B. Shankaranand	
श्री नाथ पाई	Shri Nath Pai	
श्रीमती शारदा मुकर्जी	Shrimati Sharda Mukerjee	
श्री गुलाम मुहम्मद बख्शी	Shri Gulam Mohammad Bakshi	
श्री स्वैल	Shri Swell	
श्रीमती इन्दिरा गांधी	Shrimati Indira Gandhi	
सदस्यों की दोष सिद्धि	Conviction of Members	225
नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा के बारे में	Re.Discussion under Rule 193	225-226

लोक-सभा
LOK SABHA

गुरूवार, 22, अगस्त 1968 / 31 श्रावण, 1890 (शक)
Thursday, August 22, 1968 / Sravana 31, 1890 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

अध्यक्ष महोदय : श्री देवेन सेन,

श्री देवेन सेन : प्रश्न संख्या 602.

श्री वेणी शंकर शर्मा : इसके साथ प्रश्न संख्या 605 को भी ले लिया जाय।

अध्यक्ष महोदय : हाँ।

झरिया और आसनसोल कोयला क्षेत्रों में हड़ताल

*602. **श्री देवेन सेन** :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 17 जून, 1968 को आसनसोल तथा झरिया के कोयला-क्षेत्रों में एक सांकेतिक हड़ताल हुई थी जिसमें यह मांग की गई थी कि प्रति दिन रु० 1.47 पैसे की परिवर्तनशील दर पर मंहगाई भत्ता दिया जाये जिसकी सिफारिश मजूरी बोर्ड ने की थी;

(ख) राष्ट्रीय कोयला विकास निगम द्वारा प्रति दिन कितना परिवर्तनशील भत्ता दिया जाता है; और

(ग) गैर-सरकारी क्षेत्र की कोयला खानों को इस बात के लिये राजी करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है कि परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता के बारे में मजूरी बोर्ड के निर्णय को क्रियान्वित किया जाये ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हाँ, इस माँग पर आसनसोल और झरिया कोयला-क्षेत्रों की अनेक कोयला-खानों में 17 जून, 1968 को हड़ताल हुई।

(ख) राष्ट्रीय कोयला विकास निगम 1.47 रु० प्रतिदिन की दर से परिवर्ती महंगाई भत्ता दे रहा है।

(ग) कोयला खान उद्योग से सम्बन्धित मजूरी बोर्ड की सिफारिशों की क्रियान्विति की प्रगति पर विचार करने के लिए 12 अगस्त, 1968 को नियोजकों और श्रमिकों के प्रतिनिधियों की बैठक हुई। बैठक में उपस्थित विभिन्न खान संघों के प्रतिनिधियों से प्रार्थना की गई कि वे दोषी कोयला-खानों से मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए अनुनय करें। इस बैठक में सर्वसम्मति से यह फैसला किया गया कि छः सप्ताह बाद स्थिति का पुनरीक्षण किया जाए।

कोयला खानों में हड़ताल

+

*605. **श्री वेणी शंकर शर्मा :** **श्री दी० च० शर्मा :**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या झरिया तथा हजारीबाग में 450 कोयला खानों के 1,50,000 कर्मचारी कोयला मजूरी बोर्ड की सिफारिशों की क्रियान्विति के लिए अपनी माँगें मनवाने के लिए 17 जून, 1968 को काम से अनुपस्थित रहे थे;

(ख) क्या उनकी माँगों पर विचार किया गया है; और

(ग) यदि हां तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी नहीं। फिर भी धनबाद क्षेत्र (जिसमें झरिया और हजारीबाग की कोयला-खानें भी शामिल हैं) में 91 कोयला-खानों में काम करने वाले करीब 70,000 कर्मचारियों ने 17 जून, 1968 को आंशिक हड़ताल की।

(ख) और (ग) : कोयला खान उद्योग के लिये मजूरी बोर्ड की सिफारिश की कार्यान्विति की प्रगति के बारे में विचार करने के लिये नियोजकों और कामगरों के प्रतिनिधियों के साथ 12 अगस्त, 1968 को श्रम और रोजगार विभाग में एक बैठक हुई। विभिन्न कोयला खनन संघों के प्रतिनिधियों से जो बैठक में उपस्थित थे, मजूरी बोर्ड की सिफारिशें कार्यान्वित करने के लिए अवहेलना करने वाले कोयला-खानों के प्रबंधकों को मनवाने के लिए प्रार्थना की गई। इस बारे में छः सप्ताह बाद पुनर्विचार करने का निश्चय किया गया।

Shri Deven Sen : Is it a fact that the Government have not accepted all the unanimous recommendations of the Wage Board and if so the reasons therefor ? The recommendations accepted by the Government have not been implemented by the employers, although the price of coal has been increased by Rs. 5 once and by Rs. 2 at another occasion. The Government are the biggest purchaser of it, namely Railways, Steel and fertilisers are the biggest consumer of it. Why do the Government not press the employers, while raising the price of the coal, that the price of the coal will be raised only when, they will pay the increased wages to the workers according to the recommendations of the Wage Board ?

श्री हाथी : कुछ सिफारिशें, उदाहरणार्थ, उपदान का भुगतान तथा अन्य ऐसी सभी सिफारिशें अभी विचाराधीन हैं। ऐसी बात नहीं है कि उनको अस्वीकार कर दिया गया है। कुछ

सिफारिशों में संशोधन किया गया है। जहां तक माननीय सदस्य के कीमतों से सम्बन्धित प्रश्न का सम्बन्ध है, 67 कोयला-खानों के प्रबन्धक मंहगाई भत्ता दे रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि वे मजूरी बोर्ड की किसी भी सिफारिश को क्रियान्वित नहीं कर रहे हैं। यह परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता है, जिसका भुगतान करना है। कुछ कोयला खानों ने अंशतः मंहगाई भत्ता दे दिया है। कुछ ने पूरा मंहगाई भत्ता दे दिया है। 67 कोयला खानों ने पूरा मंहगाई भत्ता दे दिया है, प्रश्न यह है कि जिनको अधिक मूल्य प्राप्त हुआ है, वे मंहगाई भत्ता क्यों न दें। उनमें से किसी को एक रुपया प्राप्त हुआ है तो किसी को चार रुपये, कुछ को पाँच रुपये तथा कुछ को सात रुपये। जो बात तय की गई थी वह यह है कि कम से कम उन कोयला खानों को मंहगाई भत्ते का भुगतान करना चाहिये जिनको अधिक कीमतें प्राप्त हुई हैं अर्थात जिनके सात रुपये अथवा पाँच रुपये कीमतों में बढ़े हैं, दूसरों के लिए, जिनको अधिक कीमत प्राप्त नहीं हुई है, बात दूसरी है। बैठक में इसी बात पर चर्चा की गयी थी और वे सहमत हो गये हैं कि वे प्रत्येक मामले की जांच करेंगे और प्रत्येक को जिसको अधिक मूल्य प्राप्त हुआ है उसे मंहगाई भत्ते का भुगतान करना चाहिये। इसी बात पर सहमति हुई थी।

Shri Deven Sen : Is there any way open for the employers to escape from payment of dearness allowance because of their proposal, as it is clear that those who do not get Rs. 7 would not pay, and so long it is not raised by Rs. 7 they will not pay dearness allowance. Increase of Rs. 7 in the price is not effected in all the collieries. The fact is that in one colliery the price is raised by Rs. 7 and in another Rs. 6 and in another Rupees five and a half and so on ?

श्री हाथी : इस बात की भी चर्चा की गयी थी कि जो 67 कोयला-खानों के प्रबन्धक मंहगाई भत्ता दे रहे हैं शायद वे ऐसा महसूस करें कि जब दूसरे कोयला-खानों वाले भत्ता नहीं दे रहे हैं तो उनके देने का क्या अभिप्राय है। इसलिये एसोसिएशन को बुलाया गया था और कहा गया था कि वे इस बात पर स्वयं गौर करें कि वे कोयला खानों वाले भी मंहगाई भत्ते का भुगतान करें।

Shri Beni Shankar Sharma : When the hon. Minister visited Jharia on 5th July, he had warned the coal-miners at a Press Conference, which was published in the Amrit Bazar Patrika on 7th July, 1968 as under :

> "Mr. Hathi, yesterday, warned employers in Coal-mining industry about serious consequences of what he described as their present unhelpful attitude in respect of implementation of wage board award. Government would not remain silent spectators if this attitude persisted. If employers failed to show a responsive attitude, Government was contemplating adoption of suitable measures to make implementation of wage board award a statutory obligation."

Was that simply a warning or he wanted to act according to that warning ? If the mine owners have not yet implemented the recommendations of the wage Board, whether the Government will give it a statutory form as promised by it earlier ? Are the recommendations in respect of pay the same for the labourers of all the coal-mines, whereever they may be, or they have adopted different standards ?

श्री हाथी : यह एक सामान्य प्रश्न है कि वेतन बोर्ड की सिफारिशें सांविधिक नहीं हैं और इस सामान्य प्रश्न पर न केवल सामान्य विचार बल्कि सक्रिय विचार किया जा रहा है कि क्या वेतन बोर्ड को सांविधिक बनाया जाय अथवा नहीं। राष्ट्रीय श्रमिक आयोग भी इस प्रश्न पर

विचार कर रहा है। स्थायी श्रमिक समिति ने एक विशेष समिति नियुक्त की थी तथा वह भी इस प्रश्न पर विचार कर रही है। इसके बाद यदि यह समझा गया कि सामूहिक सौदाबाजी का और कोई मार्ग नहीं है तो सांविधिक व्यवस्था ही अन्तिम उपाय होगी। मेरा यह विश्वास है कि यदि नियोजक और कर्मचारी एक दूसरे को समझें, और आपस में बातचीत द्वारा मामला हल करें तो हमेशा अच्छा ही परिणाम रहता है, जीवन के हर क्षेत्र में कानून को ही लागू नहीं करना चाहिये। मेरे विचार से विभिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न वेतन दर हैं, मध्य प्रदेश और आसाम में थोड़ा अन्तर है।

Shri Bibhuti Mishra : About Basuria coalfield, the Wage Board has stated that their wages should be increased by 78 Paise per head per day and accordingly the daily wages comes to a little over one and a half rupee. But they have not been paid the wages at increased rates. Hence the strike is going on there. The hon. Minister is aware of all these developments. This is the decision of the Wage Board, which was constituted by the Government. I do not understand why our Government do not implement its recommendations ? When the poor labourers donot get even their meals they are compelled to go on strike and the Government silently looks like a spectator. I want to know what the Government are going to do for the labourers in Basuria, who are on strike ?

Shri Hathi : This concept is wrong that the wage board is a statutory body and its recommendations should be implemented. Some matters are no doubt decided by negotiations, between representatives of workers and employers. The wages of labourers should be based on this standard. Such things are settled by negotiations between the employers and the representatives of the Labour Unions. No settlement has yet taken place regarding the labourers of all the mills. We had such negotiations with about 19 Boards only out of 22 so far. The Second thing that it is not a question of implementation of the whole report of the Wage Board. When the dearness allowance was fixed, the price index was 166. After that there was provision for giving 3 paise at every point. Now the price index has increased to about 206, therefore we feel difficulty in giving dearness allowance according to that. Basuria collieries, regarding which the hon. Member has mentioned is an individual case.

श्री उमानाथ : जहां तक कोयला खानों का सम्बन्ध है इसमें अन्य उद्योगों जैसी बात नहीं है। ज्योंही वेतन बोर्ड की सिफारिशों की घोषणा होती है कोयलाखानों के प्रबन्धक सरकार के पास जाते हैं और कहते हैं कि सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये उनके कोयले की कीमत बढ़ाई जाये और इसी विशेष बात को ध्यान में रखते हुए कीमतों में वृद्धि की गई थी कि सिफारिशों को कार्यान्वित किया जायेगा, अभी भी कुछ फैक्टरियों में इनको पूरी तरह कार्यान्वित नहीं किया गया है अथवा कुछ कारखानों में तो आंशिकरूप में कार्यान्वित नहीं किया गया है। मैं समझता हूँ जहाँ तक मूल्यों का सम्बन्ध है इनमें दूसरी बार वृद्धि की गयी है। तथापि, अभी भी यदि कुछ कारखाने अथवा कोयला खानों के प्रबन्धक पूरी तरह अथवा आंशिक रुप में मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को नहीं मानते हैं, तो मैं श्रम मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि क्या वे इस्पात मंत्रालय को ऐसा प्रस्ताव करने के बारे में विचार कर रहे हैं कि जिन कोयलाखानों ने पूर्णत: अथवा आंशिक रूप में इन सिफारिशों को कार्यान्वित नहीं किया है उनको अपने हाथ में ले लिया जाये और राष्ट्रीय कोयला विकास निगम को सौंप दिया जाय ? यदि नहीं, तो मैं इसके कारण जानना चाहता हूँ ?

श्री हाथी : जहां तक पहले सुझाव का सम्बन्ध है, प्रत्येक मजूरी बोर्ड में सामान्यत: ऐसा होता है कि नियोजक और कर्मचारी दोनों वेतन बोर्ड की किसी विशेष सिफारिश तक सहमत

होते हैं। मजदूरों को कुछ अधिक मिलने लगता है और नियोजक शोर मचाते हैं कि कीमतों में वृद्धि की जाय, जैसा कि विद्युत के मामले में हुआ है, जहां कीमतें बढ़ गई थीं। उस समय कोयले पर नियंत्रण था, हमने कहा कि उनको नौ रुपये देना उचित नहीं किन्तु हम उनको 4 या 5 रुपये दे सकते थे तथा उनको सिफारिशों को कार्यान्वित करना चाहिये। अन्ततोगत्वा जैसा कि सभा को पता है, कोयले पर से नियंत्रण हटा दिया गया। इसलिये, ऐसी बात नहीं है कि सरकार ने पांच रुपये अथवा छः रुपये अधिक विशेष कीमत नियत की है, अपितु यदि खरीददार खुले टेंडरों के बाद अधिक भुगतान करते हैं तो यह दूसरी बात है।

श्री उमानाथ : क्या दोषी कोयलाखानों को अपने हाथ में लेने तथा उनको राष्ट्रीय कोयला विकास निगम को सौंपने का कोई प्रस्ताव है ?

श्री हाथी : यह सुझाव कार्यवाही के लिये है।

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी : क्या मंत्री महोदय को आसनसोल, झरिया तथा हजारीबाग क्षेत्र की कोयला खानों में काम करने वाले मजदूरों में फैले हुए असंतोष के बारे में जानकारी है, और यदि हाँ, तो इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि बिहार और पश्चिम बंगाल के राज्यों में मध्यावधि चुनाव होंगे, क्या मंत्री महोदय मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को समय पर कार्यान्वित करने के लिये जो कार्यवाही करने जा रहे हैं उनके बारे में कोई निश्चित आश्वासन देने के लिये तैयार हैं और क्या मंत्री महोदय को इस बात का पता है कि किस दयनीय स्थिति में अनेक राज्यों की कोयला खानों के मजदूर काम कर रहे हैं ? क्या वे हमें ऐसा आश्वासन देने के लिये तैयार हैं कि कोयला-खानों के मालिकों को मजदूरों को काम की अच्छी शर्तें देने के लिये प्रेरित करने हेतु कार्यवाही की जायेगी ?

श्री हाथी : मुझे मजदूरों में व्याप्त असंतोष की जानकारी है और इसीलिये कुछ दिन पहले 12 अगस्त को मैंने एक बैठक बुलाई थी, जिसमें दोनों पक्षों ने भाग लिया था। उसमें मैंने कहा था कि जहां कहीं उनको अतिरिक्त मूल्य प्राप्त होता है, उन्हें अपने कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता देना चाहिये। उन्होंने कहा था कि छः सप्ताह में वे इस पर चर्चा करेंगे और दूसरों को भी ऐसा करने के लिये मनायेंगे।

डा० रानेन सेन : कुछ देर पहले मंत्री महोदय ने बताया था कि कर्मचारी संगठनों के साथ बातचीत हो रही है···

श्री हाथी : जी नहीं, मैंने कहा था कि नियोजकों तथा कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के बीच एक त्रिपक्षीय बैठक बुलाई गई थी।

डा० रानेन सेन : क्या त्रिपक्षीय बैठक के अतिरिक्त, नियोजकों के साथ अलग से बातचीत भी चल रही है ?

श्री हाथी : जी नहीं।

डा० रानेन सेन : यह पहली बार नहीं है जबकि कोयला खानों के मालिकों ने सरकार को चुनौती दी हो और मजदूरों को अपने हक से वंचित करने की कोशिश की हो। सम्भवतः पिछले वर्ष ही उन्होंने मजदूरों को बोनस देने से इन्कार कर दिया था और नियोजकों को रास्ते पर लाने में सरकार को कई महीने लगे थे, क्या सरकार कोयलाखानों के मालिकों को सन्तुष्ट करने के लिए

ही उपाय करना चाहती है और उनको कोयले की अधिक कीमत देना चाहती है और खानों के मालिकों से मजदूरों को उनका हक दिलाने के लिये मालिकों पर कोई दबाव नहीं डालना चाहती ? इस सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है ?

श्री हाथी : जब कीमतों पर नियंत्रण लगाया गया था, तब सरकार कीमतों को बढ़ाने के लिये सहमत नहीं हुई थी, जब नियंत्रण हटाया गया तब हमने कहा था "आप खुले बाजार में जाइये और जो चाहे करें।" अतः यह बात गलत है कि सरकार ने ऊंची दरें दी हैं।

श्री द्वा० ना० तिवारी : झरिया में बसूरिया कोयला क्षेत्र में 13 जुलाई से हड़ताल चल रही है और 135 मजदूरों की छंटनी कर दी गई है। कोयलाखानों के मालिक बाहर से मजदूर लाने का प्रयत्न कर रहे हैं और अन्य मजदूरों को भी काम से अलग कर देना चाहते हैं, इस मामले में, दो झगड़े श्रमिक न्यायाधिकरण को भेजे गये हैं। मैं जानना चाहता हूँ अन्य श्रमिकों के मामले श्रमिक न्यायाधिकरण को क्यों नहीं भेजे गये ? मजदूरों को पुनः काम दिलाने के लिये तथा बोनस दिलाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्री हाथी : यदि माननीय सदस्य अलग-अलग कोयला खानों के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिये मुझे पूर्व सूचना की आवश्यकता है।

Shri Hukam Chand Kachwaiya: The hon. Minister has stated in reply to a question that the minimum wage is different at different places. Are the Government making any efforts to ensure that the wages are equal in all the collieries ?

Many collieries and industrialists have not accepted the recommendations of the Wage Board. Will the Government put some restrictions on them so that those who do not accept and implement the recommendations are not given wagons to carry-coal ?

Whether the attention of the Government has been drawn to the fact that many coal-mines are being closed these days i.e. Umaria mine in Madhya Pradesh and many labourers are being thrown out of employment or many labourers are temporary or are being retrenched ? If it is so, what steps are the Government going to take to curb all these things ?

Shri Hathi : So far as the question of taking steps is concerned, I have told tha to give wages and to get wages is a matter of collective bargaining between the workers andt employers and it is for them to do it. The Government will do its best in this matter.

श्री बलराज मधोक : महोदय, मंत्री जी ने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। आप राष्ट्रीय वेतन बोर्ड चाहते हैं, अतः आप सभी मजदूरों के लिये न्यूनतम वेतन क्यों नियत नहीं कर देते ? स्थानीय परिस्थितियों के कारण थोड़ा सा अन्तर तो पड़ सकता है, किन्तु न्यूनतम वेतन तो निर्धारित किया जा सकता है।

श्री हाथी : यह कार्य वेतन बोर्ड करता है।

श्री बलराज मधोक : आपने तो बताया कि यह लागू ही नहीं होता।

श्री हाथी : ऐसी बात नहीं है कि यह लागू ही नहीं होता। लेकिन यह सांविधिक वेतन नहीं है, जो प्रत्येक पर लागू हों। किन्तु वे इसके लिये सिफारिश करते हैं।

Shri Ramavatar Shastri : There are sixty coal-mines in Nirsa-Chirkunda area of Dhanbad district. So far as I know the owners of only five big coal mines have agreed to pay the dearness allowance according to the decision of the Wage Board. Still this dearness allowance is not being paid to the workers of the remaining 55 coal mines. The result is this

that the wages comes to Rs. 6 when these are given according to the Wage Board Award and the dearness allowance is included in it and where it is not given according to the award of the Wage Board, it comes to Rs. 2.2/ only. I would like to know what steps the Government are taking to see that those workers who are not getting dearness allowance at present also get it ?

Shri Hathi : I have already stated about the efforts we have made.

Damage to Foodgrains

*603. **Shri Molahu Prashad** :

Will the **Minister of Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the total shortfall in the foodgrains kept in the godowns of the Government during the last five years ;

(b) the quantity of foodgrains out of it damaged by rats, pigeons and other birds; and

(c) the measures proposed to be taken to protect foodgrains kept in Government godowns from these pests in future ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) : गत पाँच वर्षों में सम्भाले गए और केन्द्रीय गोदामों में संचित किए गए लगभग 240 लाख मीटरी टन खाद्यान्नों की कुल मात्रा में से लगभग 43,000 मीट्रिरी टन खाद्यान्न कम हुये थे जो कि कुल मात्रा का लगभग 18 प्रतिशत बनता है। यह कमी विभिन्न कारणों से होती है जैसे कि गोदाम में अनाज का सूख जाना, विभिन्न प्रकार के तोल के तरीके, चूहे, पक्षी, कीटाणु आदि। इन कारणों में किसी एक या अधिक कारण से हुई हानि को अलग अलग बताना सम्भव नहीं है।

(ग) केन्द्रीय गोदामों में खाद्यान्नों की चूहों और पक्षियों से सुरक्षा के लिए निम्नलिखित प्रबन्ध किए गए हैं :—

(1) सरकार द्वारा बनवाए गए या बनवाए जा रहे परम्परागत गोदामों के ढांचे आधुनिक हैं जो कि चूहों से सुरक्षित होते हैं।

(2) भण्डारण अवस्था में अनाज का नियमित अन्तराल पर तकनीकी दृष्टि से योग्यता प्राप्त स्टाफ द्वारा निरीक्षण किया जाता है।

(3) जहां पक्षियों का उत्पात होता है वहां पक्षियों को उड़ाने के तरीकों का प्रयोग किया जाता है।

(4) पक्षियों को गोदामों में आने से रोकने के लिए रोशनदानों पर लोहे की तारों वाली जालियां लगायी जाती हैं।

(5) गोदामों में पक्षियों को आने से रोकने के लिए दरवाजों पर पोलीथीन की पट्टियां लटकाई जाती हैं।

(6) किराये के गोदामों में जो कि चूहों से सुरक्षित नहीं हैं, भूषक नियन्त्रण के लिये तकनीकी दृष्टि से प्रशिक्षित स्टाफ द्वारा प्रधूमकों और आतंचन रोधी तरीकों का प्रयोग किया जाता है।

(7) सरकार द्वारा बनाए गए साइलो गोदाम पहले ही चूहों और पक्षियों से सुरक्षित हैं। गोदाम निर्माण के भावी कार्यक्रम में इस प्रकार के गोदामों के निर्माण पर अधिक जोर दिया जा रहा है।

Shri Molahu Prashad : I would like to know whether this arrangement referred to in reply to Part (c) was not made five years ago and has been made now ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, हमारे देश में पहले गोदामों की स्थिति अच्छी नहीं थी और हमारी सरकार ने गोदामों के आधुनिकीकरण के लिये बड़ी तेजी से अनेक उपाय अपनाये हैं, यह पूंजी निवेश का प्रश्न है। बड़ी तेजी के साथ हमारे गोदामों का आधुनिकीकरण हो रहा है और हम गोदामों में खाद्यान्न की क्षति को कम करने के लिए हर सम्भव प्रयत्न कर रहे हैं। जहाँ तक सरकारी गोदामों का सम्बन्ध है, हमारे गोदाम सील से सुरक्षित हैं, तथा चूहों से सुरक्षित हैं और गोदामों में खाद्यान्न की क्षति को न्यूनतम करने का प्रयत्न किया जाता है।

Shri Molahu Prashad : I would like to know how much money, labour and time has been spent in collecting the information in respect of the answer to this question. In the same way many questions are disallowed on the plea that a lot of money, labour and time is involved in collecting the information in respect of them and therefore the information is not supplied.

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : समय-समय पर इसमें भी अन्तर होगा। आखिर यदि हम किसी समय पर कोई योजनाएँ तैयार करते हैं तो कुछ समय पश्चात हमें उनमें भी संशोधन करना पड़ता है।

Shri Molahu Prashad : The questions are disallowed on the basis that a lot of money, labour and time will be spent in gathering information regarding the questions. The hon. Minister should give this information so that in future we may ask narrow ranged questions instead of wider ones.

अध्यक्ष महोदय : वह अलग नोटिस चाहते हैं।

श्री नीतिराज सिंह चौधरी : क्या यह सच है कि देश में कुतरने वाले तथा अन्य पक्षियों द्वारा नष्ट किये गये खाद्यानों की कुल कीमत लगभग 1,000 करोड़ रुपये बैठती है ; यदि हां, तो क्या सरकार ने इस क्षति को रोकने के लिये कोई कदम उठाये हैं ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : समाचार पत्रों आदि में अतिशोक्तिपूर्ण आंकड़े दिये जाते हैं। किन्तु जैसा कि मंत्री महोदय श्री जगजीवन राम ने पिछले अवसर पर बताया था, किसानों के घरों में खाद्यान्नों की काफी क्षति होती है। इसलिये ऐसा होता है क्योंकि हमारे किसानों के घरों की स्थिति सन्तोषजनक नहीं है। जैसा कि सब जानते हैं कुल उत्पादन का केवल 25 से 30 प्रतिशत तक माल ही विक्रय के लिये बाजार में आता है; और शेष माल का उपभोग किया जाता है अथवा किसानों के घरों में जमा किया जाता है। क्योंकि घरों की दशा ठीक नहीं होती इसलिये खाद्यान्नों की क्षति होती है। किन्तु गोदाम आदि बनाने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं ताकि किसानों को भी खाद्यान्नों का संग्रह करने के लिये सुविधा प्राप्त हो सके।

श्री एस० कन्डप्पन : मैं जानना चाहता हूँ कि क्या यह सच है कि ए० डी० टी०-27, जिसको यदि अच्छी प्रकार न सुखाया जाय तो तीन दिन के अन्दर अंकुर फूट पड़ते हैं, को सुखाने के

लिये जो संयंत्र स्थापित किये गये थे वे ठीक कार्य नहीं कर रहे हैं और इस कारण खाद्यान्नों की बड़ी क्षति हो रही है, विशेषकर तन्जौर जिले में और यदि यह बात सच है तो, इस प्रकार कुल कितनी क्षति हुई है और क्या इन संयंत्रों को सुधारने के लिए कोई प्रयत्न किये गये हैं ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : यह मुख्य प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है लेकिन मैं स्थिति का पता लगाने का प्रयत्न करूँगा ।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : सरकार कृषि में क्रान्ति लाने और उत्पादन में 20 प्रतिशत वृद्धि करने में सफल हुई है, किन्तु इधर गोदामों में चूहों तथा अन्य कृन्तकों द्वारा खाद्यान्नों की क्षति और रेल वैगनों द्वारा ढुलाई के दौरान पानी गिरने से क्षति हो रही है । मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार इस ओर पूरा ध्यान देगी और जिन उपायों के बारे में हाल ही में विचार किया गया है, उनको पूरी तरह लागू करेगी ? क्या सरकार इस ओर भी ध्यान देगी कि ठीक समय पर तिरपालों की पर्याप्त सप्लाई की जाये ताकि खाद्यान्नों को लाने ले जाने में पानी गिरने से अनाज की क्षति न होने पाये ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : यह प्रश्न मुख्यत: गोदामों में खाद्यान्न की क्षति से सम्बन्धित है । जहां तक माननीय सदस्या के प्रश्न के पहले भाग का सम्बन्ध है, हमारे मंत्रालय ने गोदामों में क्षति की, सामान्य समस्या की जाँच और इस क्षति को दूर करने के उपायों के बारे में सरकार को सिफारिश करने के लिये एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की है ।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : यह प्रश्न खाद्यान्नों की क्षति से सम्बन्धित है, जिसमें कृन्तकों द्वारा क्षति अथवा पानी चूने के कारण होने वाली क्षति शामिल है ।

श्री हेम बरुआ : इस बार देश में खाद्यान्नों की बहुत ही अच्छी फसल हुई है और सारा देश इस बात से प्रोत्साहित है । इस सन्दर्भ में, मैं जानना चाहता हूँ कि सरकार ने खराब गोदामों अथवा गोदामों की कमी के कारण खाद्यान्नों की होने वाली क्षति को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की हैं तथा 25 प्रतिशत खाद्यान्नों की कृन्तकों से सुरक्षा करने के लिये सरकार ने गोदामों की दशा को सुधारने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मैं पहले ही आंकड़े बता चुका हूँ । वास्तव में खाद्यान्नों को गोदामों में रखने में पिछले पाँच वर्षों में औसतन कुल क्षति 0.18 प्रतिशत हुई है । माननीय सदस्य ने जो 25 प्रतिशत के आंकड़े दिये हैं, वे ठीक नहीं है । जहाँ तक सरकारी गोदामों का सम्बन्ध है, वे चूहों से, तथा सीलन से सुरक्षित हैं । चूहों से कुछ क्षति अवश्य होती है ।

श्री मनुभाई पटेल : केन्द्रीय भाण्डागार निगम तथा राज्यों के भाण्डागार निगम सारे खाद्यान्नों को वैज्ञानिक ढंग से रखने का प्रयत्न कर रहे हैं । क्षति से बचाने के लिये केन्द्रीय भाण्डागार निगम तथा राज्यों के भाण्डागार निगमों को ये खाद्यान्न सौंपने में सरकार को क्या कठिनाई है ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : केन्द्रीय भाण्डागार निगम तथा राज्यों के भाण्डागार निगमों की उपलब्ध क्षमता तथा सुविधाओं का उपयोग किया जा रहा है ।

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : इस बात से मैं सहमत हूँ कि अभी गोदामों की व्यवस्था अपर्याप्त है । मैं जानना चाहता हूँ कि पिछले दो वर्षों में गोदामों में माल रखने की कितनी क्षमता बढ़ाई

गई है और क्या सरकार का विचार गोदामों की क्षमता को और अधिक बढ़ाने का है और खाद्यान्नों की व्यवस्था के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : जहां तक वर्तमान गोदाम व्यवस्था का सम्बन्ध है, हमारे खाद्य विभाग में 9,76,200 मीटरी टन अनाज भरने की क्षमता है। भारतीय खाद्य निगम के पास लगभग 13,51,700 मीटरी टन की क्षमता है तथा राज्य सरकारों के पास 13,96,200 मीटरी टन की क्षमता है, जो सब मिलाकर 37,24,100 मीटरी टन बनती है। किराये पर लिये गये गोदामों की क्षमता 31,63,800 मीटरी टन है।

श्री प० गोपालन : चूहों, तथा अन्य कृन्तकों पर खाद्यान्नों की क्षति का सारा दोष मढ़ना अत्युक्तिपूर्ण है। कुछ ऐसे मनुष्य रूपी चूहे और कबूतर हैं जो इन गोदामों के प्रभारी हैं और खाद्यान्नों का हरण करते हैं, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार इस बात की पूरी जांच कर पायेगी कि खाद्यान्नों की क्षति के लिए अधिकारी लोग कहां तक उत्तरदायी हैं।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : यदि माननीय सदस्य हमारे सामने कोई विशेष उदाहरण विशेष प्रस्तुत करेंगे तो हम उसकी जांच करने के लिए तैयार हैं।

Dr. Govind Das : Just now the hon. Minister has stated that the efforts are being made to improve the condition of Government godowns. May I know how much foodgrains is stored in the Government godowns throughout the country and how many godowns are being improved and by what time the improvement will be completed ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : जैसा मैंने बताया, इस समय केन्द्रीय सरकार के खाद्य विभाग, खाद्य निगम तथा राज्य सरकारों के पास अपनी तथा किराये पर ली गई भाण्डागार क्षमता 68,87,900 मीटरी टन है। 3 लाख मीटरी टन क्षमता के लिए निर्माण कार्य चल रहा है। हम चालू वर्ष में 3 लाख मीटरी टन क्षमता की भाण्डागार क्षमता उत्पन्न करने की सम्भावनाओं की जांच कर रहे हैं।

वनस्पति में रंग मिलाना

*604. **श्री यज्ञ दत्त शर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वनस्पति में रंग मिलाने सम्बन्धी समिति ने जो प्रतिवेदन दिया है उसमें मोटे तौर पर क्या सिफारिशें की गई हैं ;

(ख) सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है; और

(ग) अगर उन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। तो इस में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) (1) समिति ने रतनजोत और टरमरिक सहित बहुत से रंगों की जांच की है लेकिन उनमें से कोई भी रंग इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया है।

(2) इसे और इस संबंध में प्रकट किए गये वैज्ञानिक विचारों में आम मतैक्य को देखते हुये समिति इस निष्कर्ष पर पहुँची है कि वनस्पति में रंग मिलाने वाली बात न तो व्यावहारिक ही है और न वांछनीय ही।

(3) अपेक्षित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मिलावट-विरोधी कानूनों को और सख्ती

से लागू करने और 'एगमार्क' मुहर वाले छोटे टिनों में घी का क्रय-विक्रय करने जैसे वैकल्पिक तरीके प्रयोग में लाने चाहिए।

(4) इस समय तिल के तेल के साथ वनस्पति में अदृश्य रूप से रंग की मिलावट से वनस्पति का रंग, एक साधारण परीक्षण जिसे 'वौडीन टेस्ट' कहते हैं, से लाल हो जाता है, उससे इस उद्देश्य की पूर्ति हो जानी चाहिए। लेकिन 'वौडीन टेस्ट कलर' की उपस्थिति का पता लगाने और घी में ऐसे रंग का अभाव जानने के लिए वनस्पति के निरीक्षण और परीक्षण में तेजी लानी चाहिए।

(ख) और (ग) : प्रतिवेदन विचाराधीन है।

Shri Yajna Datt Sharma : I am not satisfied with the answer given by the hon. Minister. Since 1952 this question is continuously being raised in this House. Late Shri Thakur Das Bhargava used to raise this question here off and on. After 1952, i.e. After raising it continuously for eight years an expert committee was appointed to consider over this matter for the first time in 1960. After five years it submitted its report in 1965. After 1965 this report was transferred to Health Ministry by the Food Ministry.

On 2nd May last the hon. Minister stated in an answer to a question that they had received the report of the Health Ministry and that they were going to take some action in that respect immediately. But, today, when I am asking about colourisation of Vanaspati, I am being told that experiments have been made over ratanjot and turmeric but none of them have been found suitable for the purpose and their use was impracticable. If we combine the 16 years old history and the answer given today, then a doubt arises in the mind that this Government wants neither to save the consumers nor want to solve the problem. My question is that there is so much difference in the prices of Dalda Ghee Vanaspati Oil and in the pure Ghee procured from the milk of animals, I want to know whether the Government do not want to save the interest of the consumers ? It has got an economic aspect. May I know whether the Government want to look into this question from the economic point of view that turmeric is being used for eating purposes for many years and centuries and if that turmeric is used in oil it will not be harmful ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य सरकार से क्या आशा रखते हैं। जैसा कि मैं अपने मुख्य उत्तर में बता चुका हूँ, एक विशेषज्ञ समिति को इसकी जांच करने के लिये कहा गया था और इस सम्बन्ध में अनुसंधान संस्था की भी सहायता ली गयी थी। वैज्ञानिक इस परिणाम पर पहुंचे हैं कि वनस्पति में रंग मिलाना न तो वांछनीय है और न ही व्यावहारिक। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि विश्व में कहीं भी रंग का इस प्रकार प्रयोग नहीं किया जा रहा, किन्तु अपने देश की परिस्थितियों को देखते हुए इस दिशा में कुछ करने के लिए हमने भरसक प्रयत्न किया है, माननीय सदस्य को यह नहीं समझना चाहिये कि इस समय वनस्पति आदि की शुद्धता की जांच के लिये कुछ नहीं किया जा रहा है। निर्माताओं के लिये 5 प्रतिशत तिल का तेल मिलाना अनिवार्य है। निरीक्षक संस्था इसकी जांच करती है और प्रतिमास सभी कारखानों से लगभग 300 नमूनों का हम विश्लेषण करते हैं और यदि काई अपमिश्रण करता हुआ पकड़ा जाता है तो हम उसके विरुद्ध कार्यवाही करते हैं।

Shri Yajna Datt Sharma : Will the Government submit any scientific report received from our National Chemical Laboratories etc. in which it has been stated as to what sort of harm will be done by mixing ratanjot etc., in the oils; such report should come before the House so that we may know as to what harm will be done to our health and whether any such report will be made available to us and if so, when ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मैं माननीय सदस्य को ऐसी रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिये सभा पटल पर उसे रखने के लिये तैयार हूँ ।

Shri Sarjoo Pandey : I would like to know the names of those who were on the Expert Committee and whether it is a fact that the manufacturer of Vanaspati have put a great pressure on them and persuaded them in such a way that they agreed to write that colouring of vanaspati is not possible, otherwise this should have been done; whether they have put any such pressure due to which Government took such a decision?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : माननीय सदस्य हमेशा हरेक चीज के लिए गलत अनुमान लगाते हैं । वास्तव में, समिति में प्रसिद्ध वैज्ञानिक और विशेषज्ञ थे । यह समिति के प्रसिद्ध वैज्ञानिकों पर आरोप लगाना है, जो उसके सदस्य थे । उन्होंने यहां तक कि हमारे देश की सर्वोच्च वैज्ञानिक संस्था—वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद से भी परामर्श प्राप्त किया और इस परिषद ने समिति के मुख्य निष्कर्षों के बारे में सहमति प्रकट की ।

Shri Mrityunjay Prasad : Whether the Nutrition Research Institute, Mysore, had made this experiment in 1960-61 on the alcoholic extract of turmeric and that the colour does not change by mixing a little bit of Haldi in Vanaspati ghee but afterwards if a little of that vanaspati is mixed in pure ghee, and that mixed ghee is mixed with lime water the colour is evident and it is found out that the ghee is not pure and vanaspati ghee has been mixed in it. May I know whether such an expriment was made ? If not, whether any such expriment can be made ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : वास्तव में, केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्था ने सुझाव दिया था कि वनस्पति में रंग मिलाने के लिये हल्दी के सत्व का उपयोग किया जाय । किन्तु इसकी जांच उस समिति द्वारा की गयी थी जिसका उल्लेख मैं पहले ही कर चुका हूँ और उन्होंने बताया था कि अपमिश्रण को रोकने की बजाय इससे अपमिश्रण बढ़ेगा क्योंकि वास्तव में हल्दी का रंग गाय के घी के रंग से मिलता है और उनमें अन्तर करना बड़ा कठिन होगा । इसके अतिरिक्त, उस रंग को किसी रंग उड़ाने वाली चीज से दूर भी किया जा सकता है ।

Shri Prakash Vir Shastri : When there is no harm to our health by the use of sweets, coca cola, lemon juice, soda water etc., which are colourised, how is it that the colourised vanaspati ghee will harm our health ? May I know whether it does not prove that the statement of Shri Sarjoo Pandey is correct that the manufacturers of vanaspati have put such a pressure on the Government and for that reason they are not taking a decision ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : तेल पदार्थ में रंग मिलाना बिल्कुल दूसरी बात है, मेरे विचार में माननीय सदस्य को यह मानना चाहिए कि जब वैज्ञानिकों ने इसकी जाँच कर ली है तो हम इसके बारे में कैसे सन्देह कर सकते हैं ।

श्री शिवाजी राव शं० देशमुख : क्या मंत्री महोदय को पता है कि वनस्पति घी में मिलावट करने की मुख्य सम्भावना इस कारण है कि चूंकि वनस्पति तेल का हाइड्रोजनकरण किया जाता है । हाइड्रोजनकरण खाने योग्य गुणों तथा पौष्टिक गुणों में कोई वृद्धि नहीं करता है । यहां तक कि इसके रूप में भी, जब यह डिब्बों में बेचा जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तब सरकार को वनस्पति तेल का हाइड्रोजनकरण करने में प्रतिबन्ध लगाने में क्या बाधा है जबकि वनस्पति तेल का शोधन करने दिया जाता है जैसा कि कुछ उद्योगों में किया जा रहा है ।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य का तात्पर्य किससे है क्योंकि

यहाँ जो निर्माण किया जाता है वह दूसरे देशों की पद्धति के आधार पर किया जाता है।

श्री शिवाजी राव शं० देशमुख : यह एक मामूली चीज है। मिलावट की मुख्य सम्भावना हाइड्रोजनकरण के कारण है। हाइड्रोजनकरण तेल को गाढ़ा बना देता है और यह घी जैसा दिखाई देने लगता है। यही मिलावट करने का मुख्य प्रलोभन है। यह इसके पौष्टिक, पकाने व रूप के गुणों की वृद्धि नहीं करता, तब तेल के हाइड्रोजनकरण करने में क्या बाधा है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री जगजीवन राम) : यह प्रश्न उपभोक्ता की अभिरुचि का है। अगर लोग वनस्पति घी को लेना चाहते हैं तो यह उपभोक्ता की अभिरुचि का प्रश्न है। अवश्य ही उन्हें भोजन बनाने में मूंगफली के तेल व अन्य तेल का प्रयोग करने में स्वतंत्रता है। परन्तु उपभोक्ता की अभिरुचि ऐसे तेल के प्रयोग में है जो घी के समान दिखता हो।

श्री शिवाजी राव शं० देशमुख : केवल दिखने में ही है।

श्री जगजीवन राम : यह उपभोक्ता की अभिरुचि है। बाजार में तेल और वनस्पति तेल का घी दोनों उपलब्ध हैं। जिनकी अभिरुचि घी जैसे दिखने वाले तेल में है वे इसको खरीदते हैं। यही कारण है कि यह बाजार में चल रहा है।

Shri Yashpal Singh : Gandhiji had told that punishment should be given to those who adulterate Ghee just as is done in the case of those who make counterfeit rupees. The Government have not punished any body then whether they would consider to develop a separate colony for those who use and sell the Dalda, Kokojem and Vegetable oil Ghee so that corruption may not prevail more.

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : माननीय सदस्य ने अपने विचारों को इस सभा में कई बार व्यक्त किया है। मैं उनको यह राय दूँगा कि वे बारीकी से इसकी निर्माण-विधि को देखें।

श्री चपलाकांत भट्टाचार्य : जब डा० राजेन्द्रप्रसाद पहली कांग्रेस सरकार के प्रथम खाद्य मंत्री बने थे तब उन्होंने वैज्ञानिकों द्वारा इस मामले की जाँच करवाई, उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि हाइड्रोजनकरण की प्रक्रिया से आँख की रोशनी जाती रहती है। यह प्रयोग चूहों पर किया गया था और मैं समझता हूँ कि प्रयोग मद्रास में किया गया वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि हाइड्रोजनकरण को बन्द कर देना चाहिए, क्या मंत्री महोदय पहली कांग्रेस सरकार के प्रथम खाद्य मंत्री डा० राजेन्द्रप्रसाद के निकाले गए निष्कर्ष को पता लगाएंगे।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : इस मामले में स्वास्थ्य विशेषज्ञों से परामर्श लिया गया था और उनकी यह सर्वसम्मत राय थी कि वनस्पति तथा वनस्पति घी मानवीय नेत्रों के लिए हानिकर नहीं है।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम : कुछ वर्ष पूर्व यह प्रश्न उठा था और सरकार ने यह कहा था कि हाइड्रोजनकरण किये हुए तेल से कारोनरी थ्राम्बोसिस हो जाता है और उनके ध्यान में यह बात लाई गई थी कि इन तेलों के कारण कई मौतें हुई थी, तदुपरान्त यह विचार बना कि ये चीजें न केवल कारोनरी थ्राम्बोसिस को पैदा करती हैं अपितु लीवर को मंद कर देती हैं और शिथिलता लाती हैं। उदाहरण के लिए हमारे देश में आम शिथिलता पाई जा रही है, क्या सरकार ने इस दिशा में वैज्ञानिक परीक्षण किया है।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : हमने इस मामले में स्वास्थ्य विशेषज्ञों से परामर्श लिया और वे माननीय सदस्य के व्यक्त किए हुए विचारों से सहमत नहीं हैं।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम : यह मेरा विचार नहीं है, अपितु यह सरकार का विचार है जो उसने यहाँ व्यक्त किया है ।

श्री रा० बरुआ : वनस्पति तेल के उद्योग में कुल कितनी पूँजी लगी हुई है, वनस्पति घी का औद्योगिक उपयोग क्या है और मानवीय उपभोग में यह कितनी मात्रा में प्रयोग होता है।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : जहां तक निवेश का सम्बन्ध है मुझे इसके लिए पूर्व सूचना चाहिए, औद्योगिक तेल मुश्किल से 10 प्रतिशत से कम प्रयुक्त होता है । परन्तु इस प्रतिशत में हर वर्ष परिवर्त्तन होता रहता है ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : The Food Minister has rightly stated that people like to use Vanaspati Ghee on account of its appearance that is why it can be mixed in pure Ghee and so there is a demand to add colours in it. I want to know whether the Minister is not satisfied with the report. The world is preparing to reach the moon and we could not discover such colour. It is not good for our scientists.

Shri Jagjivan Ram : Any step to prevent the adulteration is very necessary. It is a matter of great regret that no such colour has been discovered as to solve this problem. The industrialists have bought the great scientists of this country.

Shri Hukam Chand Kachwaiya: The Government have put pressure on them.

Shri Jagjivan Ram : It is not a question of Government but a question of scientists. I cannot do anything if anyone fails to distinguish between Government and scientist. As has been told that sezame oil is applied in it and if it is adulterated then the whole Ghee will become red on test. Such arrangement can be made. But many difficulties will come in its way. It will be better to have an easy going method. I will re-examine this matter that whether the views of the scientists can be taken or whether a Committee of Scientists can be formed or not.

As has been stated that it causes disease. There is also an opinion of the doctors that it affects on the heart.

मतदाताओं की आयु-सीमा कम करना

+

*609. **श्री प्रेमचन्द वर्मा :** **श्री रामावतार शास्त्री :**

श्री विभूति मिश्र :

क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को कुछ संसद् सदस्यों से ऐसी प्रस्थापनाएं प्राप्त हुई हैं जिनमें मतदाताओं की आयु-सीमा कम करने का सुझाव है;

(ख) यदि हां तो उनके द्वारा दिए गए कारण क्या हैं; और

(ग) क्या प्रस्थापनाओं की जांच की जा चुकी है, यदि हां, तो इस विषय में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विधि मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मु० यूनुस सलीम) :

(क) संसद् सदस्य श्री ब्रह्मानन्द पण्डा, ने राज्य सभा में निम्नलिखित संकल्प की सूचना दी है :—

"इस सदन की राय है कि मतदाता के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आयु सम्बन्धी अर्हता

इक्कीस वर्ष से घटाकर अठारह वर्ष कर दी जाए और कि इस प्रयोजन के लिए संविधान को संशोधित करने के लिए सरकार को आवश्यक कदम उठाने चाहिए।"

(ख) कोई कारण नहीं दिए गए हैं।

(ग) सरकार यह नहीं समझती कि मतदाता के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आयु-सीमा में कोई परिवर्तन अपेक्षित हैं।

Shri Prem Chand Verma : You have heard the reply given by the hon. Minister. As a matter of fact it is not its reply. He has made some other references. I want to know whether the Government has received any such proposal. If so, then whether the Government has examined it. If the Government do not want to reduce the age-limit of the voters then what are its reasons. What will be the disadvantages if the age-limit is reduced to 18 years.

Shri M. Yunus Saleem : The electorate of this country consists of 250 millions voters. If people with age of 18 years or above are included then several millions voters will be added. Besides this there are such laws which have fixed 21 years for adult such as special Marriages Act, Indian Christian Act, Majorty Act. In the same way if the property of some minor person is under the supervision of Court of Wards, the same will not be handed over to him before he reaches the age of 21 years. The officials who were looking into this issue also examined as what should be the correct age to participate in the political problem. And they decided after hectic consideration that the age should not be less than 21 years for the right to give opinions.

Shri Prem Chand Verma : The hon. Minister has stated that changes will be brought in several laws. I do not mean anything in this respect. My question is as what will be the disadvantages by doing so. What is harm in it if we give right to vote to the new generation of young people.

Shri Hukam Chand Kachwai: The Congress will be defeated.

Shri M. Yunus Saleem : I have clearly stated that taking into consideration the circumstances of this country it is not possible to give right to teen-agers for taking participation in practical politics. It is understood that only persons with 21 years of age can know the meaning of articles of constitution and other laws. It was thought that the reduction of age is not desirable.

Shri Ramavatar Shastri : I want to ask a question in this connection. You have stated that the age of 21 years should not be reduced. But the hon. Minister as well as we know that at the time of election boys with 10 or 12 years of age give votes in large numbers. If a 12 year's boy declare that his age is 21 years then how you will stop it. Have you got any method to stop it. If not, then why you have objection to fix 18 years of age.

Shri M. Yunus Saleem : It is known to everyone that after getting the voters list prepared it is placed before the public. Anyone can object when there is such name in the voters list where age is less than 18 years. Anyone can object that his age is less. Besides this what other method can be applied if some one declares his age as 25 years insted of 15 years.

Shri Sheo Narain : Mr. Speaker, I want to ask another question. Leave those whose age is less than 18 years but what the Government do when the names of those of more than 18 years of age are missed in the voters list.

Shri Rabi Ray : Mr. Speaker, we are surprised with the conservative opinion expressed by the law Minister. Quoting several laws he has stated that this can not take place. Do they know that Mahatma Gandhi had the opinion that an adult of 18 years of age should have the right to vote.

The second thing is to develop a sense of responsibility in the mind of youth of this new generation. Because you know to day what is happening in France and what will happen in India also, so keeping this in view, will you reconsider that the age of voters should be reduced to 18 years.

Shri M. Yunus Saleem : After all a limit has to be fixed. If it is fixed at 18 years then persons with 16 or 17 years of age can ask that they should also be included. In this way you will not be able to fix any limit. The makers of the Constitution have fixed the age 21 years after careful consideration.

Shri Rabi Ray : No reply has been given about Gandhiji's views.

अध्यक्ष महोदय : गाँधी जी का नाम हर बात के साथ मत लगाइये, इसके लिए दूसरा मंच हो सकता है। उनका नाम इतना महान है कि अनुपूरक प्रश्न में इसको लाना ठीक नहीं।

Shri P. L. Barupal : Mr. Speaker those man or woman who want to get their names registered in the voters' list have to present themselves before the court and this causes much troubles. I want to know whether the Government will send Patwari or some other officials to the villages so that they make arrangement for those who want to get their names registered. Because most of people are illiterate and thus they are deprived of their right to vote.

श्री एम० यूनुस सलीम . इस सुझाव पर विचार किया जा सकता है।

श्री स० मो० बनर्जी : मंत्री महोदय ने अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में कहा है कि सूची ठीक तरह से बदली गई है, परन्तु तीन आम चुनावों के बाद हमारा अनुभव दूसरा हो रहा है। एक मामले में एक व्यक्ति दो या तीन बार मत डालने आया था।

Because there is written "to day not" before the name in the list and "Come to-morrow" is written before the name of Father.

मैं जानना चाहता हूँ कि क्या वे इसलिए आयु-सीमा को घटाना नहीं चाहते क्योंकि उनके मन में यह भय है कि छात्र-समुदाय वर्त्तमान सत्तारुढ़ दल से असंतुष्ट है ? क्या इसका यह कारण है ?

अध्यक्ष महोदय : यह अनुमान है। क्या आप इससे सहमत हैं ?

श्री मु० यूनुस सलीम : जी नहीं।

श्री विक्रम चन्द्र महाजन : इस सत्य को देखते हुए कि आयु सीमा को करने की सर्वसम्मत राय है तो क्या मंत्री महोदय संसदीय समिति नियुक्त करने को तैयार हैं जो इस मामले की जाँच करेगी कि आयु-सीमा को कम किया जाय या नहीं ?

श्री मु० यूनुस सलीम : इस मामले में कोई सर्वसम्मत राय नहीं हैं और सरकार की इस मामले में फिलहाल विचार करने की कोई नीति नहीं है।

Shri Shri Chand Goyal : Mr. Speaker, to-day generally boys and girls become graduate at the age of 18 years. But he says that a person of 21 years of age become mature and his experience expand. I think that as far as the sense and understanding and to know the good or bad for the country are concerned, a person of 18 years of age definitely understand it. I want to know that when a young man after passing B.A. at the age of 18 years then why is being deprived of his rights. So taking into consideration these matters will the Government consider to reduce the age of 21 years to 18 years.

Shri M. Yunus Saleem : This has been replied to.

Shri Randhir Singh : Boys and girls of 18 years of age are the brain of our country. To deprive them of their right mean to slap on the youth of the country. When in other countries like England where Pitt the younger can become Prime Minister at the age of 21 years and General Ong San of Burma can become Prime Minister, then why can not the boy or girl of 18 years of age can become voter. I want to know whether the Government is prepared to look into this matter to give right of voting to the brain of this country. Whether the Government have such scheme.

Shri M. Yunus Saleem : There is no such scheme.

Shri Om Prakash Tyagi : I want to know what are the reasons for fixing the right of voting on age. If there is a relation between expression of opinion and wisdom. Then whether you want to give consideration to educational qualification besides age. Whether the Government have such consideration or not.

Shri M. Yunus Saleem : No such proposal is under consideration.

Shri Bibhuti Mishra : A young man of 18 years of age can become member of that institution from where you and the Minister have come out as a member and taken respective seats. Then the young man can become Secretary and President of the Congress and become the member of Parliamentary Board and he sends us to this Parliament. As such I want to know why a young man of 18 years cannot become voter.

श्री जी० भा० कृपालानी : हमें ऐसा लग रहा है कि मंत्री कक्ष के कई सदस्यों को अभी समझ नहीं आई है। क्या उन्हें मताधिकार से वंचित रखा जायेगा।

श्री रा० को० अमीन : औसतन 18 से 21 वर्ष तक के उम्र के लोग बाकी व्यक्तियों से अधिक पढ़े-लिखे हैं। अगर आप उन्हें निर्वाचक समूह में शामिल करेंगे तो साक्षरता का कुल प्रतिशत बढ़ जायेगा। निर्वाचक समूह में साक्षरता की कुल प्रतिशत बढ़ाने के लिए क्या आप 18 से 21 वर्ष तक के उम्र के लोगों को मतदाता-सूची में शामिल करेंगे ?

श्री मु० यूनुस सलीम : साक्षरता मत देने के हकदार होने का कोई मापदण्ड नहीं है। मतदाताओं का एक बड़ा भाग अशिक्षित है अतएव यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री वें० वेंकटासुब्बया : मैं जान सकता हूँ कि क्या सरकार इस प्रश्न पर गम्भीरता से विचार कर रही है कि अधिकतम आयु की सीमा निर्धारित कर दी जाय ताकि बूढ़े व्यक्तियों को चुनाव में भाग लेने से वंचित किया जा सके ?

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक है। इस पर विचार किया जायेगा।

विश्व मौसम सूचक केन्द्र के रूप में भारत

अ० सू० प्र० 9. श्री मनुभाई पटेल : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत को विश्व मौसम सूचक केन्द्र के लिये चुना गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती जहाँआरा जयपाल सिंह) (क) और (ख) : भारत विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा तैयार की गयी विश्व **मौसम निगरानी योजना** में सम्मिलित होने के लिये सहमत हो गया है। योजना का उद्देश्य वाशिंगटन,

मास्को, और मेलबोर्न में 3 विश्व मौसम विज्ञान केन्द्र स्थापित करना है, जिनके कि वाशिंगटन और मास्को तथा मास्को और मेलबोर्न के बीच मुख्य ट्रंक सर्किट पर विद्यमान महत्वपूर्ण स्थानों पर क्षेत्रीय दूर-संचार अक्ष (रीजनल टेलिकम्युनिकेशन हब) तथा क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केन्द्र (रीजनल मीटियोरोलौजिकल सैंटर) स्थित होंगे। भारत मास्को और मेलबोर्न के बीच मुख्य ट्रंक सर्किट पर नई दिल्ली में एक क्षेत्रीय दूर-संचार अक्ष तथा क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केन्द्र की स्थापना एवं उनके लिये कर्मचारीवर्ग की व्यवस्था के लिये सहमत हो गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य मौसम विज्ञान सम्बन्धी आँकड़ों के प्रसारण को शीघ्रता प्रदान करना तथा इस योजना में भाग लेने वाले देशों को विश्व विश्लेषित आंकड़े, व चार्ट इत्यादि उपलब्ध कराना है, जिससे मौसम पूर्वानुमान सेवा को सुधारने में बड़ी सहायता मिलेगी।

श्री मनुभाई पटेल : यह भारत में एक नए किस्म का केन्द्र है, मैं जान सकता हूँ कि इसमें कुल कितना व्यय आयेगा और क्या कोई ऐजेंसी भारत सरकार की मदद करेगी अथवा कोई निश्चित कार्यक्रम इससे सम्बंधित है ? मैं यह भी जान सकता हूँ कि क्या कोई विदेशी इस केन्द्र में कार्य कर रहा है।

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : यह विशेष योजना नई हो सकती है, मेरे विचार में यह सभा जानती ही होगी कि मौसम विज्ञान विभाग वास्तव में पुराना और सर्वश्रेष्ठ स्थापित विभागों में से एक है, वास्तव में हम 4 या 5 सालों बाद इसकी शताब्दी मनाने जा रहे हैं, यह नया है और प्रौद्योगिकी उन्नति जैसे राकेट, उपग्रह, शक्तिशाली कम्प्यूटर आदि को देखते हुए विश्व के मौसम की भविष्यवाणी और अध्ययन बहुत ही महत्त्वपूर्ण हो जाता है। राष्ट्र संघ के प्रस्ताव में इस पर जोर दिया गया था। इस विशेष योजना में 1970–71 तक हम 4.29 करोड़ रुपये व्यय करेंगे। विश्व मौसम विज्ञान हमें 1.63 करोड़ रुपये उपकरण व फालतू पुर्जों के रूप में देगा। ये उपकरण बहुत कीमती हैं और आमतौर पर हम इसे प्राप्त नहीं कर सकते थे। जहां तक किसी विदेशी का सम्बन्ध है, आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि हमारे मौसम विज्ञान विभाग में एक भी विदेशी कार्य नहीं कर रहा है अपितु हमारे 11 अधिकारी विश्व भर में जैसे सूडान नाइजेरिया, सऊदी अरब, ब्राजील में कार्य कर रहे हैं और विश्व मौसम विज्ञान कार्यालय अपना तकनीकी अनुभव दे रहे हैं।

श्री मनुभाई पटेल : क्या भारत इसके लिए बाध्य है कि वह दूसरे देशों को समस्त सूचनाएँ दे।

डा० कर्ण सिंह : जी हाँ, क्षेत्रीय अक्ष (रीजनल हब) के होने की वजह से दिल्ली में मौसम का अध्ययन करने के लिए आधुनिकतम उपकरण लाये जायेंगे और यह सामग्री एकत्रित करने और इसको दूसरे देशों में भेजने का एशियाई केन्द्र बन जायेगा।

श्री लोबो प्रभु : विश्व मौसम निगरानी योजना का स्वागत करते हुए मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि कृत्रिम वर्षा करने जैसे सरल काम के लिए आजकल क्या किया जा रहा है, मैं समझता हूँ कि चार विमानों के लिए 50 लाख रुपये की योजना वित्त मंत्रालय के सामने रखी गई है.....

अध्यक्ष महोदय : मौसम अध्ययन पर चर्चा हो रही है, मैं इसके लिए आज्ञा नहीं दूंगा।

श्री लोबो प्रभु : मैं जानना चाहता हूँ कि क्या मंत्री महोदय वित्त मंत्रालय को यह कहेंगे कि कृत्रिम वर्षा करने वाली योजना के लिए चार विमानों की अत्यन्त आवश्यकता है।

Shri Prem Chand Verma: I want to know a fact from the hon. Minister which is about the Meteorological Department. It has been our experience for the last five years that when there is a forecast that the weather will remain clear but on the very same day the sky is overclouded and it rains. And when there is a forecast that the sky will be overclouded and it will rain but nothing happens. Then this crores of rupees which is going to be incurred in this Centre of World Weather Watch will go waste in this way.

Dr. Karan Singh : Mr. Speaker, it is not truth that our weather forecast always proves incorrect. I want to tell the hon. Member that the weather forecasting is very difficult. The complaint against the weather forecasting not only happens in India but also the same thing takes place in Russia and America.

No one says anything when the weather forecasting is correct and when it happens to be incorrect everyone complains. I think we will be certainly benefitted with the establishment of this Regional Telecommunication Hub and Regional Meteorological Centre and it will improve the accuracy and service.

श्री नरेन्द्र सिंह महोडा : मैं जान सकता हूँ कि इस योजना में कितना व्यय आयेगा और क्या दूसरे देशों से कोई मदद मिलेगी ?

डा० कर्ण सिंह : जैसा कि मैंने कहा है 1970-71 तक 4.29 करोड़ रुपये का व्यय आयेगा और विश्व मौसम विज्ञान संस्था 1.63 करोड़ रुपये आधुनिकतम और उन्नतिशील उपकरणों के रूप में देगी।

श्री हेम बरुआ : हमारे यहाँ मौसम विज्ञान विभाग है जो मौसम की भविष्यवाणी करता है, यह भविष्यवाणी कभी-कभी गलत भी हो जाती है, जब यहाँ एक मौसम विज्ञान विभाग है और अब हम इस देश में दूसरा विश्व मौसम निगरानी केन्द्र स्थापित करने जा रहे हैं तो क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि इससे काम की द्विरावृत्ति होगी।

डा० कर्ण सिंह : इसके विपरीत इस विश्व मौसम निगरानी का हमारी संगठन के आधार पर विकास किया जायेगा, मुझे यह कहते हुए गर्व होता है कि एशिया में जापान और भारत ऐसे देश हैं जहाँ मौसम विज्ञान संगठन की रचना बड़ी ही सुस्थापित है। इसी आधार पर इसका निर्माण किया जायेगा। अतएव इसमें द्विरावृति का प्रश्न नहीं उठता, और यह हमारे लिए बड़ी ही लाभदायक सिद्ध होगी।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

कम गहरे नलकूपों की सिंचाई प्रणाली

*601 **श्री समर गुह : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिट्टी की सामान्य नमी पर कम गहरे नलकूपों की सिंचाई प्रणाली के प्रभाव के बारे में सरकार ने भूतत्वीय सह सर्वेक्षण विभाग की राय मांगी है ;

(ख) क्या यह सच है कि कम गहरे नलकूपों से मिट्टी के सूख जाने की संभावना है जिसके परिणामस्वरूप सिंचाई का उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है; और

(ग) क्या कम गहरे नलकूपों के विभिन्न प्रभावों को सुनिश्चित करने के लिये इस मिट्टी विज्ञान, कृषि तथा भूतत्वीय विभाग के विशेषज्ञों की बैठक बुलाने का सरकार का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहब शिन्दे) : (क) जी, नहीं। भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था का इस विषय से बिलकुल सम्बन्ध नहीं है।

(ख) जी, नहीं। बल्कि कम गहरे नलकूप सम्बन्धी योजनायें फालतू पानी की रूट-जोन की मिट्टी को बहाने में सहायक होती हैं।

(ग) स्थिति ऊपर जैसी होने के कारण इस समय कम गहरे नलकूपों के प्रभाव के और परीक्षण की आवश्यकता नहीं समझी गई है।

सीमेन्ट कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

*606. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सीमेन्ट उद्योग के केन्द्रीय सीमेन्ट मजदूरी बोर्ड की मजदूरी बढ़ाने के बारे में सिफारिशों को लागू करने के प्रस्ताव के बावजूद भी सीमेन्ट कर्मचारियों ने 28 जून, 1968 को एक दिन की सांकेतिक हड़ताल का नोटिस दिया था;

(ख) यदि हां, तो उनके हड़ताल करने के मुख्य आधार क्या थे; और

(ग) हड़ताल को टालने के लिये क्या कदम उठाये गये थे ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री जयसुखलाल हाथी) : (क) और (ख) : इंडियन नेशनल सीमेंट वर्कस फेडरेशन से मई, 1968 में एक पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें सरकार द्वारा स्वीकृत दूसरे सीमेंट मजूरी बोर्ड की सिफारिशों के प्रति असंतोष व्यक्त किया गया था और यह कहा गया था कि यदि कुछ परिवर्तन नहीं किए गए तो सीमेंट श्रमिक 18 जून, 1968 को सांकेतिक हड़ताल करेंगे और उसके बाद 28 जून, 1968 से आम हड़ताल करेंगे। परन्तु सरकार के पास इस सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं है कि फेडरेशन का पत्र प्राप्त होने से पहले सीमेंट कारखानों ने इन सिफारिशों को क्रियान्वित करने की सहमति व्यक्त की थी, क्या उन पर किसी हड़ताल का प्रभाव पड़ा और प्रत्येक कारखाने में विवादास्पद मामले कौन-कौन से हैं।

(ग) इस मामले पर फेडरेशन के अध्यक्ष के साथ विचार-विमर्श किया गया। नियोजकों के संगठन से भी विचार विमर्श किया गया। इस मजूरी बोर्ड की सिफारिशें राज्य सरकारों द्वारा क्रियान्वित की जा रही हैं और वे औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत सीमेंट कारखानों में औद्योगिक विवादों के लिये सम्बन्धित सरकारें हैं।

मछली पकड़ने के प्रयोजन हेतु माल्पे पत्तन का विकास

*607. **श्री स० अ० अगड़ी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री 15 फरवरी, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 618 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर सरकार ने मछली पकड़ने के प्रयोजन हेतु माल्पे पत्तन के विकास के लिए अपना प्रस्ताव तथा प्राक्कलन केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दिये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) विस्तृत योजनायें तथा अनुमान प्राप्त नहीं हुये हैं।

फिर भी मैसूर सरकार ने हाल ही में यह संकेत दिया है कि युगोस्लाविया की फर्म ने अपनी संभाव्यता रिपोर्ट में जो वैकल्पिक उपाय सुझाये हैं उनमें से एक सुझाव उपयुक्त समझा गया है और राज्य सरकार ने प्रस्ताव किया है कि परियोजना को अन्तिम रूप देने के लिये विचार विमर्श किया जाये।

(ख) मैसूर सरकार के प्रस्ताव के अनुसार इस मामले पर उनके साथ विचार विमर्श किया जायेगा।

खगरिया और बेगूसराय के बीच नलकूपों का वितरण

*608. **श्री कामेश्वर सिंह : क्या खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान मुंगेर जिले के खगरिया तथा बेगूसराय सब-डिवीजनों के बीच सरकारी नलकूपों के वितरण में विषमता की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस विषमता को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे : (क) बिहार सरकार इस परिस्थिति से परिचित है कि राज्य के बेगुसराय उप-खण्ड में 49 सरकारी नलकूप हैं, जबकि जिला मुंगेर के खगरिया उपखंड में एक भी नलकूप नहीं है।

(ख) और (ग) बेगुसराय उपखण्ड में नलकूपों का निर्माण 1950-53 में हुआ था और उसके बाद आज तक किसी भी उपखंड में कोई नलकूप नहीं लगाया गया। नलकूप केवल उन्हीं क्षेत्रों में लगाये गये थे जहां प्रत्येक नलकूप के लिये 350 एकड़ के खेत (एक ही जगह) पास-पास हों तथा बाढ़-मुक्त हो। राज्य सरकार ने यह भी सूचित किया है कि खगरिया उपखंड का अधिकांश भाग बाढ़ग्रस्त है अतः खरीफ फसल के दिनों में पानी की मांग की कोई निश्चितता नहीं है। फिर भी इस वर्ष खगरिया और बेगूसराय उपखंडों में 20 नये नलकूप लगाने का प्रस्ताव है और यह सम्भव है कि इनमें से कुछ खगरिया उपखंड में भी स्थित हों।

मछली पालन तथा गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के उद्योग का विकास

*610. **श्री ओंकार लाल बेरवा : क्या खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने चौथी पंचवर्षीय योजना में देश में मछली पकड़ने के उद्योग का विकास तथा गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के सम्बन्ध में कोई योजना तैयार की है, और

(ख) यदि हां, तो उसका प्रारूप सहित ब्यौरा क्या है और उत्पादन लक्ष्य क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे : (क) चौथी पंचवर्षीय योजना में, जिसे योजना आयोग के परामर्श से तैयार किया जा रहा है, गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की योजना सहित मीन विकास की योजनायें शामिल हैं।

(ख) एक विवरण सभापटल पर रख दिया गया है।

विवरण

मत्स्यपालन क्षेत्रों के विकास की अस्थायी योजना के लिये लगभग 190 करोड़ रुपये की व्यवस्था है, जिसमें से लगभग 130 करोड़ रुपये सरकारी खाते में खर्च होने का अनुमान है और शेष राशि वित्तीय व्यवस्था करने वाली संस्थाओं तथा गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा दी जा रही है। ऐसा अनुमान है कि पूर्ण विकास हो जाने पर, इस योजना से मत्स्य उत्पादन छः लाख टन से भी अधिक बढ़ जायेगा। इस योजना में, जो कि उत्पादन-प्रधान है तट से दूर तथा गहन समुद्र वाले क्षेत्रों में मछली पकड़ने पर विशेष बल दिया गया है, 8000 मशीनों वाली नावों के अतिरिक्त 300 मध्यम पोत चलाने का विचार है। मछली पकड़ने के बड़े तथा छोटे दोनों ही विकासशील बन्दरगाहों और अन्तर्देशीय मत्स्यपालन क्षेत्रों के गहन विकास की ओर विशेष ध्यान दिया जायेगा।

सरकारी क्षेत्र में उपभोक्ता उद्योग

*611. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** **श्री अबूंचेजियान :**
श्री नि० रं० लास्कर : **श्री स० चं० सामन्त :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने उपभोक्ता सहकारी समितियों द्वारा उपभोक्ता उद्योग स्थापित करने के लिये राज्य सरकारों से विशिष्ट प्रस्ताव मांगे हैं।

(ख) यदि हां, तो इन उद्योगों को स्थापित करने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी वित्तीय सहायता तथा अन्य सहायता दी जायेगी ; और

(ग) क्या इस बात का पता लगाने के लिये, कि सहकारी समितियों द्वारा लाभप्रद तरीके से ऐसे उद्योग स्थापित किये जाने की पर्याप्त गुंजाइश है, कोई तकनीकी सर्वेक्षण कराया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) जी हां।

(ख) वित्तीय सहायता राज्य सरकारों के माध्यम से ब्लाक पूंजी ऋण और प्रबन्धकीय खर्चों के लिये उपदान के रूप में दी जाती है।

जहां यूनिट की पूंजीगत लागत एक लाख रुपये से अधिक नहीं होती वहां ब्लाक पूंजी ऋण 100 प्रतिशत होता है और जहां एक लाख रुपये से अधिक होती है वहां 40 प्रतिशत।

प्रबन्धकीय उपदान धीरे-धीरे कम होने वाले मान के अनुसार दिया जाता है, जो पहले स्वीकृत व्यय का 100 प्रतिशत, दूसरे वर्ष $66\frac{2}{3}$ प्रतिशत और तीसरे वर्ष $33\frac{1}{3}$ प्रतिशत होता है।

(ग) प्रत्येक मामले में आर्थिक जीवन योग्यता का आंकन सावधानीपूर्वक किया जाता है और जहां आवश्यक होता है वहां तकनीकी सलाह ली जाती है।

Ideal Co-operative Districts in U.P.

*612. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Government of Uttar Pradesh had proposed to convert eleven Districts into "Ideal Co-operative Districts" in the year 1967-68 ;

(b) if so, the details of the Schemes started in these Districts ; and

(c) the number of farmers included in the said schemes and the terms and conditions on which they have been included ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri M. S. Gurupadaswamy) : (a), (b) and (c) : A Statement is laid on the Table of the House. **(Placed in Library. See No. LT-1816-68).**

Strike by R.M.S. Employees of Madhya Pradesh Circle

*613. **Shri Nathu Ram Ahirwar** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that R.M.S. employees of the Madhya Pradesh Circle had gone on strike in the last week of June, 1968 ; and

(b) if so, the cause of the strike and the extent to which Government have solved the problems of employees and the nature of that solution ?

Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) No, Sir.

The staff of only the R.M.S. 'MP' Division had resorted to a "Work to Rule" agitation from 25-6-68 to 1-7-68.

(b) The agitation was as a protest against the non-fulfilment of certain pending demands of the Itarsi branch of the All India R.M.S. Employees Unions, Class III and Class IV. Only three out of ten, relating to construction of a pathway and certain structures are still pending.

Loading of Wheat in Punjab and Haryana by Jawans

*615. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Government of Punjab and Haryana have requested the Central Government for providing the help of jawans to them for loading wheat in the said States ;

(b) if so, the number of jawans and officers whose services have been made available to the said States for the purpose ; and

(c) the nature of work taken from the said officers and jawans ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) Does not arise.

दिल्ली में तारघरों के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए साप्ताहिक छुट्टी

*616. **श्री सूरज भान** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के तारघरों में पिछले एक वर्ष से मेहतरों, फराशों, भिश्तियों को साप्ताहिक छुट्टी देने की बजाये पाक्षिक छुट्टी दी जाती है जब कि केन्द्रीय सरकार के अन्य सभी कार्यालयों में इन्हें साप्ताहिक छुट्टी दी जाती है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी हां। फिर भी यह सही नहीं है कि केन्द्रीय सरकार के अन्य सभी कार्यालयों में इन वर्गों के कर्मचारियों को साप्ताहिक छुट्टियां दी जा रही हैं। प्रत्येक कार्यालय में अपनाई जाने वाली प्रणाली प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से निर्धारित की जाती है।

(ख) डाक-तार विभाग में यह एक सामान्य नीति निर्धारित की गई है कि रविवार को बन्द न रहने वाले कार्यालयों में काम करने वाले इस प्रकार के कर्मचारियों को पाक्षिक छुट्टी दी जाए।

New Sugar Mills

*617. **Shri Maharaj Singh Bharati:** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the reasons for which a lower target for setting up only 6 new sugar mills has been fixed for 1968-69 whereas India has the capacity to set up 13 sugar mills annually with its own resources and Indian currency;

(b) whether it is a fact that the bulk of sugarcane production is still consumed in manufacturing gur etc. and if so, what are the obstacles in setting up 13 sugar mills annually ; and

(c) whether it is also a fact that certain vested interests are hindering the expansion of the sugar industry ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde): (a) There is no annual target for setting up new sugar mills.

(b) Yes Sir. The bulk of sugarcane produced is consumed in the manufacture of gur. The establishment of new mills, however, depends on the additional requirement of white sugar, the availability of rupee resources etc.

(c) No Sir.

इण्डियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज का दूसरा कारखाना

*618. **श्री एस० आर० दामानी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज का दूसरा कारखाना स्थापित करने के बारे में निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित कारखाने की क्षमता क्या होगी, वह कहां स्थापित किया जायेगा और उस बारे में अन्य ब्यौरा क्या है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री : (श्री इ० कु० गुजराल) :(क) जी हां।

(ख) यह नयी इकाई, बंगलौर स्थित वर्तमान कारखाने के, लम्बी दूरी के पारेषण-उपस्कर के उत्पादन में वृद्धि के उद्देश्य से, इस उपस्कर का निर्माण करेगी। आशा है कि अपनी स्थापना के प्रारंभिक पांच वर्षों के दौरान यह कारखाना 13.5 करोड़ रुपये मूल्य के पारेषण-उपस्कर का उत्पादन करेगा। प्रारंभिक प्राक्कलनों के अनुसार नये कारखाने का पूंजीगत-व्यय लगभग 2 करोड़ 45 लाख रुपये रहने की संभावना है। प्रस्तावित कारखाने के स्थान के विषय में अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है।

ट्रैक्टर प्रशिक्षण और परीक्षण सेवा, बुदनी के कर्मचारियों को जंगल भत्ता

*619. **श्री जगन्नाथ राव जोशी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री 15 फरवरी, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 648-ए के उत्तर के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ट्रैक्टर प्रशिक्षण और परीक्षण सेवा बुदनी के कर्मचारियों को जंगल भत्ता देने के बारे में कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है, और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) इस मामले पर सरकार द्वारा विचार किया गया था और कोई नकद भत्ता स्वीकृत नहीं किया गया है। तथापि, फार्म पर उत्पादित खाद्यान्नों को ट्रैक्टर प्रशिक्षण और परीक्षण सेवा केन्द्र, बुदनी के कर्मचारियों को बाजार भाव से 10 प्रतिशत कम के रियायती मूल्यों पर बेचने के लिये आदेश जारी कर दिये गये हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

साराभाई कैमिकल्स लिमिटेड, बड़ौदा

*620 **श्री गणेश घोष** **श्री पी० राममूर्ति**
श्री के० रमानी **श्री के० एम० अब्राहम**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि साराभाई कैमिकल्स, लिमिटेड ने बड़ौदा में अपनी फैक्टरी में संगणक लगा लिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इन संगणकों के लगाये जाने के बाद इस फैक्टरी के प्रेषण तथा बिक्री विभाग के बहुत से कर्मचारियों की छंटनी की गई है ?

(घ) यदि हां, तो कुल कितने कर्मचारियों की छंटनी की गई है ;

(ङ) क्या यह भी सच है कि उन्होंने सभी नियोजक संगठनों को ऐसी हिदायतें भेजी हैं कि संगणकों के लगाये जाने के कारण किसी कर्मचारी की छंटनी नहीं की जानी चाहिये ?

(च) यदि हां, तो इन हिदायतों का उल्लंघन करने के कारण साराभाई कैमिकल्स लिमिटेड के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री हाथी) : (क) से (च) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

अखिल भारतीय रासायनिक और भेषज कर्मचारी संघ से गत जून को मैसर्स साराभाई कैमिकल्स लिमिटेड द्वारा कम्प्यूटर लगाये जाने के विरुद्ध एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था। इस अभ्यावेदन में भी इस कम्पनी के बम्बई स्थित प्रतिष्ठान में कर्मचारियों की छंटनी का उल्लेख था। सरकार की नीति को ध्यान में रखकर कि कम्प्यूटर लगाये जाने के परिणामस्वरूप कोई भी छंटनी नहीं होनी चाहिए तथा अप्रैल, 1968 में नियोजकों के संगठनों को की गई अपील कि

स्थायी श्रम समिति के विशेष अधिवेशन में ऐसे विषयों पर विस्तृत रूप से विचार विमर्श होने तक, नियोजकों को स्वचालित मशीनें लगाने के बारे में पूर्व स्थिति बनाई रखनी चाहिये, संघ की शिकायत महाराष्ट्र सरकार के ध्यान में लाई गई ।

2—राज्य सरकार की भी अखिल भारतीय साराभाई कैमिकल्स कर्मचारी यूनियन से कम्पनी के बम्बई स्थित बिक्री लेखा और डाक विभागों के बन्द किये जाने और उनके परिणामस्वरूप 52 कर्मचारियों की छंटनी किये जाने की शिकायत प्राप्त हुई थी । राज्य सरकार ने यह विवाद 21 जून, 1968 को न्यायनिर्णय के लिये भेज दिया । 26 जून, 1968 को पक्षों ने आपसी समझौता किया और उसके अनुसार औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा दिया गया एक सहमति पंचाट मान लिया । इस समझौते के अनुसार पक्षों ने यह मान लिया कि 52 कर्मचारियों में से 31 कर्मचारियों को उनकी कानूनी देय राशि का भुगतान करके छंटनी की जाय और शेष 21 कर्मचारियों को वैकल्पिक रोजगार दिया जाय । ऐसा कम्पनी के बड़ौदा स्थित प्रतिष्ठान में व्याप्त शर्तों पर इन कर्मचारियों की व्यक्त इच्छा के अनुसार किया गया । अब यह शिकायत नहीं रही ।

भारत सेवक समाज, नाहन, के हिसाब किताब की लेखा परीक्षा

*621. **श्री गाडिलिंगन गौड :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा भारत सेवक समाज, नाहन, जिला सिरमौर (हिमाचल प्रदेश) को कितनी वार्षिक सहायता दी जाती है ;

(ख) इसके खातों की लेखा परीक्षा कौन करता है तथा क्या यह लेखा परीक्षा सूचना देने के बाद की जाती है अथवा अचानक की जाती है ;

(ग) क्या लेखा परीक्षक को भारत सेवक समाज के कार्यालय में जाने पर खाते तुरन्त उपलब्ध करा दिये जाते हैं , और

(घ) क्या कोई ऐसे मामले भी हुए थे जब लेखा परीक्षक को इस आधार पर खाते नहीं दिखाये गये कि वे सभापति के पास थे ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) से (घ) : जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

गोरक्षा समिति

*622. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री टी० पी० शाह :
श्री शारदानन्द :
श्री श्रीगोपाल साबू :
श्री कंवर लाल गुप्त :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सर्वदलीय गोरक्षा महाभियान समिति ने गोरक्षा समिति से अपने प्रतिनिधियों को वापस बुला लिया है,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इन रिक्त स्थानों को कैसे भरने का विचार है ।

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) गोरक्षा समिति के 3 सदस्यों से, जो सर्वदलीय गोरक्षा महाभियान समिति के प्रतिनिधि हैं, एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने समिति से अलग होने की सूचना दी है ।

(ख) इसका मुख्य कारण इन तीन सदस्यों और समिति के अन्य सदस्यों में समिति के निर्देश मदों के बारे में मतभेद होना है । प्रतिनिधियों के अलग होने का पत्र सरकार के विचाराधीन है ।

(ग) अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

कलकत्ता के निकट दुग्ध चूर्ण का पकड़ा जाना

*623. **श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दम-दम पुलिस द्वारा कलकत्ता के निकट एक ट्रक में से प्याज में छिपाये हुये विदेश में बने दुग्ध चूर्ण के 98 थैले पकड़े जाने की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या सरकार का ध्यान बाद में प्रगट हुए इन तथ्यों की ओर भी दिलाया गया है कि इन थैलों के साथ जो कागजात थे, उनसे इस बात का पता चलता था कि ये थैले 7 जुलाई, 1968 को रांची फतुआ (पटना) से भेजे गये थे;

(ग) क्या यह सच है कि इन थैलों पर छपी हुई ये हिदायतें थीं "चर्बी रहित शुष्क दूध संयुक्त राज्य अमेरिका-अमेरिका की जनता द्वारा दान–बिक्री अथवा विनिमय के लिये नहीं–करार संख्या एम० पी० (एफ० पी०) 3408"; और

(घ) क्या इस मामले की कोई जांच करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (घ) पूछी गई जानकारी इकट्ठी की जा रही है और मिलते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

Sale of Foodgrains in U. P.

*624. **Shri Ram Sewak Yadav** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the farmers of U. P. have requested Government to eliminate intermediaries in the sale of foodgrains ; and

(b) if so, the action taken by Government in the matter ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

भारत सेवक समाज, नाहन द्वारा वेतन न दिया जाना

*625. **श्री कृ० मा० कौशिक :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नाहन, जिला सिरमौर (हिमाचल प्रदेश) में भारत सेवक समाज द्वारा नियुक्त ग्राम सेवकों और सेविकाओं को नियमित रूप से वेतन नहीं दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है कि जिससे उनको समय पर वेतन मिले; और

(ग) गत तीन वर्षों में उनको किन-किन तिथियों पर वेतन दिया गया ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क), (ख) व (ग) : जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

सूखे के कारण फसलों को क्षति

*626. **श्री श्रद्धाकर सूपकार :** **श्री जी० एस० रेड्डी :**

श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के उड़ीसा जैसे कुछ भागों में कम वर्षा होने से सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई है और वहां की फसलों को क्षति हुई है, और

(ख) यदि हां, तो क्या इसके परिणामस्वरूप होने वाली हानि की मात्रा का अनुमान लगाया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहब शिन्दे) : (क) पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, और दक्षिणी असम के पूर्वीय राज्यों में मार्च से मई, 1968 तक पूर्व मानसून की अवधि में वर्षा कम हुई । विभिन्न राज्यों में तटीय दक्षिणी पश्चिमी मानसून के आने में लगभग 10 से 15 दिन तक बिलम्ब भी हुआ है । फिर भी दक्षिण पश्चिमी मौनसून मौसम में अभी तक (1 जून से 14 अगस्त, 1968 तक) अधिकांश राज्यों में वर्षा सामान्य हुई है जिन में उड़ीसा भी शामिल है, अभी तक कम वर्षा वाले क्षेत्र पश्चिमी राजस्थान, आंध्र प्रदेश और मद्रास हैं ।

(ख) इस कारण खरीफ फसलों की हुई हानि के बारें में अनुमान लगाना कठिन है ।

रूस से ट्रैक्टरों का आयात

*627 **श्री चेंगलराया नायडू :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ट्रैक्टरों के वितरण संबंधी गतिरोध के कारण रूस से छोटे ट्रैक्टरों का आयात रुक गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि रूस ट्रैक्टरों का वितरण राज्य व्यापार निगम, के बजाय गैर सरकारी एजेंसी के माध्यम से चाहता है;

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) ब्रिटेन तथा जापान से, जहां इतनी अश्व शक्ति के ट्रैक्टर उपलब्ध हैं, आयात न करके रूस से उनका आयात करने के क्या कारण है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) यह मामला अभी विचाराधीन है ।

(ख) एवं (ग) : सरकार की नीति है कि आयातित ट्रैक्टरों को, राज्य कृषि-उद्योग-निगमों के द्वारा जो सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित किये गये हैं, वितरित करे और न कि विदेशी सम्भरण कर्तायों के एजेन्टों के द्वारा। इन ट्रैक्टरों के आयात करने के लिये भारतीय राज्य व्यापार निगम ही एकमात्र एजेन्सी होगी ।

(घ) विदेशी मुद्रा की रुकावट, ट्रैक्टर की तुलनात्मक कीमतों आदि के कारण यह अच्छा समझा गया कि रुपया अदायगी क्षेत्रों से ट्रैक्टर आयात किये जायें ।

भारत, जापान तथा फारमोसा में भूमि की जोतें

*628 **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत, जापान तथा फारमोसा में प्रति व्यक्ति कृषि सम्बन्धी तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ?

(ख) इन तीनों देशों में पांच एकड़ से अधिक वाले जोतों के सम्बन्ध में तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं और इन जोतों के अन्तर्गत कुल कितनी भूमि है?

(ग) क्या सरकार का विचार जापान तथा फारमोसा की भांति जोतों की अधिकतम सीमा निर्धारित करने तथा उसे चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में क्रियान्वित करने का है, और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा प्रकाशित 'प्रोडक्शन यीअर बुक, 1965" में दिये गए दित्ते के अनुसार, भारत, जापान और फारमोसा में प्रति व्यक्ति कृषि योग्य भूमि क्रमश: 0.34,0.08 तथा 0.06 हैक्टेयर है ।

(ख) भारत में 5 एकड़ से अधिक वाली जोतों की संख्या 181 लाख है और इस प्रकार की जोतों के अन्तर्गत 2543 लाख एकड़ भूमि आती है । जापान तथा फारमोसा के सम्बन्ध में दित्ता अभी उपलब्ध नहीं है ।

(ग) और (घ) विभिन्न राज्यों में जोतों की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के बारे में पहले ही कानून बना लिये गये हैं और वे क्रियान्विति की विभिन्न अवस्थाओं में हैं । इस अवस्था में निर्धारण सम्बन्धी कानूनों में मूलभूत परिवर्तन करना वर्तमान सीमा निर्धारण उपबन्धों की क्रियान्विति में अवरोध उत्पन्न करेगा ।

जीवन निर्वाह व्यय सूचकांक

*629. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जीवन निर्वाह व्यय सूचकांक किस प्रकार निर्धारित किया जाता है;

(ख) कितने स्थानों के मूल्यों को ध्यान में रखा जाता है; और

(ग) क्या आंकड़े एकत्रित करते समय खुदरा उपभोक्ता मूल्यों को भी ध्यान में रखा जाता है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क), (ख) और (ग) उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, चुनी हुई वस्तुओं के वर्तमान खुदरा मूल्यों की आधार वर्ष के मूल्यों से तुलना करके तथा आधार वर्ष में परिवार बजट जांच द्वारा प्राप्त किए गए बेटिंग डाईग्राम के अनुसार औसत निकाल कर तैयार किए जाते हैं। अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार 1949) में, जो कि हाल में ही प्रकाशित हुआ है, 27 केन्द्र शामिल हैं। रीलिविधान का ब्योरा तथा इसके अन्तर्गत आए केन्द्रों के नाम, श्रम ब्यूरों द्वारा प्रकाशित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक निर्देशिका, में जो कि मूल्यांकित प्रकाशन हैं, दिए हुए हैं।

Mid-term Elections in West Bengal

*630. **Shri Madhu Limaye** : **Shri Narendra Kumar Salve** :

Will the Minister of **Law** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Election Commission has fixed the month of November for mid-term elections in West Bengal ;

(b) whether it is also a fact that prominent Congress leaders of West Bengal have criticised this decision ;

(c) whether it is also a fact that these leaders have suggested that the said election be postponed upto February as the prices of rice usually rise from August-November-December ; and

(d) whether the Election Commission has now decided to change their decision under pressure from the Congress Party ?

Minister of Law (Shri P. Govinda Menon) : (a) The Election Commission has tentatively decided to hold the mid-term election in West Bengal, in November, 1968.

(b) and (c) The Commission has received a copy of the resolution unanimously adopted by the Executive Committee of the West Bengal Pradesh Congress Committee in its meeting held on 29-6-1968 requesting the Commission to hold the mid-term election in the State in the Ist week of February, 1969.

(d) No, Sir.

Allotment of Foodgrains to Madhya Pradesh during Fourth Plan

4778. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Madhya Pradesh Government have requested for the allotment of more foodgrains for Madhya Pradesh in the Fourth Five Year Plan; and

(b) if so, the reaction of Government in this respect ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

मद्रास में अनाज सुखाने वाले यंत्रों का लगाया जाना

4779. **श्री जी० एस० रेड्डी** :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास राज्य में कितने अनाज सुखाने वाले यंत्र लगाये गये हैं और उनमें से कितने ठीक से काम करने की स्थिति में हैं; और

(ख) लागत मूल्य और निर्माण स्थापना तथा अन्य खर्चों को मिलाकर उन पर कुल कितनी राशि खर्च हुई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा मंत्रालय में राज्य सहकार मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) मद्रास राज्य के थंजावूर जिले में अनाज सुखाने के 30 संयंत्र लगाये गये हैं और वे सभी इस समय काम करने की स्थिति में हैं ।

(ख) खर्च का ब्यौरा इस प्रकार है :—

(1) संयन्त्र तथा मशीनरी की लागत—57.94 लाख रुपये

(2) निर्माण तथा संयंत्र लगाने की लागत तथा अन्य खर्चे—33.38 लाख रुपये

फसल-संरक्षण के लिये राकेटों का प्रयोग

4780. **श्री जी० एस० रेड्डी** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में भी फसल संरक्षण हेतु राकेटों का प्रयोग किये जाने की सम्भावना है जैसा कि जोरजिया—रूस में किया जाता है; और

(ख) यदि हाँ, तो कब तक ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

कालिन्दी के पोस्टमास्टर की गिरफ्तारी

4781. **श्री चपलाकांत भट्टाचार्य** : क्या संचार मंत्री 24 अप्रैल, 1968 में अतारांकित प्रश्न संख्या 6398 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालिन्दी के एक्सट्रा डिपार्टमेंटल ब्रांच पोस्टमास्टर को जो 23,438 रुपयों का गोलमाल करके भाग गया था, गिरफ्तार कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस बात की पुष्टि हो गई है कि वह पाकिस्तान फरार हो गया था ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) अब पुलिस से यह सूचना प्राप्त हुई है कि कालिन्दी का अतिरिक्त विभागीय शाखा पोस्टमास्टर पाकिस्तान भाग गया है ।

मध्य प्रदेश में डाक-घर

4782. **श्री गा० शं० मिश्र** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में विशेषकर सियोनी और छिन्दवाड़ा जिले में कुल कितने डाकघर हैं और इन डाकघरों में कुल कितने डाकिये हैं; और

(ख) मध्य प्रदेश विशेषकर सेवनी और छिन्दवाड़ा जिलों के डाकघरों में वर्षा, शीत तथा ग्रीष्म ऋतुओं में औसतन कितने पत्र प्राप्त होते हैं ?

ससद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल): (क) सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा-समय सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

(ख) विभिन्न मौसमों में प्राप्त डाक वस्तुओं के आंकड़े नहीं रखे जाते और इस लिए उपलब्ध नहीं हैं।

मध्य प्रदेश के सियोनी तथा छिन्दवाड़ा जिलों में पोस्ट-बाक्स

4783. **श्री गा० शं० मिश्र** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में सिओनी तथा छिन्दवाड़ा जिलों में कुल कितने पोस्ट बाक्स लगाये गये हैं;

(ख) किसी स्थान विशेष पर आर्थिक पहलुओं को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए पोस्ट बाक्स लगाने का विशेष नियम क्या है; और

(ग) मध्य प्रदेश में, विशेष रूप से सिओनी तथा छिन्दवाड़ा जिलों में कितने पोस्ट बाक्स लगाये जाने के बारे में मांग की गई है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) तथा (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और जितनी जल्दी संभव होगा उसे सभा-पटल पर रख दिया जाएगा ।

(ख) पोस्टबक्सों की व्यवस्था ऐसे डाकघरों में की जाती है जहां जनता की ओर से इनकी मांग हो, बशर्ते कि पोस्टबक्स कैबिनेट और डाकघर में उन्हें लगाने के लिए जगह उपलब्ध हो ।

दूर-मुद्रकों (टेलीप्रिण्टरों) का निर्यात

4785. **श्री विश्वनाथ राय** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत दूर-मुद्रकों (टेलीप्रिंटरों) का निर्यात करने की स्थिति में है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या किसी देश में भारतीय दूर-मुद्रकों की कोई मांग है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी हां ।

(ख) इटली के सर्वश्री आलिवेती से हुए सहयोग-करार के अधीन 25.8.1970 तक, हिन्दुस्तान टेलीप्रिण्टर्स लिमिटेड, मद्रास द्वारा केवल इन कुछ देशों को ही टेलीप्रिण्टरों का निर्यात अनुमत्य है: अफगानिस्तान, बर्मा, कम्बोडिया, लंका, लाओस, वियत-मिन्ह, पाकिस्तान और नेपाल। हिन्दुस्तान टेलीप्रिण्टर्स केवल उक्त तारीख के बाद ही किसी भी देश को टेलीप्रिण्टरों का निर्यात करने के लिए स्वतंत्र होगा । अलबत्ता, इस कम्पनी को लंका सरकार से लगभग 2.4 लाख रुपये मूल्य के टेलीप्रिन्टरों और अनुषंगियों के लिये क्रयादेश प्राप्त हुए हैं और उनका अनुपालन किया जा रहा है ।

दिल्ली की कालकाजी कालोनी में भूमि के प्रीमियम में कमी

4786. **श्री देवेन सेन** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ठेका लेने वाली फर्मों या ऐजेन्सियों द्वारा विकास कार्य को पूरा करने में असाधारण रूप से विलम्ब किये जाने के परिणाम-स्वरूप भूमि की लागत में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार कालकाजी के निकट, पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों के लिये निश्चित की गयी भूमि का प्रीमियम घटा कर उसे 1960-61 के आरम्भिक अनुमानित मूल्य स्तर के बराबर कर देने का है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री वा० रा० चह्वाण) : (क) **और (ख)** : जी, नहीं। पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों की बस्ती की योजना का लक्ष्य भूमि के वास्तविक अर्जन मूल्य तथा उसके विकास पर किये गये खर्च के आधार पर विकसित प्लाटों का दिया जाना है। इस लिये वसूल की जाने वाली प्रीमियम की दर को किसी पूर्व तिथि के प्रस्तावित अनुमानों तक सीमित नहीं रखा जा सकता। अलाटियों को पहले बताई गई प्रिमियम की दर अन्तिम वास्तविक व्यय के आधार पर पुनरीक्षण के अधीन है।

पशुवध

4787. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में देश में खाने के लिये राज्यवार कितने सूअर, भेड़ें, गाय, बैल तथा भैंसें काटी गईं ;

(ख) देश में लाइसेंस प्राप्त कितने बूचड़खाने हैं तथा ये किन-किन स्थानों पर हैं ; और

(ग) देश में जातिवार तथा राज्यवार कुल कितने लोग पशुओं का मांस खाते हैं।

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : **(क), (ख) तथा (ग)** : राज्य सरकारों और संघ क्षेत्रों से अपेक्षित जानकारी इकट्ठी की जा रही है और मिलते ही सभापटल पर रख दी जायेगी।

दिल्ली दुग्ध योजना का असन्तोषजनक कार्य

4788. **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार पिछले पांच वर्षों में दिल्ली दुग्ध योजना के असंतोषजनक कार्य के कारणों की जांच करने तथा इसमें सुधार करने के उपायों का सुझाव देने के लिये संसद सदस्यों और विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त करने का है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : जी नहीं, दिल्ली दुग्ध योजना की कार्य प्रणाली का परीक्षण सन् 1964 में, डा० वी० कुरियन, महाप्रबन्धक खेड़ा जिला, दुग्ध-उत्पादनकर्ता सहकारी संघ लिमिटेड के नेतृत्व में नियुक्त, विशेषज्ञों की समिति के द्वारा किया गया था। इसलिए इस समय किसी अन्य समिति की नियुक्ति करना आवश्यक प्रतीत नहीं होता। सरकार भी दिल्ली-दुग्ध-योजना के कार्य को इतना निराशाजनक नहीं समझती।

मध्य प्रदेश में वन विकास कार्यक्रम

4789. **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के मुख्य मन्त्री ने केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है कि राज्य की योजना के अतिरिक्त वन रोपण विकास कार्यक्रम के लिये उसे सहायता दी जाये ;

(ख) यदि हां, तो क्या उस प्रार्थना पर विचार किया गया है ;

(ग) क्या वर्गच्युत वनों को फिर से लगाने के लिये 11.33 लाख रुपये की व्यवस्था राज्य की योजना में किये गये वन नियतन से अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में है?

(घ) क्या 1968-69 में प्रज्ञेत्र वन-रोपण के लिये केन्द्रीय सहायता के रूप में सिफारिश की गई 3 लाख रुपये की राशि 100 प्रतिशत अनुदान है ; और

(ङ) शीघ्र उगने वाले वृक्ष लगाने की योजना के लिये सहायता को 200 रुपये प्रति एकड़ तक बढ़ाने के लिये केन्द्रीय सरकार के सहमत न होने के क्या कारण थे ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) हां हां।

(ख) जी हां।

(ग) जी हां। राज्य क्षेत्र में सम्मिलित वन प्रायोजनाओं के लिये सहायता प्रणाली में 20 प्रतिशत अनुदान है और 20 प्रतिशत ऋण।

(घ) जी नहीं। प्रायोजना के लिये केन्द्रीय सहायता प्रणाली इस प्रकार है :

(i) वन संपदा विस्तार : 50 प्रतिशत अन्तिम सीमा 500 रु० प्रति हैक्टेयर निर्धारित।

(ii) ग्रामीण बनारोपण : 100 प्रतिशत अन्तिम सीमा 200 रु० प्रति हैक्टेयर।

(iii) 1968-69 में शीघ्र उगने वाले वृक्ष लगाने के लिये भारत सरकार क्षतिपूर्ति की अन्तिम सीमा में वृद्धि करके 250 रुपये प्रति एकड़ के लिये मान गई है।

महाराष्ट्र राज्य में वसूली का लक्ष्य

4790. **श्री देवराव पाटिल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967-68 के मौसम में महाराष्ट्र राज्य में ज्वार और धान-चावल की वसूली का कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया था ;

(ख) अब तक वास्तव में कितनी वसूली हुई है ; और

(ग) लक्ष्यों के पूरे न होने के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिंदे) : (क) और (ख)

(हजार मीट्री टनो में)

अनाज	फसली वर्ष 1967-68 के लिये कृषि जिनस मूल्य आयोग द्वारा सिफारिश किया गया लक्ष्य	10 अगस्त 1968 तक वस्तुतः वसूल की गई मात्रा
ज्वार	600	256.9
धान (चावल के रूप में)	180	182.1

(ग) चावल की वसूली का लक्ष्य आगे बढ़ चुका है। देर से वर्षा होने के कारण खरीफ की ज्वार को क्षति पहुँचने तथा शीत लहर के कारण रबी की ज्वार को क्षति पहुँचने के कारण ज्वार की वसूली कम हो पाई है।

धान और चावल का वसूली मूल्य

4791. **श्री देवराव पाटिल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आसाम, बिहार, गुजरात, केरल, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल तथा महाराष्ट्र राज्यों में वर्ष 1967-68 के लिये धान और चावल का प्रति क्विंटल वसूली मूल्य क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिंदे) : विवरण संलग्न है।

विवरण

खरीफ मौसम के दौरान धान/चावल के निर्धारित वसूली मूल्य।

(रुपये प्रति क्विन्टल)

राज्य	किस्म	धान	चावल
1. आसाम	विन्टरसेली (मोटा)	56.25	* 107.77 कच्चा * 104.72 पारबोआइल्ड
2. बिहार	मोटा तथा मध्यम	56.25	95.25
3. गुजरात	मोटा	55.00	+
4. केरल	पालघाट मट्टा	56.25	99.00
5. उत्तर प्रदेश	श्रेणी III	56.25	90.00 बोरे की लागत सहित
6. पश्चिम बंगाल	कॉमन	56.25	93.75 बोरे की लागत सहित
7. महाराष्ट्र	मोटा	56.00	76.15

Rice Mills.

4792. **Shri Meetha Lal Meena** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the rice mills are not counted among industrial units ;

(b) whether it is also a fact that rice mills do not enjoy the facilities which other industrial units enjoy ;

---

* चावल आमतौर पर वसूल नहीं किया जाता। ये मूल्य ज्यादा से ज्यादा हैं।

+ चावल की वसूली नहीं की जाती।

(c) if so, the reasons therefor ; and

(d) the time by which these facilities are likely to be made available to the rice-mills also ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) Rice Milling Industry is recognized as an industry for the purposes of financial assistance by banks, State Financial Corporations and the Industrial Finance Corporation.

(b) There is no prohibition on granting of financial assistance to rice milling industry. Loans are advanced to this industry by the State Bank of India as to other conventional industries.

(c) and (d) Do not arise.

आन्ध्र प्रदेश में सहकारी क्षेत्र में कोल्ड स्टोरेज प्लांट (शीतागार संयंत्र)

4793. **श्रीमती बी० राधाबाई** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले वर्ष तथा इस वर्ष आन्ध्र प्रदेश में सब्जियां, गोश्त तथा मछली रखने के लिये सहकारी आधार पर कितने कोल्ड स्टोरेज प्लांटों (शीतागार संयंत्रों) की मंजूरी दी गई है; और

(ख) कितने प्लांट स्थापित किये गये और कितने प्लांट काम कर रहे हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) 1967-68 और चालू वर्ष में अब तक आन्ध्रप्रदेश में सब्जियां, गोश्त, मछली आदि रखने के लिए सहकारी आधार पर कोई शीत भण्डार मंजूर नहीं किया गया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

खेती के यन्त्रों के निर्माण के लिये जापानी फर्म के साथ सहयोग का करार ।

4794. **श्रीमती बी० राधाबाई** :
श्री मणिभाई जे० पटेल :
श्री प्रेमचन्द वर्मा :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में बिजली चालित दलों तथा खेती के अन्य यन्त्रों के निर्माण के लिये कितनी जापानी फर्मों ने सहयोग करार किये और वे करार कब पूर्ण हुए तथा उनका ब्यौरा क्या है?

(ख) क्या यह सच है कि खाद्य मन्त्री ने जापान से लौटने के पश्चात् समाचारपत्रों के नाम अपने वक्तव्य में कहा कि सरकार का इरादा बिजली-चालित दलों के पूर्ण ढांचे का आयात रोकने और केवल सी० के० डी० का ही आयात करने देने का है; और

(ग) यदि हां, तो सी० के० डी० के आयात से मध्य वर्ग के किसानों को लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत अपनी छोटी जोतों का यन्त्रीकरण करने में किस प्रकार सहायता मिलेगी, जिन्हें वास्तव में ही बिजली-चालित हलों की आवश्यकता है ?

खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) आवश्यक जानकारी के सम्बन्ध में एक विवरण संलग्न है ।

(पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1817-68)

(ख) और (ग) : जी हां। स्वदेशी उद्योग को विकसित करने के उद्देश्य से बिजली चालित दलों को सी० के० डी० पैक्स में आयात कर भारत में ही जोड़ने की नीति है। इस के अतिरिक्त सी० के० डी० पैक्स में बिजली चालित दलों को आयात करने से इसी विदेशी मुद्रा की राशि से हम पूर्ण ढांचे के दलों के आयात की अपेक्षा कहीं अधिक दल आयात करने में समर्थ हो सकते हैं।

सहकारी चावल मिलें

4795. **श्रीमती बी० राघाबाई** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में इस समय कितनी चावल मिलें हैं और इस वर्ष कितनी मिलें स्थापित की जायेंगी ; और

(ख) इस समय वहां कितनी स्वचालित आधुनिक चावल मिलें कार्य कर रही हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) अब तक राज्य सरकार को 143 सहकारी चावल मिलें स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता दी गई है, जिनमें से 113 स्थापित की जा चुकी हैं और शेष चालू वर्ष में स्थापना की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

(ख) इस समय पश्चिम गोदावरी के सघन कृषि जिला कार्यक्रम के जिले में एक सहकारी आधुनिक चावल मिल काम कर रही है।

नीम की गिरी का लोशन

4796. **श्रीमती राघाबाई** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नीम की गिरी से बना लोशन एक प्रबल टिड्डी-नाशक दवाई सिद्ध हुई है; और वह बहुत सस्ता है; और

(ख) यदि हां, तो इसे बड़े पैमाने पर बनाने और टिड्डी अभिशाप के निवारण हेतु उसका प्रयोग करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) नीम की गिरी से परीक्षणात्मक आधार पर तैयार हुआ सस्पेंशन लोशन टिड्डियों के लिए हानिकारक तो है परन्तु इसमें उन्हें मारने की क्षमता नहीं है। नीम की गिरी के छिड़काव से मूल्यवान फसलों को टिड्डियों से कम हानि पहुँचती है। टिड्डयों को मारने के लिये इस लोशन का बड़े स्तर पर छिड़काव करने के विषय में परीक्षण नहीं किये गये हैं। टिड्डयों को मारने के लिये आजकल जो सिंथेटिक कीटनाशक औषधियां प्रयोग की जा रही हैं उनकी तुलना में इस लोशन का छिड़काव महँगा पड़ेगा।

(ख) नीम की गिरी का सक्रिय अवयव को, जिसमें रोधक शक्ति होती है, प्रयोगशाला में विश्लेषण द्वारा अलग नहीं किया जा सका। प्रारंभिक व्यवस्था होने के पश्चात् ही इसे बड़े स्तर पर तैयार किया जा सकता है।

Telephone Line between Gangapur City Exchange of Bharatpur Division and Jaipur.

4797. **Shri Meetha Lal Meena** : Will the Minister of **Communications** be pleased to State :

(a) whether it is a fact that the direct telephone line between Gangapur City Exchange of Bharatpur Division and Jaipur quite often remains out of order ;

(b) whether it is also a fact that daily testing of other lines is done on this line most of the time as a result of which the users are rarely able to make use of it ;

(c) if so, the reasons therefor ; and

(d) the measures proposed to be taken to improve this situation ?

Minister of State for Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) No.

(b) No.

(c) Does not arise.

(d) Does not arise.

Police Stations without P.C.O. facility in Rajasthan

4798. **Shri Meetha Lal Meena** : Will the Minister of **Communications** be pleased to State :

(a) the number of Police Stations in Rajasthan where Public Call Office facility is not available ;

(b) whether Government propose to prove Public Call Office facility to all Police Stations where it is not available ;

(c) if so, when ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) 213.

(b) No. The present policy is to provide initially only telegraph facilities at such places even on loss basis.

(c) and (d) The number of Police Stations where telephone facilities are not available is large in entire country. It has been possible to provide only telegraph facilities progressively at Police Stations. The policy will have to be reconsidered after Telegraph facilities are provided initially at all such places and the potential for the telephone traffic shows sufficient improvement to make it economically feasible. It is not possible to indicate at this stage as to when it will be possible to extend P.C.O. facilities to all Police Stations.

Supply of Fertilisers to Rajasthan.

4799. **Shri Meetha Lal Meena** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact fertilizer is not being supplied to Rajasthan according to their demand during the current year ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) if the demand is being met fully the total quantity of fertilizer likely to be supplied and the time by which it would be supplied.

Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) No, Sir.

(b) and (c) The demand of the State Government was 38,984 tonnes of Nitrogen and 22,335 tonnes of P2O5. The State had reported that they were having a carry-over stock of 6,000 tonnes of Nitrogen and 4,729 tonnes P2O5 on 1-4-68. Taking these into account, it was decided that the Central Fertiliser Pool would supply them 30,835 tonnes of Nitrogen and 11,168 tonnes of P2O5 during 1968-69. The State Government was expected to obtain additional supplies from free sale quota from indigenous production. The quantities allotted and taken delivery by the State are given below:

Figs. in tonnes

Kind of Fertilizer	April-June '68			July-Sept.'68		
	Initial allotment	Cancelled allotment	Qty. taken delivery	Initial allotment	Cancelled allotment	Qty. taken delivery
Nitrogen	6,474	4,061	2,413	3,000	2,391	609
Phosphate (P2O5)	765	765	...	1,000	1,000	..,

As the State Government did not lift the stock allotted to them and did not issue despatch instructions within a reasonable time, a major portion of its allotment had to be cancelled. However, additional quantities can be allotted to the State, if they require.

ट्रैक्टरों तथा बिजली-चालित हलों का आयात

4800. **श्री कीरित विक्रमदेव वर्मन** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1968-69 में कितने तथा किस प्रकार के ट्रैक्टरों और बिजली के हलों का आयात किया जायेगा;

(ख) वे किन-किन देशों से तथा किस कीमत पर मंगाये जायेंगे;

(ग) क्या केन्द्र सरकार इस वर्ष बाढ़ से बर्बाद हुई भूमि को कृषियोग्य बनाने और उसमें शीघ्रातिशीघ्र खेती करने के लिये आयातित ट्रैक्टरों में से कुछ ट्रैक्टर त्रिपुरा को देगी; और

(घ) यदि हां, तो कितने और किन शर्तों पर ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) यह विषय सरकार के विचाराधीन है। 1968-69 में 12 से 20 अश्व शक्ति के 10,000 ट्रैक्टरों व 5 से 10 अश्व शक्ति के 4,000 ट्रैक्टर आयात करने का प्रस्ताव है।

(ख) (i) इन ट्रैक्टरों को पूर्वी यूरोपीय देशों से आयात करने का विचार है। इनके मूल्य विभिन्न बनावटों पर निर्भर करेंगे और इस बारे में राज्य व्यापार निगम द्वारा बातचीत की जायेगी।

(ii) जापान, पश्चिमी जर्मनी व बल्गेरिया से लगभग 200 लाख रुपये के पावर टिलर आयात होने की संभावना है। मूल्य के बारे में राज्य व्यापार निगम बात चीत करेगी।

(ग) और (घ) जिस समय आयातित ट्रैक्टरों और पावरटिलरों का वंटन किया जायेगा उस समय त्रिपुरा की मांग को ध्यान में रक्खा जायेगा।

गुजरात में नये डाकघर

4801. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी 1967 से लेकर गुजरात में कितने नये डाकघर खोले गये हैं और इस प्रकार कितने मामले विचाराधीन हैं ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : जनवरी, 1967 से 418 डाकघर खोले गये और 31 मामले विचाराधीन हैं।

निर्वाचन अर्जियां

4802. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :** क्या **विधि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत साधारण निर्वाचनों के पश्चात् गुजरात राज्य से निर्वाचित लोक सभा के कितने सदस्यों के विरुद्ध उच्च न्यायालय में निर्वाचन अर्जियां लम्बित हैं;

(ख) गुजरात विधान सभा के लिए निर्वाचित कितने सदस्यों के विरुद्ध निर्वाचन अर्जियां फाइल की गई हैं;

(ग) लोक सभा तथा विधान सभा में सदस्यों के विरुद्ध फाइल की गई कितनी निर्वाचन अर्जियों में निर्णय दिये जा चुके हैं और उनके क्या परिणाम हैं; और

(घ) क्या निर्वाचन अर्जियों के निपटारे के लिए कोई निर्दिष्ट कालावधि नियत की गई है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद यूनुस सलीम) : (क) कोई नहीं।

(ख) 23.

(ग) गत साधारण निर्वाचन के पश्चात् लोक सभा और विधान सभा के सदस्यों के विरुद्ध फाइल की गई निर्वाचन अर्जियों की संख्या क्रमशः 4 और 23 थी। सभी 27 अर्जियों का गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा निपटारा कर दिया गया है और इन 27 अर्जियों में से पांच निर्वाचित अभ्यर्थियों के (लोक सभा के 2 और विधान सभा के 3) निर्वाचन गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिए गए हैं। गुजरात उच्च न्यायालय के आदेशों के विरुद्ध अभी तक 9 मामलों में (लोक सभा का 1 और विधान सभा के 8) उच्चतम न्यायालय में अपीलें फाइल की गई हैं और इन अपीलों में से विधान सभा से सम्बन्धित 2 अपीलें खारिज कर दी गई हैं।

(घ) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 86 की उपधारा (7) के अलावा, जिसमें यह उपबन्ध है कि उच्च न्यायालय अर्जी के उपस्थापन की तारीख से छह मास के भीतर अर्जियों का विचारण समाप्त करने का प्रयास करेंगे, कोई समय परिसीमा नियत नहीं की गई है क्योंकि स्पष्ट है कि न्यायालयों के विवेक और स्वतंत्रता पर इस प्रकार न तो कोई बंधन लगाया जा सकता है और न उसमें कमी की जा सकती है। वास्तविक प्रकार की अनेक परिस्थितियां हो सकती हैं जिनमें छह मास की कालावधि या किसी अन्य नियत कालावधि के भीतर विचारण समाप्त करना सम्भव न हो।

सामुदायिक विकास कार्यक्रम के लिए सहायता

4803. **श्री चेंगलराय नायडू :** **श्री अम्बुचेजियान :**

श्री विश्वनाथ पाण्डेय : **श्री नि० रं० लास्कर :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने सामुदायिक विकास खण्डों के लिये 50 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता देने की जिम्मेदारी लेने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इससे सामुदायिक विकास कार्यक्रम की क्रियान्विति में राज्य सरकारों को कितनी सहायता मिलेगी; और

(ग) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने सभी खण्डों के लिए एक केन्द्र निधि के रूप में 1 लाख रु० देने का निर्णय किया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क), (ख) व (ग) : वर्तमान वित्तीय प्रतिरूप के अन्तर्गत प्रथम चरण तथा द्वितीय चरण के खण्डों के लिए केन्द्रीय सहायता परिव्यय की लगभग 75 प्रतिशत होती है और शेष राशि राज्यों द्वारा दी जानी होती है। तथापि, 11 जून, 1968 को मद्रास में हुए मुख्य मंत्रियों तथा सामुदायिक विकास के राज्य मंत्रियों के सम्मेलन ने सिफारिश की है कि उत्तर चरण-2 खण्डों में भी विशेष रूप से विकास की गति को बनाए रखने के लिए उन्हें भी वित्तीय सहायता उसी प्रतिरूप के अनुसार उपलब्ध की जानी चाहिए जिसके अनुसार द्वितीय चरण के खण्डों को दी जाती है, अर्थात् प्रति खण्ड प्रति वर्ष 1 लाख रुपए की दर से, जो कि केन्द्र तथा राज्यों को बराबर-बराबर देनी है। यह वित्तीय सहायता खण्ड कर्मचारियों पर होने वाले उस व्यय के अतिरिक्त होगी जिसे देने के लिए राज्य वचनबद्ध हैं। चौथी योजना के अन्तर्गत तैयार किए जा रहे कार्यक्रमों के संदर्भ में इस प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

स्वीडन की एक फर्म को गुप्त सैनिक मानचित्र का पता लगाना

4804. **श्री श्रद्धाकर सुपकार** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारत के कुछ भागों के गुप्त सैनिक मानचित्रों के स्वीडन की एक फर्म को प्राप्त हो जाने के बारे में 12 मई, 1968 के 'आर्गनाइजर' में प्रकाशित एक समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) जी, हाँ।

(ख) मामले की जांच करने के बाद मालूम हुआ है कि परियोजना पूर्व विनियोग वन संसाधन ने गुप्त सैनिक मानचित्र प्राप्त करने का न कभी इरादा किया है और न कभी उन्हें प्राप्त किया। अतः भेद खुलने का प्रश्न ही नहीं होता।

इमारती लकड़ी का बहकर पाकिस्तान को जाना

4705. **श्रीमती सुशीला रोहतगी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रत्येक वर्ष चम्बा (हिमाचल प्रदेश) से रावी नदी के द्वारा लगभग तीन करोड़ रुपये की मूल्यवान इमारती लकड़ी पाकिस्तान को बह जाती है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार इस नुकसान को किस प्रकार रोकने का है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) **तथा (ख)** : अपेक्षित जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभापटल पर रख दी जायेगी ।

सहकारी समितियों का विकास

4806. **श्री यमुना प्रसाद मण्डल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार राज्य को अविकसित वर्गों सम्बन्धी सहकारी समितियों का विकास करने के लिये 1966-67 और 1967-68 में केन्द्रीय सरकार से सभी प्रकार की सहायता मिली थी, जो उसने मांगी थी ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) **और (ख)** : राज्य सरकार को कमजोर वर्गों की सहकारी समितियों का विकास करने के लिये 1966-67 तथा 1967-68 में वित्तीय सहायता, उनकी हकदारी तथा उस समय प्रचलित वित्तीय सहायता के प्रतिरूप के अनुसार दी गई थी । ब्यौरा संलग्न है ।

विवरण

सहकारी समितियों के विकास के लिये बिहार सरकार द्वारा मांगी गई । केन्द्र सरकार द्वारा भुगतान की गई राशि को बताने वाला विवरण ।

क्रम संख्या	योजना	वर्ष	राज्य सरकार द्वारा मांगी गई धनराशि (रुपये में)	भारत सरकार द्वारा भुगतान की गई धनराशि
1	2	3	4	5
1.	विविध सहकारी समितियां (श्रमिक सहकारी समितियां, सहकारी छापेखाने, धोबियों की सहकारी समितियां और रिक्शा चालकों । रेढ़ा चालकों की सहकारी समितियां	1966-67	1,25,700	1,20,500
		1967-68	—	—
2.	केन्द्रीय सहकारी बैंकों तथा ऋण समितियों के लिये एकमुश्त अनुदान के बारे में उपदान ।	1966-67	योजना चालू नहीं थी ।	
		1967-68	1,50,000	1,50,000
3.	सहकारी खेती	1966-67	—	1,00,000
		1967-68	—	1,20,000

बिहार में दुग्धशाला सहकारी समितियां

4807. **श्री यमुना प्रसाद मण्डल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में, विशेषकर कोसी में और गंगा नदी क्षेत्रों में, दुग्धशाला सहकारी समितियों के काम में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) ऐसी सहकारी समितियों के विकास के मार्ग में कौन-कौन सी मुख्य कठिनाइयां और बाधाएं आती हैं ; और

(ग) बिहार सरकार द्वारा चलाई जाने वाली माधोपुर दुग्धशाला की वर्तमान स्थिति क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग) पूछी गई जानकारी बिहार सरकार से इकट्ठी की जा रही है और मिलते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

बिहार में सहकारी चीनी कारखाना

4808. **श्री यमुना प्रसाद मंडल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बनमांखी (बिहार) सहकारी चीनी कारखाने में वास्तव में कब तक उत्पादन आरम्भ होने की सम्भावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : इस सहकारी संस्था को सदस्यों से अंश पूंजी प्राप्त करने के सम्बन्ध में कठिनाई हो रही है, इसलिये इस प्रक्रम पर यह अनुमान लगाना संभव नहीं है कि इस कारखाने में संभवत: कब उत्पादन आरम्भ हो जायेगा ।

Trade Unions in U. P.

4809. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5561 on the 28th March, 1968 and state :

(a) whether information regarding Trade Union in Uttar Pradesh has since been collected ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the reasons for the delay ?

Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi) : (a) Yes, Sir.

(b) A statement is attached. **[Placed in the Library. See No. LT-1818-68]**.

(c) Does not arise.

राष्ट्रमंडलीय देशों को समाचार सम्बन्धी समुद्री तारों की दरें

4810. **श्री चपलाकांत भट्टाचार्य** : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रमंडलीय देशों को समाचार संबन्धी समुद्री तार की दरें बढ़ा कर तीन पैसे प्रति शब्द कर दी गई है ;

(ख) क्या इससे भारत में समाचारों के निर्बाध आने में रुकावट पड़ रही है क्योंकि शब्दों की संख्या में अनिवार्यत: कमी करनी पड़ी है ; और

(ग) क्या इस वृद्धि का विरोध करने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) राष्ट्रमंडलीय प्रेम समुद्री-तार की दरों में वृद्धि इसलिये आवश्यक हो गयी थी कि, एक पेनी प्रति-प्रेस शब्द की मूल दर, जो कि 1941 में तय की गई थी, परिचालन की बढ़ी हुई लागत के कारण अब अलाभकर हो गई थी । इसी प्रकार की वृद्धियां राष्ट्रमंडलीय तार करारों की भागीदार अन्य राष्ट्रमण्डलीय सरकारों ने भी की है ।

कुल्टी खनन क्षेत्रों में भूमि का धंस जाना

4811. **श्री त्रिविक्रम कुमार चौधरी :** **श्री रा० कृ० सिंह**
श्री गणेश घोष :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कुल्टी खान क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर भूमि धंस जाने की घटना की ओर दिलाया गया है ; जिससे बसी हुई बस्तियों, बाजारों और पूर्वी रेलवे ट्रंक मेन लाइन पर बुरा असर पड़ा है ; और

(ख) क्या खान सुरक्षा विभाग द्वारा कोई जांच की गई है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) : आसनसोल के केन्दुआ बाजार क्षेत्र में मकानों को क्षति पहुँचने की शिकायतें खान सुरक्षा महानिदेशक को प्राप्त हुई । खान सुरक्षा महा निदेशालय के विशेषज्ञों ने भूमि धसानों की जांच की । इस निदेशालय ने आसनसोल के उप मण्डल अधिकारी को यह सुझाव पहले ही दे दिया था कि केन्दुआ बाजार के खतरनाक क्षेत्र के मकान एहतिहात के तौर पर खाली करा दिये जाने चाहिएं । यह सूचित किया गया है कि खतरा उन खानों द्वारा पैदा नहीं होता, जिनमें कार्य चल रहा है बल्कि उन खानों से पैदा होता है जो 60 वर्ष पहले छोड़ दी गई थीं ।

Telephone Industry in Kotah

4812. **Shri Onkar Lal Berwa**: Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government propose to set up a Telephone industry in Kotah district in Rajasthan ; and

(b) if so, the time by which this industry would be set up ?

Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I.K. Gujral) : (a) and (b) There is a proposal to set up a new factory for the manufacture of long distance transmission equipment to augment the production of the Indian Telephone Industries Limited, Bangalore, of such equipment. The decision of the Government about the location of the new factory is expected to be taken shortly.

विदेशी तेल कम्पनियों में नौकरी की सुरक्षा के लिये गोखले आयोग

4813. **श्री नम्बियार :** **श्री मुहम्मद इस्माइल :**
श्री गणेश घोष :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी तेल कम्पनियों में नौकरी की सुरक्षा के संबंध में गोखले आयोग के काम में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) इसका प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत होने की संभावना है ; और

(ग) यदि इसमें कोई विलम्ब है, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) सम्बन्धित पक्षों की सुविधानुसार छोटे-छोटे मध्यक्षेपों को छोड़ कर आयोग का कार्य नियमित रूप से चल रहा है । वर्तमान अनुमानों के अनुसार सभी संबंधित पक्षों के तर्क दिसम्बर, 1968 के मध्य तक पूर्ण होने की सम्भावना है ।

(ख) आयोग जनवरी, 1969 के अन्त तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आशा करता है ।

(ग) सभी सम्बन्धित पक्षों को अपने मामले प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर दिए जाने के बाद ही आयोग अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकता है । सम्बन्धित पक्षों ने लम्बे-लम्बे तर्क दिए हैं और विस्तृत अभिलेख पेश किए हैं ।

स्टेट बैंक द्वारा भारतीय खाद्य निगम को दिये गये ऋण

4814. **श्री को० सूर्यनारायण :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्टेट बैंक आफ इंडिया द्वारा भारतीय खाद्य निगम तथा राज्य सरकारों को खाद्यान्न की वसूली के लिये कितनी राशि अग्रिम धन के रूप में दी गई; और

(ख) इस अग्रिम धन से उस अवधी में भारतीय खाद्य निगम तथा राज्य सरकारों द्वारा कौन-कौन से खाद्यान्न की वसूली की गई ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) स्टेट बैंक आफ इंडिया द्वारा भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकारों को वसूली सम्बन्धी कार्यवाहियों के लिये अग्रिम धन दिया जाता है और वह इसे अपने द्वारा निश्चित सीमाओं तक ओवरड्राफ्ट सुविधाओं के रूप में देता है । स्टेट बैंक आफ इंडिया द्वारा स्वीकृत सीमाएं तथा भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकारों की ओर मार्च, 1967 तथा 1968 के अन्त तक देय बकाया राशियां इस प्रकार हैं :—

करोड़ों रुपयों में आकड़े

	मार्च, 1967 के अन्त तक निश्चित सीमाएं	मार्च 1967 के अन्त तक बकाया राशियां	मार्च, 1968 के अन्त तक निश्चित सीमाएं	मार्च 1966 के अन्त तक बकाया राशियां
भारतीय खाद्य निगम	5.30	0.43	100.00	83.80
राज्य सरकारें	59.00	16.15	43.02	19.17

(ख) भारतीय खाद्य निगम तथा राज्य सरकारों ने इन अग्रिम धनों का उपयोग चावल, गेहूँ तथा अन्य मोटे अनाजों आदि की खरीद के लिये किया है। इसके अतिरिक्त, भारतीय खाद्य निगम ने इस निश्चित सीमा के अंश का उपयोग मूंगफली के तेल तथा चीनी के स्टॉक के लिये भी किया। यह सुविधा अब हटा दी गई है।

पश्चिमी बंगाल में गहरे नलकूप खोदना

4815. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी बंगाल में 1968 में सिंचाई के लिए कितने नलकूप खोदे जायेंगे ;

(ख) उन पर अनुमानतः कितनी लागत आयेगी ;

(ग) जिलेवार उन ट्यूब वेलों के खोदने से कितने एकड़ क्षेत्र में सिंचाई होगी ;

(घ) क्या इस योजना को बनाने से पहले भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग से परामर्श किया गया था ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) 1968 की अवधि में राज्य में सिंचाई हेतु गहरे नलकूप लगाने का अभी पश्चिम बंगाल सरकार का कोई कार्यक्रम नहीं है।

(ख) से (ङ) प्रश्न ही नहीं होते।

अलाभप्रद जोतों पर लगान

4816. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितनी राज्य सरकारों ने अलाभ-प्रद जोतों को लगान से छूट देने का निर्णय किया है और इस छूट का स्वरूप क्या होगा ;

(ख) क्या अलाभप्रद जोतों से बड़ी जोतों की भूमि पर वर्गीकृत आधार पर भूमि-कर लगाकर इन छूटों के कारण होने वाले घाटे को पूरा किया जा सकता है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को यह सुझाव देने का विचार कर रही है कि वे सभी अलाभप्रद जोतों को समान आधार पर लगान से छूट दें और वर्गीकृत आधार पर भूमि कर लगायें ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) तथा (ख) : एक विवरण संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 1819/68]

(ग) तथा (घ) : भारत के संविधान के अन्तर्गत भूमि राजस्व राज्य का विषय है। अतः किसी ऐसे प्रस्ताव पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने का प्रश्न ही नहीं होता।

उर्वरक की आवश्यकताएं

4817. **श्री वासुदेवन नायर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय आयातित उर्वरक की कुल कितनी अनुमानित आवश्यकता है और उसका मूल्य क्या है ;

(ख) देश कब तक उर्वरक का आयात करता रहेगा; और

(ग) उर्वरक के उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) 1968-69 के लिये आयातित उर्वरकों की आवश्यकतायें निम्न प्रकार हैं :—

	मीटरी टन
नाईट्रोजन मूरक (एन के रूप में)	1, 045, 000
फास्फेट मूरक (पी 2 ओ 5 के रूप में)	136, 000
पोटासिक (के 2 ओ के रूप में)	213, 000
कुल अनुमानित मूल्य	3, 000 लाख डालर

(क) और (ग) सरकार का उद्देश्य यह है कि उर्वरकों के मामले में यथा शीघ्र आत्मनिर्यातता प्राप्त की जाये परन्तु हित इसी में है कि भविष्य में निरन्तर रूप से बढ़ती हुई मांग को सम्पूर्ण रूप से पूरा किया जाये। अतः जब तक देसी उत्पादन समस्त मांग को पूरी नहीं कर पाता तब तक उर्वरकों का आयात जारी रहेगा। अत्यनिमाता की दृष्टी से सरकार ने पी 2 ओ 5 की निम्नलिखित अतिरिक उत्पादन क्षमता बढ़ाने हेतु स्वीकृति दे दी है :—

	मीटरी टन	
	एन	पी
मौजूदा क्षमता	8, 94, 000	419, 000
निर्माणाधीन	1, 248,000	201, 000
स्वीकृत अतिरिक क्षमता	1, 249,000	891, 000

भावी विस्तार के बारे में भी विचार किया जा रहा है।

जहां तक पोटास का सम्बन्ध है वर्तमान क्षमता नहीं के बराबर है। इस समय भारत में पोटास की सप्लाई के साधनों का पता नहीं है।

Hindi Teleprinters

4818. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a Parliamentary Study Group has said in its report submitted to Government that as Government of India is not facilitating the import of articles required for teleprinters from abroad, manufacturing of Hindi Teleprinters is being delayed ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the amount of foreign exchange required therefor ?

Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) The Parliamentary Study Group Report only refers to certain procedural difficulties in arranging imports. There has, however, been no delay in the manufacture of Hindi teleprinters by the Hindustan Teleprinters Limited, Madras on this

account. The Company has commenced the production of Hindi teleprinters from July, 1968 in accordance with the production schedule laid down.

(b) and (c) Do not arise.

त्रिपुरा में कृषि योग्य भूमि

4819. **श्री किरित विक्रम देव बर्मन** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में कुल कितनी भूमि कृषि योग्य है तथा इस में से कितनी भूमि में सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं और वह केवल वर्षा पर निर्भर रहती है ;

(ख) वर्ष 1968-69 में ऐसी भूमियों में सिंचाई की अधिक व्यवस्था करने के लिये क्या योजना है तथा इस वर्ष त्रिपुरा में बड़ी और मझली सिंचाई परियोजनाओं के लिये कितनी राशि नियत की गई है ;

(ग) क्या त्रिपुरा में शुष्क भूमि को कृषि योग्य बनाने तथा उसमें सिंचाई की सुविधाओं की व्यवस्था करने की भी कोइ योजना है; और

(घ) यदि हां तो, उसका ब्यौरा क्या है और उस पर कितनी लागत आयेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) त्रिपुरा में लगभग 540,913 एकड़ कृष्य भूमि है इस में से 498613 एकड़ में सिंचाई के साधनों का अभाव है और वह मुख्यतया वर्षा पर ही निर्भर है।

(ख) इन दिनों त्रिपुरा में कोई वृहत् या मध्यम सिंचाई योजना लागू नहीं है। 1968-69 में योजना आयोग ने त्रिपुरा में मध्यम सिंचाई (योजना) कार्यक्रम के लिये 6.06 लाख रु० के खर्च का अनुमोदन किया था। केन्द्रीय प्रशासित त्रिपुरा प्रशासन ने भी मध्यम सिंचाई योजनाओं के लिये 9,46,250 रु० की व्यवस्था की है। इस राशि का विस्तृत विवरण इस प्रकार है :—

सामुदायिक विकास कार्य	
1. पम्पिंग सेट खरीदने तथा बांध बनाने की योजना, आदि।	रु० 2,64,250
2. सार्वजनिक निर्माण विभाग कार्य	
1. दस मोड़ योजनाएं	रु० 2,94,500
2. सात उत्थापक सिंचाई योजनाएं (लिफ्ट)	रु० 1,18,000
3. भूमि-सुधार योजनाएं	रु० 2,53,000
4. नलकूप योजनाएं	रु० 12,000
5. 2 टंकिया (पानी की)	रु० 4,500
	9,46,250

(ग) और (घ) : त्रिपुरा में कोई शुष्क इलाका नहीं है। कृषि विभाग के अधीन भूमि और जल संरक्षण की एक समाकलित आयोजना के अन्तर्गत राजकीय व्यय पर 400 एकड़ भूमि में वेन्य टैरेसिंग, 300 एकड़ में कन्टूर बन्धन और लगभग 400 एकड़ लुंगा भूमि को कृषि

योग्य बनाने के लिये उसके सुधार व विकास आदि का कार्यक्रम है। 1968-69 वर्ष में इन आयोजनाओं के लिये योजना निधि के अन्तर्गत 1.50 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त 1968-69 में अमरपुर उपखंड में लगभग 50 एकड़ भूमि के सुधार व विकास के लिये 0.16 लाख रुपये की व्यवस्था भी की गई है।

उड़ीसा में लघु सिंचाई योजनाएं

4820. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा की वे लघु जल बाढ़ योजनायें कौन सी हैं जिनसे 10,000 एकड़ भूमि सिंचित होगी ;

(ख) वे राज्यकीय नलकूप और नदी से पम्पों द्वारा जल की योजनाएं कहाँ कहाँ लगायी जायेंगी, जिनसे 15,000 एकड़ भूमि की सिंचाई होगी ;

(ग) उन निजी लघु सिंचाई साधनों (नल-कूप और पम्पिंग सेट) के पृथक पृथक आंकड़े क्या हैं जिनसे 1968-69 में उड़ीसा में 19,000 एकड़ भूमि की सिंचाई होगी ; और

(घ) केन्द्रीय सरकार ने 1968-69 में उड़ीसा के लिये लघु सिंचाई साधनों हेतु कितनी राशि नियत की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग) राज्य सरकार से जानकारी इकट्ठी की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(घ) योजना आयोग ने 1968-69 के लिये लघु सिंचाई हेतु 150 लाख रुपये का व्यय मंजूर किया है। वित्तीय सहायता के वर्तमान प्रतिमान के अनुसार राज्य सरकार को कुल होने वाले व्यय पर 60 प्रतिशत ऋण तथा 15 प्रतिशत अनुदान मिल सकता है।

पूर्वी पाकिस्तान से आये हिन्दुओं का पुनर्वास

4821. **श्री गाडिलिंगन गौड : श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री घुलेश्वर मीना :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1968 के आरंभ से कितने शरणार्थी पूर्वी पाकिस्तान से भारत आये ; और

(ख) इस वर्ष के आरंभ से उनके पुनर्वास के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है और इस उद्देश्य के लिये वर्ष 1968-69 में कितनी राशि का उपबन्ध किया गया है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार 1-1-1968 और उसके बाद 5707 व्यक्ति पूर्वी पाकिस्तान से भारत आये हैं।

(ख) ये 5707 व्यक्ति (लगभग 1400/1500 परिवार) 1-1-1964 और उसके बाद पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले लगभग 8.39 लाख नये प्रव्रजकों का अंश है। पुनर्वास कार्यक्रम,

किसी थोड़े विशिष्ट समय की अवधि में आये हुये विस्थापित व्यक्तियों के छोटे खंड की आवश्यकताओं के आधार पर तैयार नहीं किये जाते हैं। इसी प्रकार उनके पुनर्वास के लिये पृथक वित्तीय व्यवस्था नहीं की जाती। उनके पुनर्वास को नये प्रव्रजकों के पुनर्वास कार्यक्रमों तथा योजनाओं के आंशिक रूप में विचार किया जाता है। 1968-69 के बजट में पूर्वी-पाकिस्तान से आये नये प्रव्रजकों के पुनर्वास के लिये 1088.74 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है।

Land Distribution in Various States

4822. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the acreage of land allotted to the landless people, ex-servicemen and Cooperative Societies in the various States in the country, separately, during the last three years; and

(b) whether the entire acreage of the said land has been turned into agricultural land and if not, the reasons therefor ?

Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib P. Shinde) : (a) No separate figures in regard to the acreage of land allotted to landless people, ex-Servicemen and Cooperative Societies in the various States in the country during the last 3 years are available. State-wise distribution of wastelands to the landless agriculturists and others is however as under :

	Name of the State	Distribution of cultivable wasteland (in Lakh acres)	Distribution of land received in Bhoodan (in acres)
1	Assam	3.020	509
2	Andhra Pradesh	13.090	103309
3	Orissa	1.663	113345
4	Uttar Pradesh	9.442	210091
5	Kerala	0.484	5774
6	Madras	3.111	21519
7	Delhi	...	180
8	Punjab	1.679	3601
9	Gujarat	3.332	50984
10	Maharashtra	6.407	107111
11	Madhya Pradesh	23.457	156506
12	Mysore	7.226	3181
13	West Bengal	1.220	3898
14	Bihar	5.064	331842
15	Rajasthan	28.350	84781
16	Himachal Pradesh	...	2531
17	Jammu and Kashmir	N. A.	5

(b) In the absence of any detailed economic survey, which would involve considerable time, labour and expense, information in this regard is not available. Culturable wastelands are of two types, namely (1) land which can be straight-away allotted and (2) land

which requires previous reclamation measures before it could be allotted. The main difficulty being experienced by the State Governments in the allotment of latter category of land is the limitation of financial resources. Under the existing arrangements, financial assistance is also available from the Agricultural Refinance Corporations for lands which are in the command area and where Area Development Schemes have been undertaken. Besides this, the State Governments also allot such lands to the extent they are able to provide funds for reclamation and resettlement.

उत्तर प्रदेश में चकबन्दी

4823. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में चकबन्दी योजना लागू की गई है ;

(ख) यदि हां, तो यह योजना कितने जिलों में लागू की गई है तथा कितने जिलों में लागू नहीं की गई है ;

(ग) उस राज्य में कब चकबन्दी पूर्ण हो जाने की संभावना है ;

(घ) इस योजना पर अब तक कुल कितना धन व्यय किया गया है ; और

(ङ) जब से यह योजना लागू हुई है तब से लेकर अब तक इस विभाग में भ्रष्टाचार के आरोप पर कितने अधिकारियों को नौकरी से निकाल दिया गया है अथवा बर्खास्त किया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) 1967-68 के अन्त तक राज्य के विभिन्न जिलों में 196.85 लाख एकड़ भूमि की चकबन्दी हो चुकी थी । चालू वर्ष में लगभग 19 लाख एकड़ भूमि की चकबन्दी हो जायेगी ।

(ग) पांचवी पंच वर्षीय योजना की अवधि में समस्त राज्य में चकबन्दी का कार्य पूरा हो जाने की संभावना है ।

(घ) 1967-68 के अन्त तक चकबन्दी की योजनाओं पर 2514.90 लाख रुपये व्यय हुये हैं । 1968-69 में 390 लाख व्यय करने का प्रस्ताव है ।

(ङ) अभी जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

डाक तथा तार बोर्ड का पुनर्गठन

4824. **श्री यज्ञदत्त शर्मा** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रेलवे बोर्ड की तरह डाक तथा तार बोर्ड को एक स्वायत्त शासी निकाय के रूप में पुनर्गठित करने का है ;

(ख) क्या पुनर्गठित बोर्ड को तीन सेवाओं अर्थात् डाक, दूर संचार तथा आर्थिक मामलों में विखण्डित करने का प्रस्ताव है जिसमें प्रत्येक सेवा का एक कार्यकारी सदस्य होगा ; और

(ग) यदि हां, तो इस पुनर्गठन का उद्देश्य क्या है और इसे कब लागू करने की सम्भावना है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क), (ख) तथा (ग) प्रशासन सुधार आयोग ने डाक-तार विभाग के प्रशासनिक ढांचे और कार्य-पद्धति की जांच

करने और खर्च में बचत को दृष्टि में रखते हुए जनता को प्रदान की जाने वाली सेवाओं को अधिक सुचारु बनाने की दृष्टि से सुधारों का सुझाव देने के लिए एक कार्यकारी दल का निर्माण किया था। प्रशासन सुधार आयोग की सिफारिशें अभी तक विभाग को प्राप्त नहीं हुई हैं।

बिहार में मध्यावधि निर्वाचन

4825. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार विधान सभा विघटित करने की राष्ट्रपति की उद्घोषणा केवल छः महीने के लिए है ;

(ख) क्या सरकार का ध्यान बिहार सरकार द्वारा जारी की गई निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण सम्बन्धी अधिसूचना की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें मध्यावधि निर्वाचन के लिए फरवरी माह नियत किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी वैधता तथा औचित्य क्या है ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद यूनुस सलीम) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) मुख्य निर्वाचन आफिसर द्वारा जारी किए गए प्रेस नोट में मध्यावधि निर्वाचन कराने के समय के प्रति निर्देश भूल से किया गया था और उसका खण्डन भी तुरन्त कर दिया गया था।

Mid-Term Elections in U. P.

4826. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of **Law** be pleased to state :

(a) the names of the associations, the representatives of which were invited on the 22nd May, 1968 by the Chief Election Commissioner for fixing the date for mid-term elections in Uttar Pradesh ; and

(b) the names, designations and addresses of the said representatives and the suggestions made by them and the decision taken in this regard ?

Deputy Minister in the Ministry of Law (Shri Mohd. Yunus Saleem) : (a) and (b) The following representatives of political parties attended the meeting of 22nd May, 1968, at Lucknow, convened by the Chief Election Commissioner :

Party	Name of representative
1 Indian National Congress	1 Shri Hemwati Nandan Bhahuguna 2 Shri Laxmi Raman Acharya 3 Shri Banarsi Das 4 Shri Nawal Kishore 5 Shri Ramendra Varma
2 Bhartiya Jan Sangh	1 Shri Pratap Narain Tiwari 2 Shri Rajendra Kumar Gupta
3 Samyukta Socialist Party	Shri Ram Naresh Kushwaha
4 Communist Party of India	1 Shri Ramesh Sinha 2 Shri Kali Shankar Shukla 3 Shri Bheekha Lal

	Party	Name of representative
5	Communist Party of India (Marxist)	Shri Pratap Tandon
6	Swatantra Party	Shri K.D.R. Pandey
7	Republican Party of India	Shri Gaya Prasad Prashant
8	Republican Party of India (Ambedkarite)	Shri Chhedi Lal Sathi
9	Parja Socialist Party	1 Shri Ram Chandra Shukla 2 Shri Sarvajeet Lal Varma 3 Shri Rajwant Singh 4 Shri Ram Karan Singh
10	Bhartiya Kranti Dal	Shri Raj Bahadur Dwivedi
11	Socialist Party	Shri M. A. Haleem
12	Mazdoor Parishad	1 Shri Shiv Kumar Mishra 2 Shri Bhayiyaji
13	Forward Block	Shri Dev Datta Shastri
14	Freedom Fighter Soldiers Council (Swatantrata Sangram Sainik Parishad)	Shri Thakur Prasad Saxena
15	Independents	1 Shri Harish Chandra Singh 2 Shri Ram Chandra Vikal 3 Shri Chandra Bali Singh 4 Shri Mahi Lal

The designations and addresses of the representatives are not available with the Election Commission.

Various suggestions were made by the representatives, regarding the time for holding the mid-term election in Uttar Pradesh. Some of the representatives suggested November, 1968, for holding the mid-term election, some were in favour of February, 1969 and a few suggested March-April, 1969, for the purpose. Ultimately all the representatives after discussing various aspects such as the revision of electoral rolls and polling arrangements etc. unanimously agreed that the mid-term election in Uttar Pradesh may be held in the second half of February, 1969.

Fallow Land in States

4827. **Shri Nihal Singh:** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the acreage of fallow land and of the land belonging to the Forest Department in each District of Uttar Pradesh and other States which is not under cultivation ;

(b) Whether Government are formulating any such scheme under which the persons, who own land less than two acres or are landless and are desirous of taking to agriculture as their occupation, could apply to Government for doing cultivation on this fallow land or the land belonging to the Forest Department and get it allotted in their name ; and

(c) if so the details thereof ?

Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Coop. (**Shri Annasahib Shinde**) : (a) A statement, showing the State-wise break-up of fallow land (other than current fallows) is annexed. (**Placed in**

Library. See No. LT—1836-68) Information regarding District-wise and Department-wise fallow lands in the various States (i.e. Forest Department Revenue Department, etc.) is not available.

(b) and (c) : For bringing fallow land and cultivable waste land under cultivation, land reclamation is being carried out under the various State Plan Schemes, Centrally Sponsored Schemes of Reclamation of Waste Lands and Resettlement of Landless Agricultural Labourers, and also as a part of the area Development Programme undertaken through the cooperative Land Development Banks with the assistance of Agricultural Refinance Corporation. As regards allotment of land it is a State subject and the State Governments have framed their own rules for allotment of wastelands to the various categories of people according to certain priorities which vary from State to State.

Hindustan Teleprinter Factory

4828. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the date when the Hindustan Teleprinter Factory was set up ;

(b) the number of Hindi Teleprinters manufactured by the said factory so far ; and

(c) the number of teleprinters likely to be manufactured by this factory during 1968-69 ?

Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) Hindustan Teleprinters Limited was registered on the 14th December, 1960.

(b) 20 Hindi teleprinters have been manufactured so far by the factory this year.

(c) During 1968-69, the factory is likely to manufacture 800 Hindi teleprinters.

Expenditure on Zoo in Delhi.

4829. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the expenditure incurred by Government on the Zoo in Delhi during 1967-68 ; and

(b) the amount proposed to be spent on bringing new animals and raising new structures, separately, during 1968-69 ?

Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture. Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) The amount of expenditure incurred on Delhi Zoo during 1967-68 is indicated below :—

Revenue	..	Rs.	11,52,300
Capital	..	Rs.	1,92,000
	Total :		13,44,300

(b) The amount proposed to be spent during 1968-69 is given below :—

On New Animals	..	Rs.	25,000
On New structures	..	Rs.	2,00,000
	Total :	Rs.	2,25,000

Quota for Manufacture of Tractors to Ghaziabad Engineering Co.

4830. **Shri P. L. Barupal** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the number of tractors for which quota was allotted to the Ghaziabad Engineering Compaay, Ghaziabad (Uttar Pradesh) with their Head Office at Janpath, New Delhi, during the period from Ist January, 1965 to 15th July, 1968 ;

(b) the number of farmers from whom demands were received by the said Company, the number of farmers who were allotted tractors and the number of farmers who are on the waiting list at present ?

Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : The requisite information is given as under :—

	DT-14B	DT-28	Byelarus
(a) The No. of Tractors for which quota was allotted to M/S. Ghaziabad Engineering Co. Private Ltd., New Delhi.	2,663	147	175
(b) The No. of farmers from whom demands were received by the said company.	12,000	4,000	3,000
The number of farmers allotted tractors.	*2,751	147	175
The number of farmers on the waiting list.	9,249	3,853	2,825

Tubewell Installation Scheme

4831. **Shri Madhu Limaye** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the Planning Commission have prepared any major Scheme to instal tubewells in view of availability of sufficient quantity of subsoil water in the area lying between the Ganga and Jamuna ; and

(b) if so, the broad details thereof ;

Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) No.

(b) Does not arise.

स्वचालित यंत्रों का प्रयोग

4832. **श्री रा० बरुआ** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में स्वचालित यंत्रों के प्रयोग किये जाने के बारे में हाल ही में सरकार के प्रतिनिधियों, और कर्मचारियों के बीच विचार-विमर्श हुआ है ;

*Including carry-over from earlier period.

(ख) यदि हां, तो उस विषय पर तीनों पार्टियों द्वारा व्यक्त किये गये विचारों का संक्षिप्त ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इसके क्या परिणाम निकले ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) इस मामले पर 18 जुलाई, 1968 को नई दिल्ली में हुए स्थायी श्रम समिति के 28 वें अधिवेशन में विचार-विमर्श हुआ ।

(ख) और (ग) स्वचालित मशीनों के सम्बन्ध में बड़ी लम्बी बहस हुई, जिसमें विभिन्न पक्षों ने स्वचालन के बारे में अपनी-अपनी स्थिति स्पष्ट की ।

श्रमिकों के प्रतिनिधियों की ओर से यह कहा गया कि चूंकि देश में बहुत बड़ी बेकारी फैली हुई है तथा टैक्नोलोजिकल और पूंजी साधन कम हैं, इसलिये सामान्य नीति स्वचालन के विरुद्ध होनी चाहिए । परन्तु विशेष परिस्थितियों में यदि स्वचालित मशीन लगानी अनिवार्य समझी जाय तो उसकी अनुमति अपवाद के रूप में दी जा सकती है । ऐसी अनिवार्यता और स्थितियों का, जिनके अधीन ऐसे अपवादों की अनुमति दी जाय, ब्यौरा तैयार करना पड़ेगा । स्थायी श्रम समिति का एक छोटा सा अध्ययन दल बनाया जाय जो मार्ग-दर्शन की अपेक्षित रूप-रेखा तैयार करे । इस अध्ययन-दल में विशेषज्ञ भी रखे जायं । यह अध्ययन-दल मार्ग दर्शन की जो रूप-रेखा तैयार करे वह स्थायी श्रम समिति या भारतीय श्रम सम्मेलन के सामने स्वीकृति के लिए रखी जानी चाहिए । जब तक ऐसी रूप-रेखा तैयार होती है, तब तक स्वचालित मशीनें न लगाई जायं और जहां स्वचालित मशीनें लगाई जा चुकी हैं, वहां नियोजकों को उन्हें प्रयुक्त न करने के लिए कहा जाय ।

दूसरी ओर नियोजकों के प्रतिनिधियों ने यह आधार लिया कि कुछ प्रतिष्ठानों के कार्य की विस्तृतता और पेचीदगी को देखते हुए सुचारु रूप से कार्य करने के लिए कम्प्यूटर लगाना एक आवश्यकता बन गई है । अभिनवीकरण से उत्पन्न समस्यायें निपटाने के लिए भारतीय श्रम सम्मेलन के 15 वें अधिवेशन में जो प्रक्रिया निश्चित हुई है, उसी के अनुसार ऐसी स्वचालित मशीनों के लगाने से स्थानीय-स्तर पर श्रमिकों के फालतू होने से संबंधित समस्या निपटाई जा सकती है । इस बात पर जोर दिया गया कि स्वचालन से आखिरकार अर्थ व्यवस्था के अन्तर्गत अधिक रोजगार उत्पन्न होता है । इसलिए वास्तविक विचारणीय प्रश्न यह नहीं होना चाहिए कि स्वाचालित मशीनें लगाई जानी चाहिए या नहीं बल्कि यह है कि उनके लगाये जाने से जो श्रमिक फालतू होंगे उनकी समस्या को निपटाने के लिए क्या उपाय किये जायं । यह वांछनीय नहीं समझा गया कि टेक्नोलोजी के युग में भारत प्रगति के मुख्य दौर से दूर चला जाय और जब उद्योगों को अन्तर्राष्ट्रीय मण्डी में प्रतियोगिता करनी है तो उसमें स्वचालन का प्रयोग आवश्यक होगा । नियोजकों का यह विचार था कि बड़ी संख्या में लोगों के बेकार होने का भय अकारण है, क्योंकि स्वचालन की प्रक्रियायें थोड़े ही प्रतिष्ठानों में शुरू की गई हैं और उद्योग के वर्तमान उपलब्ध साधन बड़ी संख्या में स्वचालन के लिए पर्याप्त नहीं हैं । फिर भी, जब कोई छंटनी न हो और जब कारखाना स्तर पर यूनियन और नियोजक दोनों सहमत हों, तो कम्प्यूटर लगाने में कोई एतराज नहीं होना चाहिए ।

महाराष्ट्र के श्रम मंत्री ने यह सुझाव दिया कि केन्द्र में स्थायी श्रम समिति की एक त्रिपक्षीय उप समिति बनाई जानी चाहिए जो स्वचालित मशीनों के लगाने के बारे में नीति का मार्ग दर्शन करे । इस समिति को विशेषज्ञों की सहायता प्राप्त होनी चाहिए । राष्ट्रीय स्तर पर निश्चित

किये गये मार्ग-दर्शन के अन्दर संबंधित सरकार को स्वचालित मशीनें लगाने के हर प्रस्ताव पर विचार करना चाहिए और यह निर्णय करना चाहिए कि क्या कम्प्यूटर लगाने की अनुमति दी जा सकती है या नहीं। इस उप समिति को समय-समय पर स्वचालन के प्रभाव का सामान्य पुनरीक्षण करना चाहिए और यह देखना चाहिए कि नीति संबंधी मार्ग दर्शन पर वास्तव में कहां तक क्रियान्विति हो रही है।

अध्यक्ष ने कहा कि बैठक में अभिव्यक्त विचारों को नोट कर लिया गया है। और सरकार इस विषय पर विचार करते समय उन्हें ध्यान में रखेगी। इस बीच, जो प्रक्रिया कम्प्यूटरों के आयात करने संबंधी प्रस्तावों की जांच के बारे में चालू है, वह जारी रहनी चाहिए।

राष्ट्रीय शिशिक्षु योजना

4813. **श्री नि० रं० लास्कर :** **श्री रा० रा० सिंह देव :**
श्री अंबुवेजियान : **श्री चेंगलराया नायडू :**
श्री वि० ना० शास्त्री :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने एक राष्ट्रीय शिशिक्षु योजना की क्रियान्विति के लिये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ एक करार किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) कुल कितने भारतीयों को प्रशिक्षण दिया जायेगा ?

श्रम, नियोजन और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री स० चु० जमीर) : (क) जी हां। योजना 1-1-68 से लागू हो गई है।

(ख) और (ग)

(1) योजना का उद्देश्य भारत सरकार को, नियोजन एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय में केन्द्रीय तकनीकी सेवा और शिक्षु प्रशिक्षण के चार प्रादेशिक निदेशालयों की स्थापना में, सहायता पहुँचाना है, जिससे शिक्षु अधिनियम, 1961 के अनुसार शिक्षु योजना लागू की जा सके।

(2) केन्द्रीय तकनीकी सेवा, केन्द्रीय शिक्षु परिषद् और व्यावसायिक परीक्षण की राष्ट्रीय परिषद् से परामर्श करके, प्रशिक्षण के उपयुक्त तरीके, दृश्य-श्रव्य सहायक साधन, प्रशिक्षण अधिकारियों, शिक्षु सलाहकार और सर्वेक्षक आदि के लिए पाठ्यक्रम बनायेगी।

(3) अपने प्रदेशों में शिक्षु कार्यक्रम को लागू करने और बढ़ावा देने का उत्तरदायित्व, कानपुर, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास स्थित शिक्षु प्रशिक्षण के चार प्रादेशिक निदेशालयों का होगा।

(4) उपरोक्त लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, भारत सरकार को अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन से, जो योजना की कार्यकारी एजन्सी है, 11 विशेषज्ञ, 48 कार्यकारी महीनों के लिए शिक्षावृत्तियें, उपकरण तथा सामग्री उपलब्ध होगी। प्रायोजना के लिए अन्तर्राष्ट्रीय

विशेष कोष द्वारा 1,102,100 अमरीकी डालर की राशि निर्धारित की गई है और भारत सरकार द्वारा वस्तुरूप में प्रतिरूप योगदान 6,063,270 अमरीकी डालर का होगा ।

(5) पांच साल में, अन्तर्राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम की समाप्ति पर, आशा है 100,000 के लगभग शिक्षु उद्योगों में प्रशिक्षण पायेंगे ।

Distribution of Sugar

4834. **Shri Nathu Ram Ahirwar** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in the procedure adopted for distribution of sugar, the urban population and Government employees are given more facilities and more quantity of sugar as compared to those given to rural population ; and

(b) if so, the reason therefor and action taken to rectify the anomaly ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde : **(a) and (b)** : The Central Government allots monthly quotas of levy sugar to State Governments for distribution mainly to domestic consumers in their States. Arrangements for distribution within the States are made by the respective State Governments. According to information received from them, a uniform basis for distribution of sugar has been adopted in the States of Gujarat, Kerala, Nagaland, Punjab and Rajasthan and the Union Territories of Delhi, Goa, Manipur, Pondicherry and Andaman and Nicobar Islands. In other States and Union Territories, the scale of distribution of levy sugar is higher in urban areas than in rural areas. No special facilities are given to Government employees in sugar distribution except to the non-gazetted police personnel, N. C. C. instructors taken from Army and Secretariat Security Force in Delhi who are given sugar at a higher scale comparable to that allowed to "Jawans" in the Army. This applies to the above categories of Government servants only not to members of their families.

Meat Processing Factory in Haryana

4835. **Shri Jagannath Rao Joshi** :
Shri Bal Raj Madhok ;
Shri Atal Bihari Vajpayee :
Shri Sharda Nand :
Shri Kashi Nath Pandey :
Shri Arjun Singh Bhadoria :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a factory for processing meat for supply to the armed forces has been set up recently in village Kundali in Haryana ;

(b) whether it is also a fact that the Central Government have received many complaints against the setting up of the said factory there ; and

(c) if so, the details thereof and action taken by Government so far to remove the discontentment among the people ?

Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) Yes, Sir.

(b) Two letters were received in this Ministry against the setting up of this factory.

(c) One of the letters received in September 1967 was from office bearers of some of the Gram Panchayats in Rohtak District and the other was a resolution passed by the Essex Karya Nirodh Samiti, Village Kundali, dated the 1st October, 1967.

Establishment of meat processing factories is a State subject and, therefore, the matter was referred to the State Government of Haryana.

Representatives of Nagaland in Parliament and State Legislature

4836. **Shri Banah Narain Singh** : Will the Minister of **Law** be pleased to State :

(a) the number of representatives of Nagaland in Lok Sabha and Rajya Sabha and in the Nagaland Legislative Assembly ; and

(b) the number of Hindus and Christians among them, separately ?

Deputy Minister in the Ministry of Law (Shri Mohd. Yunus Saleem) (a) the number of representatives of Nagaland in :—

(i)	Lok Sabha	1	
(ii)	Rajya Sabha ..	1	
(iii)	Nagaland Legislative Assembly	46	(inclusive of 6 members of Tuensang district chosen by the members of the Regional Council).

(b) Government has no information on this point.

चांदा जिले में कोयला खानों के मजदूरों के लिये मकान

4837. **श्री कृ० मा० कौशिक** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चांदा जिले में बल्लारपुर शास्ती, हिन्दुस्तान, लालपेठ, रैयतवाड़ी, माजरी तथा घुगुस के कोयला खानों के मजदूरों के लिये कुछ मकान बनाये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो कितने; और

(ग) यदि नहीं, तो अब तक मकान न बनाये जाने के क्या कारण हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) नयी और कम लागत आवास योजनाओं के बारे में चान्दा कोयला-क्षेत्र की कोयला खान-वार स्थिति के सम्बन्ध में दो विवरण संलग्न हैं। (पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1820-68)

(ग) चान्दा कोयला क्षेत्र में आवास योजनाओं को क्रियान्वित करने में मुख्य कठिनाई कोयला खान मालिकों द्वारा कोयला खान श्रमिक आवास बोर्ड को 40 वर्ष की निर्धारित समयावधि के लिए पट्टे पर जमीन दिलवाने की थी, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा कोयला-खान मालिकों को खनन-कार्य के पट्टे 30 वर्ष के लिए दिये गये थे और अधिकांश कोयला खानों के खनन पट्टों का कुछ भाग पहले ही समाप्त हो गया है। यह मामला महाराष्ट्र की सरकार से उठाया गया है।

कोयला खानों में श्रम कानूनों का उल्लंघन

4838. **श्री बे० कृ० दासचौधरी** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री 9 मई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 10297 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खानों में श्रम कानूनों के उल्लंघन के बारे में इस बीच जानकारी एकत्रित कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1821-68]

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Sarabhai Chemicals Ltd.

4839. **Shri Yashwant Singh Kushwah** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether Government have received complaints regarding the anti-labour and anti-national activities in Sarabhai Chemicals Ltd. from the All India Sarabhai Chemicals Employees Union, Bombay or from some other sources ; and

(b) if so, the details thereof and the action taken by Government to look into those complaints ?

Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi) : (a) Government of Maharashtra received a complaint from the All India Sarabhai Chemicals Employees Union, Bombay regarding closure of Sales, Account and Mailing departments of the Company's office at Bombay and consequent retrenchment of 52 employees.

(b) The State Labour Department intervened in the dispute. As there was no settlement, the dispute was referred to adjudication on 21.6.1968. However, as a result of mutual settlement, a consent Award was given by the Tribunal under which 31 out of 52 retrenched employees paid legal dues on retrenchment and the remaining 21 were given alternative employment. The dispute has thus been settled.

Aid for construction of Buildings in Khem Karan

4840. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the amount given by Government to the Punjab Government for the purpose of constructing public buildings in Khem Karan during the financial year 1967-68 ; and

(b) the amount of grant proposed to be given to the Punjab Government for this purpose during the financial year 1968-69 ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri D. R. Chavan) : (a) Rs. 14.82 lakhs.

(b) Rs. 4·36 lakhs.

उर्वरकों का आयात

4841. **श्री वीर भद्र सिंह** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के अन्दर उर्वरक की मांग तथा उसके देश में उत्पादन के बीच अन्तर को पूरा करने के लिये चालू वर्ष में उसका आयात करने के लिए किए जाने वाले प्रबन्धों को अन्तिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो आयात की कुल मात्रा कितनी होगी तथा किस दर पर आयात किया जायेगा;

(ग) क्या यह भी सच है कि आगामी तीन वर्षों में उर्वरकों की सप्लाई के लिये अमरीका सरकार के साथ दीर्घकालीन प्रबंध भी कर लिये गये हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई पक्का करार हो गया है; और

(ङ) यदि हां, तो करार की शर्तें क्या हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) प्लांट न्यूट्रिएन्ट	दस लाख मीट्रो टनों में
नाइट्रोजन	1.045
पी 2O5	0.136
के 2O	0.210

भिन्न-भिन्न उर्वरकों के मूल्य बताने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

विभिन्न उर्वरकों के लागत भाड़ा सहित औसत मूल्य

(क) नाइट्रोजनी उर्वरक	प्लांट न्यूट्रिएन्ट कन्टेंट्स	रुपये प्रति एम० टी० लागत भाड़ा सहित
1	2	3
1. एमोनियम सल्फेट	20.5721% नाइट्रोजन	376.10
2. यूरिया	(45/46 नाइट्रोजन)	688.63
3. कैलशियम एमोनियम नाइट्रेट	(26% नाइट्रोजन)	410.74
4. एमोनियम सल्फेट नाइट्रेट	(26% नाइट्रोजन)	461.25
5. एमोनियम क्लोराइड	(25% नाइट्रोजन)	327.21
(ख) नाइट्रोजन तथा पी०2O5 वाले मिश्रित उर्वरक		
1. एमोनियम फास्फेट	(20-20-0)	666.73
2. एमोनियम नाइट्रो फॉस्फेट	(20-20-0)	666.73
3. डी I एमोनियम फॉस्फेट	(18-46-0)	737.95
4. एन० पी० के०	(14-14-14)	542.86
5. एन० पी० के०	(15-15-15)	704.54
6. एन० पी० के०	(12-24-12)	676.35
7. एन० पी० के०	(14-28-14)	768.11
(ग) पोटाशयुक्त (के 2O)		
1. सल्फेट ऑफ पोटाश	(5% के 2O)	538.35
2. म्यूट्रिएट ऑफ पोटाश	(50% के2O)	380.10

(ग) जी नहीं ।

(घ) और (ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

टिप्पणी :—ये मूल्य जून, 1968 के अन्त तक किये गये करारों के अनुसार मापित औसत लागत भाड़ा सहित मूल्यों पर आधारित हैं ।

Installation of Electric Tube-Wells in Bihar and Uttar Pradesh

4842. **Shri Sheopujan Shastri** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government propose to instal electric tube-wells in those Districts of Bihar and Uttar Pradesh which are water_scarcity areas and where canal water is not available ; and

(b) if so, when and, if not, the reasons therefor ?

Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture. Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) **U. P.**: Yes. wherever their construction is found technically feasible.

Bihar : The information from the Government of Bihar is awaited and it will be placed on the Table of the Sabha when received.

(b) State Tubewells in such areas will be constructed under the normal tubewells construction programme drawn up from year to year according to availability of resources.

पटसन मिलों के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

4843. **श्री बेणी शंकर शर्मा :** **श्री सु० कु० तापड़िया :**
श्री दी० चं० शर्मा **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे :**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटसन मिलों के मालिकों ने कर्मचारियों को अधिक वेतन देने में अपनी असमर्थता दिखाई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या पटसन मिलों के कर्मचारियों ने अपनी मागें स्वीकार कराने हेतु जोर डालने के लिये 15 अगस्त, 1968 से हड़ताल करने की धमकी दी है; और

(घ) यदि हां तो उस हड़ताल को रोकने तथा कर्मचारियों की मांगों पर विचार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) : जी हां, उद्योग ने तुरंत मजूरी बढ़ाने के विरुद्ध अपनी इच्छा इस आधार पर व्यक्त की है कि अतिरिक्त श्रम लागत वहन करने की उसकी सामर्थ्य नहीं है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

पाकिस्तान के साथ दावों का निपटारा

4844. **श्री य० अ० प्रसाद** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी उपक्रमों के गैर-मुस्लिम कर्मचारियों की पाकिस्तान में छोड़ी गयी जमानत की राशि और सरकारी कर्मचारियों की सरकारी भविष्य निधि में जमा राशियों और संयुक्त स्कंध समवायों की आस्तियों के सत्यापन सम्बन्धी मामलों पर भारत सरकार विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो क्या पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा उपयुक्त कार्यवाही न किये जाने पर सरकार जिन दावों की वैधता के बारे में संतुष्ट है, क्या उन्हें निपटाने के लिये सरकार एक पक्षीय रूप से शीघ्र कोई कार्यवाही करेगी ?

श्रम रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) स्थिति निम्न है :—

(1) पाकिस्तान में निजी उपक्रमों के विस्थापित कर्मचारियों के दावों के निपटाने के प्रश्न पर पाकिस्तान सरकार से बात-चीत चल रही है; किन्तु अभी तक कोई समझौता नहीं हो सका है ।

(2) **सरकारी कर्मचारियों की सरकारी भविष्य निधि का सत्यापन**

इस विषय पर भारत पाकिस्तान करार के अन्तर्गत ये दावे आते हैं और इन पर इस विभाग द्वारा पाकिस्तान सरकार से कार्यवाही की जा रही है ।

(3) **संयुक्त पूंजी कम्पनियों की पाकिस्तान में छोड़ी गई सम्पत्तियां**

इस सम्बन्ध में पाकिस्तान सरकार के साथ एक करार हुआ है किन्तु उसे पाकिस्तान सरकार द्वारा कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है ।

(ख) यह प्रश्न केवल उपरोक्त मदों (क) (1) तथा (क) (3) के बारे में उत्पन्न होता है । जहां तक (क) (1) का सम्बन्ध है, भारत सरकार द्वारा एक पक्षीय कार्यवाही करना सम्भव नहीं है । जहां तक (क) (3) का सम्बन्ध है, इस मामले के निपटाने के बारे में भारत सरकार पाकिस्तान सरकार के साथ पत्र-व्यवहार कर रही है और पाकिस्तान सरकार के उत्तर की प्रतीक्षा है ।

नरेला (दिल्ली) में तेल मिल

4845. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नरेला की विभिन्न तेल मिलें सप्ताह में एक बार बन्द नहीं होती और क्या भी यह सच है कि कुशल तथा अकुशल श्रमिकों को सप्ताह में सातों दिन काम करना पड़ता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन मिलों के मालिक जब चाहते हैं, श्रमिकों को सेवा से निकाल देते हैं, और यदि हां, तो गत एक वर्ष में कितने श्रमिकों को सेवा से निकाला गया; और

(ग) इन श्रमिकों की सेवा की सुरक्षा के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार किया है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) (क), (ख) और (ग) : सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा के मेज पर रख दी जायेगी ।

दक्षिण भारत में संसद् का सत्र

4846. **श्री ओंकार लाल बेरवा :** **श्री नि० रं० लास्कर :**
श्री भोगेंद्र झा :

क्या **संसद-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण में संसद के एक सत्र का आयोजन करने की सम्भावना की जांच करने के लिए नियुक्त की गई संसद् सदस्यों की समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या समिति ने सरकार को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार को प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत किये जाने की सम्भावना है ?

संसद-कार्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) समिति के सदस्यों के नाम इस प्रकार हैं—

1. श्री एस० आर० राने — चेयरमैन
2. श्री के० हनुमन्थैया
3. श्री द्विपायन सेन
4. श्री जी० एस० ढ़िल्लों
5. श्री वी० शंभाशिवम्
6. श्री जे० एन० हजारिका
7. श्री के० अंबझागन
8. श्री रवी रे
9. श्री बलराज मधोक
10. श्री नाथ पाई
11. श्री के० एम० कौशिक
12. श्री प्रकाश वीर शास्त्री
13. कर्नल बी० एच० जेड़ी
14. श्री ओम मेहता
15. श्री आर० एस० डूगर
16. श्री सी० अचूता मेनन
17. श्री के० पी० सुब्रह्मनिया मेनन
18. श्री कोटा पुनैया

(ख) जी, नहीं ।

(ग) और (घ) इस समिति का विचार कुछ राज्यों की राजधानियों का दौरा करने और उन स्थानों पर उपलब्ध सुविधाओं का अध्ययन करने का है । सम्भवतः समिति अपना प्रतिवेदन फरवरी, 1969 तक सरकार को प्रस्तुत कर देगी ।

मार्ग में खाद्यान्नों को क्षति

4847. **श्री गणेश घोष :** **श्री मुहम्मद इस्माइल :**
श्री वि० कु० मोडक :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खाद्यान्नों का भण्डार बनाने, उतारने-चढ़ाने तथा मार्ग में क्षति सम्बन्धित समिति ने अपने प्रारम्भिक प्रतिवेदन में यह कहा है कि कलकत्ता पत्तन तथा सरकारी गोदामों से प्रतिवर्ष लगभग दो करोड़ रुपये के खाद्यान्न नष्ट हो जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस हानि को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ।

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं

(ख) और (ग) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होते ।

पश्चिम बंगाल में केन्द्रीय केन्द्रक पटसन बीज गुणन प्रक्षेत्र

4848. **श्री गणेश घोष :** **श्री भगवान दास :**
श्री वि० कु० मोडक :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल में पानागढ़ के केन्द्रीय केन्द्रक पटसन बीज गुणन प्रक्षेत्र की श्रमिक कल्याण समिति के मन्त्री से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई, तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं ।

(ख), (ग) तथा (घ) : प्रश्न ही नहीं होता ।

भारत सेवक समाज, नाहन को ठेके

4849. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा भारत सेवक समाज, नाहन, सिरमौर जिला (हिमाचल प्रदेश) को वर्दियां सीने तथा निर्माण कार्यों के ठेके दिये जाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो भारत सेवक समाज द्वारा कितने कर्मचारियों और श्रमिकों को काम पर रखा गया है और गत तीन वर्षों में उनके वेतन के भुगतान की तिथियाँ क्या हैं ; और

(ग) क्या भारत सेवक समाज को ये ठेके टेन्डरों के आधार पर दिये जाते हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) (क), (ख) व (ग) : जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

भारत सेवक समाज, नाहन

4850. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सेवक समाज, नाहन, सिरमौर जिला (हिमाचल प्रदेश) के अध्यक्ष द्वारा जीप के रख-रखाव का खर्च एक हजार रुपए प्रति मास से भी अधिक है; और

(ख) क्या जीप की मरम्मत मोटर व्यापारियों से टेन्डर मांगने के आधार पर की जाती है अथवा एक ही दुकान से कराई जाती है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) व (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

बर्मा से स्वदेश वापस आने वाले लोगों को रिहायशी प्लाटों का नियतन

4851. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बर्मा से आये हुये शरणार्थियों को 16 जुलाई, 1968 को उपायुक्त, दिल्ली के कार्यालय में लाटरी निकाल कर रिहायशी प्लाटों की नीलामी की गयी थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि प्लाटों के आवेदनकर्त्ताओं की संख्या प्लाटों की संख्या से अधिक थी ;

(ग) क्या सरकार ने बर्मा से स्वदेश लौटने वाले लोगों के रहने के लिये कालकाजी कालोनी में कुछ भूमि निर्धारित की है ;

(घ) यदि हां, तो बर्मा से स्वदेश लौटने वाले जिन लोगों को उक्त प्लाट नहीं दिए जा सके, उन्हें ये प्लाट कब दिये जायेंगे ; और

(ङ) क्या सरकार का विचार स्वदेश लौटने वाले इन लोगों को ये प्लाट खरीदने के लिये धन देने का है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री वा. रा. चव्हाण) : (क) और (ख) : कोई नीलाम नहीं किया गया था । 208 योग्य प्रार्थियों में से 72 को लाटरी निकाल कर प्लाट अलाट किये गये थे ।

(ग) और (घ) : कालकाजी बस्ती में कोई ऐसी भूमि उपलब्ध नहीं है जिसे कि बर्मा से स्वदेश लौटने वाले लोगों के लिये निर्धारित किया जाये । तथापि दिल्ली-प्रशासन की एक योजना है जिसके अनुसार उनकी झिलमिल तथा पंखा रोड रिहायशी योजनाओं में बर्मा से स्वदेश लौटने वाले लोगों के लिए रिहायशी स्थान आरक्षित रखे जायेंगे ।

(ङ) बर्मा से स्वदेश लौटने वाले लोगों की गृह-सहायता योजना के अन्तर्गत, विकास के खर्च को मिलाकर, प्लाट खरीदने के लिए 2,100 रुपए का ऋण मंजूर किया जाता है ।

दिल्ली टेलीफोन अधिकारियों द्वारा सरकारी भूमि पर अनधिकृत कब्जा

4852. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी भूमि पर अनधिकृत कब्जा करने पर दिल्ली टेलीफोन अधिकारियों पर 25 जुलाई, 1968 को बम्बई पुलिस अधिनियम के अन्तर्गत 450 रुपये जुर्माना किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए कौन व्यक्ति जिम्मेवार हैं ; और

(ग) सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री ई० कु० गुजराल) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग) एक अपील सेशन कोर्ट में दायर की गई है और जुर्माने की वसूली रोकने के आदेश प्राप्त कर लिए गये हैं। जब तक इस मामले में निर्णय नहीं हो जाता, जिम्मेदारी नियत करना संभव नहीं है ।

थाईलैंण्ड से चावल का आयात

4853. **श्री चित्तिबाबू** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष थाईलैंड से जो चावल खरीदा जायेगा, उसका मूल्य क्या होगा ; और

(ख) उसके यहां कब तक आ जाने की आशा है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) चूंकि विदेशों से अभी कुछ चावल खरीदने का सरकार का विचार है, इसलिए इस वर्ष थाईलैंड से खरीदे गये चावल का मूल्य बताना लोक हित में नहीं होगा।

(ख) दिनांक 18 जून, 1968 तथा 23 जुलाई, 1968 के करारों के अन्तर्गत थाईलैंड से खरीदे गये कुल चावल जो 120,000 मीट्री टन हैं, अक्तूबर, 1968 की समाप्ति से पहले ही भारत को जहाजों से भेज जायेंगे।

कृत्रिम चावल

4854. **श्री चपलाकांत भट्टाचार्य** :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 जुलाई, 1968 के 'स्टेट्समैन' में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि बांड्रंग में कृत्रिम चावल बनाने का एक कारखाना खोला गया है तथा यह कारखाना प्रतिमास प्राकृतिक चावलों में विद्यमान पौष्टिक तत्वों के बराबर ही तत्वों वाले 50 टन कृत्रिम चावल (कासावा, सोयाबीन तथा कौरंज का मिश्रण) तैयार करता है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई पूछताछ करने का विचार है; और

(ग) क्या भारत में इस प्रकार का कोई प्रयास करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिंदे) : (क) जी हां,

(ख) और (ग) केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकीय अनुसंधान संस्था, मैसूर ने पहले ही इस किस्म की एक वस्तु बना ली थी जिसे तोपिओका मकरोनी कहा जाता है और उसके उत्पादन के लिए एक मार्गदर्शी संयंत्र स्थापित कर लिया था। इसलिये इस सम्बन्ध में कोई विशेष पूछताछ करने का कोई विचार नहीं है।

चांदा जिले में कोयला खानें

4855. **श्री कृ० मा० कौशिक :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चान्दा जिले में कोयला खानों के श्रमिकों के लिये एक अलग अस्पताल बनाने का है क्योंकि स्थानीय असैनिक अस्पताल उनकी आवश्यकताएँ पूरी करने में असमर्थ है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारत सेवक समाज, नाहन

4856. **श्री कृ० मा० कौशिक :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सेवक समाज, नाहन (जिला सिरमूर हिमाचल प्रदेश) ने वर्दियां सीना स्वीकार किया और उसके लिये विभिन्न संस्थाओं से कपड़ा प्राप्त किया ;

(ख) क्या इसके लिए कोई स्टाक रजिस्टर रखा गया, यदि हां, तो उस व्यक्ति का पदनाम और अर्हताएं क्या हैं जो इस स्टाक रजिस्टर को रखता है ; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में चोरी के विरुद्ध समय-समय पर जांच पड़ताल की जाती है और ऐसी जांच करने वाले अधिकारी का पदनाम क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क), (ख) व (ग) : जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

भारत सेवक समाज, नाहन द्वारा अध्यापकों को वेतन न दिया जाना

4857. **श्री कृ० मा० कौशिक :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश में सिरमूर जिले में नाहन में भारत सेवक समाज द्वारा चलाये जाने वाले स्कूलों में नियुक्त अध्यापकों को नियमित रूप से वेतन नहीं दिया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो इस बात के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है कि उन्हें समय पर वेतन मिले ; और

(ग) अध्यापकों को गत तीन वर्षों में किस-किस तारीख को वेतन दिया गया ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क), (ख) व (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

सूखाग्रस्त क्षेत्र

4858. **श्री हिम्मत सिंहका** :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष देश में और विशेषकर उड़ीसा, बिहार, आसाम, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में कौन-कौन से क्षेत्रों को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया है;

(ख) इन क्षेत्रों में राहत के लिये क्या उपाय किये गये हैं और इस उद्देश्य के लिये कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई है; और

(ग) क्या कोई केन्द्रीय मंत्री सूखाग्रस्त क्षेत्रों में गये थे और यदि हां, तो उनके द्वारा किन-किन क्षेत्रों का दौरा किया गया और राहत कार्यों के पर्याप्त होने के बारे में उनके विचार क्या थे ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) :

(क) महाराष्ट्र राज्य को छोड़कर और किसी भी राज्य ने ऐसी रिपोर्ट नहीं भेजी है कि उसने किसी क्षेत्र में अभाव की स्थिति घोषित की है। तथापि, विभिन्न राज्यों में अभाव-ग्रस्त क्षेत्र हैं। इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या 1822-68]

(ख) राज्य सरकारों ने राहत उपाय आरम्भ कर दिये हैं। जहां कहीं आवश्यक है, भारत सरकार ने अभाव-ग्रस्त क्षेत्रों वाले राज्यों के लिये खाद्यानों का आवंटन बढ़ा दिया है। मैसूर, आन्ध्र प्रदेश तथा उड़ीसा राज्यों को, जिन्होंने भारत सरकार से निर्धारित ढंग से अनुरोध किया है, सामान्य तौर पर केन्द्रीय सहायता दी गई है।

(ग) प्रभावित क्षेत्रों में केन्द्रीय मन्त्रियों के दौरों के बारे में जानकारी एकत्रित की जा रही है।

अभावग्रस्त क्षेत्रों में राहत के उपाय करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है और वे सामान्य रूप से उसे निभाती भी हैं। वे भारत सरकार को केवल तभी रिपोर्ट देती हैं जब किये जाने वाले राहत कार्यों का वित्तीय भार इतना अधिक हो कि उसे भारत सरकार की सहायता के बिना न किया जा सकता हो।

ऐसे मामलों में केन्द्रीय अधिकारियों के दल राज्यों की आवश्यकताओं का अनुमान लगाते हैं। इन दलों की सिफारिशों के आधार पर सम्बन्धित विभागों द्वारा आवश्यक सहायता दी जाती है।

क्षार वाली भूमि में चुकन्दर की खेती

4859. **श्री हिम्मत सिंहका** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लुधियाना स्थित पंजाब विश्वविद्यालय, ने उत्तरी भारत में विशेषकर हरियाणा, पंजाब तथा उत्तर प्रदेश में क्षार वाली भूमि में चुकन्दर की खेती की संभावना का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त राज्यों में क्षार वाली मिट्टी के बहुत बड़े क्षेत्र में चुकन्दर की खेती करने के लिये क्या योजना बनाई गई है; और

(ग) इन राज्यों में कुल कितनी क्षार वाली भूमि है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना ने क्षारीय तथा लवणीय भूमियों में चुकन्दर की खेती करने की संभावनाओं का अध्ययन किया है। यह कार्य 1956-64 से भूमि विभाग में किया गया। पंजाब तथा हरियाणा के विशिष्ट क्षारीय एवं लवणीय क्षेत्रों में यू० एस० 75 नामक चुकन्दर की एक किस्म का प्रयोग इन परीक्षणों में किया गया।

इन परिणामों से यह भी पता चला है कि जब भूमि की क्षारीय मात्रा अधिक होती है तो फसलों द्वारा क्षार की धारणा भी बढ़ जाती है। चुकन्दर फसल की क्षारीय मात्रा तथा चीनी की प्राप्ति में परस्पर कोई संबंध नहीं था।

पतझड़ में बोई जाने वाली गन्ने की फसल में अन्तर-फसल के रूप में चुकन्दर को प्रयोग करने के परीक्षण किए जा रहे हैं। यदि इसमें सफलता मिल जाती है तो व्यापारिक फसल के तौर पर चुकन्दर की सफलता की संभावनाओं का भविष्य उज्जवल होगा। चुकन्दर की खेती के कृषि पहलुओं पर कार्य करने की बड़ी आवश्यकता है जिससे कि इसे कम खर्चीला बनाया जा सके।

(ख) इस समय पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने चुकन्दर की खेती के लिए कोई योजना नहीं बनाई है। परन्तु भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा चुकन्दर पर अनुसंधान के लिए एक समन्वित परियोजना तैयार की जा रही है।

(ग) उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा राज्य में क्षारीय तथा लवणीय भूमि का कुल अनुमानित क्षेत्र 30 लाख हैक्टेअर है।

उद्योग में जबरी छुट्टी तथा बड़े पैमाने पर भर्ती के मामलों पर विचार करने के लिए त्रिपक्षीय समिति

4860. **श्री हिम्मत सिंहका** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योग में भारी संख्या में भर्ती तथा जबरी छुट्टी के मामलों के पुनरीक्षण की व्यवस्था का विकास करने के बारे में जो त्रिपक्षीय समिति गठित की गयी थी उसने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो समिति की मुख्य सिफारिशें तथा उसका मत क्या है; और

(ग) सरकार की उनके बारे में क्या प्रतिक्रिया है।

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) :

(क) शायद आशय उस त्रि-पक्षीय समिति से है जो पश्चिम बंगाल सरकार ने बड़ी संख्या में छंटनी और जबरी छुट्टी के मामलों का पुनरीक्षण करने संबंधी मशीनरी का प्रस्ताव तैयार करने के बारे में जून, 1968 में बनाई थी। इस समिति की कई बैठकें हुई हैं लेकिन अभी तक इसने कोई रिपोर्ट पेश नहीं की है।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

अन्तर्राष्ट्रीय गेहूं करार वाले देशों से खाद्य सहायता

4861. **श्री वी० चं० शर्मा :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उन देशों में, जिन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय गेहूं करार पर हस्ताक्षर किये थे, खाद्य सहायता प्राप्त करने का प्रयास कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में किये गये प्रयासों का क्या परिणाम निकला है; और

(ग) इस समय यह मामला किस स्थिति में है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) अन्तर्राष्ट्रीय गेहूं करार, 1962 के स्थान पर अब अन्तर्राष्ट्रीय अनाज व्यवस्था, 1967 लागू है जो 1 जुलाई, 1968 को लागू हुई है। इस अन्तर्राष्ट्रीय अनाज व्यवस्था, 1967 के अन्तर्गत खाद्य सहायता सम्मेलन से सम्बन्धित कुछ हस्ताक्षरकर्ता देशों से सरकार ने खाद्य सहायता के लिये अनुरोध किया है।

(ख) और (ग) अभी बातचीत जारी है।

बन्दरगाह और गोदी कर्मचारी

4862. **श्री वी० चं० शर्मा** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय श्रम आयोग के एक अध्ययन दल ने यह विचार व्यक्त किया है कि जहां सम्भव हो वहां बन्दरगाह और गोदी सम्बन्धी निरन्तर चलने वाले कार्यों को विभाग द्वारा चलाया जाये ;

(ख) क्या उस दल ने यह विचार भी व्यक्त किया है कि गोदी उद्योग का कार्य ऐसा है कि सब कर्मचारियों को स्थायी बनाया जाना चाहिए ;

(ग) क्या उपर्युक्त विचारों पर विचार किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उनका क्या परिणाम निकला है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हाँ।

(ख) अध्ययन दल के श्रमिक प्रतिनिधियों ने ऐसा विचार व्यक्त किया है।

(ग) और (घ) : अध्ययन दल के विचारों पर राष्ट्रीय श्रम आयोग और न कि सरकार गौर करेगी। सरकार इस मामले पर आयोग की सिफारिशें, जिनकी कि प्रतीक्षा की जा रही है, प्राप्त होने पर ही विचार करेगी।

त्रिपुरा को अनाज की सप्लाई

4863. **श्री किरित विक्रम देव बर्मन** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1966-67 तथा 1967-68 में त्रिपुरा में अनाज का कुल कितना उत्पादन हुआ था और उसमें चावल का उत्पादन कितना था; और

(ख) इनमें से प्रत्येक वर्ष में तथा चालू वर्ष की पहली तिमाही में केन्द्रीय सरकार द्वारा त्रिपुर को कितना अनाज सप्लाई किया गया और उसमें चावल की मात्रा कितनी थी और इस अवधि में त्रिपुरा सरकार की मांग कितनी थी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) फसल वर्ष (नवम्बर-अक्तूबर)	खाद्यान्नों का कुल उत्पादन	चावल के रूप में धान की उपज (हजार मीट्री टनों में)
1966-67*	204.0	202.6
1967-68**	208.9	207.5

(ख) त्रिपुरा को वित्तीय वर्ष 1966-67, 1967-68 तथा 1968-69 की पहली तिमाही में की गई चावल तथा गेहूँ की सप्लाई का ब्यौरा इस प्रकार है :—

	हजार मीट्री टनों में सप्लाई	
वर्ष	चावल	गेहूँ
1966-67	20.6	11.2
1967-68	15.9	24.6
1968-69 (जून तक)	7.5	6.2

त्रिपुरा सरकार ने पत्री वर्षों के लिये मांगें रखी थीं न कि वित्तीय वर्षों के लिये। वर्ष 1966, 1967 तथा 1968 के लिये उसकी मांग इस प्रकार थी—

	1000 मीट्री टनों में मांग	
वर्ष	चावल	गेहूँ
1966	30.0	6.0
1967	30.0	21.0
1968	30.7	31.6

त्रिपुरा में कृषि विकास कार्यक्रम

4864. **श्री किरित विक्रम देव बर्मन** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि त्रिपुरा के चालू वर्ष के कृषि विकास कार्यक्रम का मद-वार लागत सहित ब्यौरा क्या है और इसके परिणामरूप इस वर्ष केरल में अनाज की उपज कितनी बढ़ने की सम्भावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : सन् 1968-69 के दौरान त्रिपुरा में कृषि विकास योजनाओं का ब्यौरा देने वाला और मदवार लागत दिखाने वाला एक विवरण संलग्न है (अनुबन्ध) [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1823-68]

*आंशिक रूप से पुनरीक्षित अनुमान

**अन्तिम अनुमान

इन योजनाओं की क्रियान्विति के फलस्वरूप ऐसा अनुमान है कि 7.100 मैट्रिक टन तक अतिरिक्त खाद्यानों का उत्पादन हो सकेगा।

त्रिपुरा में आदिम जातियों की भूमि का बेचा जाना

4865. **श्री किरित विक्रम देव वर्मन** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में त्रिपुरा भू-राजस्व तथा भू-सुधार अधिनियम, 1960 के लागू होने के पश्चात् सरकार को ऐसी कितनी याचिकाएँ प्राप्त हुई हैं जिनमें आदिम-जातियों को भूमि गैर-आदिम जातियों के लोगों को बेचने के लिए सरकार से अनुमति मांगी गई है;

(ख) कितने मामलों में ऐसी अनुमति दी गई है और ऐसी अनुमति दिये जाने के सामान्य आधारभूत सिद्धान्त क्या हैं; और

(ग) इन वर्षों में इस प्रकार के जनजातियों से सम्बद्ध कितनी भूमि गैर जनजातियों के लोगों के हाथ में चली गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) पिछले 3 वर्षों में 1044 मामले आये थे।

(ख) 655 मामले निम्नलिखित परिस्थितियों में अनुमति दी जा रही है :—

(1) जब एक आदिम जाति वाला व्यक्ति और भूमि खरीदने के लिए अपनी कुछ भूमि को बेचने की इच्छा प्रकट करता है।

(2) आदिम जाति के अभ्यावेदक के बच्चों के विवाह के व्यय को पूरा करने के लिये।

(3) चिकित्सा आदि के व्यय को पूरा करने के लिये।

(ग) अभी जानकारी उपलब्ध नहीं है।

भविष्य निधि अधिनियम

4866. **श्री के० रमानी** : **श्री उमानाथ** :

श्री मुहम्मद इस्माइल : **श्री के० एम० अब्राहम** :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री 25 जुलाई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 788 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भविष्य निधि अधिनियम में संशोधन करने के प्रस्ताव पर इस बीच विचार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उस अधिनियम में कब संशोधन किये जाने की सम्भावना है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) यह प्रस्ताव अभी भी विचाराधीन है।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

चीनी सम्बन्धी नई नीति

4867. **श्री नम्बियार :**
श्री विश्वनाथ मेनन :
श्री प० गोपालन :
श्री एस्थोस :
श्री अनन्तराव पाटिल :
श्री टी० पी० शाह :
श्री शारदानन्द :
श्री कंवर लाल गुप्त :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार चीनी सम्बन्धी नई नीति बनाने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) नीति में परिवर्तन करने के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग) आगामी चीनी वर्ष के लिये चीनी सम्बन्धी नीति पर सितम्बर में विचार किया जायेगा, जब गन्ने की फसल की जानकारी उपलब्ध हो जायेगी ।

मध्य प्रदेश में बीजों तथा उर्वरकों की उपलब्धि

4868. **श्री गा० शं० मिश्र** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में बीजों, उर्वरकों, कीटनाशक दवाइयों तथा कृषि उपकरण खरीदने के लिए किसानों को राज सहायता की उपलब्धि सब से कम है ;

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं; और

(ग) चालू वर्ष में विभिन्न राज्यों को बीज, कीटनाशक दवाइयों तथा इसी प्रकार के कृषि के कच्चा माल की कितनी-कितनी मात्रा का नियतन किया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : **(क), (ख) तथा (ग)** : जानकारी इकट्ठी की जा रही है और मिलते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

मध्य प्रदेश में कृषि उत्पादन

4869. **श्री गा० शं० मिश्र** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के प्रयासों के समन्वय में मध्य प्रदेश सरकार के सामने आ रही कठिनाइयों पर सरकार ने विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा उनको दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : **(क) और** (ख) मध्य प्रदेश के सम्बन्ध में 1968-69 के लिए प्लान प्रस्तावों पर कृषि विषयक कार्यकारी ग्रुप ने विचार-विमर्श करके तथा प्लान स्कीमों की क्रियान्विति और कृषि क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न विकास शीर्षकों के व्यय के निर्धारण के बारे में सिफारिशें की थीं । इसके

पश्चात् एक केन्द्रीय दल ने, जिसमें भारत सरकार के अधिकारी शामिल थे, राज्य के मुख्यालयों का दौरा किया जिससे कि विचार-विमर्श करके कृषि प्लान स्कीमों के लिए एक समन्वित कार्यक्रम बनाने में राज्य सरकार की सहायता की जा सके।

केन्द्रीय दल की रिपोर्ट परिचारित की गई है तथा वर्ष की अवधि में दल की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए केन्द्र तथा राज्यों के सम्बन्धित विभागों द्वारा कदम उठाये जायेंगे।

मध्य प्रदेश में सामुदायिक विकास खण्डों के लिए रेडियो सेट

4870. **श्री गा० शं० मिश्र** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के आरम्भ से मध्य प्रदेश में सामुदायिक विकास खण्डों में कितने रेडियो सेट बांटे गये हैं; और

(ख) उनमें से कितने चालू हालत में हैं और पिछड़े आदिम जाति लोगों तथा उन्नत नगरीय वर्ग के बीच इस संचार साधन को बनाये रखने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) व (ख) : राज्य सरकार से जानकारी मांगी गई है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

फसल के अनुमान

4872. **श्री यज्ञदत्त शर्मा** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का राज्य स्तर पर विभिन्न राज्यों में विश्वासनीय फसल के आंकड़े इकट्ठे करने के लिये अपना कोई अभिकरण है अथवा क्या वह राज्य सरकारों के आंकड़ों पर निर्भर करती है;

(ख) क्या सरकार का विभिन्न कृषि उत्पादनों जैसे गेहूँ, चावल, 'मिलेट', ज्वार तथा बाजरे की उत्पादन लागत का पता लगाने के लिये भी कोई अभिकरण है; और

(ग) उत्पादन लागत का पता लगाने के मुख्य मापदण्ड क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय द्वारा प्रकाशित क्षेत्र तथा विभिन्न उपजों के अनुमान प्रायः राज्य सरकारों द्वारा दी गयी सूचनाओं पर आधारित होते हैं। क्षेत्रों अनुमान कुछ राज्यों में तो खेत-खेत की गिनती के आधार पर किया जाता है और कुछ राज्यों में नमूने के आधार पर। उपज के अनुमान राज्य सरकार की एजेन्सियों द्वारा किये गये फसल-कटाई के प्रयोगों पर आधारित होते हैं। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण निदेशालय का सांख्यिकी विभाग-तकनीकि निर्देशन, समन्वय तथा राज्य सरकार द्वारा फसल-कटाई के प्रयोगों की देखभाल का उत्तरदायी होता है।

(ख) न केन्द्रीय सरकार और न ही राज्य सरकार के पास विभिन्न कृषि-फसलों की उपज पर आने वाले व्यय का निर्धारण करने का कोई अच्छा प्रबन्ध है। किन्तु फिर भी फार्म-प्रबन्ध-अनुसंधान, खेती की कीमत के विषय में की गयी छानबीन, फार्म रिकार्ड योजना इत्यादि से

तदर्थ रूप में, विशेष क्षेत्रों से इकट्ठी की गई सामग्री कुछ फसलों की उपज-खर्च का कुछ विवरण देते हैं ।

(ग) उपज-खर्च का अनुमान लगाते समय उसके विभिन्न अवयव यथामानव एवं पशु (बैल) श्रम, खेत का किराया, उत्पत्ति के साधनों ह्रास, ब्याज तथा अन्य विभिन्न व्यय जैसे खेत का लगान, सिंचाई का व्यय इत्यादि का ध्यान रखा जाता है । भिन्न-भिन्न मूल्यों के मूल्यांकन तथा वितरण में प्रयुक्त सिद्धांतों का विस्तृत वर्णन उन रिपोर्टों में दिया जाता है, जिनमें इन प्रयोगों के परिणाम प्रकाशित होते हैं ।

Area of Land under Gram Samaj, Cooperative Socities and Forest Department in U. P.

4873. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the area of land under the control of Forest Department, Gram Samaj, Cooperative Socities and the area lying barren in Uttar Pradesh; and

(b) the names of districts in which such land was allotted to landless farmers and ex-servicemen for agriculture during the last three years and the total area of land so allotted ?

Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde): **(a) and (b)**: The information is being collected from the Government of Uttar Pradesh and will be placed on the Table of the Sabha as soon as possible.

Land under control of Custodian in Bulandshahr

4874. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the area of land which was under the Custodian in District Bulandshahr, Tehsil Khurja and Chhatri and Mot Tehsil of Mathura and the names of the owners to whom this land has been allotted ;

(b) the area of land allotted to ex-servicemen and the names of the owners of the remaining area ; and

(c) the area of land which has been allotted to landless persons and ex-servicemen, separately, since 1963 ?

Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Coop. (Shri Annasahib Shinde) : **(a) to (c)**: The information is collected from the Government of U. P. and will be laid on the Table of the Sabha as soon as possible.

औद्योगिक सम्बन्धों के बारे में राष्ट्रीय श्रम आयोग का मत

4875. **डा० रानेन सेन :** **श्री वासुदेवन नायर :**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय श्रम आयोग द्वारा पश्चिमी क्षेत्र में औद्योगिक सम्बन्धों के विषय में गठित किये गये अध्ययन दल ने एक सामूहिक सौदे के बारे में छह सूत्रीय योजना प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो योजना में दिये गये छह सूत्र क्या हैं; और

(ग) सरकार की उसके बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री हाथी) : (क) जी हाँ ।

(ख) वे इस प्रकार हैं :–

(1) भारतीय मजदूर संघ अधिनियम, 1926 में गुण-निर्देशन की व्यवस्था द्वारा संघवाद का ऊँचा स्तर सुनिश्चित करना ।

(2) नियोजकों और श्रमिकों दोनों ही द्वारा अनुचित श्रमरीतियाँ बर्तने के सम्बन्ध में कानूनी निर्देशन तथा ऐसी अनुचित रीतियों के विरुद्ध कानूनी मंजूरी ।

(3) सौदेकारी की एक नाम एजेन्सी का एक प्रतिनिधित्व स्थापित करके सामूहिक सौदाकारी को प्रोत्साहन देना और नियोजक तथा एकमात्र सौदाकारी ऐजेंसी के बीच सद्-भाव से सौदाकारी पर जोर देना ।

(4) शिकायत प्रक्रिया का निर्माण ।

(5) सौदाकारी (क्षेत्र-औद्योगिक, व्यावसायिक, कारखाना-वार, इत्यादि) तथा प्रत्येक क्षेत्र से संबन्धित मामलों के बारे में सौदाकारी के मानकों की व्यवस्था करना ।

(6) संबन्धित पक्षों को विभिन्न प्रकार की सेवाओं जैसे कि शिक्षा, अनुसंधान, मध्यस्थता, समझौता, पंच निर्णय को उपलब्ध कराना । यह आवश्यक नहीं कि यह कानून के अधीन किया जाय बल्कि इनकी व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि वे वास्तविक सेवायें बन जाएँ और जब पक्षों को इन सेवाओं की आवश्यकता पड़े तो वे अपनी आवश्यकता के अनुसार इन्हें प्राप्त कर सकें ।

(ग) अध्ययन दल की राष्ट्रीय श्रम आयोग को और न कि सरकार को, विचारार्थ प्रस्तुत कर दी गई है । सरकार आयोग की सिफारिशें प्राप्त होने पर ही इस मामले पर विचार करेगी ।

सुपर बाजार में वस्तुओं का उधार बेचा जाना

4876. **श्री विश्वनाथ मेनन :** **श्री प० गोपालन :**
श्री ई० के० नायनार : **श्री सत्य नारायण सिंह :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुपर बाजारों में उपभोक्ताओं को उधार वस्तुएँ बेचने का सरकार का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसी योजना बनाने के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है; इसके अतिरिक्त, सुपर बाजारों को चलाने वाली उपभोक्ता सहकारी समितियों से इस बात की अपेक्षा नहीं की जाती है कि वे इस प्रकार के व्यापारिक प्रबन्ध के बारे में सरकार से पूछें ।

(ख) व (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन प्रादेशिक सम्मेलन

4877. **श्री चेंगलराया नायडू :** **श्री अम्बुचेजियान :**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सितम्बर, 1968 में, अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का एक विशेष क्षेत्रीय सम्मेलन होगा; और

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में किन-किन विषयों पर चर्चा की जायेगी ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री हाथी) : (क) अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का छठा एशियाई प्रादेशिक सम्मेलन 2 से 14 सितम्बर, 1968 तक टोकियो में होगा ।

(ख) इस सम्मेलन में निम्नलिखित विषयों पर विचार-विमर्श होगा :–

(1) महा-निदेशक की रिपोर्ट ।

(2) समाज सुरक्षा : प्रवृत्ति और समस्याएं ।

(3) विशेषकर कार्मिक नीतियों और रीतियों के सम्बन्ध में प्रबन्ध विकास ।

(4) एशियाई जनशक्ति योजना का पुनरीक्षण ।

खाद्यान्न का आयात

4879. **श्री रा० बरुआ** **श्री बेदव्रत बरुआ :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मन्त्री के हाल में ही प्रकाशित वक्तव्य के अनुसार सरकार का विचार आगामी तीन वर्षों में खाद्यान्न का आयात पूर्णतया बन्द कर देने का है ;

(ख) यदि हां, तो ये अनुमान किन ठोस आधारों पर आधारित हैं;

(ग) क्या उनके वक्तव्य को ध्यान में रखते हुए खाद्यान्न का उत्पादन बनाये रखने तथा इसको बढ़ाने के लिये कोई आगे का कार्यक्रम बनाया गया है; और

(घ) क्या इस मामले में विभिन्न राज्य सरकारों ने कोई उत्साह और व्यापारिक रवैये का प्रदर्शन किया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) नवीनतम अनुमान के अनुसार मौसम सामान्य रहने पर 1970-71 में अनाज के मामले में आत्म-निर्भर होने की सम्भावना है तथा उसके पश्चात् हमारे पास आवश्यकता से अधिक अनाज हो जाने की सम्भावना है । जैसे कि पहले घोषणा की जा चुकी है, 1970-71 के पश्चात् रियायती आयात बन्द किया जायेगा तथा केवल वाणिज्यिक आधार पर अथवा बहुत ही कम उत्पादन वाले वर्षों में अनाज का आयात किया जायेगा ।

(ख) यह अनुमान अनाज की वर्त्तमान उत्पादन दर तथा विशेषकर अधिक उपज देने वाली किस्में बोना आरम्भ करने में मिली सफलता तथा उसके लिये किसानों द्वारा दर्शाये गये अच्छे रवैये पर आधारित है । उत्पादन में वृद्धि की वांछित दर प्राप्त करने के लिये चौथी पंचवर्षीय योजना में

आवश्यक कार्यक्रम बनाये जा रहे हैं। अनाज के रक्षित भण्डार के कारण आयात करने की आवश्यकता कम करने में सहायता मिलेगी।

(ग) और (घ) कृषि विक्रय के लिये ऐसी नई नीति अपनाई गई है जिसमें अधिक उपज वाली किस्मों सम्बन्धी कार्यक्रम, कई फसलें उगाना, गहन कृषि के लिये लघु सिंचाई कार्य, उर्वरकों तथा कीटनाशी औषधियों जैसी वस्तुओं की व्यवस्था करना, समय पर तथा उदारतापूर्वक ऋण देने की व्यवस्था जिसमें संस्थाओं के लिए वित्त पोषण का काम शामिल है, किसानों की शिक्षा तथा प्रशिक्षण और अनुसंधान संबर्द्धन शामिल हैं। ऐसी आशा की जाती है कि इस कार्यक्रम को क्रियान्वित करने में राज्य सरकारें पूर्ण रूप से सहयोग देंगी।

डाक तथा तार विभाग के पुनर्गठन के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश

4880. **श्री सु० कु० तापड़िया :** **श्री पी० विश्वम्भरन :**

क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक तथा तार विभाग के पुनर्गठन के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों पर सरकार ने अन्तिम निर्णय कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा स्वीकार की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो अन्तिम निर्णय कब तक किया जायेगा ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क), (ख) तथा (ग)—डाक-तार के लिए प्रशासन सुधार आयोग द्वारा गठित कार्यकारी दल ने प्रशासन सुधार आयोग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। आयोग की सिफारिशें अभी तक डाक-तार विभाग को प्राप्त नहीं हुई हैं।

गोआ में नदी तट पर अयस्क के लदान के स्थान

4882. **श्री इरास्मो डी० सेक्वीरा** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार के अनुसार गोआ में नदी तट पर अयस्क के लदान के स्थान न तो खान अधिनियम के अन्तर्गत आते हैं और न ही कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत आते हैं ; और

(ख) यदि हाँ, तो उन स्थानों के कर्मचारियों पर कौन से श्रमिक कानून लागू होते हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री हाथी): (क) जी हाँ, जहाँ तक खान अधिनियम, 1952 का सम्बन्ध है। जहां तक कारखाना अधिनियम, 1948 की प्रयोज्यता का प्रश्न है, गोआ, दमन और दीव सरकार द्वारा इस मामले पर विचार किया जा रहा है।

(ख) रोजगार के दौरान और उसके कारण हुई दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु या लगने वाली चोट के लिए कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के अन्तर्गत श्रमिक मुआवजे का दावा कर सकते हैं।

गोआ में डाक-तार विभाग में समाविष्ट कर्मचारियों को पेंशन का आंशिक भुगतान

4883. **श्री इरास्मो डी० सेक्वीरा :**

क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोआ में डाक-तार विभाग में समाविष्ट कर्मचारियों को पेंशन का आंशिक भुगतान करने के आदेश जारी कर दिये गये थे और यदि हां, तो आदेश की क्या तारीख थी तथा किस सीमा तक भुगतान स्वीकृत किया गया है ;

(ख) तब से कितने पेंशन के मामलों को अन्तिम रूप दिया गया है और कितने मामले अभी भी विचाराधीन हैं ;

(ग) क्या उक्त आदेश के अनुसार भुगतान रोक दिया गया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(घ) विचाराधीन मामलों को शीघ्रता से निबटाने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

संसद कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी हां, 29 जून, 1967 को आदेश जारी किए गए थे तथा इन आदेशों के अन्तर्गत दी जाने वाली पूर्वानुमानित पेंशन की राशि पेंशन मंजूर करने वाले प्राधिकार द्वारा प्रमाणित पेंशन की 75 प्रतिशत थी ;

(ख) 31 अनिर्णीत मामलों में से अन्तिम निर्णय किये जाने तक 30 मामलों में पूर्वानुमानित पेंशन मजूर कर दी गई है । शेष एक मामले में, जिसमें सम्बन्धित अधिकारी जून, 1968 में सेवा निवृत्त हुआ है, पूर्वानुमानित पेंशन के शीघ्र आदेश दे दिये जायेंगे ।

(ग) उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित आदेशों की अवधि 28 जून, 1968 को समाप्त हो गई थी और इस अवधि को 28 जून, 1969 तक बढ़ाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं ।

(घ) इन मामलों में पेंशन देने सम्बन्धी नियमों की व्याख्या के बारे में लेखा-परीक्षा विभाग और सम्बन्धित कार्यालयों के प्रशासन में मतभेद है । इन मतभेदों को शीघ्र दूर करने के लिए भरसक प्रयत्न किए जा रहे हैं ।

केन्द्रीय सूखा क्षेत्र अनुसंधान संस्था, जोधपुर

4884. **श्री पी० राममूर्ति :** **श्री भगवान दास :**
श्री सत्यनारायण सिंह :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सूखा क्षेत्र अनुसंधान संस्था, जोधपुर के कर्मचारियों को वेतन, छुट्टी तथा उनको स्थायी बनाये जाने के मामलों में नेशनल डेरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, करनाल के कर्मचारियों के समान ही सुविधायें प्राप्त हो रही हैं ;

(ख) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि सेन्ट्रल एरिड़जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्राधिकारियों ने मई, 1968 में कर्मचारियों को एक लिखित आश्वासन दिया था कि वे इस मामले पर खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय से विचार विमर्श करेंगे ;

(घ) यदि हाँ, तो क्या इस मामले को उनके मंत्रालय को सौंपा गया था और क्या उन्होंने इसकी जांच की थी ; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) केन्द्रीय मरूभूमि अनुसंधान संस्थान जोधपुर के श्रेणी I, II, III तथा IV के कर्मचारियों के वेतन, छुट्टी तथा स्थायी करने के बारे में वही सुविधायें प्राप्त हैं जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधीन अन्य संस्थानों में काम कर रहे उसी श्रेणी के कर्मचारियों को उपलब्ध हैं। इनमें राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान करनाल भी शामिल है।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

(ग) संभवतः इसका संबन्ध संस्थान में दैनिक आधार पर कार्य करने वाले श्रमिकों से है। संस्थान में कार्य करने वाले श्रमिकों की मांगों पर विचार करने के लिए पहली जून 1967 को जोधपुर के कलक्टर की उपस्थिति में केन्द्रीय मरूभूमि अनुसंधान संस्थान के श्रमिक संगठन के प्रतिनिधियों और श्रमिक कानून लागू करने वाले अधिकारी (c) जोधपुर के बीच विचार विनिमय हुआ। संगठन के प्रतिनिधियों ने मांग की कि सब काम करने वालों को स्थायी बना दिया जाय। निर्देशक ने उनको बताया कि ऐसा करना संभव नहीं है और संस्थान की आवश्यकता के अनुसार उन्हें स्थायी नौकरी प्रदान करने का भरसक प्रयत्न किया जाएगा।

(घ) जी हाँ।

(ङ) केन्द्रीय मरू भूमि अनुसंधान संस्थान जोधपुर में मजदूरों के 50 पद स्थायी बनाए जाने के बारे में निर्णय कर लिया गया है।

पश्चिम बंगाल में साझीदारों की बेदखली

4885. **श्री काशी नाथ पांडेय** :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल किसान सभा के महामन्त्री ने हाल ही में यह आरोप लगाया है कि पुलिस तथा कुछ अधिकारियों की सांठगाठ से इस राज्य में बटाई पर खेती करने वालों की बड़े पैमाने पर बेदखली की जा रही है ;

(ख) क्या सरकार ने इस बारे में कोई जांच की है ;

(ग) यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला है ; और

(घ) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (घ) : बटाई पर खेती करने वाले लोगों की बड़े पैमाने पर बेदखली के सम्बन्ध में पश्चिम बंगाल सरकार को कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। जिन छुटपुट मामलों की सूचना मिली है, उनके सम्बन्ध में कानूनी कार्यवाही की जा रही है। जुलाई, 1968 के उत्तरार्ध में पश्चिम बंगाल की किसान सभा के महामन्त्री, भूमि तथा लगान विभाग, पश्चिम बंगाल के सचिव को मिले थे और उन्होंने पश्चिम बंगाल में बटाई पर खेती करने वाले लोगों की बड़े पैमाने पर बेदखली की जाने का आरोप लगाया था। उन्होंने इसमें पुलिस तथा कुछ अन्य अधिकारियों के बीच साठगांठ होने का भी आरोप लगाया था। महामन्त्री को विशिष्ट मामले बताने के लिये कहा

गया था, परन्तु वह 24 परगना जिले में काकद्वीप पुलिस स्टेशन के बुद्धाखाली अंचल में स्थित तीन देहातों अर्थात राजनगर, श्रीनाथ ग्राम—फतीकपुर तथा बिशलक्षमीपुर को छोड़कर अन्य कोई विशिष्ट उदाहरण प्रस्तुत नहीं कर सके। यह मामला 24 परगना के कलेक्टर को भेजा गया था और उससे कहा गया था कि इस सम्बन्ध में तत्काल कार्यवाही की जाए। स्थानीय सब-डिवीजनल अधिकारी ने सूचना दी है कि सभी मामले बटाई पर खेती करने वालों की बेदखली से सम्बन्धित नहीं थे। उन देहातों में सरकार ने लगभग 500 एकड़ भूमि अपने कब्जे में ले ली थी, क्योंकि वह भूमि भूतपूर्व जमीनदारों तथा बड़े बड़े जोतदारों के लिए निर्धारित सीमा से अधिक थी। यह भूमि स्थानीय भूमिहीन किसानों में बांट दी गई थी। फिर भी भूतपूर्व मालिकों ने नये आंवटियों के लिये, जो शान्तिपूर्ण ढंग से भूमि पर कब्जा किए हुए थे, कठिनाइयां पैदा करने की कोशिश की थी। स्थानीय अधिकारियों ने तत्काल कार्यवाही करके इस प्रकार के प्रयत्नों को निष्फल कर दिया है और अब वहां के किसान उस भूमि पर शान्तिपूर्ण ढंग से कब्जा किए हुए हैं।

Price of Rationed Wheat in Delhi.

4886. **Shri Bharat Singh Chauhan :**
Shri Atal Bihari Vajpayee :
Shri Bal Raj Madhok :
Shri Sharda Nand :
Shri Ram Gopal Shalwale :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the estimated amount of administrative expenditure per quintal of wheat taken into account while determining the Price of rationed wheat in Delhi and the amount realised on that account ;

(b) the actual administrative expenditure incurred on the rationing system and how it was met ; and

(c) in case the actual expenditure was less than the receipts, how the excess amount was spent by Government ;

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) Rs. 2/-per quintal ; Rs. 176 lakhs were realised on wheat, wheat products and rice upto March, 1968.

(b) Rs. 89. 76 lakhs on the Rationing Department of Delhi Administration. This amount has been set off against the amount indicated at (a) above.

(c) The current expenditure of the Rationing and Civil Supplies Department of Delhi Admn. is being met from the excess receipts. The collection of rationing cost has been stopped since April, 1968-

Demurrage on Unloading of Foodgrains and Fertilizers

4887. **Shri Bharat Singh Chauhan :**
Shri Atal Bihari Vajpayee :
Shri Sharda Nand :
Shri Ram Gopal Shalwale :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the amount of demurrage to be paid in foreign currency on account of the delay in unloading of foodgrains and fertilizers at various ports of the country during the months of May, 1968 to July, 1968 ; and

(b) the reasons for delay in unloading and the steps proposed to be taken by Government to remove them ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) The demurrage which will become payable on the vessels referred to will be known only after the time sheets for these vessels are finalised by our Supply Missions in Washington and London. This normally takes about three months.

(b) The main reasons for incurring demurrage, whenever it occurs, are heavy arrivals, congestion of vessels at the ports and consequent waiting for berths, interruptions of work by rain, seasonal labour shortage, damaged cargo on some of the vessels, which leads to slow discharge, closure of minor ports during the monsoons, leading to pressure on other ports etc.

All possible steps have been taken by the Government to unload foodgrains and fertilisers from vessels as quickly as possible, with a view to avoiding/reducing demurrage. These steps **inter alia** include :

(i) Acceleration of discharge and clearance of cargo to the maximum extent possible.

(ii) Diversion of vessels to the extent feasible from more congested ports to less congested ports.

(iii) Adjustment of import programme so as to avoid bunching of ships as far as possible.

खाद्यान्नों को भण्डारों में रखने, उतारने चढ़ाने तथा एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने में होने वाली हानि सम्बन्धी समिति

4888. **श्री नायनार :** श्री के० एम० अब्राहम :
श्री सत्य नारायण सिंह :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्यान्नों के भण्डार करने, उतारने चढ़ाने तथा मार्ग में हानि संबंधी समिति कब स्थापित की गई थी;

(ख) इस समिति द्वारा अपना प्रतिवेदन कब तक दिये जाने की सम्भावना है; और

(ग) क्या प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) :

(क) फसल की कटाई के बाद अनाज को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने से अनाज की हानि सम्बन्धी समिति 26 माई, 1966 को स्थापित की गई थी ।

(ख) इस समिति द्वारा अपना अन्तिम प्रतिवेदन शीघ्र ही दिये जाने की सम्भावना है ।

(ग) प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये छः महीने की समय-सीमा निर्धारित की गई थी ।

S.T.D. Service between Delhi and Madras/Bombay/Calcutta

4889. **Shri Mohan Swarup**: Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government propose to draw up a scheme to provide the facilities of "subscriber's trunk dialling service" from Delhi to Bombay, Madras, Calcutta and other prominent cities ; and

(b) the time by which this scheme would be implemented and the details thereof ?

Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) Yes.

(b) For providing subscriber trunk dialling facilities from Delhi to Bombay, Madras and other prominent cities the installation of trunk automatic exchanges at Delhi, Bombay and Kanpur are already in progress. The trunk automatic exchange at Madras has been cutover and Bangalore-Madras route is working through this. Equipment for trunk automatic exchange at Calcutta has also been ordered on M/s. Indian Telephone Industries. The long distance circuits required at the time of cutover of the trunk automatic exchanges are available but for meeting the growth of STD traffic in subsequent years, a number of microwave/coaxial schemes have been planned; equipment for which has to be imported. There is likely delay in providing these circuits owing to the difficulties in obtaining foreign exchange.

गत साधारण निर्वाचनों के बारे में मुख्य निर्वाचन आयुक्त की रिपोर्ट

4891. **श्री सिद्देय्या :**

क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) साधारण निर्वाचन, 1967 के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट में मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा की गई महत्वपूर्ण सिफारिशें क्या हैं; और

(ख) क्या उनमें से कोई अभी तक कार्यान्वित की गई हैं ?

विधि उपमंत्री (श्री मोहम्मद यूनुस सलीम):

(क) चौथे साधारण निर्वाचन, 1967 के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट में मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा की गई मुख्य सिफारिशों का संक्षेप सदन के पटल पर रखा जा रहा है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1824-68]

(ख) जी नहीं ।

टेलीफोन ट्रंक एक्सचेंज कार्यालय का धरवार ले जाया जाना

4892. **श्री जगन्नाथ राव जोशी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टेलीफोन ट्रंक एक्सचेंज कार्यालय को हुबली (मैसूर राज्य) से धरवार ले जाये जाने की लोगों ने मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त एक्सचेंज के स्थानान्तरण का सरकार का विचार है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) मैसूर सर्कल के पोस्टमास्टर जनरल को श्री वाई० एच० पाटिल, सदस्य, विधान परिषद्, मैसूर से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था ।

(ख) जी, नहीं ।

Refugee Project in Betul District, Madhya Pradesh.

4893. **Shri Jagannath Rao Joshi :** **Shri Bansh Narain Singh :**
Shri Atal Bihari Vajpayee :

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that two families are accommodated in a 10' x 12' room in the Refugee Project near Shahapur in Betul District of Madhya Pradesh and the value of this thatched hut has been fixed at Rs. 2000, and this amount has been shown as loan advanced to them for the value of each hut ;

(b) whether it is also a fact that no arrangements have been made for the education of their children in the aforesaid project or for the irrigation of their agricultural land or for providing approach roads from Shahapur to this Project ;

(c) whether it is also a fact that Government have received a Memorandum regarding the numerous difficulties being faced by the refugees settled here ; and

(d) if so, the action taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri D. R. Chavan) : (a) 376 twin huts consisting of two rooms which are separate except for a common wall, each measuring 12' - 6 3/4" x 15', have been constructed at Chopna I, II and III, Hirapur I and II; Punji and Kolia in Betul Rehabilitation Project in Madhya Pradesh. A verandah 6' wide is also attached to each of the huts at Hirapur I and II, Punji and Kolia. Only one migrant family from East Pakistan is accommodated in a room of the above-mentioned size, two such families are thus accommodated in each set of these twin huts. An expenditure of Rs. 7.25 lakhs is reported to have been incurred by the Government of Madhya Pradesh on the construction of the 376 twin huts. On an average, the cost of each set of twin huts works out to about Rs. 1,930/-, i.e. Rs. 965/- per family. According to the policy followed by Government in all Rehabilitation Projects, this amount would entirely be treated as a loan to the migrant families concerned.

(b) For education of the migrant children, the Government of India have sanctioned an expenditure of about Rs. 1.00,000/- for setting up of six primary schools and two middle schools in this Project area. Besides, a sum of about Rs. 88,000/- has so far been sanctioned by way of stipends to 183 children of the new migrants in Betul for continuance of their studies at Betul and at Mana.

A sum of Rs. 6,02,600/- has been sanctioned for the construction of an approach road from Barbatpur to Betul Rehabilitation Zone.

A scheme for an irrigation project consisting of Bichwa Canal, Latia Reservoir, etc. was drawn up by the Government of Madhya Pradesh for providing irrigation facilities in this Project area. The scheme has been examined by the technical experts of the Government of India and thereafter, the State Government have been requested to revise the scheme in the light of observations made by the Government of India's technical experts. The revised scheme is awaited from the State Government, who have been reminded.

(c) and (d) : A few representations have been received from the new migrants in Madhya Pradesh including those residing in Betul Project, praying for the supply of rice at subsidized rate, continuance of maintenance grant, arrangements for schools, providing of approach road, etc.

Sanction has already been issued to the grant of maintenance assistance as grant at full cash dole rate, and supply of rice/wheat ration at subsidized rates for six months from 1st June, 1968, to those new migrant agriculturist families who would be cultivating their land for the first time during 1968-69.

For the new migrant agriculturist families who had already participated in the cultivation of land during the previous years, only maintenance loan at full cash dole rates has been sanctioned for the aforesaid period ; they are not eligible for drawal of rations at subsidized rate.

As regards arrangements for schools, etc., the position has been stated against part (b) of this Question.

केन्द्रीय पौध संरक्षण तथा भांडागार केन्द्र, धारवाड़

4894. **श्री जगन्नाथ राव जोशी :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने मैसूर राज्य में धारवाड़ में एक पौधा संरक्षण तथा भांडागारण केन्द्र स्थापित किया है ;

(ख) इसे धारवाड़ में स्थापित किये जाने के क्या कारण हैं तथा इस पर कुल कितना धन खर्च हुआ है; और

(ग) क्या यह भी सच है कि अब उसे बन्द कर दिया गया है और यदि हां, तो उसे बन्द किये जाने के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) सम्पूर्ण देश को कृषि-जलवायु सम्बन्धी 14 प्रदेशों में विभाजित किया गया है और धारवाड़ का क्षेत्र उनमें से एक है । राज्य सरकार के परामर्श से 1957 में धारवाड़ का केन्द्र खोला गया जिससे कि जब तक राज्य सरकार के संसाधनों का विकास होता है तब तक तकनीकी कार्यकर्ताओं, पौधा संरक्षण यंत्रों, कीटों और रोगों के प्रसार पर नियंत्रण पाने के लिये कीट नाशकों और वाहनों आदि द्वारा उसकी सहायता की जा सके । व्यय की कुल राशि केवल 8 लाख रुपये थी ।

(ग) धारवाड़ का यह केन्द्र 8-8-1968 से बन्द कर दिया गया है, क्योंकि धारवाड़ के लिये मैसूर सरकार के कृषि विभाग के पास अब प्रशिक्षित व्यक्तियों, पौधा संरक्षण उपकरणों और कीट-नाशकों का उपयुक्त एवं पर्याप्त प्रबन्ध है ।

Artificial Insemination of Cows and Buffaloes.

4895. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the number of cows and buffaloes impregnated, Statewise, through artifical insemination in the year 1967-68 ;

(b) whether it is a fact that the cases in which buffaloes were impregnated through the said method in the months of summer proved unsuccessful ; and

(c) if so, the reasons therefor ?

Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib P. Shinde) : The requisite information is being collected from the State/Union Territories and will be placed on the Table of the Sabha in due course.

Delhi Zoo:

4896. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) the causes of ill-health of the inmates of the Delhi Zoo ;

(b) whether one of the causes thereof is the inadequate and inferior quality of food being served to them ;

(c) whether the quantity of the food earmarked for the inmates of the Zoo is misappropriated by the Zoo employees ; and

(d) if so, the steps being taken by Government to improve the situation ?

Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib P. Shinde) : (a) The animals of the Delhi Zoo occasionally suffer from various illnesses such as entrities. pneumonia, colic, injuries etc. which are considered to be natural and normal illnesses in a Zoo. The animals of the Delhi Zoo, however, in general enjoy good health. All quarantine and prophylectic measures are taken throughout the year.

(b) No, Sir. The diet schedule of each animal is fixed by a Committee including the Veterinary Officer, in consultation with the diet charts prevalent in various foreign zoos, etc. To ensure that good quality food is given it is inspected daily by the Veterinary Officer and frequently by the Director himself in the kitchen and also in the field.

(c) No. Sir. The food earmarked for the inmate of the zoo is given to the animals in the presence of some responsible member of the staff such as Zoo Ranger, Head Keeper etc. so as to prevent misappropriation.

(d) In view of (c), the question does not arise.

Foodgrains lying in wet condition in Mandis and Railway Stations in Punjab

4897. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the quantity of foodgrains lying in wet condition in mandis and Railway Stations in Punjab at present ;

(b) whether it is a fact that some wet grain has been stored alongwith dry grain endangering the entire getting damaged ; and

(c) the use Government propose to make of the wet grain ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb P. Shinde): (a): No foodgrains are lying in wet condition in the mandis or Railway stations in Punjab and Haryana.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

भारतीय खाद्य निगम को हानि

4898. **श्री क० कृ० नायर :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1968 से 15 जुलाई, 1968 तक रबी की फसल के खाद्यान्न को क्षति होने के कारण भारतीय खाद्य निगम को कितने रुपये की हानि हुई;

(ख) यह हानि किन कारणों से हुई है; और

(ग) भविष्य में ऐसी हानि न होने देने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) भारतीय खाद्य निगम द्वारा रबी की फसल के कुछ अनाज को लाने ले जाने में अधिकतर क्षति जून और जुलाई में हुई थी। चूंकि वर्षा से खराब हुए अनाज को सुखाने का काम अभी पूरा नहीं हुआ है, इसलिये अन्य प्रकार से प्रयोग में आ सकने वाले, अर्थात् पशुओं और कुक्कटों आदि के काम आ सकने वाले अनाज को अभी तक पूरी तरह बेचा नहीं गया है तथा वर्षा के कारण खराब हुए अनाज के सम्बन्ध में खाद्य निगम द्वारा रेलवे पर किये गये दावे पर अभी निर्णय नहीं किया गया है। इस समय यह अनुमान लगाना सम्भव नहीं है कि खाद्य निगम को रबी की फसल के अनाज के कारण हुई क्षति से कितनी वित्तीय हानि हुई है।

(ख) इस सभा में 1 अगस्त, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 258 के उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित कराया जाता है।

(ग) भविष्य में ऐसी क्षति न होने देने के लिये निम्नलिखित उपाय या तो किये जा चुके हैं अथवा किये जा रहे हैं :—

(एक) आवश्यकता से अधिक अनाज पैदा करने वाले क्षेत्रों में कुछ समय तथा अधिक समय तक अनाज संग्रह रखने की क्षमता को बढ़ाया जा रहा है।

(दो) अनाज के लिये खुले मालडिब्बों का प्रयोग पहले ही यथा सम्भव बन्द कर दिया गया है तथा भविष्य में भी ऐसे मालडिब्बों का प्रयोग नहीं किया जायेगा।

(तीन) रेलवे प्रशासन ने इस बात का अनुरोध किया है कि जब अनाज के लिये खुले माल डिब्बों का प्रयोग करना नितान्त आवश्यक समझा जाये तो उन पर अच्छी तरह से तिरपालें बान्धी जानी चाहियें जिससे कि वे रास्ते में इधर-उधर न हो सकें और अनाज खराब न होने पाये।

(चार) गन्तव्य स्थान पर माल डिब्बों से माल उतारने तथा अनाज की ढुलाई के बारे में यदि कोई गतिरोध हो तो उसे, जहाँ तक सम्भव हो, होने नहीं दिया जायेगा।

भारत को क्यूबा से तकनीकी सहायता

4899. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि गहन खेती, खोई बनाने, डेरीफार्मिंग आदि क्षेत्रों में क्यूबा ने बहुत प्रगति की है, और

(ख) यदि हां, तो क्या इन मामलों में भारत के लिए क्यूबा से तकनीकी सहायता प्राप्त करने की सम्भावनाओं पर विचार किया जा रहा है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) क्यूबा में इन क्षेत्रों में हुई प्रगति का भारत सरकार ने कोई अध्ययन नहीं किया है।

(ख) जी, नहीं।

सियरसोल कोयला खान

4900. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** **श्री जि० मो० बिस्वास :**
डा० रानेन सेन :

क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सियरसोल कोयला खान, आसनसोल 10 जून, 1968 से बन्द पड़ी है तथा उसके कारण 1400 खनन कर्मचारी बेरोजगार हो गये हैं;

(ख) क्या क्षेत्रीय श्रम आयुक्त से कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है जिसमें कहा गया है कि श्रमिकों के वेतन तथा अन्य देयों की राशि जो 5 लाख रु० है को अदायगी मार्च 1968 से नहीं हुई है ; और

(ग) कोयला खान के फिर से खोलने के बारे में क्या कार्यवाही की है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी नहीं। श्रमिकों को बिना किसी सूचना के 11–6-68 के जबरी छुट्टी दी गई। कोयला खान में सुरक्षा निदेशालय के आदेशानुसार काम बन्द कर दिया गया क्योंकि हालेज इन्जन में कुछ खराबी हो गयी थी। जबरी छुट्टी से लगभग 800 कर्मचारी प्रभावित हुए।

(ख) जी हां। फिर भी, साप्ताहिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को 20-4–68 को समाप्त होने वाले सप्ताह का वेतन तथा 2 नं० 3 के पिट बोर्डरों को 27-4–68 को समाप्त होने वाले सप्ताह का वेतन दे दिया गया है। मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को भी एक मास का वेतन दे दिया गया है।

(ग) कोयला-खान में आवश्यक कर्मचारियों के साथ 26-7-68 को काम शुरू कर दिया तथा 29-7-68 से कोयला निकलना आरम्भ हो गया।

स्टैण्डर्ड वैगन कम्पनी

4901. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको पता है कि एक त्रिपक्षीय समझौते के पश्चात् स्टैंडर्ड वैगन कम्पनी, बूरापुर, में 7 महीने पुरानी तालाबन्दी 6 मई, 1968 को समाप्त की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप केवल उन्हीं कर्मचारियों को, जो निर्धारक द्वारा फालतू पाये जायेंगे, जबरी छुट्टी दी जायेगी;

(ख) क्या यह सच है कि निर्धारक ने केवल 151 कर्मचारियों को फालतू घोषित किया था;

(ग) क्या इसके बावजूद, समझौते की शर्तों का उल्लंघन करके प्रबन्धक सैकड़ों अन्य कर्मचारियों को काम देने से इनकार कर रहे हैं, जिन्हें फालतू घोषित नहीं किया गया; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां।

(ख) निर्धारक द्वारा 150 श्रमिक फालतू घोषित किये गये।

(ग) प्रबन्धकों द्वारा कुल मिलाकर 176 श्रमिकों को काम नहीं दिया जा रहा है, यद्यपि

उन्हें पूरी मजूरी और/या वेतन इस शर्त पर दिया जा रहा है कि वे कम से कम दिन में एक बार कारखाने के द्वार पर हाजिर हो जायें।

(घ) राज्य सरकार की समझौता मशीनरी इन 176 श्रमिकों को प्रबन्धकों से काम दिलाने के लिए कोशिश कर रही है।

विभिन्न राज्यों में कृषि योग्य परती भूमि

4902. **श्री इंद्रजीत गुप्त** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय प्रत्येक राज्य में कितनी कितनी कृषि योग्य भूमि परती के रूप में पड़ी है जिस पर जुताई-बुवाई नहीं हो रही है;

(ख) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल में इस परती भूमि को बुवाई-जुताई के अन्तर्गत लाने के लिये यदि कोई योजना है तो उसका ब्यौरा क्या है, और

(ग) क्या ऐसी बेकार और परती भूमि का भू-स्वामित्व की दृष्टि से वितरण करते समय भूमिहीन तथा गरीब किसानों को प्राथमिकता दी जायेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) इस समय जो कृषि योग्य परती भूमि खाली पड़ी है, जिसपर जुताई-बुवाई नहीं हो रही है, उसका ब्यौरा नीचे दिया जाता है :

भारत में इस समय घोषित परती भूमि के अतिरिक्त अन्य परती भूमि 1964-65

(हजार हेक्टेयर)

राज्य	संघ-राज्य क्षेत्र	वर्तमान घोषित परती भूमि के अतिरिक्त अन्य परती भूमि।
	1	2
	आन्ध्र प्रदेश	811
	आसाम	176
	बिहार	779
	गुजरात	327
	जम्मू तथा कश्मीर	22
	केरल	34
	मध्य प्रदेश	1,086
	मद्रास	609
	महाराष्ट्र	1,085
	मैसूर	548
	नागालैंड	—
	उड़ीसा	127
	पंजाब (ख)	—

राज्य	संघ-राज्य क्षेत्र	वर्तमान घोषित परती भूमि के अतिरिक्त अन्य परती भूमि ।
	1	2
	राजस्थान	2,556
	उत्तर प्रदेश	621
	पश्चिम बंगाल	379
	अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	1
	दिल्ली	—
	गोआ, दमण तथा दीव	—
	हिमाचल प्रदेश (ख)	3
	लक्कादीव, मिनिकाय तथा अमीनदीव द्वीपसमूह	—
	मनीपुर	(क)
	नेफ़ा	—
	पांडिचेरी	1
	त्रिपुरा	4
	अखिल भारतीय	9,168

(क) 500 हेक्टेयर से कम (ख) इस का सम्बन्ध पुनर्गठन से पहले के पंजाब और हिमाचल प्रदेश से है ।

[टिप्पणी : नवीनतम वर्ष 1964-65 के भूमि उपयोग संबंधी आंकड़ों पर आधारित]

(ख) परती भूमि तथा कृषि योग्य बेकार पड़ी भूमि में खेती करने के लिये और उसमें भूमि विहीन खेतिहर मजदूरों के बसाने के लिये राज्य योजनाओं, केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं और कृषि पुनर्वित्त निगम की सहायता से चलने वाले सहकारी भूमि बिकास बैंकों के माध्यम से चलाये जाने वाले विकास कार्यक्रम के अंग के रूप में भी भूमि को खेती योग्य बनाया जा रहा है । प्रायः सभी-राज्यों तथा संघ राज्य-क्षेत्रों में (दिल्ली, चंडीगढ़, और लक्कादीव तथा अमीनदीव द्वीपसमूह) को खेती योग्य बनाने की योजनाएं हैं ।

(ग) जहां तक भूमि का राज्य का विषय होने का सम्बन्ध है, विभिन्न राज्य सरकारों ने विभिन्न वर्गों को बेकार पड़ी भूमि के आवंटन के लिये अपने अपने नियम बनाये हैं । खेती योग्य बेकार पड़ी भूमि के आवंटन के कार्य में भूमिहीन खेतिहर मजदूरों और अलाभकारी जोतों वाले छोटे काश्तकारों को प्राथमिकता दी जाती है ।

Payment of Bonus to Workers of Bihar Cotton Mills (P) Ltd., Phulwari Shariff.

4903. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that bonus has not been paid to the workers and employees of the Bihar Cotton Mills (P) Ltd., Phulwari Shariff (Patna) for the last many years ;

(b) whether it is also a fact that the workers Union of the said Mill have been demanding payment of bonus for the last many years ;

(c) if so, whether Government propose to ensure the payment of arrears of bonus to the workers and employees of the said Mills ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi) : (a) Yes, Sir. Bonus under Payment of Bonus Act has not been paid since 1964.

(b) Yes, Sir.

(c) A proposal to prosecute the management for non-payment of bonus is under the consideration of the Government of Bihar.

(d) Does not arise.

Rights of Agriculturists over Land in Bihar.

4904. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the former S.V.D. Government in Bihar had decided to grant full rights to the agricultural labourers over the land tilled by them, to distribute one lakh acres of government fallow land among the agricultural labourers and abolish land revenue on uneconomic holdings by the 2nd October, 1969, i.e. by Gandhi Jayanti ;

(b) if so, whether Government propose to take any action regarding the implementation of the above decisions ;

(c) if so, the nature thereof ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb P. Shinde): (a) to (d) The information is being collected from the Government of Bihar and will be laid on the table of the Lok Sabha as soon as possible.

प्रसन्ना दत्ता की काजोरा कोयला खान

4905. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रसन्ना दत्ता की काजोरा कोयला खान के प्रबन्धकों ने कोयला खान मजूरी बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार 15 अगस्त, 1967 से दिसम्बर, 1967 तक मजूरी की बकाया राशि की अदायगी कर दी है;

(ख) अभी तक कुल कितनी राशि बकाया है; और

(ग) प्रबन्धकों को बकाया राशि की अदायगी करने पर विवश करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री हाथी) : (क) मैनेजमेंट ने इन सिफारिशों को 27 नवम्बर, 1967 से आंशिक रूप से क्रियान्वित कर दिया है परन्तु 15 अगस्त से बकाया-राशि की अदायगी नहीं की गई है ।

(ख) 68,630/-रु०।

(ग) ये सिफारिशें कानूनन लागू नहीं की जा सकतीं। फिर भी, इन सिफारिशों को क्रियान्वित कराने के लिए मैनेजमेंट को मनाने के लिए अनुनय किया जा रहा है।

कोयला खान मजूरी बोर्ड का पंचाट

4906. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काली पहाड़ी, न्यू धूसिक तथा धूसिक कोयलाखानों के प्रबन्धकों ने कोयला खान मजूरी बोर्ड की सिफारिशें क्रियान्वित की हैं ;

(ख) क्या श्रमिकों को 15 अगस्त, 1967 से लेकर इस पंचाट की क्रियान्विति की तारीख तक की मजूरी की बकाया राशि दे दी गई है; और

(ग) कोयला खान मजूरी बोर्ड के पंचाट के अनुसार मजदूरों को देय राशि में से कितनी राशि बकाया है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) ये सिफारिशें 4 दिसम्बर, 1967 से आंशिक रूप से क्रियान्वित की गई हैं।

(ख) 15 अगस्त से दिसम्बर, 1967 के अन्त तक की बकाया-राशि अदा नहीं की गई है।

(ग) लगभग 75,000/–रु०

Prevention of Soil Erosion by River Sai in Uttar Pradesh

4907. **Shri Nageshwar Dwivedi** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether any scheme has been implemented to check the soil erosion by river Sai in Uttar Pradesh ;

(b) if so, the names of the districts and places therein where the said scheme has been implemented ;

(c) the details in regard to the said scheme when the work under this scheme is likely to be completed and the expenditure being incurred thereunder ;

(d) the percentage of expenditure which is incurred by Government and the percentage of expenditure likely to be borne by the farmers in this regard ; and

(e) whether land consolidation would be done at the places where the said scheme has been or is likely to be implemented ?

Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Coop. (Shri Annasahib P. Shinde): (a) Yes Sir.

(b) Five Soil Conservation Sub-Divisional Units are working in Sai catchment area in Districts of Shahjahanpur, Unao, Raebareli, Pratapgarh and Jaunpur. Work in Hardoi District is proposed to be taken up in 4th Five Year Plan.

(c) Each Sub-Divisional Unit is covering six to seven thousand acres annually. Entire area is proposed to be covered by the end of Fifth Plan. The details of the expenditure being incurred in this regard are not readily available.

(d) 25% of the expenditure on works is subsidised and the rest is being borne by the beneficiaries. Cost of establishment is borne by the State Government.

(e) Eroded areas are usually excluded from consolidation of holding operations.

Development Blocks

4908. **Shri Nageshwar Dwivedi**: Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether any scheme is under way to reduce the number of Development Blocks throughout the country ;

(b) if so, the nature of that scheme and the reasons for reducing the number of Development Block ;

(c) whether it is also a fact that in accordance with the scheme, all the Development Blocks would ultimately be wound up, and if so, by which date ; and

(d) the arrangements made to continue the Development works in the Development Blocks which have been wound up so far ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri M. S. Gurupadaswamy) : (a) No, Sir.

(b). (c) and (d) : Do not arise.

विकास खण्ड

4909. **श्री नागेश्वर द्विवेदी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में ऐसे अनेक विकास खण्ड बन्द कर दिये गये हैं जिनमें विकास कार्य आरम्भिक अवस्था में था और इन विकास खण्डों को बन्द करनें के कारण ऐसे क्षेत्रों में समुचित विकास कार्य के अपूर्ण रहने की सम्भावना है;

(ख) इन विकास खण्डों को बन्द करने के कारण कितनी बचत हुई है;

(ग) क्या ऐसे विकास खण्डों के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को अन्य स्थानों पर नियोजित किया गया है अथवा उनकी छंटनी कर दी गयी है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) से (ग) : उत्तर प्रदेश सरकार से जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

कांडला में गोदाम (साइलो)

4911. **श्री क० लकप्पा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के 1970-71 तक खाद्यान्न के मामले में आत्म-निर्भर होने की संभावना है ; और

(ख) यदि हां, तो कांडला बन्दरगाह पर आयतित खाद्यान्न के रखने के लिये बनाये जा रहे गोदाम (साइलों) को, जिसका निर्माण 1973-74 तक पूरा होने की संभावना है, किस काम के लिये उपयोग किया जावेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) खाद्यान्न के मामले में 1970-71 तक भारत के आत्म निर्भर होने का लक्ष्य है, और

लक्षित उत्पादन तब तक 12 करोड़ मीटरी टन हो जाने की आशा है जिससे मनुष्यों, बीजों तथा पशुओं के चारे आदि की आवश्यकता पूरी हो जायेगी।

(ख) अनाज के मामले में 1970-71 तक व्यापक रूप से आत्म निर्भर होने के बावजूद कुछ समय के लिये गेहूं जैसे विभिन्न किस्मों के अनाज की कमी रहने की सम्भावना है। कांडला के गोदाम का प्रयोग ऐसे अनाज के आयात के लिये किया जायेगा। यह भी आशा की जाती है कि भारत 1970-71 तक मोटे अनाज का निर्यात करने की स्थिति में हो जायेगा। ऐसा अनाज निर्यात करने के लिये कांडला बन्दरगाह बहुत सुविधाजनक होगा। ऐसा निर्यात करने के लिये गोदामों (सिलो) तथा उपकरणों का प्रयोग किया जायेगा। इसके अतिरिक्त चूंकि ऐसे गोदामो (सिलों) में अनाज बिना कठिनाई के अधिक समय तक रखा जा सकता है, इसलिये जब उसका प्रयोग न किया जायेगा तो वह रक्षित भण्डार रखने में काफी सहायता करेगा।

मैसूर में चीनी के कारखाने

4912. **श्री क० लकप्पा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर राज्य में इस समय चीनी के कितने कारखाने हैं; और

(ख) टुमकुर जिले में चीनी के कितने कारखाने हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) इस समय मैसूर राज्य में चीनी बनाने के कारखाने काम कर रहे हैं तथा टुमकुर जिले में कोई भी ऐसा कारखाना नहीं है।

पदत्याग के पश्चात महान्यायवादी का कथन

4913. **श्री अब्दुल गनी डार** : क्या **विधि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस कथन की ओर आकर्षित किया गया है जो भारत के महान्यायवादी द्वारा सरकार को अपना त्यागपत्र देने के पश्चात् किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके प्रति सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

विधि उपमंत्री श्री मुहम्मद यूनुस सलीम : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली उच्च न्यायालय के विधिज्ञ संगम द्वारा आयोजित गोष्ठी में, जिसका विषय न्यायाधीशों की नियुक्ति में विधिज्ञ संगम का योगदान था, महान्यायवादी ने छोटा सा भाषण दिया था। चूंकि भाषण अनपकारी था अत: सरकार की ओर से किसी भी कार्यवाही का किया जाना अपेक्षित नहीं था।

फरीदाबाद में पठान शरणार्थी

4914. **श्री अब्दुल गनी डार** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि न्यू फरीदाबाद टाऊनशिप के पठान शरणार्थी, जो अपने रिहायशी मकानों का किराया कुछ किश्तों में दे चुके थे, लेकिन जो बेरोजगारी के कारण किश्तों का भुगतान जारी नहीं रख सके, को उनके मकानों से जबरदस्ती निकाला गया और उनके परिवारों को अकथनीय मुसीबतों का सामना करना पड़ा है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इन परिवारों के लिए कोई दूसरा प्रबन्ध कर रही है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) सरकार के नोटिस में ऐसे मामले नहीं आये हैं। सभवतः माननीय सदस्य भूत-पूर्व उत्तर पश्चिम सीमाप्रान्त के विस्थापित व्यक्तियों की ओर निदेश कर रहे हैं, जिनको फरीदाबाद टाऊनशिप में सरकार द्वारा निर्मित रिहायशी क्वार्टर किराया-खरीद के आधार पर अलाट किए गए थे। ऐसे मामलों में अलाटी द्वारा देय के भुगतान की लगातार चूक करने पर उसकी अलाटमेंट रद्द कर दी जाती है। यदि किराये इत्यादि के भुगतान में चूक के फलस्वरूप सम्पत्ति नीलाम कर देनी या वेच देनी पड़ती है तो काबिज विस्थापित व्यक्तियों की आगे रक्षा के उपाय के रूप में दो वर्ष के लिए उनकी बेदखली रोक दी जाती है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय मुसलमानों की निष्क्राम्य सम्पत्ति

4915. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के विभाजन के समय सरकार द्वारा अपने अधिकार में ली गई सम्पत्ति कई भारतीय मुसलमानों को, जो भारतीय नागरिक हैं, नहीं लौटाई गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) इस प्रकार के कितने मामलों का सरकार को पता चला है ; और

(घ) इन सम्पत्तियों को उन्हें हस्तान्तरित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी, नहीं। निश्क्रांत सम्पत्ति प्रशासन अधिनियम, 1950 की धारा 16 के अन्तर्गत केवल लगभग 20 आवेदन पत्र शेष हैं जिन पर निश्क्रान्त सम्पत्ति के अभिरक्षकों द्वारा छान-बीन की जा रही है ; उन्हें कहा गया है कि इन मामलों का शीघ्र ही निपटारा कर दिया जाये।

(ख), (ग) **और** (घ) : प्रश्न नहीं उठता।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

4916. **श्री सरजू पाण्डेय** : क्या **श्रम तथा विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विधि मन्त्रालय से इस सम्बन्ध में सलाह ली गई है कि क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को एक 'उद्योग' माना जाय ;

(ख) यदि हां, तो विधि मन्त्रालय ने कब और क्या सलाह दी है ;

(ग) विधि मन्त्रालय की सलाह के अनुसरण में क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री हाथी) : (क) जी हां।

(ख) विधि मंत्रालय के मत में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एक ऐसा 'उद्योग' नहीं है

जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2 (I) के अर्थ के अन्तर्गत आता हो। यह राय श्रम मन्त्रालय को 21 अगस्त, 1968 को प्राप्त हुई है।

(ग) केन्द्रीय सरकार को इस मामले पर कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है। यह राय केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को भेजी जा रही है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

4917. **श्री सरजू पाण्डेय** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्मचारी भविष्य निधि-संगठन के विभिन्न कार्यालयों के कर्मचारियों ने 1967-68 में आन्दोलन किये थे ;

(ख) यदि हां, तो आंदोलन किन किन तिथियों पर हुए ;

(ग) किन किन परिस्थितियों के कारण आन्दोलन हुए ; और

(घ) कर्मचारियों की शिकायतों को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री हाथी) : (क) जी हां।

(ख) पिछले 2 या 3 वर्षों के दौरान विभिन्न अवसरों पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कार्यालय के सामने।

(ग) आन्दोलन का आयोजन कर्मचारी संघों द्वारा किया गया।

(घ) केन्द्रीय न्यासी बोर्ड ने, जो कर्मचारी भविष्य निधि को प्रशासित करता है, अभ्यावेदनों पर विचार किया और उसने यह फैसला किया है कि इस संगठन के कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकार के समतुल्य प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों के समान समझा जायगा।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

4918. **श्री सरजू पांडेय** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित संयुक्त परामर्शदाता समिति में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के प्रतिनिधियों को सम्मिलित नहीं किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या विवादों के निर्णय के लिये स्वयं संगठन में ही प्रबन्धकर्ताओं और कर्मचारियों की एक द्विपक्षीय समिति स्थापित कर दी गई है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और ऐसी समिति कब तक नियुक्त की जाएगी ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री हाथी) : **(क) से** (घ) : केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित की गई संयुक्त सलाहकार मशीनरी केवल केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारी केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी नहीं हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारियों के लिये इसी प्रकार की मशीनरी स्थापित करने का प्रश्न विचाराधीन है।

गोदामों में अनाज की क्षति

4919. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार 'हिल्सा' में सरकारी गोदामों में बीज के लिए रखा गया लगभग 3000 मन गेहूँ तथा चना खराब हो गया है और उसे बुवाई के काम में नहीं लाया जा सकता है ;

(ख) यदि हां, तो इस कारण कितनी हानि हुई है ;

(ग) क्या अन्य स्थानों में भी अनाज को इसी प्रकार क्षति पहुँची है ; और

(घ) यदि हां, तो कहां कहां पर और इस वर्ष कितने मूल्य के अनाज की क्षति पहुंची है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (घ) पूछी गई जानकारी राज्य सरकार से इकट्ठी की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

तुलसीपुर चीनी मिल, उत्तर प्रदेश

श्री वेणी शंकर शमा : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में तुलसीपुर चीनी मिल को जिसकी स्थापना 1933 में हुई थी, एक लाख एकड़ भूमि दी थी जिसमें से केवल 10 प्रतिशत क्षेत्र में गन्ना बोया जाता है ;

(ख) क्या यह सच है कि इस क्षेत्र में सिंचाई के लिये पानी की सुविधायें केवल 6 प्रतिशत हैं जब कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई सुविधायें 30 प्रतिशत हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस क्षेत्र की आधी भूमि नलकूप लगाने के लिये अनुपयुक्त है और यदि हां तो उसके कारण क्या हैं ; और

(घ) इस क्षेत्र का फिर से सर्वेक्षण करने तथा नलकूपों के लगाने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां । तुलसीपुर चीनी मिल के दस मील के अर्ध-व्यास के अन्दर अनुमानत: लगभग 1.00 लाख एकड़ भूमि कृषि योग्य है । इस मिल के आस-पास के क्षेत्र में कम गन्ना बोया गया है ।

(ख) सिंचाई क्षेत्र के संबन्ध में प्रतिशत के ठीक ठीक आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं, परन्तु तुलनात्मक दृष्टि से यह कम हैं ।

(ग) और (घ)इस क्षेत्र के भूमिगत जल संसाधनों का अनुमान लगाने के विषय में कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है । अब उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक भूमिगत जल संसाधन विषयक सैल की स्थापना की जा रही है और इस सैल द्वारा तुलसीपुर चीनी मिल के क्षेत्र की जांच-पड़ताल करने का प्रस्ताव भी है ।

न्यू दिल्ली कोआपरेटिव बैंक, लिमिटेड

4921. **श्री बाल गोविन्द वर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि न्यू दिल्ली कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड, दिल्ली के भूतपूर्व प्रबन्धकों ने बैंक के लाखों रुपयों का दुर्विनियोग, गबन और अनुचित उपयोग किया था ; और

(ख) यदि हां, तो क्या बैंक के लेखों की लेखापरीक्षा करने तथा अपराधियों को दंड देने का सरकार का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) व (ख) : जांच (बम्बई सहकारी समिति अधिनियम, 1925, जो दिल्ली में भी लागू किया गया है, की धारा 43 के अन्तर्गत की गई) करने पर अनेक अनियमितताओं, जिनमें गबन भी शामिल है, का पता चला है। इनमें अन्तर्ग्रस्त व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा दायर कर दिया गया है और अब मामला न्यायालय में है।

छम्ब-जौड़ियां क्षेत्र के पीड़ित लोगों के लिये सहायता कार्य

4922. **श्री सीताराम केसरी** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965 के भारत-पाकिस्तान संघर्ष में छम्ब जौड़ियां क्षेत्र में कुल कितने मकान नष्ट तथा क्षतिग्रस्त हो गये थे;

(ख) पीड़ित लोगों की सहायता के लिये सरकार ने कितने मकान बनाये; और

(ग) इन सहायता कार्यों पर कुल कितना व्यय हुआ ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) अगस्त-सितम्बर, 1965 में हुए भारत पाकिस्तान संघर्ष के अन्तर्गत छम्ब-जौरियां क्षेत्र में 16,869 मकान बरबाद हो गये थे और 2104 मकान टूट-फूट गये थे।

(ख) सरकार द्वारा मकानों का निर्माण नहीं किया गया था, तथापि जुलाई, 1968 के अन्त तक 16,327 बरबाद हुये मकानों तथा 2104 टूटे हुये मकानों के मालिकों को क्रमश: नये निर्माण तथा पुनर्निमाण के लिये वित्तीय सहायता दे दी गई थी।

सहायता उपाय के रूप में तम्बू भी दिये गये थे।

(ग) जुलाई, 1963 तक आवास सहायता पर कुल 4,38,92,871.00 (चार करोड़ अठ-त्तीस लाख बानवे हजार आठ सौ इक्हत्तर) रुपये व्यय किये गये हैं। इसमें दिये गये तम्बुओं का मूल्य सम्मिलित नहीं है।

Influx of Refugees

4923. **Dr. Surya Prakash Puri:** **Shri Shiv Kumar Shastri:**
Shri Ram Awatar Sharma: **Shri Prakash Vir Shastri:**

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether a large number of refugees from other countries have been coming to India for the last three months ;

(b) if so, the names of such countries to which these refugees mostly belong ; and

(c) whether more refugees are likely to pour in from other countries in the near future ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri D. R. Chavan) (a) and (b) :

The number of persons arrived in India from other countries during the three months April, May and June, 1968 is as under :

Burma	3,305
Ceylon	645
East Pakistan	2,813*
Tibet	84

(c) It is not possible to indicate the number of persons who may arrive in future.

Industrial Training Centres in Madhya Pradesh

4924. **Dr. Surya Prakash Puri: Shri Shiv Kumar Shastri: Shri Ram Avatar Sharma:**

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) the number of Industrial Training Centres functioning in Madhya Pradesh as on the 1st April, 1968 ;

(b) the number of seats therein ;

(c) the number of persons trained in different trades during the last five years ; and

(d) the number of such trained persons who have been provided employment opportunities ?

Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi): (a) 23 Industrial Training Institutes.

(b) 9212 in Engineering and Non-engineering trades.

(c) 13609 persons were trained from 1963 to 1967.

(d) Precise information is not available. Employment assistance is provided to persons trained in the Industrial Training Institutes through Employment Exchanges in the normal manner.

खेतिहर मजदूरों की सहकारी समितियां

4925. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार प्रत्येक पंचायत पर यह दायित्व डालने का है कि वह ऐसी सहकारी समितियां बनाए जिनके सदस्य खेतिहर मजदूर तथा वह व्यक्ति हों जिनके पास एक एकड़ से कम भूमि है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) व (ख) : जी, नहीं । यह मामला राज्य सरकारों के विचार करने का है ।

*Figures are reported upto the 15th June, 1968 only, in respect of influx in West Bengal.

बिहार में मध्यावधि निर्वाचन

4926. **श्री बलराज मधोक :** **श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :**

क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में मध्यावधि निर्वाचन कराए जाने की तारीखों के बारे में कोई विनिश्चय किया गया है; और

(ख) क्या ऐसी कोई प्रस्थापना है कि बिहार में मध्यावधि निर्वाचन उत्तर प्रदेश में मध्यावधि निर्वाचन के साथ ही कराया जाए ?

विधि उपमंत्री (श्री मुहम्मद यूनुस सलीम) : (क) जी, हां। अन्तिम रूप से विनिश्चय किया गया है कि बिहार में मध्यावधि निर्वाचन फरवरी, 1969 में कराया जाए।

(ख) जी हां। निर्वाचन आयोग द्वारा प्रस्थापना की जांच की जा रही है।

दिल्ली में पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों का पुनर्वास

4927. **श्री बलराज मधोक** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों के पुनर्वास के लिये दिल्ली में एक बस्ती बनाई गयी है;

(ख) यदि हां, तो वहां शरणार्थियों को कितने प्लाट दिये गये हैं तथा उनमें से कितने प्लाटों पर जुलाई, 1968 तक इमारतें बन चुकी हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि पूर्वी पाकिस्तान के बहुत से शरणार्थियों को जो दिल्ली में बसे हैं, इस बस्ती में प्लाट नहीं मिल सके हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या पूर्वी पाकिस्तान से आये हुए शरणार्थियों को और विकसित प्लाट उपलब्ध करने के लिये कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी, हां। एक रिहायशी बस्ती स्थापित की जा रही है।

(ख) 1362 प्रार्थियों के प्लाट मार्च, 1968 में हुई लाटरी द्वारा निर्धारित किये गये हैं। इन प्रार्थियों को प्रिमियम की दूसरी किश्त तथा चालू वित्तीय वर्ष के अर्ध-वर्ष के भूमि के किराये के भुगतान के सम्बन्ध में जारी की जाने वाली सूचना तैयार की जा रही है। देय राशि के भुगतान के उपरान्त, तथा आवश्यक प्रलेखों के निष्पादन के उपरान्त, प्रार्थियों को प्लाटों की औपचारिक अलाटमेन्ट कर दी जायेगी। चूंकि अभी प्लाटों की औपचारिक अलाटमेन्ट करनी शेष है, इसलिये इन प्लाटों पर जुलाई, 1968 तक मकानों के निर्माण करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(ग) पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों की बस्ती में प्लाटों के अलाटमेन्ट के लिये प्रथम प्रेस नोट के उत्तर में जो आवेदन-पत्र प्राप्त हुये थे उनकी छान-बीन लगभग पूरी हो चुकी है और आवेदक जो योग्य-पात्र पाया गया है, उसे भूमि का प्लाट दिया जा रहा है। अगस्त, 1967 में जारी किये गये दूसरे प्रेस नोट के उत्तर में जो आवेदन-पत्र प्राप्त हुये हैं उनकी अभी छान-बीन हो रही है। आशा है कि योग्य-पात्र पाये गये सभी आवेदकों के लिये भूमि के प्लाट प्राप्त करना

संभव होगा । फिर भी पूर्वी पाकिस्तान के कुछ शरणार्थी ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने या तो प्लाट के लिये आवेदन-पत्र ही नहीं दिया है या वे प्लाट की अलाटमेन्ट के योग्य पात्र नहीं हैं; ऐसे व्यक्तियों को वास्तव में इस बस्ती में प्लाट प्राप्त करना संभव नहीं होगा ।

(घ) दिल्ली में पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों के लिये और भूमि के प्लाटों का विकास करना प्रस्तावित नहीं किया गया है ।

Illegal Occupation of land in States and Union Territories

4928. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the area of land taken over by each State Government under President's Rule and in the Union Territories while taking action against illegal occupation of land as per reports appearing in columns 1, 2 and 3 on Page 5 of daily Aaj of the 21st June 1968 ;

(b) the particulars of the persons who have got registered the cultivable land under ponds, gardens, religious and charitable trusts and have changed the individual inheritance ; and

(c) the State-wise and District-wise details of the land so confiscated and the people affected thereby ?

Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, community Development and Coop. (Shri Annasahib P. Shinde) : (a) to (c) : A statement is annexed. (Placed in Library. See No. LT-1825-68).

Zamindari Abolition Act

4929. **Shri Molahu Prasad**: Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 9299 on the 2nd May, 1968 and state:

(a) the various categories of persons for whom priority has been laid down in the Zamindari Abolition Act ;

(b) the names of Land Management Committees and Pradhans, District-wise, against whom complaints have been received for violating the said Act along with the number of complaints received against them, separately and the number of cases referred to the courts; and

(c) the time by which all the leases are likely to be scrutinised ?

Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Coop. (Shri Annasahib Shinde): (a) Order of preference for allotment of vacant land has been laid down in Section 198 of the U. P. Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950 and Rule No. 174-A of the U. P. Zamindari abolition and Land Reform Rules, 1952, and is summarised below :-

1. A recognised educational institution for a purpose connected with instructions in Agriculture, Horticulture or Animal Husbandry.

2. A landless Agricultural labourer or an Asami residing in the circle who does not hold any land whether as Bhumidhar or Sirdar in the following order of preference ;

   (i) Tenure holder residing in the circle whose land has been acquired for public purposes.

(ii) A political sufferer.

(iii) Any other landless agricultural labourer or Asami

3. A Bhumidar or Sirdar who is holding land less than 6.1/4 acres in area in the circle.

4. A cooperative farm.

5. Any other person.

(b) A Land Management Committee exists in each village of the State and compilation of data regarding names of the Committees and Pradhans against whom complaints have been received along with number of complaints received against each of them will require considerable labour, time and expenditure which will not justify the results of the compilation. It may, however, be mentioned that between July 1, 1964 and March 31, 1968, cases were instituted in courts for cancellation of over 78,000 leases granted by the committees. Out of these, 18,235 leases have been cancelled by courts.

(c) The scrutiny of leases is in progress and involves judicial proceedings. It is not possible to indicate precisely the time that will be required in this process.

संसद सदस्यों के विशेषाधिकारों को संहिताबद्ध करना

4930. **श्री धीरेश्वर कलिता :** क्या संसद-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद सदस्यों के विशेषाधिकारों को संहिताबद्ध करने के प्रश्न पर सरकार ने विचार किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

संसद-कार्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) तथा (ख) : विषय विचाराधीन है ।

संसद सदस्यों की टेलीफोन वार्ता का रिकार्ड किया जाना

4931. **श्री धीरेश्वर कलिता :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ संसद सदस्यों द्वारा यह आरोप लगाया गया था कि उनके टेलीफोन को प्राय: बीच में सुन कर उनकी वार्ता को 'आसूचना विभाग' द्वारा रिकार्ड कर लिया जाता था;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इस आरोप की कोई जांच की गई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(घ) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, हां । इस सम्बन्ध में राज्य-सभा सदन में सामान्य किस्म के कुछ आरोप लगाये गये थे, किन्तु किसी खास मामले में कोई विशिष्ट ब्यौरा नहीं दिया गया ।

(ख) इन आरोपों का खंडन किया गया था और राज्य मंत्री, संचार ने 8 मार्च, 1968 को तारांकित प्रश्न संख्या 510 के पूरक प्रश्नों के उत्तर में तथा राज्य-सभा में 25 मार्च, 1968 को आधे घन्टे के विचार के दौरान इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट कर दी थी । चूंकि कोई विशिष्ट ब्यौरे पेश नहीं किये गये, अत: किसी प्रकार की जांच-पड़ताल का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

चीनी मिलों द्वारा चीनी के स्टाक को बेचा जाना

4932. **श्री धीरेश्वर कलिता** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी उद्योग ने अपने चीनी के स्टाक को बेचने के लिये निर्धारित की गई अवधि को बढ़ाने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो उद्योग ने इस माँग के समर्थन में क्या कारण बताये हैं; और

(ग) सरकार ने इस पर क्या निर्णय किया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी, हां। खुली बिक्री में बेची जानी वाली चीनी के सम्बन्ध में।

(ख) उद्योग ने निम्नलिखित कुछ कारण बताये थे।

(एक) उद्योग ने गन्ने के लिये सरकार द्वारा निर्धारित निम्नतम मूल्यों से बहुत अधिक दाम दिये हैं जो चीनी मूल्य निर्धारण का आधार बन गया है।

(दो) खुले बाजार में चीनी का मूल्य बहुत गिर गया है, जिसके कारण इस उद्योग को सामान्य रूप से तथा उत्तर भारत में विशेष रूप से, भारी हानि होगी।

(तीन) बाजार में चीनी की माँग बहुत कम हो गई है जिसके परिणामस्वरूप कारखानों को मजबूर होकर चीनी बेचनी पड़ रही है ताकि संयत बिक्री आदेशों में निर्दिष्ट 30 दिन की अवधि के अन्दर-अन्दर चीनी की बिक्री और उसको भेजने का काल पूरा हो सके।

(ग) समय सीमा को 30 दिन से 45 दिन तक बढ़ाने के संबन्ध में उद्योग की प्रार्थना को सरकार ने स्वीकर नहीं किया है।

Training of Apprentices for Industries

4933. **Shri Om Prakash Tyagi** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the United Nations Development Programme and the Government of India have entered in an agreement under which one lakh apprentices would be trained in industries of the country ;

(b) if so, whether Government would be able to provide employment to those one lakh apprentices after the completion of their training period ; and

(c) if not, the justification for adding one lakh more unemployed artisans to the army of unemployed engineers ?

Deputy Minister in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri S. C. Jamir) : (a) Yes.

(b) The National Apprenticeship Scheme is intended to further the implementation of the Apprentices Act, 1961. It is not obligatory on the part of the employer to offer any employment to the apprentice who has completed his training nor is it obligatory on the part of the apprentice to accept an employment under the employer. (Section 22 of the Apprentices Act).

(c) The Scheme seeks to provide skill to the apprentices under factory conditions. Besides improving their chances of employability, the successful trainees will have considerable scope for self-employment in the country to-day.

Veer Savarkar Commemoration Stamp.

*4934. **Shri Om Prakash Tyagi** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government had taken a decision earlier to issue a postal stamp in commemoration of Veer Savarkar ;

(b) whether it is also a fact that the said postal stamp was not issued at the decided date ; and

(c) if so, the reason therefor ?

Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) No.

(b) and (c) Do not arise.

Scientific Equipments for Small Farmers.

4935. **Shri Om Prakash Tyagi** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that big farmers out-number small farmers in India and modern scientific equipments are not available to the small farmers at cheap rates ;

(b) if so, whether Government propose to manufacture small machines for agricultural purposes in India as is done by Japan ; and

(c) if so, when the above proposal is likely to take a practical shape ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde): (a) No sir. It is not a fact that big farmers out-number small farmers. The modern scientific equipments are available at reasonable rates to farmers irrespective of their size of holding.

(b) and (c) Generally, improved agricultural implements are manufactured by both public sector and private sector Under-takings. In addition to this, a large number of small fabricators also manufacture improved agricultural implements. Improved agricultural implements are being manufactured in Government Workshops in Madras, Maharashtra, U. P., Rajasthan and Himachal Pradesh. Agricultural machines and implements considered useful for farmers in India have also been received from the Government of Japan under the Indo-Japanese agreements. These machines have been supplied for use at 8 Agricultural Demonstration Farms which have been established in the States of Andhra Pradesh, Bihar, Gujarat, Kerala, Maharashtra, Mysore, Orissa and West Bengal for demonstration and trials. Such of the items as will be found useful under Indian conditions will be considered for adoption in India.

Supply of Fertilizers to farmers in Kashmir.

4936. **Shri Om Prakash Tyagi** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that fertilizers are being supplied to the farmers in Kashmir against their wishes ;

(b) whether it is also a fact that such supplies were made free of charge ;

(c) whether it is further a fact that a major portion of the fertilizers so supplied in Kashmir has found its way to Punjab ;

(d) if so, whether Government have looked into the matter or propose to do so ; and

(e) if not, the reasons therefor ?

Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) to (e) As arrangements for internal distribution of fertilizers is the concern of the State Governments, the information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Sugar Mills

4937. **Shri T. P. Shah** : **Shri Shri Gopal Saboo** :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the sugar mills in the country, particularly the Cooperative Sugar Mills of Maharashtra, have earned huge profits during the last year; and

(b) if so, whether Government propose to reduce the price of sugar or to increase the quota of sugar in ration ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) The profits made by sugar factories on sugar produced during 1967-68 can be known only when the entire sugar produced has been disposed of.

(b) Do not arise.

मुख्य सचेतकों के सम्मेलन द्वारा की गई सिफारिशें

4938. **श्री टी० पी० शाह** : **श्री स० मो० बनर्जी** :

श्री राम गोपाल शालवाले :

क्या **संसद-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले वर्ष सचेतकों के सम्मेलन में की गई सिफारिशों को अभी तक पूर्णतया लागू नहीं किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं और उसे कब तक पूर्णतया क्रियान्वित किया जायेगा;

(ग) क्या यह सच है कि उनकी क्रियान्विति के मार्ग में वित्त मंत्रालय ने बाधा उत्पन्न की है; और

(घ) यदि हाँ, तो उसके सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है और इस कठिनाई को दूर करने के लिए सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

संसद-कार्य तथा संचार मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख) : छटे अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन द्वारा की गयी सिफारिशें केन्द्र और राज्य दोनों की सरकार और विधान मंडलों द्वारा कार्यान्वित होने वाली हैं । अतएव इन सिफारिशों को केन्द्र के अधिष्ठाताओं और सभी राज्य सरकारों/विधान मंडलों के पास ससदीय प्रणाली से सम्बन्धित अपने कार्य क्षेत्रों में यथा साध्य कार्यान्वित करने के लिए प्रेषित कर दिया गया था । उनसे कार्यान्विति प्रोग्राम के आज तक के प्रतिवेदनों की अभी भी प्रतीक्षा है ।

(ग) और (घ) : जहाँ तक केन्द्र में लागू होने वाली वित्तीय आशय की सिफारिशों का सम्बन्ध है उन्हें वित्त मन्त्रालय के परामर्श से अनुशीलन किया जा रहा है।

दिल्ली में यमुना के पार की बस्तियों में दूध के डिपो

4939. **श्री हरदयाल देवगुण :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री 6 जून, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1617 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गीता कालोनी, कृष्णा नगर, गाँधी नगर और शहादरा में दूध के डिपू खोल दिये गये हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और उनके कब तक खोले जाने का प्रस्ताव है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी, नहीं।

(ख) दिल्ली दुग्ध योजना इन दिनों पूरे शहर की सेवा करने में असमर्थ है क्योंकि आजकल दूध की प्राप्ति सीमित है। यमुना पार की कालोनियों में यह सेवा तभी प्रदान की जा सकती है जब कि दूध की अधिक मात्रा उपलब्ध हो। निश्चय रूप से यह कहना कठिन है कि यह सेवा कब संभव हो सकेगी।

गांधी शताब्दी डाक टिकट

4940. **श्री हरदयाल देवगुण : श्री राम चरण :**

क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गांधी शताब्दी पर जारी की जाने वाली डाक टिकटें इंगलैण्ड में छपवाई जायेंगी तथा भारत में नहीं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) तथा (ख) इस मामले में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया।

राज्यों में कृषि फार्म

4941. **श्री हरदयाल देवगुण :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री 25 जुलाई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 995 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सूरतगढ़ तथा जेतसर फार्मों जैसे फार्म किन-किन राज्यों में स्थापित करने का विचार है; और

(ख) उनके कब तक स्थापित किये जाने की सम्भावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) 15 नये राज्य फार्म स्थापित करने का विचार है। 5 फार्म उड़ीसा, पंजाब, हरियाणा मैसूर और केरल में स्थापित किये जायेंगे। शेष फार्मों को कहाँ कहाँ स्थापित किया जाये, इसके बारे में जांच की जा रही है।

(ख) उड़ीसा में फार्म ने गत वर्ष काम करना आरम्भ कर दिया था। पंजाब, हरियाणा, मैसूर तथा केरल के फार्म चालू वित्तीय वर्ष से काम करना आरम्भ कर देंगे। शेष 10 फार्म 1969-70 से आरम्भ होने वाली चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में स्थापित किये जायेंगे।

पुनर्वास विभाग के अराजपत्रित कर्मचारियों को पुनः रोजगार देना

4942. **श्री हरदयाल देवगुण** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुनर्वास विभाग के कुछ वरिष्ठतम अराजपत्रित कर्मचारियों जिनकी छंटनी नहीं की गई थी लेकिन जिनको काम दिलाऊ कार्यालयों द्वारा पुनः नियुक्त कर दिया गया था और जो सार्वजनिक हित में उसी मन्त्रालय के अधीन अन्य विभागों में स्थानान्तरण पर गये थे, उन्हें उनकी ज्येष्ठता निश्चित करने के प्रयोजन के लिये उनकी पुरानी सेवाओं का लाभ प्रदान नहीं किया गया ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख) : केन्द्रीय सेवाओं में रोजगार पर लगे हुए व्यक्तियों की विभिन्न श्रेणियों को प्रव्रता निश्चित करने के लिये सरकार ने कुछ सामान्य सिद्धांत निर्धारित किये हैं। पुनर्वास विभाग के उन कर्मचारियों की प्रव्रता, जिन्हें रोजगार कार्यालय के माध्यम से इस मन्त्रालय के अन्य विभाग में खपाया गया था, सामान्य सिद्धान्तों के अनुसार निश्चित की गई थी तथापि इनमें से कुछ कर्मचारियों द्वारा की गई पूर्व सेवा उनकी नई नियुक्तियों में प्रव्रता निश्चित करने के प्रयोजन के लिये नहीं गिनी जा सकी क्योंकि, उपरि निर्दिष्ट सामान्य सिद्धान्तों के अधीन, इस प्रयोजन के लिये ऐसी पूर्व सेवा की गणना नहीं की जा सकती थी।

काजू का उत्पादन तथा निर्यात

4943. **श्री अदिचन** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1967-68 में काजू का उत्पादन और निर्यात क्या था और इस वर्ष इन में कितनी वृद्धि होने की सम्भावना है ;

(ख) क्या काजू की निर्यात सम्भावनाओं को ध्यान में रखते हुये इस वर्ष काजू का उत्पादन बढ़ाने के लिये केरल सरकार को या सीधे उद्योग को कोई केन्द्रीय सहायता दी जा रही है ;

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये काजू के उत्पादन तथा निर्यात के यदि कोई लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं या करने का विचार है तो उनका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) उक्त योजना अवधि में काजू बागान तथा उद्योग के विकास सम्बन्धी कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) 1967-68 के कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। फिर भी 1966-67 के उत्पादन के अनुमान लगभग 1.60 लाख मिट्री टन थे। अनअनुमानित फसल होने के कारण 1968-69 में उत्पादन की आर्थिक वृद्धि के बारे में अनुमान करना सम्भव नहीं है।

1967-68 में 51,040 मिट्री टन काजू की गिरी का निर्यात किया गया जिसका मूल्य 42.03 करोड़ रुपये था। 1968-69 में 45 करोड़ रुपयों के मूल्य की निर्यात करने की आशा है।

(ख) हां, केरल राज्य में जो केन्द्रीय चालित योजनायें शत प्रतिशत सहायता के साथ केन्द्रीय सरकार ने मंजूर कर दी हैं, नामत: हवाई तह का उत्पादन और पैकेज प्रोग्राम जिनपर इस वर्ष के लिये 2.8 लाख रुपये की लागत आयेगी ताकि काजू का उत्पादन बढ़ाया जाय।

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये काजू उत्पादन तथा निर्यात के लिये लक्ष्यों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया जा रहा है।

(घ) काजू विकास कार्यक्रम के विशिष्ट लक्षण, वायु परतों के प्रचार द्वारा उच्च उत्पादीय रोपण सामग्री के उत्पादन एवं वितरण को तीव्र करने के लिये, पैकेज कार्यक्रम एवं प्रदर्शनों को अपनाने के द्वारा विद्यमान रोपणों से उत्पादन बढ़ाने के लिये, उद्योग को चलाने के लिये कच्ची गिरिओं के सुधार एवं एकत्रीकरण के लिये, बाजार का सर्वेक्षण एवं सहकारी प्रोसौसिंग एककों की स्थापना करने के लिये हैं।

आसामियों द्वारा काश्त की जानेवाली भूमि

4944. **श्री अदिचन** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कितने प्रतिशत भूमि की काश्त आसामियों द्वारा की जाती है और यह आंकड़े केरल की तुलना में कैसे हैं;

(ख) क्या आसामियों द्वारा कृषि की प्रथा समाप्त करने अथवा उसे कम करने के लिये सरकार ने चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कोई योजना बनाई है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) 1961 की गणना के अनुसार काश्तकारों की सीमा निम्न प्रकार है :—

राज्य/संघ क्षेत्र	कुल खेती हर परिवारों की तुलना में पट्टेधारी परिवारों का अनुपात।
(1)	(2)
आन्ध्र प्रदेश	17.86
आसाम	23.90
बिहार	36.65
गुजरात	11.54

राज्य संघ क्षेत्र	कुल खेती हर परिवारों को तुलना में पट्टेधारी परिवारों का अनुपात
1	2
महाराष्ट्र	18.50
जम्मू तथा काश्मीर	25.01
केरल	31.22
मध्य प्रदेश	13.90
मद्रास	20.88
मैसूर	25.07
उड़ीसा	15.94
पंजाब (हरियाणा सहित)	38.60
राजस्थान	4.62
उत्तर प्रदेश	10.72
पश्चिमी बंगाल	23.55
हिमाचल प्रदेश	27.05
मनीपुर	10.59
त्रिपुरा	36.42
पांडीचरी	44.57
अखिल भारत	23.56

(ख) तथा (ग) :

चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये काश्तकारी सुधार सम्बन्धी प्रस्ताव विचाराधीन है ।

केरल में बेरोजगारी

4945. **श्री अदिचन** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष जून के अन्त में केरल में रोजगार दिलाने वाले कार्यालयों के चालू रजिस्टरों में कितने व्यक्तियों के नाम दर्ज थे ;

(ख) उनमें से कितने शिक्षित बेरोजगार थे तथा कितने तकनीशन और इंजीनियर थे ;

(ग) तीसरी योजना के अन्त में पिछले बचे हुए बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या कितनी थी और 1968-69 के अन्त तक कितने व्यक्तियों के बेरोजगार रह जाने की सम्भावना है ; और

(घ) राज्यों की चौथी योजना के कार्यक्रमों के अन्तर्गत रोजगार के कितने अवसर उपलब्ध किये जायेंगे और उस योजना के अन्त तक कितने व्यक्तियों के बेरोजगार रह जाने की सम्भावना है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री हाथी) : (क) 1,92,344

(ख) (1) पढ़े लिखे बेरोजगार (मैट्रिक और इससे अधिक) 1,03,471

(2) इंजीनियर

(एक) डिग्रीधारी 575

(दो) डिप्लोमाधारी (तकनीशियन) 1,921

(ग) यथातथ्य जानकारी उपलब्ध नहीं है। अक्टूबर-नवम्बर, 1965 के दौरान केरल सरकार द्वारा किये गये सर्वेक्षण के अनुसार केरल राज्य में 5.5 लाख लोग बेरोजगार थे। बाद के आंकड़े उपलब्ध नहीं।

(घ) आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि चौथी पंचवर्षीय योजना अभी बनाई जा रही है।

केरल को चावल की सप्लाई

4946. **श्री अविचन :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 20 जुलाई, 1968 को मद्रास में संवाददाताओं से हुई भेंट में केरल के मुख्यमन्त्री द्वारा दिये गये वक्तव्य के अनुसार क्या यह सच है कि उस राज्य को केन्द्र द्वारा मार्च 1967 तक प्रतिमास 70,000 मीट्रिक टन चावल सप्लाई किया जाता था और वहां पर वर्तमान सरकार के आसीन होने के तुरन्त बाद उसे 50 प्रतिशत घटा कर 35,000 मीट्रिक टन कर दिया गया था :

(ख) यदि हां, तो इतनी अधिक कटौती करने के क्या कारण थे ; और

(ग) इस चुनौती का सामना करने के लिये राज्य सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई थी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) केरल में डिपुओं को बाहर से चावल की जो सप्लाई की जाती थी, वह मार्च 1967 से पहले अथवा उसके बाद भिन्न भिन्न महीनों में भिन्न-भिन्न मात्रा में थी तथा यह बात भारत सरकार के पास चावल की उपलब्धता तथा कमी वाले अन्य राज्यों की निम्नतम आवश्यकताओं को पूरा करने की आवश्यकता पर निर्भर करती थी। यह स्थिति केरल को चावल की सप्लाई के सम्बन्ध में खाद्यान्नों सम्बन्धी वाद-विवाद तथा प्रश्नों के संदर्भ में कई बार इस संसद को स्पष्ट रूप से बताई जा चुकी है।

(ग) जब कभी चावल सप्लाई करने में कमी होती थी तो भारत सरकार केरल के डिपुओं को अतिरिक्त गेहूँ भेजा करती थी ताकि वे चावल की सप्लाई की कमी को गेहूँ की सप्लाई से पूरा कर सकें। जब कभी चावल की कमी अनुभव हुई तो केरल सरकार ने भी चावल के राशन को कम कर दिया तथा अधिक गेहूँ देकर पूरा किया।

Evacuee Properties in Delhi.

4947. **Shri Kanwar Lal Gupta :** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the number of evacuee properties in Delhi and the number, out of them which have been transferred to the Delhi Municipal Corporation ;

(b) the time by which the remaining evacuee properties would be transferred to the Corporation ; and

(c) the names of the places where there are vacant plots of evacuee properties in Delhi and the details of the plots which have been transferred to the Corporation ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri D. R. Chavan): (a) Out of the total number of about 16,080 urban acquired evacuee properties in Delhi, 3,020 properties have been transferred to the D. M. C. at their instance for slum clearance and other purposes.

(b) The question of similarly transferring about 590 properties to the Corporation for purposes of slum clearance is under consideration and a decision in this regard is likely to be taken shortly.

(c) Out of 729 such evacuee plots in various colonies at Shahdara, the Corporation selected 293 plots. These plots were transferred to the Corporation in July, 1962. Besides, 48 plots near Rehman Building at Shahdara were transferred to the Corporation under the Slum Clearance Scheme and evacuee land in village Tehar was transferred to the D.M.C. for remodelling of village Tehar. No evacuee vacant plots are now available.

Procurement of Foodgrains by Food Corporation of India

4948. **Shri Kanwar Lal Gupta :** **Shri Himatsingka :**

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state the quantity of various types of foodgrains purchased by the Food Corporation of India so far, State-wise, and the quantity proposed to be purchased upto the 31st March, 1969 ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : A statement showing quantities of various types of foodgrains purchased by the Food Corporation of India State-wise from its inception till end July, 1968, is attached. (**Placed in the Library See No. LT-1826-68.**] The quantum of purchases of different foodgrains by the F.C.I. upto 31st March, 1969 will depend upon the next kharif crop prospects beginning from November, 1968 and it is yet too early to lay down the targets.

दिल्ली में शरणार्थियों को अलाट किये गये क्वार्टरों की भूमि का किराया

4949. **श्री कंवर लाल गुप्त :** **श्री म० ला० सोंधी :**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में शरणार्थियों को अलाट किये गये क्वार्टरों की भूमि का किराया सरकार ने मनमाने ढंग से बढ़ा दिया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि ऐसे हजारों लोगों को इसका भुगतान एक पखवाड़े में ही कर देने के लिये कहा गया है ;

(ग) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ।

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, नहीं । पटेल नगर की बस्तियों में प्लाटों के 144 अलाटियों को पट्टे की शर्तों तथा प्रतिबन्धों के अनुसार भूमि के परिशोधित किराए के भुगतान के नोटिस जारी किए गए हैं ।

(ग) और (घ) : इस सम्बन्ध में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं जिन पर विचार किया जा रहा है ।

कोसी बांध क्षेत्र म डाकघर

4950. **श्री यमुना प्रसाद मण्डल** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सर्किल में जिला सहरसा (पूर्निया डिवीजन) और जिला दरभंगा (दरभंगा डिवीजन) में दो बाँधों के बीच विभागातिरिक्त डाकघर खोले गये हैं ;

(ख) क्या उस क्षेत्र में केवल थोड़े से उप डाकघर हैं, जिनमें दूर-संचार की सुविधा है ; और

(ग) यदि हां, तो इस क्षेत्र में बाढ़ के महीनों में डाक सुविधाओं की व्यवस्था किस तरीके से की जाती है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) केवल सहरसा जिले में दो कोसी बांधों के बीच तीन विभागातिरिक्त डाकघरों को खोला गया है ।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

(ग) नावों द्वारा डाक सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं ।

बिहार के कुछ स्थानों मे डाकघर तथा सार्वजनिक टेलीफोन

4951. **श्री यमुना प्रसाद मण्डल** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुर्निया डिवीजन के बेलही (धुरमीता पूर्वोत्तर रेलवे स्टेशन) और बिहार सर्किल के दरभंगा डिवीजन में राजारामपति में एक विभागातिरिक्त डाकघर खोलने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) क्या मेमसाई-चमराहारे (बिहार सर्किल का मुजफ्फरपुर डिवीजन) और धामौन में (दरभंगा डिवीजन) में सार्वजनिक टेलीफोन की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो उपरोक्त व्यवस्था कब तक हो जायेगी ?

संसद कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) बिहार के पोस्टमास्टर जनरल को पुर्निया डिवीजन स्थिति बेलही में विभागातिरिक्त डाकघर खोलने का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है । फिर भी वे इसकी जांच कर रहे हैं और यदि विभागीय मानकों के अनुसार इसका औचित्य सिद्ध हुआ तो बेलही में डाकघर खोलने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी । दरभंगा डिवीजन स्थित राजारामपति डिवीजन में डाकघर खोलने का एक प्रस्ताव बिहार सर्कल के पोस्टमास्टर जनरल को प्राप्त हुआ था और उन्होंने उसकी जांच की थी । इस पर कार्रवाई नहीं की गई क्योंकि विभागीय मानकों के अनुसार इसका औचित्य नहीं है ।

(ख) मेमसाई–चमराहारे में सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने के प्रस्ताव की मन्जूरी हाल ही में दी गई है । धामौन में सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने का प्रस्ताव घाटे का है और इसकी मंजूरी केवल गारन्टी के आधार पर तभी दी जा सकती है जब कि इसमें दिलचस्पी रखने वाली कोई पार्टी विभाग को होने वाले घाटे की पूर्ति करने के लिये तैयार हो ।

(ग) राजारामपति में किसी इच्छुक पार्टी द्वारा विभाग को गैर-वापसी अंशदान की अदायगी करने पर वहां डाकघर खोला जा सकता है। चूंकि मेमसाई चमराहारे में सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने के प्रस्ताव की मन्जूरी अभी हाल ही में दी गई है, अतः इस समय इसके खोले जाने की कोई अवधि नहीं बताई जा सकती। फिर भी इस काम को एक वर्ष के भीतर पूरा करने के प्रयत्न किए जाएंगे।

भारतीय खाद्य निगम

4952. **श्री वासुदेवन नायर :**

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तैयार खाद्य पदार्थ बेचने की कोई योजना भारतीय खाद्य निगम के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) जी, हां।

(ख) स्कूल जाने की आयु से पहले की आयु के बच्चों और समाज के निर्धन वर्गों के व्यक्तियों के लिये, जिनकी आवश्यकताएं इस समय राष्ट्रीय संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण हैं, प्रोटीन से पूर्ण आहार का वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन करने और उसकी बिक्री की व्यवस्था करने का एक प्रस्ताव है। यह योजना अभी आरम्भिक चरण में ही है अतः उत्पादन की मात्रा या इसके वित्तीय और बिक्री सम्बन्धी पहलुओं की निश्चित जानकारी नहीं दी जा सकती।

सामुदायिक विकास कार्यक्रम

4953. **श्री वासुदेवन नायर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने सामुदायिक विकास कार्यक्रमों में स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार संशोधन करने की राज्य सरकारों को अनुमति देने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या राज्यों ने तदनुसार कार्यक्रमों में कोई संशोधन किये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या संशोधन किये गये हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : **(क) से (ग)** : सामुदायिक विकास कार्यक्रम को क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी राज्यों की है। कार्यक्रम के अन्तर्गत परिकल्पित आयोजित विकास के ढांचे के भीतर, राज्यों को स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार कार्यक्रम को ढालने के लिये सदा से ही आवश्यक छूट उपलब्ध रही है। इसी के अनुरूप, व्यापक अर्थों में कृषि उत्पादन कार्यक्रमों को अधिकाधिक महत्व मिला है।

भारत सेवक समाज, नाहन को सहायता

4954. **श्री न० रा० देवघरे** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश में सिरमौर जिले में नाहन में भारत सेवक समाज को सरकार स्कूलों के बच्चों को दूध देने के लिये सहायता देती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बात के लिये कोई व्यवस्था की जाती है कि भारत सेवक समाज को मिलने वाले दूध की सारी मात्रा का उपयोग स्कूलों के बच्चों के लिए किया जाये ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) व (ख) : जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

भारत सेवक समाज, नाहन को सहायता

4955. **श्री न० रा० देवधरे** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार भारत सेवक समाज, नाहन, जिला सिरमौर (हिमाचल प्रदेश) को गांव वालों को दवाइयां सप्लाई करने के लिये वित्तीय सहायता देती है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस बात की कोई जांच की जाती है कि समाज द्वारा खरीदी गई दवाइयों को पूरी तरह से गांव वालों को सप्लाई करने के लिए उपयोग किया जाता है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) व (ख) : जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों के लिए कालकाजी कालोनी, दिल्ली में घरों की व्यवस्था

4956. **श्री देवेन सेन** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों को, उनके पुनर्वास के लिये, मूल योजना में परिकल्पित लक्षयों के अनुसार, उन्हें आवंटित प्लाटों में, अपने घर बनाने के लिये क्या व्यवस्था की गई है; और

(ख) क्या सरकार उनके लिये स्वयं घरों का निर्माण करने की वांछनीयता पर विचार कर रही है जैसा कि दिल्ली में पश्चिमी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों के मामले में किया गया है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री वा० रा० चह्वाण) : (क) कालकाजी के निकट पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों के लिये बस्ती की योजना मंजूर की गई है ताकि पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों को, जो कि बहुत वर्षों से दिल्ली में रह रहे हैं और लाभकारी रोजगार पर लगे हुये हैं, भूमि के विकसित प्लाट दिये जायें । इन प्लाटों पर मकानों का निर्माण स्वयं विस्थापित व्यक्तियों द्वारा किया जायेगा ।

(ख) ऐसा कोई विचार नहीं है कि सरकार स्वयं यह मकान बनाये ।

दिल्ली में कालकाजी कालोनी में प्लाटों के लिये भूमि का किराया

4957. **श्री देवेन सेन** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री 18 अप्रैल, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7605 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कालकाजी के निकट पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों की कालोनी में प्लाटों की जमीन के किराये को मुकदमा तथा विकास का व्यय छोड़कर उस भूमि के वास्तविक खरीद मूल्य के आधार पर निर्धारित करने का है; और

(ख) क्या समूचे दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में एक समान भूमि किराया निर्धारित किये जाने तक सरकार भूमि के एलाटियों से कम से कम दस/पन्द्रह वर्षों तक की अवधि तक प्रति प्लाट 1 रुपया वार्षिक भूमि किराया लेने को तैयार होगी ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री वा० रा० चह्वाण) : (क) जी, नहीं। बस्ती स्थापित किये जाने वाली भूमि पर लागू होने वाले नियमों के अधीन, भूमि का किराया भूमि अर्जन के मूल्य की राशि के साथ-साथ विकास व्यय पर लिया जायेगा।

(ख) जी, नहीं।

Central State Farm, Suratgarh

4958. **Shri P. L. Barupal**: Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the area of fallow land in the Central State Farm, Suratgarh and the reasons for not cultivating it so far ;

(b) the acreage of fields wherein crops were not harvested in time during the last season resulting in damage to wheat, gram and mustard crops due to storms and rains and the extent of damage ;

(c) whether it is a fact that harvested wheat and gram were left lying in the fields resulting in damage to thousands of quintals of grain due to rains and floods; and

(d) if so, whether Government propose to investigate into the matter ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) to (d) The detailed information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha as soon as it is collected.

चीनी का उत्पादन

4959. **श्री स० मो० बनर्जी : श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिराई के अगले मौसम में चीनी का अधिक उत्पादन करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं; और

(ग) क्या गन्ना उत्पादकों को कुछ और प्रोत्साहन दिये जाने की सम्भावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) चालू वर्ष से चीनी के आंशिक विनियंत्रण के परिणाम स्वरूप गन्ने की खेती वाले क्षेत्र में भारी वृद्धि हुई है।

(ख) चीनी उत्पादन का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

(ग) आने वाले गन्ने की पिराई के मौसम के लिये चीनी संबंधी नीति के बारे में सितम्बर में विचार किया जायेगा ।

Allotment of Land in Mathura District.

4960. **Shri Sheopujan Shastri** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that many people have sent applications with recommendatory letters from various Government authorities and Members of Parliament to the District Magistrate of Mathura for allotment of land for agriculture in village Sonai (Thok Gyan Kamal and Thok Bindavani) and Jabra in Tehsil Mot in Mathura District of Uttar Pradesh ;

(b) whether it is also a fact that these applications have been withheld by the Incharge of Pargana and Tehsildar and no action has so far been taken thereon ; and

(c) if so, the action taken by Government against them ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) to (c) The information is being collected from the concerned District authorities by the U. P. Government and will be laid on the Table in due course.

भारतीय खाद्य निगम द्वारा अर्जित लाभ

4961. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** **श्री सीता राम केसरी :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1965-66 के बाद से भारतीय खाद्य निगम को लाभ हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो 1965-66, 1966-67 और 1967-68 के दौरान कितना-कितना मुनाफा हुआ;

(ग) उक्त वर्षों में कर्मचारियों को लाभ का कितने प्रतिशत बोनस के रूप में दिया गया है; और

(घ) किन-किन कारणों से यह लाभ हुआ और प्रति वर्ष होने वाला यह लाभ, कहां तक खाद्यान्नों पर राजसहायता बन्द किये जाने के फलस्वरूप प्राप्त हुआ ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) भारतीय खाद्य निगम ने 1965-66 और 1966-67 में क्रमशः 22.57 लाख रुपये और 304.73 लाख रुपये का लाभ कमाया । वर्ष 1967-68 में होने वाले लाभ का ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

(ग) वर्ष 1965-66 में लाभांश घोषित नहीं किया गया । निगम ने 1966-67 वर्ष के लिये पहली बार लाभांश घोषित किया और उस वर्ष कर्मचारियों को शुद्ध लाभ का 12.6 प्रतिशत लाभांश के रूप में दिया गया ।

(घ) पूंजी संसाधनों की उत्तम व्यवस्था के परिणाम स्वरूप बचत होना, ब्याज मिलना और निगम द्वारा अपने साधनों, मानवीय तथा भौतिक, का उत्तम उपयोग किये जाने के कारण

लाभ हुआ है । भारतीय खाद्य निगम को खाद्यान्नों की बिक्री से होने वाले लाभ में राजसहायता को वापिस लेने का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है ।

राज्यों को खाद्य बोनस

4962. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने उन राज्यों को जो केन्द्र को फालतू गेहूँ सप्लाई किया करते थे, खाद्य बोनस देने बन्द कर दिये हैं;

(ख) क्या कुछ राज्यों ने केन्द्र से प्रार्थना की है कि इस मामले पर पुनर्विचार किया जाये; और

(ग) यदि हां, तो बोनस देने की व्यवस्था किस आधार पर समाप्त कर दी गई है तथा क्या प्रोत्साहन देने वाली कोई योजना बनाने का सरकार का विचार है जिससे बाहुल्य वाले राज्य केन्द्रीय क्षेत्र में अपना अंशदान कर सकें ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) इस वर्ष केन्द्र को गेहूँ सप्लाई करने के लिये राज्य सरकारों को प्रोत्साहन देने की कोई योजना नहीं है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) राज्य सरकारों को बोनस देने या प्रोत्साहन देने से अनाज वसूली की आर्थिक लागत में वृद्धि होगी, जिसका भार अन्त में उपभोक्ता पर पड़ेगा। गेहूँ की बहुत अच्छी फसल किसानों को प्रोत्साहनात्मक मूल्य देने, और उपभोक्ताओं के लिये उचित मूल्य की बात को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकारों को अनाज के लिये बोनस दिया जाना उचित नहीं समझा गया । बोनस न दिये जाने के बावजूद भी केन्द्रीय पुंज को दी जाने वाली सप्लाई में वृद्धि हुई है ।

दिल्ली टेलीफोन क्षेत्र में बिल बनाने की व्यवस्था का पुनर्गठन

4963. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली टेलीफोन डिस्ट्रिक्ट में बिल बनाने की व्यवस्था के पुनर्गठन के फलस्वरूप बिलों के भुगतान में कुछ सुधार हुआ है;

(ख) बकाया धन राशि का भुगतान न करने के कारण कुछ समय पहले कितने टेलीफोन काट दिये गये थे;

(ग) वर्ष 1967–68 में गलत बिल बनाये जाने के बारे में कितनी शिकायतें आई थीं; और

(घ) क्या पुनर्गठित बिल व्यवस्था के फलस्वरूप प्रशासनिक खर्च में कुछ मितव्ययता होगी ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री : (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी हां ।

(ख) 1968 में लगभग 5850 ।

(ग) सूचना इस समय उपलब्ध नहीं है।

(घ) जी हाँ, बचत की आशा है।

कम टिकट वाले डाक की वस्तुएं

4964. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न डाक घरों में, विशेष रूप से कलकत्ता में डाकघरों में असावधानी तथा पर्यवेक्षण की कमी के कारण कम टिकट लगी हुई डाक से भेजी गई वस्तुएँ अतिदेय लिये बिना ही पाने वाले लोगों को दे दी जाती हैं;

(ख) क्या इस असावधानी के कारण राजकोष को होने वाली हानि का सरकार ने कोई अनुमान लगाया है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या इस समस्या की विस्तारपूर्वक जाँच करने तथा इसके रोकने के कारगर उपायों का सुझाव देने के लिए कोई विभागीय जांच आयोग नियुक्त करने का सरकार का विचार है;

(घ) क्या डाक तथा तार विभाग की ओर से कोई ऐसी व्यवस्था है जो डाक से भेजी जाने वाली कम टिकट लगी वस्तुओं पर नियंत्रण रखे और यह देखे कि प्राप्तकर्ताओं को ये वस्तुएँ देने से पहले उनसे अतिदेय राशि वसूल की जायें; और

(ङ) यदि हाँ, तो इस व्यवस्था का स्वरूप क्या है तथा क्या विभाग उसके कार्य से संतुष्ट है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग)—प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) जी हां।

(ङ) (i) विभागीय नियमों में ऐसा प्रावधान है कि सभी डाक वस्तुओं की भेजने वाले डाकघर और वितरण करने वाले डाकघर दोनों में ही जांच की जाए और ऐसी वस्तुओं को जिन पर प्रभार की अदायगी न की गई हो अथवा पूरी अदायगी न की गई हो अलग करके उनकी जांच की जाए और वसूल की जाने वाली रकम उन पर लिख दी जाए।

(ii) अदत्तभार वस्तुओं से प्राप्त राजस्व में सामान्यत: वृद्धि हो रही है जिससे यह पता चलता है कि इनकी जाँच के लिए की गई व्यवस्था संतोषजनक ढंग से काम कर रही है।

Sugar Production.

4965. **Shri Prakash Vir Shastri** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the quantity by which sugar production was less than the estimated target this year in comparison with the last year ; and

(b) the main reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture. Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) No target of sugar

production during 1967-68 was fixed. The sugar production has, however, exceeded the estimate of production in the beginning of the season.

(b) Does not arise.

Slaughter House in Shahdra, Delhi.

4966. **Shri Ram Gopal Shalwale** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3972 on the 14th March, 1968, and state :

(a) whether the requisite information regarding the Slaughter Houses in Shahdara, Delhi has since been collected ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the reasons for the delay ?

Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Coop. (Shri Annasahib Shinde) : (a) and (c) Information so far received from the Municipal Corporation of Delhi/Delhi Administration is given in the enclosed statement. As the information received, did not contain clear position regarding 2nd temple in reply to part 'e' of that question, the same was asked for from the Municipal Commissioner, Municipal Corporation Delhi on 29th March, 1968. This has not been received so far despite repeated reminders. This information will be placed on the Table of the Sabha, as soon as it is received.

Statement

Question	Information received
(a) Whether it is a fact that the residents of Shahdara, Delhi have demanded the removal of the slaughter House situated in thickly populated area of Shahdara ;	(a) No such demand has been received.
(b) Whether it is also a fact that the said slaughter house is situated near two temples which causes great inconvenience to the worshippers and causes insanitation also.	(b) The slaughter house is situated near two temples. No complaints have, however, been received regarding inconvenience caused to the devotees while performing puja there. There is no insanitation either.
(c) If so, whether Government propose to issue order to Delhi Administration to remove the slaughter house.	(c) There is a proposal for construction of a model slaughter house in Delhi. The decision with regards to removal of the present slaughter house is linked with this proposal.
(d) If not the reasons therefor ; and	(d) Question does not arise.
(e) When the said slaughter house and the temples were constructed ?	(e) It has been found out that the Slaughter House has been in existence for the last over 30 years. The temple is there since 1959.

अनाज बैंक

4967. **श्री जी० एस० रेड्डी** :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम के अविलम्बनीय कार्यक्रम में प्रस्तावित 'अनाज बैंकों' को कौन से स्थानों पर स्थापित करने का विचार है; और

(ख) क्या देश में केन्द्रीय भण्डार डिपुओं के अतिरिक्त इन अनाज बैंकों में भी अनाज जमा किया जायेगा ?

खाद्य तथा कृषि, मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) और (ख) भारतीय खाद्य निगम का अनाज बैंको का कोई प्रस्ताव नहीं है । इस निगम ने पंजाब और हरयाणा में जालंधर, लुधियाना, खन्ना, गुड़गाँव, बरनाला, भटिण्डा, राजपुरा, नवाब-शहर, फगवाड़ा, होशियारपुर, हिसार तथा अम्बाला में खाद्यानों का संग्रह करने हेतु भण्डार बनाने के लिये जोरदार कार्यक्रम आरम्भ किया है । भारतीय खाद्य निगम इन राज्यों में कार्य कर रहा है तथा पुराने केन्द्रीय भन्डार डिपू भी उसे सौंप दिये गये हैं ।

भारत जापान सहयोग

4968. **श्री प्रेमचन्द वर्मा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में उप-मन्त्री ने हाल में जापान का दौरा किया था; और

(ख) यदि हां, तो मत्स्य परियोजनाओं तथा उर्वरकों के आयात में भारत-जापान सहयोग के बारे में हुई वार्ता के क्या परिणाम निकले हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिंदे) : (क) जी हाँ । उन्होंने 15 जून से 4 जुलाई 1968 तक जापान का दौरा किया था ।

(ख) मछली पालन संसाधनों के विकास के बारे में जापान के सहयोग की व्यवहारिकता के बारे में सामान्यत: तथा कुछ विशेष मामलों के संबंध में चर्चा की गई थी । जापानी प्राधिकारियों ने सहायता देने की सामान्यत: इच्छा व्यक्त की है । यद्यपि वे भारतीयों को ट्यूना मत्स्य ग्रहण पोत में सीमित जगह होने के कारण ले जाने की स्थिति में नहीं हैं, तथापि भारतीय प्रशिक्षणार्थियों को जापान में अपनी प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षण देने का सीमित अवसर प्रदान करने में उन्हें प्रसन्नता होगी । जापानी प्राधिकारियों ने भारत में 'यरमार' नामक समुद्री डीजल इंजन बनाने की प्रस्तावित परियोजना का उल्लेख किया है । इस प्रस्ताव पर विचार किया गया है और उपलब्ध वर्तमान फालतू क्षमता का यथा सम्भव उपयोग करके सरकारी क्षेत्र में इस परियोजना को स्थापित करने की व्यवहारिकता के बारे में जांच की जा रही है ।

जापान से खरीदे गये अमोनियम सल्फेट और यूरिया के मूल्यों के प्रश्न पर भी चर्चा की गई थी और ये बातें विचाराधीन हैं ।

संचार मन्त्रालय से सम्बद्ध सलाहकार बोर्ड तथा समितियाँ

4969. **श्री प्रेमचन्द्र वर्मा :** क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय से सम्बद्ध विभिन्न सलाहकार समितियों, बोर्डों अथवा ऐसे अन्य

संगठनों के नाम क्या हैं तथा उनके सदस्यों के नाम क्या हैं तथा उनमें से प्रत्येक को क्या कार्य सौंपे गये हैं ;

(ख) प्रत्येक समिति अथवा बोर्ड में कितने सदस्य सार्वजनिक कार्यकर्ता हैं, तथा कितने सरकारी अधिकारी हैं ;

(ग) क्या सदस्यों का नामनिर्देशन केवल एक बार के लिए होता है और यदि नहीं, तो किसी सदस्य को कितनी बार पुनः नामनिर्देशित किया जा सकता है और एक बार नामनिर्देशन की अवधि कितनी है ; और

(घ) वर्ष 1967-68 में इन संगठनों पर कुल कितना व्यय किया गया ?

संसद कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० क० गुजराल) :(क) से (घ) तक-सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा समय लोक-सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

राष्ट्रीय खाद्य बजट

4970. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक राष्ट्रीय खाद्य बजट बनाने की सरकार की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा उसे कब तक कार्यान्वित किया जायेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) जब तक उत्पादन, खपत आदि के बारे में और अधिक प्रामाणिक आंकड़े उपलब्ध नहीं हो जाते राष्ट्रीय खाद्य बजट बनाने का काम स्थगित कर दिया गया है ताकि जिस बात पर बजट आधारित हो उस पर सहमति हो ।

दिल्ली में राशन से चीनी को निकालना

4971. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में कुछ किस्मों के राशन कार्डों से चीनी निकाल दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग) चीनी राशन कार्डों पर या संस्थाओं को दी जाना बन्द नहीं किया गया है । तथापि नवम्बर, 1967 से हुए आंशिक विनियन्त्रण और इस सरकारी निर्णय के बाद कि उपलब्ध नियंत्रित चीनी की मात्रा को सामान्य घरेलू प्रयोग में लाया जायेगा, चीनी का अन्य संस्थाओं या विशेष अवसरों पर दिया जाना बन्द कर दिया गया है ।

ट्रैक्टर मरम्मत तथा सेवा केन्द्र

4972. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि ट्रैक्टरों और उनके फालतू पुर्जों की सप्लाई कम होने के

कारण स्थानीय ट्रैक्टर एजेंट तथा निर्माता सर्विस, मरम्मत तथा पुर्जों को बदलने के मामले में वर्तमान ट्रैक्टर मालिकों को परेशान करते और अधिक पैसे लेते हैं ;

(ख) क्या सरकार का विचार विभिन्न शहरों और केन्द्रों में समुचित दरों पर मरम्मत, सर्विस तथा पुर्जों को बदलने की व्यवस्था करने के लिए ट्रैक्टर मरम्मत तथा सर्विस केन्द्र स्थापित करने का है ;

(ग) यदि हां, तो कब, और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां, सरकार, ट्रैक्टरों का प्रयोग करने वालों के द्वारा, ट्रैक्टरों की मरम्मत, देखभाल, घिसे टूटे पुर्जों के स्थान पर नये पुर्जे डलवाने में अतिरिक्त पुर्जों की सप्लाई (संभरण) में कमी होने के कारण होने वाली कठिनाई से भली भाँति परिचित है।

(ख) और (ग) विभिन्न राज्यों में पब्लिक सैक्टरों में स्थापित राज्य कृषि-उद्योग निगम को इसके लिए उत्साहित किया जा रहा है कि वे ट्रैक्टर मालिकों को अपनी पूर्व-स्थापित या नई स्थापित की जाने वाली वर्कशाप के माध्यम से ट्रैक्टरों की मरम्मत तथा देख-रेख की सुविधा प्रदान करें। बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब तथा हरियाना प्रदेशों की निगमों ने अपनी वर्कशाप तो खोली ही हैं तथा चलती फिरती सेवाओं के लिए चलती-फिरती वर्कशापों के दस्ते भी बनाये हैं, जो कि किसानों के ट्रैक्टरों की मरम्मत उनके फार्मों पर ही जाकर कर देते हैं। अतिरिक्त पुर्जों का उचित मूल्यों पर वितरण सुनिश्चित करने के लिए इन निगमों के माध्यम से वितरण का प्रबन्ध किया जा रहा है। इन निगमों द्वारा लगभग 40 लाख रु० के अतिरिक्त पुरजों के आयात के लाइसेन्स के लिए सिफारिश कर दी गई है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

चावल का आयात

4973. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967 में सरकार ने किस-किस देश से और प्रति टन किस दर से कितना चावल खरीदा था;

(ख) पी० एल० 480 के अधीन वर्ष 1967 में कितना तथा किस दर से चावल आयात किया गया था;

(ग) वर्ष 1967 में कितना और किस दर पर चावल आयात किया गया तथा कितना और किस दर पर चावल का निर्यात किया गया और आयात तथा निर्यात का प्रति टन औसत मूल्य कितना रहा ; और

(घ) वर्ष 1968 में कितना, किस दर पर तथा कौन-कौन से देशों से चावल खरीद जाने की सम्भावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) 1967 में बर्मा थाईलैंड, संयुक्त अरब गणराज्य, कम्बोडिया, स्पेन, अर्जनटाइना और वेजुएला से

480 हजार मीट्री टन चावल खरीदने का सौदा किया गया था। लागत और भाड़े का मूल्य मिला कर इसकी औसतन कीमत लगभग 1120 रुपये प्रति मीट्री टन है।

(ख) 1967 में पी० एल 480 के अन्तर्गत चावल का आयात नहीं किया गया।

(ग) 1967 में कुल 452.7 हजार मीट्री टन चावल का आयात किया गया और लागत भाड़ासहित उसका मूल्य 4917.2 लाख रुपये था। वास्तविक प्राप्त चावल का प्रतिटन औसत मूल्य 1086 रुपये लागत भाड़ा सहित है। 1967 में 660 मीट्री टन बढ़िया किस्म का बासमती चावल का निर्यात किया गया। उसका लागत भाड़ा सहित कुल मूल्य लगभग 65.29 लाख रुपये था। इसकी औसत मूल्य लागत भाड़े सहित 1400.00 रुपये के लगभग आता है।

(घ) 1968 में 360.00 हजार मीट्री टन चावल मुख्यतः बर्मा, थाईलैंड और संयुक्त अरब गणराज्य से खरीदने का प्रस्ताव है। इन सब प्रबन्धों के पूरा हो जाने के पश्चात् इसका लागत और भाड़ा सहित मूल्य लगभग 45 करोड़ रुपये होगा।

तांबों के तारों की चोरी

4974. **श्री बाबू राव पटेल :** क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में राज्य-वार डाक तथा तार विभाग में तांबे के तारों की चोरी की कितनी घटनायें हुई, कुल कितने तार चुराये गये और विभाग को कितनी वार्षिक हानि हुई ;

(ख) क्या यह सच है कि तांबे के तारों की चोरी की बढ़ती हुई घटनाओं के कारण, इनके स्थान पर ए० सी० एस० आर० के तार लगाने का प्रस्ताव है;

(ग) तांबे के तारों के स्थान पर ए० सी० एस० आर० के तारों की उपयुक्तता का परीक्षण किया गया है और यदि हां, तो कब और किसके द्वारा ;

(घ) तांबे के तारों के स्थान पर ए० सी० एस० आर० के तार लगाने पर कितनी लागत आयेगी ; और

(ङ) विभाग द्वारा तांबे के तारों की चोरी को न रोक सकने के क्या कारण हैं ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) चाही गई सूचना को दर्शाने वाला एक विवरण पत्र सभा-पटल पर रखा जा रहा है।

(पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1827–68)

(ख) जी हां।

(ग) जी हां। हाल ही में जबलपुर के अपर मुख्य इंजीनियर ने आवश्यक परीक्षण किये हैं।

(घ) मौजूदा लाइन के स्थान पर ए० सी० एस० आर० (5 ए० डब्लू० जी०) तार के एक के० एम० (युग्म) बनाने में लगभग 1200 रुपये लागत आएगी। हटायी गई लाइनों से उपलब्ध तांबे के तारों के लिए प्रति के० एम० युग्म 1900 रुपये या 1250 रुपये या 850 रुपये जो कि पुनः प्राप्त तांबे के तार के खेज पर निर्भर करेगा (प्रति मील 300 पौं या प्रति मील 200 पौं या प्रति मील 150 पौं) जमा खाते में डाले जाएंगे।

(ङ) तांबे के तारों की चोरियों को रोकना एक कानून और प्रशासन की समस्या है। अतएव सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों से इस समस्या पर विशेष ध्यान देने तथा पुलिस प्राधिकारियों

को उचित अनुदेश देने के लिए निवेदन किया गया है। सर्कल के अध्यक्षों को भी संबंधित पुलिस महानिरीक्षकों से निकट संपर्क बनाये रखने के लिए अनुदेश जारी किये गये हैं।

अहिन्दी भाषी राज्यों के न्यायालयों में प्रचलित कानूनी शब्दावली

4975. **श्रीमती सुशीला रोहतगी** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1966 में दिल्ली में विभिन्न राज्यों के विधि मंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ था, जिसमें इस आशय का एक संकल्प पारित किया गया था कि अहिन्दी राज्यों के न्यायालयों में प्रचलित कानूनी शब्दों या अभिव्यक्तियों का प्रयोग जारी रखा जाये ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस आशय का कोई सरकारी आदेश जारी किया गया था तथा उपर्युक्त संकल्प की प्रतियां राज्यों में परिचालित की गई थीं और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप सामान्य शब्दावली तैयार करने के बारे में राज्य भाषा आयोग के कार्य की प्रगति में बाधा पड़ी है ; और

(घ) क्या इतने महत्वपूर्ण मामले में भी उस आयोग की सलाह न ली गई और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण थे ?

विधि मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री मुहम्मद यूनुस सलीम) : (क) और (ख) राज्यों और विधानमण्डल वाले संघ राज्य क्षेत्रों के विधि मंत्रियों का एक सम्मेलन 31 अगस्त और 1 सितम्बर, 1967 को नई दिल्ली में हुआ था जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं में केन्द्रीय विधियों के अनुवादों में, उन भाषाओं की विशिष्टता को बाधा पहुँचाए बिना सामान्य शब्दावला के प्रयोग से सम्बन्धित प्रश्न पर विचार-विमर्श किया गया था। इस प्रश्न के बारे में मतैक्य संभव हो गया। यह तय किया गया कि प्रादेशिक अनुवादों में यावत्साध्य राजभाषा (विधायी) आयोग द्वारा विकसित विधि शब्दावली का प्रयोग किया जाना चाहिए किन्तु जब किसी विधिक अवधारणा को किसी प्रादेशिक भाषा में अभिव्यक्त करने के लिए कोई स्वीकृत शब्द विद्यमान हो अथवा जब **हैबीज कारपस, मैनडेमस, क्वो वारन्टो** आदि जैसे लैटिन शब्द आएं तो राजभाषा (विधायी) आयोग द्वारा विकसित शब्द के मुकाबले में ऐसे शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए और राजभाषा (विधायी) आयोग द्वारा विकसित शब्द उसके अव्यवहित पश्चात् ब्रेकेट में दिया जाना चाहिए। सम्मेलन में इस भाव का कोई संकल्प नहीं पारित किया गया कि अहिन्दी-भाषी राज्यों के न्यायालयों में प्रचलित विधिक शब्दों या पदों का प्रयोग जारी रखा जाए। सम्मेलन में किए गए निश्चयों की प्रति (उपरिवर्णित निश्चय को सम्मिलित करते हुए) सभी राज्य सरकारों की जानकारी के लिए उनमें परिचालित की गई थी।

(ग) सरकार का यह दृष्टिकोण है कि सामान्य विधि शब्दावली के शब्द संग्रह की तैयारी के सम्बन्ध में राजभाषा (विधायी) आयोग के कार्यकरण की प्रगति को बाधित करने की बात तो दूर रही, सम्मेलन में हुई सहमति से तो सभी राज्य भाषाओं में, यावत्संभव, उपयोग में लाए जाने के लिए सामान्य विधि शब्दावली को विकसित करने में आयोग की सहायता ही होगी और ऐसी शब्दावली पर आधारित अनुवाद देश भर में लोगों द्वारा अधिक व्यापक रूप से समझे और ग्रहण किए जाएंगे।

(घ) इस निष्कर्ष पर सम्मेलन, विस्तृत विचार-विमर्श के पश्चात् पहुंचा, जिसमें राज्यों के विधि मंत्रियों के अतिरिक्त राजभाषा (विधायी) आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्य भी उपस्थित थे।

दिल्ली के अधिवक्ताओं के विरुद्ध शिकायतें

4976. **श्री रामस्वरूप विद्यार्थी** : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 15 अगस्त, 1947 से 1 सितम्बर, 1963 तक दिल्ली के अधिवक्ताओं के विरुद्ध अवचार की शिकायतों की कुल संख्या कितनी है, निर्वाचित अधिवक्ताओं को अनुशासनात्मक शक्ति के अन्तरण की तारीख क्या है और क्या 1 सितम्बर, 1963 से किन्हीं वरिष्ठ अधिवक्ताओं विधिज्ञ परिषद् और अनुशासन समिति के सदस्यों के विरुद्ध कोई शिकायत हुई हैं ;

(ख) उपरोक्त में से कितनी शिकायतों में अधिनियम की धारा 38 के अधीन अपीलों में 'गुणागुण पर निष्कर्ष' दिया गया था और उन अपीलों की विशिष्टियां क्या हैं जो अपील न्यायालय द्वारा 'गुणागुण पर निष्कर्ष' दिए बिना खारिज कर दी गई थीं ;

(ग) क्या यह सच है कि अधिवक्ताओं का एक वर्ग अनुध्यात करने वाली अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 29 अभी तक प्रवृत्त नहीं की गई है और वस्तुतः अधिवक्ताओं के दो वर्ग हैं जिनमें से एक वर्ग अधिनियम की धारा 38 के अधीन प्रथम अपील फाइल करने में असमर्थ है; और

(घ) अब तक प्राप्त अनुभव की दृष्टि से इस मामले में सुधार के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

विधि उपमन्त्री (श्री मुहम्मद यूनुस सलीम) : (क) और (ख) मंत्रालय को जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ग) अधिवक्ता अधिनियम की धारा 29 प्रवृत्त नहीं की गई है किन्तु व्यवहार में विधि व्यवसाइयों का केवल एक वर्ग है अर्थात् अधिवक्ता। यह सच है कि उन अधिवक्ताओं को जिनके नाम किसी राज्य की नामावलि में प्रविष्ट नहीं हैं, अपील का केवल एक ही अधिकार प्राप्त है अर्थात् वे भारत की विधिज्ञ परिषद् के आदेशों से उच्चतम न्यायालय को अपील कर सकते हैं।

(घ) जिन अधिवक्ताओं के नाम किसी राज्य की नामावलि में प्रविष्ट नहीं हैं उनके नाम किसी समुचित राज्य नामावलि में अन्तरित करने के लिए विधान बनाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

उत्तर प्रदेश में चूहों इत्यादि द्वारा अनाज की क्षति

4977. **श्री राम स्वरूप विद्यार्थी**: क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष करोड़ों रूपये की कीमत का अनाज चूहों इत्यादि द्वारा नष्ट किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो प्रतिवर्ष चूहों द्वारा कुल कितने टन अनाज नष्ट किये जाने का अनुमान है ;

(ग) सरकार द्वारा राज्य में चूहों को नष्ट करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) इस प्रयोजन के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा 1968-69 में कितनी सहायता दी गई ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश राज्य के पास चूहों आदि द्वारा नष्ट किये जाने वाले अनाज के बारे में कोई ठीक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। निस्सन्देह चूहों से खेतों तथा गोदामों में काफी बड़ी क्षति होती है।

(ग) चूहों की संख्या कम करने के लिये उन के विरुद्ध समय समय पर अभियान चलाये जाते हैं ताकि फसलें उगने के समय चूहों द्वारा फसलों को होने वाली हानि को रोका जा सके। उस समय कीटनाशक औषधियां निशुल्क बांटी जाती हैं।

(घ) 1968-69 में चूहा-नाशक औषधियों के निशुल्क वितरण के लिये भारत सरकार ने राज्य सरकार को 3 लाख रु० की राशि उपलब्ध की है।

उत्तर प्रदेश में कृषि-उत्पादन बढ़ाने सम्बन्धी योजना

4978. **श्री राम स्वरूप विद्यार्थी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये उत्तर प्रदेश राज्य में राज्य-वार कौन-कौन सी विभिन्न योजनाएं प्रायोजित की गई हैं ;

(ख) वे योजनाएं कौन सी संस्थाओं के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही हैं ; और

(ग) वर्ष 1968-69 में प्रत्येक जिले के लिये कितने-कितने धन की व्यवस्था की गयी है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग) सन् 1968-69 के दौरान उत्तर प्रदेश में क्रियान्वित की जाने वाली केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं का ब्यौरा और प्रत्येक योजना के लिए निर्धारित की गई राशि संलग्न विवरण (पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1828-68) में दिखाई गई हैं, इन योजनाओं के लिए धन केन्द्र द्वारा राज्यों को निर्धारित किया जाता है जो इस धन को वितरित करते हैं।

राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

उत्तर प्रदेश में संचार सुविधाओं का विस्तार

4979. **श्री राम स्वरूप विद्यार्थी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में संचार व्यवस्था के विस्तार के लिये, जिला-वार, क्या विशेष सुविधायें तथा रियायतें दी गई हैं ;

(ख) क्या उन क्षेत्रों में तार, डाक तथा टेलीफोन की लाइनों के विस्तार में लाभ तथा हानि की बात को ध्यान में रखने की वर्तमान नीति में कोई परिवर्तन करने का विचार है ;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) उन क्षेत्रों में इन सेवाओं की व्यवस्था करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संसद कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) (क) डाक सुविधाएं–उत्तर प्रदेश राज्य को समग्ररूप से कोई विशेष सुविधा या रियायत नहीं दी जा रही है। फिर भी सरकार द्वारा अपनाई जा रही सामान्य नीति के अनुसरण में डाक सुविधाओं के विस्तार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित क्षेत्र 'अत्यन्त पिछड़े हुए' माने गए हैं जिसके अन्तर्गत प्रति कार्यालय, प्रति वर्ष 1000/-रुपये तथा विशेष मामलों में 2500/-रुपये की हानि की उच्चतर स्वीकृत सीमा तक डाकघर खोले जा सकते हैं बशर्ते कि विभागीय मानकों की पूर्ति हो गई हो एवं फंड उपलब्ध हों ;

क्षेत्रों के नाम : (1) टिहरी-गढ़वाल जिला (2) जौनसार-बावर परगना (देहरादून)–(3) पैखंडा का परगना जिसमें माना तथा नीति (जिला गढ़वाल) ग्राम शामिल है। (4) मिर्जापुर जिले का हिस्सा, कैमूर क्षेत्र का दक्षिणी भाग (5) अलमोड़ा जिले में असकोटा और ताजन के बाहर के क्षेत्र (6) गढ़वाल जिले में पट्टी पिंडरपार पल्ला तथा पट्टी नन्दक (7) चनगढ़ पट्टी (जिला नैनीताल)।

दूरसंचार सुविधाएँ––उत्तर प्रदेश में दूर संचार के विस्तार के लिए कोई विशेष सुविधाएँ या रियायतें नहीं दी जा रही हैं सिवाय उन रियायतों के जिनकी व्यवस्था विभाग की सामान्य नीति में है और जो सम्पूर्ण देश के लिए लागू होती है, जैसा कि खन्ड (ख), (ग) और (घ) में नीचे बतलाया गया है।

(ख) (ग) और (घ)—विभाग के व्यवसायिक स्वरूप को ध्यान में रखते हुए दूरसंचार विकास की नवीन योजनाएँ सामान्यतः उनके लाभकारी होने के आधार पर तथा पाटे की योजनाएँ गारंटी के आधार पर ही मंजूर की जाती हैं। फिर भी, ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाओं के उत्तरोत्तर विकास की दृष्टि से ऐसी सुविधाएँ लम्बी दूरी वाले सार्वजनिक टेलीफोन घरों या तार-घरों के रूप में घाटा (सीमित) उठाकर भी कुछ विशेष श्रेणी के स्टेशनों पर प्रदान की जाती हैं जिनका आधार प्रशासनिक महत्व, जनसंख्या, स्थान का सुदूर होना, सीमा का निकट होना तथा विशेष आधार जैसे पर्यटक, तीर्थ तथा परियोजना महत्व हैं। इस सम्बन्ध में विभागीय नीति का ग्रामीण तथा दूरस्थ क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं के उत्तरोत्तर विकास की दृष्टि से सामयिक पुन-निरीक्षण किया जाता है।

कल्याणी, पश्चिमी बंगाल म तारापुर एंड कम्पनी में भूख हड़ताल

4980. **श्री जि० मो० विस्वास** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तारापुर एण्ड कम्पनी, कल्याणी, पश्चिम बंगाल में छंटनी के विरुद्ध 16 जुलाई, 1968 से सात सौ तेरह कर्मचारी भूख हड़ताल पर हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि 21 जुलाई, 1968 को सात भूख हड़ताली कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया गया था, और

(ग) यदि हां तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री हाथी) : (क) से (ग) : यह मामला राज्य सरकार के क्षेत्र में आता है और पश्चिम बंगाल के श्रम आयुक्त से सूचना भेजने की प्रार्थना की गई है। सूचना प्राप्त होने पर सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

अशोक नगर आर० आई० सी० फैक्टरी, कलकत्ता

4981. **श्री जि० मो० बिस्वास** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता के उपनगर में अशोक नगर आई० आई० सी० फैक्टरी में 50 महिला कर्मचारियों ने दैनिक मजूरी में कमी किये जाने के विरुद्ध हाजिरी हड़ताल (स्टे इन स्ट्राइक) कर रखी है; और

(ख) यदि हां, तो महिला कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है;

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री हाथी) : (क) 42 महिला कर्मचारी आय में कथित कमी के विरोध में 23-7-68 को हाजिरी हड़ताल (स्टे-इन-स्ट्राइक) पर गये। यह सूचित किया गया कि जब प्रबन्धकों ने पौंड से किलोग्राम में बदलने की उत्पादन इकाई और परिणाम स्वरूप दरों की तरमीम के बारे में स्थिति समझाई तो श्रमिक 24-7-68 से अपनी ड्यूटी पर आ गये।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Crop Insurance Scheme

4982. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : **Shri S. K. Tapuriah** :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the progress made in regard to the implementation of the Crop Insurance Scheme ;

(b) the reasons for the delay in its implementation ; and

(c) when legislation in this regard is likely to be enacted and the broad details thereof ?

Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib P. Shinde) : (a) The draft Bill and the model scheme on Crop Insurance were circulated to the State Governments sometime ago for eliciting their views. Replies from a few States are awaited.

(b) The states have expressed different views in regard to the implementation of the scheme and the pattern of assistance therefor, necessitating a fresh consideration of the whole question.

(c) On present indications, it is difficult to say when the enabling legislature will be introduced in the Parliament. A note on broad details of the scheme is annexed.

[Placed in Library. See No. L.T. 1829/68]

Iron Ore Mines Welfare Fund.

4983. **Shri Yashwant Singh Kushwah** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state the steps taken during the last year to provide medical,

housing, entertainment, educational and drinking water facilities to the Iron Ore Miners out of the Iron Ore Miners Welfare Fund, in different districts of Madhya Pradesh ?

Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Jaisukhlal Hathi) : During the year 1967-68 the following measures were undertaken for the welfare of the iron ore miners in Madhya Pradesh :--

Health and Medical Schemes

1. An Ambulance-cum-Mobile Medical Dispensary Unit was sanctioned for the Rajhara group of mines.

2. A grant-in-aid of Rs. 2,000 was paid to the management of Rajhara mines for the purchase of Polio Vaccine.

3. In 8 cases financial assistance was rendered to the miners suffering from T. B. at a total cost of Rs. 3,940.

4. An X-Ray Plant was sanctioned for Rajhara Mines Hospital at a total cost of Rs. 1,00,000.

5. A grant-in-aid of Rs. 3,00,000 was paid to the management of Hindustan Steel Ltd., Bhilai for maintenance of Rajhara Mines Hospital.

Housing.

Construction of 102 quarters under the New Housing Scheme was sanctioned at a total cost of Rs. 4,08,000.

Recreational Schemes.

1. A grant-in aid of Rs. 6,100 was sanctioned to M/s Hindustan Steel Ltd., Bhilai for maintenance of the Labour Welfare Centres at Rajhara.

2. An amount of Rs. 12,240 was sanctioned for maintenance of Audio Visual Set at Rajhara.

3. A grant-in-aid of Rs. 9,675 was paid to the management of Rajhara group of mines for maintenance of five Radio Centres in the residential areas of workers.

4. A grant-in-aid of Rs. 19,400 was given to M/s Hindustan Steel Ltd., Bhilai for organising sports, games and other cultural activities for the iron ore miners of Rajhara group of mines at Rajhara.

5. A multi-purpose institute at Rajhara was sanctioned at a cost of Rs. 9,190. The scheme is in progress.

Educational Schemes.

1. 110 students were awarded scholarships amounting to Rs. 28,000.

2. A Central Library-cum-Reading Room has been sanctioned at Rajhara at a cost of Rs. 24,000.

3. A grant-in-aid of Rs. 17,500 for payment to M/s Hindustan Steel Ltd., Bhilai was sanctioned for maintenance of Bal Mandir at Rajhara.

4. A sum of Rs. 30,000 has been sanctioned for supply of uniforms to school-going children (1,378) at Rajhara.

Water Supply Scheme.

Sanction for payment of subsidy amounting to Rs. 26,300 for sinking of 16 wells at Rajhara was accorded.

जम्मू तथा काश्मीर राज्य को उर्वरकों का आवंटन

4984. **श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जम्मू तथा काश्मीर राज्य को 1966-67, तथा 1967-68 के लिये अलग अलग कुल कितनी मात्रा में उर्वरक आवंटित किये गये हैं तथा कितनी मात्रा में उर्वरकों का सम्भरण किया गया है ; और

(ख) राज्य सरकार द्वारा इसी अवधि के लिये कुल कितनी मात्रा में उर्वरकों की मांग की गई थी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) : 1966–67 और 1967–68 में जम्मू और काश्मीर सरकार को विभिन्न प्रकार के जिन नाइट्रोजन उर्वरकों का आवंटन किया गया और इस आवंटन के अनुसार इन्हीं वर्षों में जिस मात्रा का संभरण किया गया वह निम्न प्रकार से है :–

1966-67+ (संख्या टन्ज में)

उर्वरक की किस्म	नाइट्रोजन की मांग	आवटंन	संभरण की गई मात्रा
सलफेट आफ अमोनिया	5,470 (एन)	20,582	20,414
यूरिया		240	240
कैलशियम अमोनिया नाइट्रेट		2,000	1,330
कुल नाइट्रोजन	5,470 (एन)	4,842 (एन)	4,670 (एन)

1967–68+

उर्वरक की किस्म	नाइट्रोजन की मांग	आवंटन	संभरण की गई मात्रा
सलफेट आफ अमोनिया		52,495	37,860
यूरिया		500	480
कैलशियम अमोनिया नाइट्रेट	9,000 (एन)	9,878	3,786
डि० अमोनिया फोस्फेट		37,228	33,018
मूरियेट आफ पोटाश		11,000	—
कुल नाइट्रोजन	9,000 (एन)	20,235 (एन)	15,061 (एन)

+पौसफेटिक और पोटेसिक उर्वरकों के लिये मांग नहीं थी ।

बिहार में उठाऊ सिंचाई और नलकूप सहकारी समितियां

4985. **श्री कामेश्वर सिंह :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार बिहार में उठाऊ सिंचाई तथा नलकूप सहकारी समितियां बनाने की अनुमति देने का है ;

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) भारत सरकार उठाव सिंचाई/नलकूप योजनाओं आदि के लिए कृषक-समूहों द्वारा सहकारी समितियां बनाने के कार्य को प्रोत्साहन दे रही है, ताकि छोटे किसानों को लाभ की सीमा के अन्तर्गत लाया जा सके क्योंकि छोटे किसान स्वयं नलकूप/कुआं अथवा पम्पसेट लगवाने के लिए ऋण प्राप्त करने में कठिनाई अनुभव करते हैं। परन्तु खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मन्त्रालय को बिहार राज्य सरकार से उस राज्य में उठाव सिंचाई-नलकूप सहकारी समितियों के निर्माण के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) बिहार राज्य सरकार किसानों की एक बड़ी संख्या के अपने ही संसाधनों द्वारा सिंचाई योजनाओं की क्रियान्विति में अयोग्य होने पर उस राज्य में सिंचाई सहकारी समितियां के निर्माण हेतु पहले ही कार्यवाही कर चुकी है। राज्य में अब तक 50 ऐसी समितियाँ स्थापित हो चुकी हैं। तीसरी योजना के दौरान इन सहकारी समितियों के निर्माण के लिए राज्य सरकार ने 2 लाख रुपये की राशि उपलब्ध की थी। चौथी योजना के दौरान राज्य सरकार द्वारा राज्य में लगभग 200 ऐसी समितियों के निर्माण का प्रस्ताव है।

पश्चिम बंगाल में आटा मिल

4986. **श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल की आटा मिलों से कहा गया है कि वह उस गेहूँ को पीसें जो उत्तर भारत से खुले माल डिब्बों में आने के कारण वर्षा से खराब हो गया था तथा वे फ्लोर मिलें इस आदेश का पालन करने में संकोच कर रही हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इस गेहूँ का अच्छी तरह परीक्षण कर लिया है ताकि वह अपने आपको इस बात से संतुष्ट कर सकें कि वह गेहूँ मनुष्य के खाने योग्य है तथा स्वास्थ्य प्राधिकारियों से इस सम्बन्ध में क्या विशेषज्ञ रिपोर्ट मिली है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) खराब गेहूँ नहीं दिया गया था। वर्षा से प्रभावित खुले माल डिब्बों में प्राप्त हुए गेहूँ को साफ किया गया और अलग कर दिया गया था। इस कार्य के बाद केवल उसी गेहूँ का स्टाक आटा मिलों को सप्लाई किया गया था, जो मनुष्यों के खाने के उपयुक्त था तथा इस स्टाक को मिलों ने बिना किसी शिकायत के ले लिया था।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश में गेहूं की वसूली

4987. **श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश की कई मण्डियों में वसूली के समय किसानों से अधिक गेहूँ लिया जाता था तथा बीजक में कम दिखाया जाता था ;

(ख) यदि हां, तो क्या उस गेहूँ को सरकारी रिकार्ड में दिखाया गया है ; और

(ग) जिन वसूली अधिकारियों ने ऐसा किया था उनके विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग) उत्तर प्रदेश की मण्डियों में चल रही स्थिति के अनुसार खरीदार 'ऐजन्ट' 'करदा' रखते हैं, जो उस मात्रा से अधिक नहीं है जिसके लिये किसानों को धन दिया जाता है, और सामान्यतया प्रति क्विन्टल एक किलो से अधिक नहीं होता है। 'करदा' की अनुमति इसलिये दी जाती है कि किसान अपने अनाज को साफ नहीं करते और वसूली के कार्य में दी गई अनुमति से अधिक धूल और विदेशी तत्व उनमें होते हैं। मन्डी अधिनियम को लागू कर इस परम्परा को समाप्त करने का विचार दिया गया है।

रोजगार के अवसर

4988. **श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्यों में औद्योगिक रूप से कम विकसित जिलों में रोजगार के अवसर कम हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों से अविकसित जिलों में उद्योगों की उन्नति को प्रोत्साहन देने को कहा है जिससे कि राज्यों में सब क्षेत्रों का संतुलित विकास हो ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री हाथी) : (क) जिला स्तर पर रोजगार के अवसर, उद्योगों के अलावा क्षेत्र के सर्वांगीण विकास, जैसे खेतीबाड़ी, पशुपालन, परिवहन और अर्थ-व्यवस्था के दूसरे क्षेत्र पर निर्भर करते हैं। जिला-स्तर पर आँकड़ों के अभाव में, विषय पर प्रकाश डालना कठिन है।

(ख) योजनाबद्ध विकास के मुख्य उद्देश्य, देश के विभिन्न भागों का संतुलित विकास, कम विकसित प्रदेशों तथा आर्थिक विकास के लाभ का विस्तार और तकनीकी-आर्थिक पहलुओं को देखते हुए उद्योगों का फैलाव करना है। राज्य सरकारों से 'राज्य के पिछड़े प्रदेशों में औद्योगिक विकास क्षेत्र' बनाने की प्रार्थना की गई है। जहां भावी उद्यमकर्त्ताओं को, बिजली, पानी, संचार और कारखाने के लिये स्थान आदि की मूल सुविधाएँ दी जाएँ।

बिक्री-योग्य फालतू कृषि जिन्सें

4989. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में बिक्री योग्य फालतू कृषि-जिन्सें काफी मात्रा में उपलब्ध नहीं हैं,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो पिछले दो वर्षों में देश में बिक्री योग्य फालतू कृषि-जिन्सें कितनी मात्रा में थी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिंदे) : (क), (ख) और (ग) : बिक्री योग्य फालतू जिन्सें कई एक तथ्यों पर निर्भर करती है, उदाहरणतया: फसलों का बुवाई क्षेत्र, जनसंख्या में वृद्धि के कारण उत्पादकों और उनके परिवारों के खान-पान के स्तरों में उतार चढ़ाव और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, खाद्य और बीज के लिये जिस मात्रा की आवश्यकता है उसमें घटा-बढ़ी, मजदूरी का जिन्स के रूप में दिया जाना, कृषकों द्वारा साल के अन्त में उपयोग के लिये खरीदी गयी मात्रा, आदि, बिक्री योग्य फालतू खाद्यान्नों और अन्य कृषि जिन्सों का परिशुद्ध दिसाब वार्षिक आधार पर एकत्र नहीं किया जाता है। तथापि बिक्री योग्य फालतू जिन्सों का कुछ अनुमान बाजार में पहुँचने वाली जिन्सों के रुख के आधार पर लगाया जा सकता है; जो कि चुने हुये बाजारों में खाद्यान्नों और कपास के मामले में इस वर्ष अभी तक पिछले दो वर्षों से पर्याप्त अधिक है। तथापि, यह उपभोक्ताओं की सतत बढ़ने-वाली मांस को जनसंख्या में वृद्धि, औद्योगीकरण, शहरीकरण और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के कारण पूर्ण करने के लिये पर्याप्त नहीं हैं। इस कमी को पूरा करने के लिये सरकार आवश्यक आयात का प्रबन्ध कर रही है।

खनन क्षेत्र में अस्पताल

4990. **श्री दे० अमात** : **श्री गु० च० नायक** :
श्री रा० रा० सिंह देव : **श्री महेन्द्र माझी** :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रमिकों के कल्याण के लिए खनन क्षेत्रों में केन्द्रीय तथा क्षेत्रीय अस्पताल खोलने सम्बन्धी योजना को कार्यान्वित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने अस्पताल खोले गये हैं; और ये किन स्थानों पर खोले गये हैं; और

(ग) इन अस्पतालों को खोलने और इनके लिये स्थानों का चयन करने का बुनियादी सिद्धान्त क्या है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां।

(ख) अब तक खोले गये अस्पतालों की संख्या नीचे दी गई है :—

केन्द्रीय अस्पताल

(1) केन्द्रीय अस्पताल, धनबाद	बिहार
(2) केन्द्रीय अस्पताल, करमा	
(3) केन्द्रीय अस्पताल, आसनसोल	पश्चिम बंगाल
(4) केन्द्रीय अस्पताल, गंगापुर	राजस्थान

प्रादेशिक अस्पताल

(1) प्रादेशिक अस्पताल, कतरस ।	बिहार
(2) प्रादेशिक अस्पताल, तिसरा ।	
(3) प्रादेशिक अस्पताल, भूली ।	
(4) प्रादेशिक अस्पताल, बाघमारा ।	
(5) प्रादेशिक अस्पताल, तिस्सौ ।	
(6) प्रादेशिक अस्पताल, नईसराय ।	
(7) प्रादेशिक अस्पताल, फुसरो ।	
(8) प्रादेशिक अस्पताल, चोरा ।	पश्चिम बंगाल
(9) प्रादेशिक अस्पताल, सालनपुर ।	
(10) प्रादेशिक अस्पताल, जमाई ।	मध्य प्रदेश
(11) प्रादेशिक अस्पताल, धनपुरी ।	
(12) प्रादेशिक अस्पताल, कुरासिया ।	
(13) बेस अस्पताल, कालीचेदू	आन्ध्र प्रदेश

टी० बी० अस्पताल

(1) केन्द्रीय अस्पताल, धनबाद से संलग्न 100 पलंगों का टी० बी० कक्ष ।	बिहार
(2) केन्द्रीय अस्पताल, आसनसोल से संलग्न 100 पलंगों का टी० बी० कक्ष ।	पश्चिम बंगाल
(3) केन्द्रीय अस्पताल से संलग्न 50 पलंगों का टी० बी० कक्ष, करमा ।	बिहार
(4) टी० बी० अस्पताल, सियरसोल ।	पश्चिम बंगल

निर्माणाधीन अस्पताल

(1) 100 पलंगों का केन्द्रीय, अस्पताल, महेद्रगढ़ निर्माणाधीन है ।	मध्य प्रदेश
(2) केन्द्रीय अस्पताल, महेन्द्रगढ़ से संलग्न 50 पलगों का टी० बी० कक्ष निर्माणाधीन है ।	

(ग) इन अस्पतालों को खोलने और इनके लिए स्थानों के चयन के सिद्धान्त इस प्रकार हैं :—

(i) कोयला, अभ्रक और कच्चा लोहा श्रमिकों की सरल पहुँच के अन्दर चिकित्सा सुविधाओं की कमी।

(ii) अस्पताल की प्रति दिन की आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त भूमि, पानी, बिजली और बाजार सुविधाओं की प्राप्ति।

वारविल (उड़ीसा) में बुक की गई ट्रंक कालों की संख्या

4991. **श्री दे० अमात :** **श्री गु० च० नायक :**

श्री रा० रा० सिंह देव : **श्री महेन्द्र माझी :**

क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य के वारविल स्थित टेलीफोन एक्सचेंज द्वारा अलग-अलग प्रतिदिन औसतन कितनी बाहर जाने वाली तथा बाहर से आने वाली और पारवहन कालें बुक की जाती हैं ; और

(ख) क्या वारविल से जमशेदपुर, रूरकेला और कलकत्ता तक सीधी चैनल ट्रंक लाइन बिछाने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो कब ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) बाहर जाने

वाली कालों की संख्या	—	51
बाहर से आने वाली कालों की संख्या	—	5
पारवहन कालों की संख्या	—	कुछ नहीं

(ख) जी नहीं।

मैसर्स पी० सी० राय एन्ड कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड

4992. **श्री के० आर० गणेश : क्या खाद्य तथा कृषि** मन्त्री 5 दिसम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3064 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) अन्दमान वन विभाग और मैसर्स पी० सी० राय एण्ड कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड के बीच चल रही मध्यस्थता की कार्यवाही किस स्थिति में है और उसके कब तक पूरा होने की संभावना है ;

(ख) क्या सरकार का मैसर्स पी० सी० राय एण्ड कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड मायाबन्दर, अन्दमान द्वीपसमूह का पट्टा समाप्त करने का विचार है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) 5 दिसम्बर 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3064 के उत्तर में उल्लिखित तीन मध्यस्थता के मामलों के सम्बन्ध में स्थिति इस प्रकार है :—

(1) प्रथम मध्यस्थता के मामले में व्यय की गई राशि के लिये डिग्री प्राप्त करने के संबंध

में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 9 अगस्त 1968 को कम्पनी के आवेदन को लागत सहित खारिज करने का अपना निर्णय घोषित किया। फिर भी कम्पनी ने एक माह के लिये डिग्री की क्रियान्विति को रोकने के लिये प्रार्थना की और उसे कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

(ii) मध्यस्थता के दूसरे तथा तीसरे मामलों में अभी कार्यवाही हो रही है। ये मामले कब समाप्त होंगे इस बारे में संभवत. कोई निश्चित तिथि नहीं दी जा सकती। फिर भी, क्रमशः 1969 के अन्त तक तथा मार्च 1970 तक उनके समाप्त हो जाने की आशा है।

(ख) और (ग) : मामले की जांच की जा रही है।

अन्दमान वन श्रमिक संघ

4993. **श्री के० आर० गणेश** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्दमान वन श्रमिक संघ तथा लोक निर्माण कर्मचारी संघ द्वारा उठाये गए विवादों को सुलझाने के बारे में इस बीच कोई प्रगति हुई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या हड़ताल का नोटिस वापिस ले लिया गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या अनिर्णीत विवादों का समाधान कराने के लिये कोई व्यवस्था करने का प्रस्ताव है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) : एक विवरण संलग्न है।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी 1830-68]

(ग) जी नहीं।

(घ) संलग्न विवरण में स्पष्ट की गई स्थिति को ध्यान में रखते हुए अनिर्णीत मांगों को पंच-फैसले या न्याय-निर्णय के लिए भेजने का काई प्रस्ताव नहीं है।

अन्दमान वन विभाग द्वारा ट्रकों का आयात

4994. **श्री के० आर० गणेश** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्दमान वन विभाग ने 1968 में कितने ट्रकों का आयात किया ;

(ख) उन्हें कब खरीदा गया और कब जहाजों पर लादा गया ;

(ग) उन्हें वास्तव में कब भेजा गया और अभी कितने ट्रक आने बाकी हैं ;

(घ) क्या उनको भेजने में कुछ देरी हुई है ; और

(ङ) अब तक जो ट्रक प्राप्त हुये हैं, उनकी हालत कैसी है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) तीन

(ख) एक ट्रक की खरीद के लिए नवम्बर 1965 में तथा दो ट्रकों की खरीद के लिए मई

1966 में आदेश दिए गए थे। ये ट्रक जून तथा जुलाई, 1966 में जहाज लदान के लिए उपलब्ध हुए।

(ग) एक ट्रक जहाज द्वारा मार्च 1968 में और दूसरा अप्रैल 1968 में भेजा गया। इसके अतिरिक्त वन विभाग के लिए और ट्रक नहीं भेजे जायेंगे।

(घ) जी हां, यह देर विशेषकर ट्रकों के जहाज में लदान के अवसर के अभाव के कारण हुई।

(ङ) दो ट्रकों के डायनमों खराब पाये गये थे—और उन्हें मरम्मत के लिये विक्रेता को वापिस भेज दिया गया है।

सुपर फास्फेट उर्वरक का आयात

4995. **श्री धुलेश्वर मीना : क्या खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार लगभग 1,75,000 मीटरी टन "सुपर फास्फेट" उर्वरक का आयात कर रही है, जबकि उदयपुर जस्ता प्रद्रावक जिंक स्लमैटर फैक्टरी में 40,000 मीटरी टन से अधिक सुपर "फास्फेट उर्वरक" बेकार पड़ा हुआ है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि वह फैक्टरी अपनी पूर्ण क्षमता से काम नहीं कर सकती और वह सुपर फास्फेट उर्वरक की पूरी आवश्यकता के अनुसार उत्पादन करने में सक्षम है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार सुपर फास्फेट उर्वरक का आयात बन्द करने और जस्ता प्रद्रावक फैक्टरी, उदयपुर की पूर्ण अधिष्ठापित क्षमता का उपयोग करने के लिये कार्यवाही करने का है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) प्रत्येक वर्ष सरकार फास्फेट उर्वरकों की विभिन्न राज्यों द्वारा मांग और देन में कारखानों द्वारा इनके उत्पादन के अन्तर की कमी को पूरा करने के लिये उर्वरक आयात करने का प्रयत्न करती है, बर्शते कि विदेशी मुद्रा उपलब्ध हो। अपने कारखानों के उत्पादन क्षमता का मूल्यांकन करते समय उदयपुर जिंक कारखाने के उत्पादन क्षमता को भी ध्यान में रखा गया। यद्यपि पहले 1967-68 के लिये पी 2 ओ 5 के आयात कार्यक्रम 3.3 लाख मीटरी टन निर्धारित किया गया था क्योंकि पिछले वर्ष में जो आयात प्रबन्ध किये गये थे वह माल देरी से मिला। स्थिति का अध्ययन करने के बाद 1968–69 के लिये पी 2 ओ 5 का आयात 1.36 लाख मीटरी टन तक सीमित किया गया। 1969–70 के लिये अभी तक इसके आयात का कोई प्रबन्ध नहीं किया गया है।

(ख) शीघ्र हाल में ही कारखाने के अध्यक्ष द्वारा दिये गये भाषण के अनुसार उन्हें अपने जिंक और सुपर फास्फेट उत्पादन के विपणन के बारे में कठिनाई आ रही है। जिंक और सुपर फास्फेट के उत्पादन में आपसी सम्बन्ध है। कारखाने के पास 19,000 मीटरी टन का स्टाक है, जो कि 3 महीने की सप्लाई है। साधारणतया किसी कारखाने को अपने दो महीने के उत्पादन को स्टाक में रखने के लिये तैयार रहना चाहिये। दिसम्बर से मई के काल में उन्हें अधिक समय के लिये स्टाक रखना पड़ेगा क्योंकि यह फास्फेट के प्रयोग का मौसम नहीं होता। इस कारखाने की

केवल अकेले सुपर फास्फेट की वार्षिक उत्पादन क्षमता 76,400 मीटरी टन बताई जाती है। अतः उनके पास 3 महीने का उत्पादित माल है।

(ग) जैसे पहले ही बताया गया है देश में फास्फेट की उपलब्धि का अनुमान लगाते समय इस कारखाने के उत्पादन को ध्यान में रखा गया है। मांग और इस उत्पादन के अन्तर को पूरा करने के लिये उर्वरकों का प्रति वर्ष आयात किया जाता है, बशर्ते कि विदेशी मुद्रा उपलब्ध हो। कारखाने को विपणन प्रबन्ध करने की सलाह दी गई है। भारतीय उर्वरक निगम ने भी आश्वासन दिया है कि वह कारखाने की वार्षिक उत्पादन के एक तिहाई भाग के निपटान की सहायता करेगा। इस कारखाने की विपणन क्षेत्र जो कि राजस्थान व मध्य प्रदेश का भाग है, को आयातित फास्फेट उर्वरकों के स्टाक नहीं दिये जा रहे हैं, ताकि यह कारखाना अपने उत्पादन का विपणन कर सके।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा अनाज खरीदना

4996. **श्री रामचन्द्र उलाका :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम ने राज्यों से अनाज खरीदने के बारे में पूरी स्वतन्त्रता दिये जाने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे : (क) खाद्य के मामले में विभिन्न राज्यों में, जहां भारतीय खाद्य निगम कार्य कर रहा है, इसके द्वारा अनाज का कार्य और इसका क्षेत्र दोनों ही मामले, सम्बद्ध सरकारों और निगमों के प्रतिनिधियों द्वारा पारस्परिक बातचीत द्वारा निपटाये जाते हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

बेरोजगारी बीमा योजना

4997. **श्री धुलेश्वर मीना :** **श्री रामचन्द्र उलाका :**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंन्त्री 2 मई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9341 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बेरोजगारी बीमा योजना लाभ करने का निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है।

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) यह योजना अभी विचाराधीन है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड

4998. **श्री धुलेश्वर मीना :** **श्री राम चंद्र उलाका :**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यूनतम मजूरी अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड के पुनर्गठन के प्रस्ताव को सरकार ने अन्तिम रूप दे दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) : न्यूनतम मजूरी अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन दिसम्बर, 1967 में हुआ। इस समय इसके पुनर्गठन का कोई प्रस्ताव नहीं है, क्योंकि सदस्यों (सरकारी सदस्यों को छोड़कर) के कार्य-काल की समयावधि दो साल की है।

पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले लोगों के लिये ऋण

4999. **श्री धुलेश्वर मीना : श्री राम चन्द्र उलाका** :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1968 से 31 मई, 1968 तक पूर्वी पाकिस्तान से कितने लोग भारत आये तथा उनमें से कितने लोगों ने मकान बनाने तथा भूमि के लिये ऋण के लिये निर्धारित अवधि में आवेदन पत्र दिये हैं; और

(ख) इस समय कितने आवेदन पत्र अनिर्णीत पड़े हैं तथा उसके क्या कारण हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) (क) और (ख) : 1-1-1968 से 31-5-1968 तक 5123 नये प्रव्रजक पूर्वी पाकिस्तान से आये हैं। पुनर्वास सहायता केवल ऐसे नये प्रव्रजकों को दी जाती है जिन्होंने सरकार द्वारा स्थापित शिविरों में प्रवेश प्राप्त कर लिया है। मकान बनाने तथा भूमि के ऋणों के लिये आवेदकों की संख्या तथा अनिर्णीत आवेदन पत्रों की संख्या और उनके कारणों, के बारे में जानकारी एकत्रित की जा रही है। अपेक्षित जानकारी जैसे ही उपलब्ध होगी सभा की मेज पर रख दी जायेगी।

मैसूर मत्स्य निगम

5000. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का मैसूर मत्स्य निगम में कोई पूंजी लगाने का विचार है; और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार निगम में अपने प्रतिनिधियों द्वारा सहयोग स्थापित करने का है और क्या इस में प्रतिपक्षी दलों के सदस्यों को भी सम्मिलित करने का विचार है जिन का तटीय क्षेत्र में बहुमत है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) और (ख) : मैसूर सरकार ने हाल ही में सूचित किया है कि एक राजकीय मत्स्य विकास निगम स्थापित करने का प्रस्ताव उन के विचाराधीन है और पूछा है कि क्या भारत सरकार इस की शेयर पूंजी में अंश दान करेगी। भारत सरकार शेयर पूंजी में अंशदान करके किसी भी राजकीय मत्स्य निगम में प्रत्यक्षत: सम्मिलित नहीं हुई है। वित्तीय अंशदान को अपने प्रतिनिधित्व से सम्बन्धित करना और इस प्रतिनिधित्व का क्या स्वरुप हो का प्रश्न तभी उत्पन्न होता है जब कि यह निश्चय कर लिया जाये कि भारत सरकार को निगम की शेयर पूंजी में अंशदान करना है। इस समय यह प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

प्राइमरी कृषि ऋण सहकारी समितियां

5001. **श्री लोबो प्रभु : क्या खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्राइमरी कृषि ऋण सहकारी समितियों के अत्यवधि तथा डूबी रकमों के बारे में नवीनतम आंकड़े क्या हैं ;

(ख) यदि रय्यतदारी को गिरवी रख कर ऋण दिया जाये तो क्या वसूली अधिक सुनिश्चित हो सकेगी ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार राज्य सरकारों को सहकारी समितियों की देय राशियों के भुगतान के लिए रय्यतदारी को हस्तान्तरणीय बनाने का परामर्श देने का है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) प्राथमिक कृषि ऋण समितियों द्वारा वितरित किए गए अल्प तथा मध्य-कालीन ऋण के अतिदेयों के बारे में 1966-67 के अस्थायी आंकड़े जो नवीनतम उपलब्ध हैं, नीचे दिए गए हैं :—

		(लाख रुपए में)
1. बकाया ऋण	—	470,58
2. इनमें अतिदेय	—	154,06
3. अशोध्य तथा संदिग्ध ऋण	—	181
4. बकाया में अतिदेयों की प्रतिशतता	—	33
5. बकाया में अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों की प्रतिशतता	—	0.38

(ख) व (ग) फसल ऋण योजना के अन्तर्गत अल्पकालीन ऋण उत्पादन सम्भाव्यताओं तथा वापिसी-अदायगी की क्षमता से सम्बद्ध होते हैं और भू अथवा अन्य समर्थक प्रतिभूति पर आधारित नहीं होते। 1500 रुपए तक के मध्यकालीन ऋण भूमि को बन्धक रखे बगैर भी दिए जा सकते हैं। 1500 रुपए तक के अल्पकालीन फसल वित्त तथा मध्यकालीन ऋणों के लिए रय्यतदारी को बन्धक रखने पर बल देना वांछनीय नहीं होगा।

खाद्यान्नों की कीमतें

5002. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष उत्तर प्रदेश में गेहूँ और चावल की कीमतों में कितनी कमी हुई है ;

(ख) महाराष्ट्र, मद्रास तथा पश्चिमी बंगाल में इन अनाजों के भावों में कितनी कमी हुई है ; और

(ग) रबी की फसल पर से जो कि बहुत ही अच्छी हुई है और बहुलता वाले राज्यों में जिसका अनाज फालतू पड़ा सड़ रहा है, नियंत्रण हटाने के लिये खरीफ की फसल आ जाने की प्रतीक्षा करने का क्या कारण है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) चालू वर्ष में उत्तर प्रदेश में गेहूँ के मूल्यों में 10 रुपये से लेकर 20 रुपये तक और चावल के मूल्यों में 25 रुपये से लेकर 60 रुपये तक कमी हुई है।

(ख) चालू वर्ष में तीन केन्द्रों में गेहूँ के मूल्य में 4 रुपये से लेकर 22 रुपये प्रति क्विन्टल तक वृद्धि हुई है और महाराष्ट्र में 5 रुपये प्रति क्विन्टल के हिसाब से कमी हुई है। महाराष्ट्र राज्य में राज्य सरकार ने चावल का अधिकतम नियंत्रित मूल्य निर्धारित किया है और धान के बढ़ाये गये वसूली मूल्यों के कारण यह मूल्य पिछले वर्ष के मूल्यों से अधिक हैं।

चालू खरीफ की फसल से पश्चिम बंगाल में चावल का मूल्य लगभग 42 रुपये से लेकर 125 रुपये प्रति क्विन्टल तक घट गया है। पश्चिम बंगाल में गेहूँ मुख्य फसल नहीं है और उसके मूल्यों का हिसाब नहीं रखा जाता।

(ग) यह सच नहीं है कि जिन राज्यों में उनकी आवश्यकता से अधिक रबी की उपज होती है, वहां उनकी बरबादी हो रही है। सरकार ने आवश्यकता से अधिक गेहूँ उत्पादन करने वाले राज्यों से 20 लाख टन गेहूँ से अधिक अनाज पहले ही प्राप्त कर लिया है। यद्यपि गेहूँ के मामले में स्थिति में सुधार हुआ है किन्तु चावल के मामले में ऐसा नहीं हुआ है। वर्तमान क्षेत्रीय प्रणाली में परिवर्तन करने के बारे में विचार करने से पूर्व यह उचित समझा गया है कि खरीफ की फसल की सम्भावनाओं का अनुमान लगाया जाये।

अनाज का रक्षित भण्डार

5003. **श्री लोबो प्रभु** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष अनाज का कितना रक्षित भण्डार बनाने का विचार है ;

(ख) गोदामों में रखने के शुल्क का अनुमान क्या है और खराब होने तथा चूहों के कारण कितनी हानि होने का अनुमान है; और

(ग) इन कारणों से अनाज के मूल्यों में कितनी वृद्धि हो जायेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) अक्तूबर, 1968 के अन्त तक केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा 30 लाख टन अनाज का रक्षित भंडार बनाये जाने का प्रस्ताव है।

(ख) रक्षित भंडारों को बनाने पर औसतन लगभग 8.30 रुपये प्रति क्विन्टल लागत आने का अनुमान है। इसमें गोदाम भाड़ा, गोदाम में होने वाली क्षति और पूंजी का ब्याज भी शामिल है।

(ग) जैसे, सरकार की सामान्य मूल्य निर्धारण नीति, अनाज का आन्तरिक और आयातित क्रय मूल्य, खुले बाजार में मूल्य आदि बातों को ध्यान में रखते हुए, यदि होल्डिंग चार्जेज का कुछ भाग निर्गम मूल्य में जोड़ा जायेगा, तो कितना इस बात का निर्णय समय-समय पर किया जायेगा।

मजूरी बोर्ड पंचाट

5004. **श्री लोबो प्रभु** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय को इस वर्ष श्रमिक विवादों के न्याय निर्णय के कितने मामले प्राप्त हुए हैं और उनमें से कितने मामले न्यायनिर्णय के सुपुर्द किए गए हैं ;

(ख) सभी मामलों को न्याय-निर्णयन के सुपुर्द करने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि ऐसे मामलों को न्याय-निर्णयन के सुपुर्द करने में बिलम्ब के कारण हड़तालें हो जाती हैं ; और

(घ) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में तुरन्त निर्णय न करने के क्या कारण हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) : सम्भवत: सूचना वेतन बोर्ड की सिफारिशों के क्रियान्वित न होने सम्बन्धी विवादों के बारे में माँगी गई है। एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) : विवादों को न्याय-निर्णय के लिए भेजने से हड़ताल अनिवार्यत: समाप्त या रुक नहीं जाती। फिर भी, विवाद को उपयुक्तता के आधार पर यथाशीघ्र न्याय-निर्णय के लिए भेजने के सम्बन्ध में अंतिम निर्णय लेने का भरसक प्रयत्न किया जाता है।

विवरण

1–1–1968 से 20–8–1968 की समयावधि के दौरान प्राप्त हुई मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को क्रियान्वित न करने सम्बन्धी विवादों के बारे में समझौता रिपोर्टों की असफलता की संख्या	———25
न्याय-निर्णय के लिए भेजे गए विवादों की संख्या	———4
उन विवादों की संख्या जिनमें न्याय-निर्णय मना कर दिया गया	——— 5
न्याय-निर्णय मना करने के कारण	सम्बन्धित पक्ष-विवादों को पंच फ़ैसले द्वारा तय करने के लिए सहमत हो गया।
उन मामलों की संख्या, जो विचाराधीन हैं	———16

Standing Technical Committee for collecting Data of Cost of Production of Essential Commodities

5005. **Shri Deorao Patil** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the Standing Technical Committee appointed to collect data about the cost of production of essential agricultural commodities has collected the data about cost of production of wheat, cotton, Jowar and other foodgrains ;

(b) if not, the reasons therefor ; and

(c) the steps taken to expedite the collection of the data with a view to enable fixation of floor prices of these commodities ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb P. Shinde): (a) and (b) According to the terms of reference of the Standing Technical Committee set up by the Department of Agriculture, the Committee is not expected to undertake collection of data on cost of production of various agricultural commodities, but is required to render advice in regard to organising the collection of data on indices of input costs and also in organising the cost of production surveys on an integrated basis.

(c) A comprehensive scheme for studying the cost of cultivation of principal crops in the country on a continuous basis as recommended by the Standing Technical Committee, has been drawn up and is currently under consideration.

चीनी के नये कारखाने

5007. **श्री अनन्तराव पाटिल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चालू वर्ष में गैर-सरकारी क्षेत्र में तथा सहकारी क्षेत्र में नये चीनी कारखानों के लिये राज्यवार कितने नये लाइसेंस दिये गये हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : जानकारी नीचे दी गई है :

क्रमसंख्या	राज्य	चीनी के नये कारखानों की स्थापना के लिये 1968 में दिये गये लाइसेंसों की संख्या	गैर-सरकारी / सहकारी
1.	मैसूर	2	सहकारी
2.	मद्रास	1	तदैव
3.	महाराष्ट्र	2	तदैव

Disruption of Communication System in Assam due to Riots.

*5008. **Shri Yashwant Singh Kushwah**: Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that communication system had been disrupted in Assam (Shillong) during the last riots there ;

(b) if so, the extent of the disruption caused ; and

(c) the measures taken or proposed to be taken to prevent such disruptions in future ?

Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) There have been no disruption in communication system in Shillong due to riots.

(b) Nil.

(c) Does not arise.

Hindi Teleprinters.

5009. **Shri Yashwant Singh Kushwah** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the progress made in manufacturing Hindi teleprinters to meet the requirements of the country ;

(b) when the country would be self-sufficient to meet the complete requirements of the country ; and,

(c) the amount of foreign exchange estimated to be saved per year on the basis of the success achieved so far ?

Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) The manufacture of Hindi teleprinters has started in the Hindustan Teleprinters Limited, Madras from July, 1968.

(b) The Hindustan Teleprinters Limited has the production capacity to meet the requirements of Hindi teleprinters in the country.

(c) Foreign exchange of Rs. 49 lakhs is expected to be saved on 800 units of Hindi teleprinters scheduled for manufacture during 1968-69.

Automatic Telephone Exchange at Khandwa.

5010. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that an automatic telephone exchange has been installed at Khandwa in East Nimad District of Madhya Pradesh ;

(b) if so, whether it has been functioning properly without any breakdown since the date of its installation ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) Yes. A 600 lines automatic exchange was commissioned at Khandwa on 16th June, 1968.

(b) Yes. The Exchange has been functioning fairly satisfactorily except during the second fortnight of June and first fortnight of August.

(c) Due to heavy rains during these periods.

Post Office Facilities to Gram Panchayats in M. P.

*5011. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the number and names of such villages in Madhya Pradesh District-wise having Gram Panchayats without any Post Office ;

(b) whether Post Offices are proposed to be opened in all such villages ; and

(c) if so, when ?

Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) The information is under collection and will be placed on the Table of the Lok Sabha in due course.

(b) and (c) Subject to fulfilment of departmental standards and availability of funds, new Post Offices will be opened wherever justified after the individual cases are duly examined.

Telegraph Offices in M. P.

*5012. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the number of Telegraph offices District-wise opened in Madhya Pradesh during 1966.67 and 1967-68 ; and

(b) the places where Telegraph Offices are proposed to be opened in 1968-69 ?

Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) and (b) The statement is placed on the Table of the Lok Sabha. **[Placed in Library See No. LT/1831-68]**.

Distribution of Hybrid Seeds in M. P.

5013. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the new varieties of hybrid seeds distributed by Cooperative Societies/Development Blocks in Hoshingabad and East Nimad Districts of Madhya Pradesh in 1967-68 ; and

(b) the number of farmers benefitted thereby ?

Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb P. Shinde): (a) and (b) The information is being collected from the State Government and will be placed on the Table of the Sabha as soon as it is received.

सरकारी क्षेत्र के उद्योगों का प्रशासन

5014. **श्री रा. की० श्रमीन** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अधिकांश श्रमिक संघ सरकारी क्षेत्र के उद्योगों के प्रशासन से असन्तुष्ट हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उनके असन्तोष के कारणों का पता लगाने के लिए कोई जांच की है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी): (क) से (ग) माननीय सदस्य का अभिप्राय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में श्रमिक प्रशासन से है या कर्मचारियों संबंधी प्रशासन से है।

सब औद्योगिक संगठनों में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में प्रशासन के मामलों में प्रबन्धकों और कार्मिक संघों के बीच मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं और विवाद उठाये जाते हैं। केन्द्र में या राज्य में औद्योगिक सम्बन्ध व्यवस्था विवादों में हस्तक्षेप करती है और वर्तमान कानून या स्वैच्छिक उपायों, जैसे अनुशासन संहिता, के अन्तर्गत पक्षों में विवाद को हल करने में सहायता देता है। सरकारी क्षेत्र के बहुत से उपक्रमों के अध्ययन के मामलों में, औद्योगिक सम्बन्ध व्यवस्था ने यह पता चलता है कि इन उपक्रमों में पृथक कार्मिक विभाग स्थापित किये गये हैं।

पश्चिम बंगाल को चावल का आवंटन

5015. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से 1968 के लिये केन्द्रीय भण्डार से 3,00,000 टन चावल की मांग की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उनकी मांग स्वीकार कर ली है;

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को 1968 में 2.2 लाख टन मीट्री चावल देने का वचन दिया है।

(घ) कमी वाले अन्य राज्यों की आवश्यकताओं और केन्द्र से उपलब्ध सप्लाई को देखते हुए इससे अधिक मात्रा में चावल सप्लाई करना सम्भव नहीं।

श्रम स्थायी समिति

5016. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि श्रम स्थायी समिति की हाल ही में नई दिल्ली में एक विशेष बैठक हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो उस बैठक में किन किन समस्याओं पर विचार किया गया;

(ग) समिति ने क्या सिफारिशें की हैं; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) :(क) जी हां। स्थायी श्रम समिति का 28 वां अधिवेशन 18 जुलाई, 1968 को नई दिल्ली में हुआ।

(ख) इस बैठक में केवल स्वचालित मशीनों के विषय पर विचार-विमर्श किया गया।

(ग) बैठक में उपस्थित सरकार, नियोजक और श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधि ने स्वचालित मशीनों के सम्बन्ध में अपनी अपनी स्थिति स्पष्ट की और समिति द्वारा कोई सम्मत सिफारिशें नहीं की गईं।

(घ) इस विषय पर निर्णय लेते समय सरकार समिति द्वारा व्यक्त विचारों को ध्यान में रखेगी।

विश्व खाद्य कार्यक्रम

5017. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विश्व खाद्य कार्यक्रम में सरकार ने गत पांच वर्षों में परिवर्तनीय रुपये तथा वस्तुओं में कितना अंशदान दिया;

(ख) उस अवधि में भारत को कार्यक्रम से कितनी सहायता मिली; और

(ग) 1968-69 में सरकार द्वारा कितना अंशदान दिये जाने की संभावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) भारत सरकार ने विश्व खाद्य कार्यक्रम को 1963-65 (तीन पंचांग वर्ष) तथा 1966-68 (तीन पंचांग वर्ष) की अवधि के लिये क्रमशः 500,000 तथा 750,000 डालर का अंशदान देने का वायदा किया। इसका तीसरा भाग अपरिवर्तनीय रुपयों के रूप में नकद तथा शेष पण्य-वस्तुओं जैसे चाय, चीनी, शुष्क-मीन तथा नमक के रूप में दिया जाना था। परिवर्तनीय-मुद्रा में कोई अंशदान नहीं दिया गया है। नकद अंशदान वार्षिक किस्तों में दिया जाता है और पण्यवस्तुओं का अंशदान, विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा जब कभी भी वस्तुओं की मांग की जाती है, दिया जाता है।

(ख) पिछले 5 वर्षों के दौरान 12 अर्धविकास परियोजनाओं तथा 2 आयात परियोजनाओं के लिये, जिन के अन्तर्गत विश्व खाद्य कार्यक्रम ने 400 लाख डालर मूल्य के गेहूं, मक्का, चरी स्किम्ड मिल्क पाऊडर आदि खाद्य वस्तुओं के संभरण करने का वचन दिया है, भारत सरकार ने विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ करार किए हैं।

(ग) वर्तमान वायदे की अवधि (66-68) 31 दिसम्बर, 1968 को पूरी हो जाएगी। 1969-70 (1-1-69 से 31-12-1970 तक) के आगामी वायदे की अवधि के लिए भारत सरकार ने 500,000 रुपये अंशदान देने का वायदा किया है। इसका भी तीसरा भाग अपरिवर्तनीय रुपयों तथा शेष पण्य वस्तुओं के रूप में होगा।

उड़ीसा के पोस्ट मास्टर जनरल के कार्यालय का स्थानान्तरण

5018. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पोस्ट मास्टर जनरल, उड़ीसा के कार्यालय को कटक से भुवनेश्वर ले जाने का सरकार का विचार है;

(ख) क्या यह भी सच है कि पोस्ट मास्टर जनरल कार्यालय कटक से भुवनेश्वर जाने पर सरकार ने अधिकारियों के लिये आवास स्थान देने की योजना बनाई है परन्तु पोस्ट मास्टर जनरल के कार्यालय के कम वेतन वाले कर्मचारियों के लिये आवास स्थान का प्रबन्ध करने का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है;

(ग) यदि हां, तो कम वेतन वाले कर्मचारियों के प्रति ऐसा भेदभावपूर्ण व्यवहार किये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या पोस्ट मास्टर जनरल के कार्यालय के कम वेतन वाले कर्मचारियों को उनके भुवनेश्वर में स्थानान्तरित होने पर आवास स्थान देने का सरकार का विचार है ताकि उन्हें आवास स्थान में होने वाली कठिनाइयों से बचाया जा सके ?

संसद कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी हां। उड़ीसा सर्कल के पोस्टमास्टर जनरल के मुख्यालय को कटक से भुवनेश्वर स्थानान्तरित करने का सिद्धांततः निर्णय ले लिया गया है।

(ख) कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए 110 क्वार्टरों का निर्माण किया जा रहा है जिनमें से कुछ सर्कल कार्यालय के कर्मचारियों को दिये जाएंगे। अधिकारियों के कुछ क्वार्टरों के निर्माण के लिए नकशे मंगाये गये हैं और फंड उपलब्ध होने पर कुछ चरणों में इनका निर्माण किया जायेगा।

(ग) सभी वर्गों के कर्मचारियों के लिए क्वार्टरों का निर्माण किया जा रहा है और इसमें कोई भेद-भाव नहीं बरता जाता।

(घ) कर्मचारियों के लिए जिन 110 क्वार्टरों का निर्माण किया जा रहा है, उनमें से कुछ पोस्टमास्टर जनरल के कार्यालय के कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को दिये जाएंगे।

खाद्यान्न लाने-लेजाने पर लगे प्रतिबन्ध

5019. **श्री मधुलिमये** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में अनाज के लाने-ले जाने पर लगे प्रतिबन्धों को उठाने का विचार है;

(ख) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि इन प्रतिबन्धों के कारण कुछ राज्यों में कृत्रिम रूप से खाद्यान्नों के मूल्य बढ़ गये हैं तथा कुछ में कम हो गये हैं;

(ग) क्या इस से भ्रष्टाचार और मुनाफाखोरी बढ़ती जा रही है और इसके परिणाम-स्वरूप किसानों को हानि उठानी पड़ रही है; और

(घ) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों में मूल्यों को स्थिर करने तथा देश में खाद्यान्नों का समान मूल्यों पर समान रूप से वितरण सुनिश्चित करने के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हैं ।

(ख) मूल्यों का उतार चढ़ाव अधिकांशतः पिछले वर्ष के मूल्यों के समान रहा है । सब राज्यों में फसल की कटाई के बाद अनाज के मूल्यों में गिरावट आई थी, पर उनके मूल्यों में हाल ही में अनाज के मण्डी में देरी से आने और वर्षा तथा मौसमी परिस्थितियों के कारण वृद्धि हुई है ।

(ग) और (घ) सरकार को ऐसे कोई उदाहरणार्थ किसी मामले की जानकारी नहीं है कि खाद्य क्षेत्रों के कारण किसी ने मुनाफाखोरी की है, जिनका गठन गैर-सरकारी अनाज के व्यापार को संतुलित करने के अभिप्राय से किया गया है । खाद्यान्न क्षेत्रों से आन्तरिक वसूली और खाद्यान्नों को उचित मूल्यों पर वितरित करने में सुविधा होती है । इसके परिणाम स्वरूप सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्षेत्र में वृद्धि हुई है । किसानों को रक्षा का आश्वासन देने के अभिप्राय से राज्य सरकार द्वारा निश्चित वसूली मूल्यों पर अनाज की वसूली करने के लिये प्रबल वसूली अभियान आरम्भ किये गये हैं ? मूल्य को संतुलित करने के लिये किये गये और उपायों में व्यापार के मामलों में बहुत से कानूनी उपायों को लिया जाना, बैंक द्वारा दी जाने वाली अग्रिम राशि पर नियंत्रण और अनाज का आयात आदि शामिल हैं ।

Loan to Farmers through Banks.

5020. **Shri Madhu Limaye** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that one of the reasons behind the introduction of Banking Laws (Amendment) Bill was that Government wanted to make available adequate loan at cheap rates to the farmers through Banks ;

(b) whether any scheme is being formulated in consultation with his Ministry to achieve this objective, after the introduction of this Bill ;

(c) whether his Ministry, of their own, have made certain suggestions in this regard ; and

(d) if so, the main points thereof ?

Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Coop. (Shri Annasahib P. Shinde) : (a) The main object of the Banking Laws (Amendment) Bill, 1967 is to provide for certain changes in the management of the banks like the reconstitution of their boards of directors and appointment of full-time chairman. The Bill is part of the Government's scheme to bring about social control over commercial banks designed, inter alia, to provide for an equitable and purposeful distribution of the resources of the banking system in conformity with developmental requirements.

(b) No. Sir, no such scheme is being formulated.

(c) No. Sir, no such suggestions have been made in this regard.

(d) The question does not arise.

Production of Cotton

5021. **Shri Madhu Limaye** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government have received complete figures in regard to the production of cotton this year ;

(b) if so, the State-wise details thereof ;

(c) the quantity of cotton imported in the year 1967-68 and the value thereof; and

(d) the positions in regard to cotton prices in the Mandis of the country during the last three months ?

Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb P. Shinde): (a): Yes sir, for 1967-68.

(b) A statement is enclosed (Statement I). **[Placed in Library. See No. LT-1832-68].**

(c) Imports during 1967-68 (September, 67-August, 1968) are expected to be about 8.5 lakh bales. Actual arrivals upto April, 1968 have been 4,67,000 bales valued at Rs. 47.92 crores.

(d) A statement showing the cotton prices in different mandis during the last three months is enclosed (Statement II). **(Placed in Library. See No. LT-1832-68).**

Expenditure on Scheduled Castes and Scheduled Tribes

5022. **Shri Ram Singh Ayarwal** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a meagre portion of the amount allocated for community development and cooperation is spent on the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other backward classes and if so, the percentage of the expenditure incurred on them as fixed quota out of the total outlay of the Department ;

(b) the percentage of the amount proposed to be spent for the said Castes on the eve of Gandhi Centenary ; and

(c) whether any assessment has been made to ascertain if the funds allotted for them under the head "co-operation" are adequate ?

The Minister of State in the Ministry of Food and Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri M. S. Gurupadaswamy): (a) No precise percentage of the allocations for Community Development and Cooperation is reserved specifically for the Scheduled Castes and Tribes. The benefits accruing from these programmes, however, catering as they do to all sections of the rural community, reach members of the Scheduled Castes and Tribes also within the limit of the schemes taken up for implementation and the outlays.

(b) Does not arise.

(c) No, Sir.

Communication facilities for Rural Population

5023. **Shri Ram Singh Ayarwal** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the percentage of total amount spent annually on providing means of communications for rural population ;

(b) whether the percentage is low as compared to the needs of rural population ; and

(c) if so, whether Government propose to set up Post Offices at the distance of every 2-3 miles or less in rural areas particularly in the area inhabited by Scheduled Castes Scheduled Tribes and other backward classes ?

Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) The percentage cannot be given as separate accounts are not maintained of expenditure for providing means of communications for rural population.

(b) Does not arise.

(c) The present policy regarding development of post offices is in Annexure A. (**Placed in Library. See No. LT-1833-68**). It may be seen that no separate policy exists regarding areas inhabited by Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other backward classes though a higher permissible limit of loss is allowed for opening of post offices in areas classified as 'very backward'.

Telephone Equipment Manufacturing Factory

5024. **Shri Meetha Lal Meena** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that another telephone equipment manufacturing factory is proposed to be set up ; and

(b) if so, where and when and what will be its estimated production and estimated capital to be invested therein ?

Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) There is a proposal to set up a new factory for the manufacture of long distance transmission equipment to agument the production of the Indian Telephone Industries Limited, Bangalore, of such equipment.

(b) No decision has so far been taken about the location of the proposed factory. The new factory is expected to produce Rs. 13.5 Crores worth of transmission equipment during the first five years of its setting up. According to preliminary estimates, the capital expenditure on the new factory is expected to be about Rs. 245 lakhs.

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के अनुसंधान कार्यक्रम

5025. **श्री रा० अ० अगड़ी** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पिछले कई वर्षों से बढ़िया फसलें पैदा करने के लिये रेडियो-आइसोटोपों का प्रयोग करके बीज उत्परिवर्तन का कार्य कर रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि अपने अनुसंधान कार्यक्रमों का विस्तार करने में इस संस्था को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है; और

(ग) यदि हां, तो वे समस्याएं क्या हैं तथा विस्तार कार्यक्रमों को वास्तव में बढ़ाने के लिये किन-किन उपचारात्मक उपायों के सुझाव दिये गये हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां। यह संस्थान रेडियो-आइसोटोपों तथा आयोनाइजिंग रेडिएशन की विभिन्न किस्मों के प्रयोग द्वारा भिन्न-भिन्न फसल-पौधो में उत्परिवर्तन के प्रेरण पर पिछले कई वर्षों से कार्य कर रहा है।

(ख) और (ग) : भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का प्रमुख कार्य कृषि विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में उच्च स्तर पर आधारिक तथा व्यवहारिक अनुसंधान करना है और कृषि-विज्ञान तथा उसकी सजातीय आधारिक अनुशासन से सम्बन्धित समस्त प्रमुख क्षेत्रों में पूर्ण रूप से स्नातकोतर शिक्षण तथा एम० एस० सी० तथा पी० एच० डी० स्तरों पर प्रशिक्षण देना है। देश की कृषि की अधिक महत्वपूर्ण समस्याओं पर अनुसंधान करने के प्रयत्न पर ध्यान केन्द्रित करने के साथ ही साथ कृषि क्षेत्र के समस्त क्रास-सैक्शन का प्रतिनिधित्व करने वाले अनुसंधान के क्षेत्रों को चुनने का लक्ष्य है ताकि देश की वर्तमान तथा भविष्य की आवश्यकताओं के अनुकूल अनुसंधानात्मक जानकारी की एक समुचित निकाय का विकास हो सके।

इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये चौथी योजना के दौरान कई योजनाओं पर या तो पहले ही कार्य आरम्भ हो चुका है या उन्हें शुरू करने के लिए अभी उन पर विचार हो रहा है जिससे कि संस्थान को सुविधाओं तथा मौजूदा ढांचे में आई त्रुटियों को दूर किया जा सके और देश में कृषि अनुसंधान में अब तक आई कमजोरियों को दूर करने तथा अनुसंधान और प्रशिक्षण की नई पद्धतियों को चालू करके एवं इससे पूर्व शुरू की गई कुछ पद्धतियों को और अधिक मजबूत बनाकर भी सुदृढ़ता लाई जा सके।

Hindi Officer

5026. **Shri Ram Charan** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the post of Hindi Officer in his Ministry was filled on an **ad hoc** basis ;

(b) if so, when ;

(c) whether is is also a fact that such posts are required to be filled through U. P. S. C.; and

(d) if so, the action taken to fill this post through U. P. S. C. and the date by which this post would be advertised by U. P. S. C. ?

Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib P. Shinde) : (a) Yes. Two posts of Hindi Officers in the Departments of Agriculture and Food were filled on **'ad hoc'** basis.

(b) With effect from 13. 11. 67 (AN) and 5. 8. 68. (FN) respectively.

(c) It is not necessary to consult U. P. S. C. in case of **'ad hoc'** appointments for

a period of less than a year. For regular appointment reference to U. P. S. C. depends upon the method prescribed in the Rules of Recruitment.

(d) Ministry of Home Affairs have recently proposed model rules of recruitment for posts of Hindi Officers in all Ministries. On that basis dapartment of Agriculture have drafted their rules of recruitment and referred the draft to U. P. S. C. and Ministry of Home Affairs for concurrence. Steps for regular appointment to the post will be taken thereafter in accordance with approved rules.

समाचारपत्रों के कर्मचारियों की हड़ताल

5027. **श्री शिवचन्द्र झा :** **श्री दी० चं० शर्मा :**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री 25 जुलाई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 773 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समाचारपत्रों के कर्मचारियों की हाल ही की हड़ताल का कितने समाचार पत्रों पर प्रभाव पड़ा है तथा कितने कर्मचारियों ने हड़ताल कर रखी है;

(ख) कितने जन-दिनों की हानि हुई है;

(ग) क्या कर्मचारियों तथा मालिकों का विवाद इस बीच हल हो गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो विवाद को हल करने तथा हड़ताल को समाप्त करने के लिये आग क्या कार्यवाही की गई है और उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री हाथी) : (क) मद्रास, बम्बई, कलकत्ता और दिल्ली स्थित 8 समाचारपत्रों में हड़ताल का प्रभाव पड़ा है। इस बीच मद्रास के समाचारपत्रों में हड़ताल समाप्त हो गई है। सम्बन्धित कर्मचारियों की संख्या लगभग 11,000 होगी।

(ख) जानकारी तुरन्त उपलब्ध नहीं है।

(ग) और (घ) मद्रास के समाचारपत्र हिन्दू के कर्मचारियों ने 5 अगस्त, 1968 से काम आरम्भ कर दिया है। शेष समाचारपत्रों में हड़ताल जारी है। गैर-पत्रकार मजूरी बोर्ड की सिफारिशों की क्रियान्विति के बारे में विवाद है। यह द्विपक्षीय बातचीत और समझौते का मामला है तथा केन्द्रीय और राज्य सरकारों ने समझौता कराने के लिये अपनी सेवायें पेश की हैं।

सिविल विवाह

5028. **श्री शिवचन्द्र झा :** क्या **विधि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले एक वर्ष में देश में कितने सिविल विवाह हुए;

(ख) ऐसे विवाहों में से कितने मामलों में तलाक हुए तथा उनके क्या कारण थे;

(ग) क्या इन विवाहों और तलाकों के कानून को सरल बनाने का सरकार का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद यूनुस सलीम) : (क) और (ख)-जानकारी संगृहीत की जा रही है और सम्यक् अनुक्रम में सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) और (घ) विशेष विवाह अधिनियम, 1954 को संशोधित करने के लिए राज्य सभा द्वारा यथा पारित एक विधेयक लोक सभा के समक्ष लम्बित है। इसका उद्देश्य न्यायिक पृथक्करण या दाम्पत्यिक अधिकारों के प्रत्यास्थापन की डिक्री के किसी पक्षकार को तलाक के लिए आवेदन करने का अधिकार प्रदान करना है। ऐसे मामलों में प्रतीक्षा की कालावधि को भी दो वर्ष से घटाकर एक वर्ष किया जा रहा है। अधिनियम को संशोधित करने के लिए कोई अन्य प्रस्थापना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

देश में टेलीफोन बूथ

5029. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गाँवों में कितने टेलीफोन बूथ लगाये जाने की आवश्यकता है;

(ख) पिछले एक वर्ष में देश में सामान्य रूप से तथा बिहार में विशेषकर ऐसे कितने टेलीफोन लगाये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो बिहार के प्रत्येक जिले में कितने टेलीफोन लगाये गये हैं ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) सामान्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक टेलीफोन घर तब खोले जाते हैं, जबकि उक्त योजना विभाग के लिए लाभकारी हो। अन्य मामलों में अर्थात् जब योजनाओं में हानि दीख पड़ती है तो उसके लिए इच्छुक पार्टियों को गारन्टी देनी पड़ती है। फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन सुविधाओं के उत्तरोत्तर प्रसार की दृष्टि से एक नीति का निर्धारण किया गया है जिसके अनुसार प्रशासनिक महत्व, जनसंख्या, पर्यटन महत्व, योजना-महत्व, तीर्थ केन्द्र और मौजूदा टेलीफोन लाइनों से स्थान के सुदूर होने के कारणों पर आधारित कुछ श्रेणी के स्टेशनों पर लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर हानि के बावजूद खोले जा सकते हैं। उपर्युक्त नीति के आधार पर 1968-69 वर्ष में बिहार में 38 सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने का कार्यक्रम है।

(ख) 1967-68 में देश में 321 सार्वजनिक टेलीफोन घर खोले गये हैं। बिहार में गतवर्ष खोले गये ऐसे टेलीफोन घरों की संख्या 18 है।

(ग) ऊपर (ख) में उल्लिखित 18 सार्वजनिक टेलीफोन घरों का जिलेवार विभाजन निम्नप्रकार है :—

शाहबाद—6, दरभंगा—4, छपरा—2, पूर्णिया—3, मुजफ्फरपुर—1, चम्पारन—1, और सहरसा—1।

Scheme for Rehabilitation of Agricultural Labourers

5040. **Shri Deorao Patil** : Will the Minister **of Food and Agriculture** be pleased to State :

(a) whether the schemes for the rehabilitation of agricultural labourers were centrally sponsored schemes in the Second and Third Five Year Plans ;

(b) whether Government have decided to entrust these schemes to State Governments as State schemes in 1968-69 and in the Fourth Plan ; and

(c) if so, the reasons therefor ?

Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Coop. (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) The Centrally sponsored scheme of reclamation of cultivable wastelands and resettlement of landless agricultural labourers was initiated towards the latter part of Third Five Year Plan.

(b) and (c) : After the Third Five Year Plan, the programme has been continuing on a year-to-year basis only to the extent of the "spill-over" part of the schemes, i.e. the schemes which were actually under progress after sanction. This position continues upto 1968-69. As regards the Fourth Plan, no final decision has yet been taken on the number and scope of the centrally sponsored schemes.

Non-Delivery of Money Orders and Telegrams in Pauri Garhwal

5031. **Shri Arjun Singh Bhadoria : Shri Ram Charan : Shri Nardeo Snatak :**

Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether the Government of Uttar Pradesh have received any complaints from the people of District Pauri Garhwal to the effect that telegrams, Money Orders and letters are not delivered to them in time and are delivered as late as 20 to 25 days after ; and

(b) if so, the action proposed to be taken by Government in this regard ?

Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) The Department has not received any complaint in this regard from the Government of Uttar Pradesh.

(b) Does not arise.

New Post Offices in Pauri Garhwal

*5032. **Shri Arjun Singh Bhadoria : Shri Nardeo Snatak :**

Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the total number of Post Offices opened in District Pauri Garhwal of Uttar Pradesh during the year 1967-68 ;

(b) the names of places where they have been opened and the dates on which they have been opened ;

(c) whether Government have received any memoranda from the people of the said area for the opening of more Post Offices there ; and

(d) if so, Government's reaction thereto ?

Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) 12.

(b) **Names of places**	**Date of opening**
Nagjagai	5-2-68
Sanjle	28-2-68
Kandai	24-2-68
Sankaracharya Nagar	9-1-68
Padampur Sukhrao	1-12-67
Haretikhal	11-12-67

Name of places	Date of opening
Seriyakhal	13-12-67
Thalda	23-12-67
Rajwat	12-12-67
Nakholi	9-12-67
Binobapuri	25-12-67
Masngaon	23-11-67

(c) Yes.

(d) Post Offices have been sanctioned in 5 cases and the remaining cases are under examination.

एशियाई देशों के श्रम मन्त्रियों का सम्मेलन

5033. **श्री बलराज मधोक** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनवरी, 1969 के अन्त में नई दिल्ली में होने वाले एशियाई देशों के श्रम मन्त्रियों के सम्मेलन में तइवान को आमन्त्रित नहीं किया जा रहा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि 1966 में मनीला (फिलपीन) में हुए एशियाई देशों के श्रम मन्त्रियों के सम्मेलन में तइवान को आमन्त्रित किया गया था ;

(ग) क्या यह भी सच है कि मंगोलिया, उत्तरी कोरिया और उत्तरी वियतनाम को, जिनको 1966 में मनीला सम्मेलन में आमन्त्रित नहीं किया गया था, दिल्ली में होने वाले सम्मेलन में आमन्त्रित किया जा रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो तइवान को आमन्त्रित न करने तथा मंगोलिया, उत्तरी वियतनाम तथा उत्तरी कोरिया को दिल्ली में होने वाले सम्मेलन के देशों की सूची में शामिल करने के क्या कारण हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री हाथी) : (क) जी हाँ ।

(ख), (ग) और (घ) सम्मेलन के लिए देशों की कोई स्थाई सदस्यता नहीं है तथा निमन्त्रक देश के द्वारा एशियाई देशों के श्रम मन्त्रियों को निमन्त्रण भेजे जाते हैं। 1966 में मनीला में हुए सम्मेलन के लिए फिलप्पीन सरकार के श्रम मंत्री (माननीय श्रम सचिव) के द्वारा निमन्त्रण भेजे गये थे। 1969 में नई दिल्ली में होने वाले प्रस्तावित सम्मेलन के लिए औपचारिक निमन्त्रण भारत सरकार के श्रम मन्त्री द्वारा भेजे जायेंगे। चूंकि भारत को तइवान से कोई राजनयक सम्बन्ध नहीं है, इस लिए तइवान को सम्मेलन में बुलाने का कोई विचार नहीं है। चूंकि श्रम मन्त्री की ओर से की गई पूछताछ के जवाब में मंगोलिया, उत्तरी कोरिया तथा उत्तरी वियतनाम ने सम्मेलन में भाग लेने की कोई रुचि नहीं दिखाई, इसलिए इन देशों के श्रम मन्त्रियों को श्रम मन्त्री द्वारा औपचारिक निमन्त्रण देने का विचार नहीं है।

चीनी का उत्पादन तथा निर्यात

5034. **श्री विश्वनाथ राय** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की वर्त्तमान चीनी सम्बन्धी नीति को देखते हुए 1967–68 के मौसम में चीनी के उत्पादन में वृद्धि हुई है; और

(ख) क्या इस वर्ष अधिक चीनी निर्यात किये जाने की सम्भावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) चीनी संबन्धी नई नीति, जिसमें चीनी का बहुत कम उत्पादन होने का अनुमान लगाया गया था, उसकी तुलना में 1967–68 में 22.5 लाख चीनी का उत्पादन होने का अनुमान है।

(ग) जी नहीं। चीनी के कोटे के वचनों को पूरा करने के लिये 1968 में चीनी का लगभग 95,000 मीट्री टन निर्यात किया जायेगा।

Disturbances in Labour Areas

5035. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 6318 on the 4th April, 1968 and state :

(a) whether Government have since received the information in regard to the disturbances which took place in labour areas in Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and West Bengal during the period from 1967 to 4th April, 1968 ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the time by which the said information would be collected and laid on the Table ?

Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi) : (a) and (b) In Unstarred Question No. 6318 dated 4-4-1968 information was asked for the period November 1967 to 4-4-1968. Information for this period is as follows :

State	No. of disturbances in Labour areas	No. of persons arrested
Madhya Pradesh	101	166
Uttar Pradesh	3	55
West Bengal	107	702

(c) Does not arise.

Number of English Teleprinters in Telegraph Offices in States

5036. **Dr. Govind Das** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the number of English Teleprinters installed in Telegraph Offices in Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Bihar, Rajasthan, Himachal Pradesh, Delhi, Punjab, Maharashtra and Gujarat ;

(b) the number of Telegraph Offices where Hindi Teleprinters would be installed this year and in 1969, respectively ; and

(c) the arrangement being made to transmit Hindi telegrams expeditiously from the remaining telegraph offices ?

Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) (1) U. P. 431, (2) M. P. 169, (3) Bihar 160,

(4) Rajasthan 136, (5) Himachal Pradesh (6) Punjab 214, (7) Delhi 283, (8) Maharashtra 618, (9) Gujarat 167.

(b) (1) During this year 68, (2) During 69 . . . Depends upon traffic requirements.

(c) Exclusive direct morse outlets are provided wherever justified for disposal of Devnagri Telegrams ; on all other circuits Devnagri traffic is exchanged on the usual morse O/Is.

संसद सदस्यों को राज्य सड़क परिवहन की बसों में मुफ़्त यात्रा की सुविधायें

5037. **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे** : क्या **संसद-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब तक किसी राज्य सरकार ने उस राज्य के संसद सदस्यों को अपने संसदीय कर्त्तव्य निभाने के लिये उस राज्य में चलने वाली मोटर गाड़ियों में मुफ़्त यात्रा की सुविधायें दी हैं ; और

(ख) यदि हां, तो वे राज्य कौन से हैं और उसके बारे में ब्योरा क्या है ?

संसद-कार्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : **(क) तथा (ख)** : केवल केरल की राज्य सरकार ही अपने राज्य के संसद सदस्यों को राजकीय सड़क परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा करने की सुविधायें प्रदान करती है ।

औद्योगिक विवादों के लिए औद्योगिक न्यायिक प्राधिकरण

5038. **श्री यज्ञदत्त शर्मा** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरणों तथा श्रम-न्यायालयों के स्थान किसी औद्योगिक न्यायिक प्राधिकरण की स्थापना करने के प्रश्न पर विचार कर रही है जिससे औद्योगिक विवादों में सरकारी हस्तक्षेप की संभावना समाप्त हो जाये ;

(ख) क्या उद्योगों में ट्रेड यूनियनों की मान्यता सम्बन्धी अनुशासन संहिता के उपबन्धों में परिवर्तन का प्रश्न ही विचाराधीन है ; और

(ग) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्योरा क्या है और उस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) (क) से (ग) : औद्योगिक न्यायाधिकरणों तथा श्रम-न्यायालयों के प्रतिस्थापन अथवा मजदूर संघों की मान्यता संबंधी अनुशासन संहिता के उपबन्धों को बदलने का इस समय सरकार के पास कोई भी प्रस्ताव नहीं है । राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशें प्राप्त होने के बाद सरकार इन मामलों पर विचार करेगी ।

पश्चिमी बंगाल में ग्रामीण ऋण की आवश्यकता

5039. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी बंगाल में ग्रामीण ऋण की कितनी आवश्यकता होने का अनुमान है ;

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों के लिए वर्ष 1966-67 तथा 1967-68 में प्रत्येक साधन द्वारा रुपयों में अर्थात् (1) सरकार, (2) सहकारी समितियां, (3) सरकार-द्वारा प्रायोजित अन्य संस्थानों, (4) गैर-सरकारी साहूकारों तथा (5) अन्य साधनों द्वारा रुपयों में कुल कितना ऋण प्रदान किया गया ;

(ग) ग्रामीण ऋण की सप्लाई से कितने किसानों को लाभ पहुँचा ;

(घ) प्रत्येक किसान को औसतन कितने रुपए का ऋण प्राप्त हुआ ; और

(ङ) सहकारी समितियों द्वारा ऋण दिये जाने से कितने किसानों को लाभ पहुंचा है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) प्रारम्भिक अनुमान के अनुसार ग्रामीण ऋण की औसतन वार्षिक आवश्यकता 70 करोड़ रुपये की होगी ।

(ख) स्रोत	1966-67	1967-68
1. सरकार	1.81 करोड़ रुपये	3.56 करोड़ रुपये
2. सहकारी समितियां	10.47 करोड़ रुपये	11.56 करोड़ रुपये
3. सरकार द्वारा प्रायोजित अन्य संस्थायें	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
4. गैर सरकारी साहूकार	उपलब्ध नहीं	
5. अन्य स्रोत	उपलब्ध नहीं	

(ग) उपलब्ध नहीं ।

(घ) उपलब्ध नहीं ।

(ङ) 9,75,000 रुपये ।

अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सदस्यों की दिल्ली में सहकारी समिति

5040. **श्री हरदयाल देवगुण** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सदस्यों की सहकारी समिति द्वारा समिति के धन तथा रियायती दरों पर खरीदी गई वस्तुओं के दुरुपयोग के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने आरोपों की जांच की है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) जी हां ।

(ख) जी हाँ; 5136.99 रुपए के कथित दुर्विनियोग के बारे में एक रिपोर्ट पुलिस प्राधिकारियों को भेजी गई है और समिति के मामलों की सांविधिक जांच दिल्ली के सहकारी समितियों के निबंधक के आदेशों के अधीन की गई है, जो इस मामले पर आगे आवश्यक कार्यवाही करेंगे ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों के प्रति पंजाब सर्किल के वरिष्ठ अधिकारियों का भेदभावपूर्ण रवैया

5041. **श्री सूरज भान** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपको अथवा डाक-तार विभाग को पंजाब सर्किल के कुछ वरिष्ठ डाक-तार

अधिकारियों द्वारा अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों के प्रति भेदभाव पूर्ण रवैया अपनाये जाने के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) क्या हाल ही में अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित सरकारी कर्मचारियों का कोई सम्मेलन जालंधर में हुआ था और उसमें डाक-तार अधिकारियों के विरुद्ध कोई संकल्प पारित किया गया था ;

(ग) क्या डाक तार बोर्ड द्वारा स्वीकृत अनुसूचित जातियों के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों की, जिनमें राजपत्रित अधिकारी भी शामिल हैं, हाल ही में बिना कारण बताये पदावनति कर दी गयी है, जबकि अन्य जातियों से सम्बन्धित अधिकारी अनुसूचित जातियों के उन अधिकारियों से कनिष्ठ हैं; अभी भी अपने पदों पर कार्य कर रहे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी हां।

(ख) जी हां। यह प्रस्ताव अनुसूचित जाति वेलफेयर एसोसियेशन जालंधर द्वारा पारित किया गया था, जो कोई मान्यता प्राप्त संस्था नहीं है।

(ग) तथा (घ) : हाल ही में प्रशासनिक कारणों से तीन कर्मचारियों को पदावनत किया गया था। इनमें से एक कर्मचारी अनुसूचित जाति का था। उसकी पदावनति का अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों के साथ व्यवहार सम्बन्धी शिकायत से कोई सम्बन्ध नहीं था। इन कर्मचारियों की नियमित रिक्त स्थानों पर पदोन्नति करने के आदेश जारी किये जा चुके हैं।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

5042. **श्री मंगलाथुमाडोम** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्मचारी राज्य बीमा निगम के वर्तमान अध्यक्ष का कार्यकाल कब तक चलेगा ;

(ख) ऐसे उच्च पदों पर नियुक्ति के लिये लोगों को किस आधार पर छांटा जाता है ; और

(ग) इस निगम के क्षेत्रीय केन्द्रों के अध्यक्षों का चयन करते समय क्या राज्य सरकारों से परामर्श लिया जाता है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) अध्यक्ष अपने पद पर तब तक बना रहता है जब तक केन्द्रीय सरकार चाहे।

(ख) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 4 में की गई व्यवस्था के अनुसार, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अध्यक्ष, इसकी स्थापना के समय से ही केन्द्रीय सरकार के श्रम मन्त्री रहे हैं। अधिनियम में किए गये बाद के संशोधन के अनुसार अध्यक्ष केन्द्रीय सरकार द्वारा नामित किया गया।

(ग) जी हाँ, क्षेत्री बोर्ड के अध्यक्ष राज्य सरकारों के परामर्श से नियुक्त किए जाते हैं।

केरल को भोजन के लिये राजसहायता सम्बन्धी मांग

5043. **श्री मंगलाथुमाडोम** :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने राज्य के बाढ़-पीड़ितों को राहत देने के लिये केन्द्रीय सरकार से भोजन के लिये विशेष राजसहायता मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) सरकार को ऐसी कोई प्रार्थना प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कपास की खेती वाली भूमि

5044. **श्री देवराव पाटिल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष कपास की बुवाई कम क्षेत्र में होगी ;

(ख) क्या गत फसल पर उत्पादकों के लिए कपास के मूल्य अलाभप्रद होने तथा गत जून और जुलाई में बहुत कम वर्षा के कारण कपास की फसल और भी कम भूमि में बोई जायेगी ; और

(ग) यदि हां, तो कितनी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) व (ग) कपास की बुवाई अभी हो रही है, अतः 1968-69 के दौरान कपास के क्षेत्र तथा उत्पादन के सम्बन्ध में कोई निश्चित विचार प्रकट करने का अभी उचित समय नहीं है ।

Hindustan Sugar Factory, Lakhimpur, U. P.

5045. **Shri Ranjit Singh** : **Shri Bharat Singh Chauhan** :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the quantity of sugar produced by the Hindustan Sugar Factory, Gola Gokaran Nath, Lakhimpur-Kheri during the last five years, the quantity out of it given in the Government quota and the quantity sold in the open market ;

(b) wheter Government are aware that a large quantity of sugar is being sold in black-market by the management of the factory ;

(c) whether Government is also aware that payment to the farmers for the sugarcane purchased is made after a month thereby causing much difficulty to them ; and

(d) if so, the action being taken in the matter ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) The sugar produced by the Hindustan Sugar Factory, Gola Gokarannath, during the last 5 years is given below :

Sugar Year (1st Oct. to 30th September following)	Sugar Produced (Tonnes)
1963-64	74,104
1964-65	78,405

Sugar Year (1st Oct. to 30th September following)	Sugar produced (Tonnes)
1965-66	80,265
1966-67	49,707
1967-68	50,952

The entire sugar produced during the years 1963-64 to 1966-67 was released for controlled distribution at prices fixed by Government. Out of the sugar produced in 1967-68, about 60% would be taken for controlled distribution and the remaining quantity would be released for sale in the open market.

(b) No Sir.

(c) No Sir, according to reports received from the factory, it is observed that it has been making payments promptly every week.

(d) Does not arise.

Co-operative Sugar Factory

5046. **Shri Ranjit Singh** : **Shri Bharat Singh Chauhan** :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether a cooperative society had sometimes back proposed to set up a sugar factory in village Palia, District Kheri Lakhimpur, Uttar Pradesh ;

(b) if so, the reasons as to why it has not been set up ;

(c) whether it is a fact that a licence for setting up the proposed mill has been given to someone in the private sector ; and

(d) if so, the name of the party to whom this licence has been given, the date when it was given and the quantity of sugar produced by it so far ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) Yes, Sir. An application was received in April, 1964, from M/s The Palia-Bhira Cane Cooperative Society Ltd., Palia-Kalan, District Kheri for the grant of a licence to establish a new cooperative sugar factory at Palia-Kalan, District Kheri (U. P.).

(b) and (c) : The matter was considered in consultation with the U. P. Government. They informed that after meeting the requirements of M/s The Hindustan Sugar Mills Ltd., Golagokarannath for its licenced/expanded daily cane crushing capacity of 5000 tonnes, adequate quantity of sugarcane would not be available at Palia Kalan for the proposed cooperative factory. They, therefore, recommended that the Golagokarannath sugar factory might be permitted to shift 1400 tonnes of its daily cane crushing capacity for establishment at Palia-Kalan and that this arrangement was acceptable both to the sponsors of the cooperative at Palia and the management of the Golagokargannath Sugar Factory. Accordingly, a licence was issued to M/ The Hindustan Sugar Mills Ltd. for the establishment of a sugar factory at Palia by shifting a part of its plant and machinery from Golagokarannath to Palia-kalan.

(d) : A licence dated 20.7.1966 has been granted to M/s The Hindustan Sugar Mills Ltd., Golagokarannath, District Kheri for the establishment of a 1400 tonne sugar factory at Palia-Kalan, District Kheri (U. P.). The factory at Palia Kalan has not yet gone into production.

Hindustan Sugar Factory, Gola Gokaran Nath, Lakhimpur Kheri.

5047. **Shri Ranjit Singh :** **Shri Bharat Singh Chauhan :**

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the amount of Provident Fund deposited by the Hindustan Sugar Factory, Gola Gokaran Nath, Lakhimpur Kheri during the last five years and the amount outstanding against them ;

(b) whether it is also a fact that the amount of bonus due to the workers during the last five years has not been paid to them ; and

(c) if so, action proposed to be taken in this regard ?

Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi) : (a) to (c) : The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Hindustan Sugar Factory, Gola Gokaran Nath, Lakhimpur Kheri

5048. **Shri Beni Shanker Sharma :** **Shri Ranjit Singh :**

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the recommendations of Sugar Wage Board are not being implemented in the Hindustan Sugar Factory, Gola Gokaran Nath, Lakhimpur Kheri ;

(b) if so, the action proposed to be taken by Government in this regard ;

(c) the total number of employees at present working in the aforesaid factory and the number out of them of those working on regular basis and also of those working on daily wages ; and

(d) the reasons for not making regular the workers working on daily wages ?

Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi) : (a) The Hindustan Sugar Factory, Gola Gokaran Nath, Lakhimpur Kheri have implemented the interim recommendations of Second Wage Board for Sugar Industry. The Board has not yet submitted its final report.

(b) Does not arise,

(c) The total number of employees is 1609 and the number of employees on regular basis is also 1609. The number of employees on daily wages is nil.

(d) Does not arise.

तमिल कवि वाराथीडसन के सम्मान में डाक टिकट

5049. **श्री सुब्रावेलू :** क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार तमिल कवि वाराथीडसन के सम्मान में डाक टिकट जारी करने का है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

ए० जी० डिविजन, मद्रास के रेलवे डाक सेवा के रिकार्ड कार्यालय में रिक्त स्थान

5050. **श्री मयावन :** **श्री दीवीकन :**
श्री सुब्रावेलू :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों से ए० जी० डिविजन, मद्रास के रेलवे डाक सेवा कार्यालय के अभिलेख कार्यालय में कितने रिक्त स्थानों को रिक्त रखा गया; और

(ख) रिक्त स्थानों को न भरने के क्या कारण हैं ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी नहीं। (ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

रेलवे डाक सेवा के डिविजनों का विजयवाड़ा को स्थानान्तरण

5051. **श्री मयावन :** **श्री दीवीकन :**
श्री सुब्रावेलू :

क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रेलवे डाक सेवा के० ए० सी०–22, वाई–16 तथा ए० जी०-4 डिविजनों को मद्रास से विजयवाड़ा स्थानान्तरित करने का है;

(ख) क्या इस प्रस्ताव को क्रियान्वित किये जाने के परिणामस्वरूप मद्रास से स्थानांतरित किये जाने वाले सभी कर्मचारियों को कठिनाई होगी; और

(ग) क्या इस प्रस्ताव से प्रशासनिक दृष्टि से कोई विशेष लाभ होगा ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) रेल डाक सेवा ए० जी–22 सेक्शन का मुख्यालय पहले से ही मद्रास से गुंटाकल बदल दिया गया है। ए० जी०–4 और वाई–16 सेक्शनों के संबंध में अभी उनके मुख्यालय बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) वाई–16 और ए० जी०–4 सेक्शनों के मामले में कोई प्रश्न ही नहीं उठता। जहां तक सेक्शन ए० जी०–22 का संबंध है, उसमें काम करने वाले कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखा गया है।

(ग) ए० जी–22 का मुख्यालय मद्रास से गुंटाकल बदलना प्रशासनिक दृष्टि से अधिक लाभकारी था।

तीसरी श्रेणी के सार्टरों का आंध्र सर्किल को स्थानान्तरण

5052. **श्री मयावन :** **श्री सुब्रावेलू :**
श्री दीवीकन :

क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाई० तथा ए० जी० डिविजन, मद्रास के रेलवे डाक सेवा रिकार्ड कार्यालय के तीसरी श्रेणी के कुछ सार्टरों ने आंध्र सर्किल में स्थानान्तरण के लिये अपनी इच्छा व्यक्त की है;

(ख) क्या ऐसे कर्मचारियों को अब तक आंध्र सर्किल में स्थानान्तरित नहीं किया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी हाँ ।

(ख) तथा (ग) मद्रास में ए० जी०–22 सेक्शन के पांच सार्टर जिन्होंने सेक्शन के मुख्यालय के गुंटाकल को स्थानान्तरण के समय आंध्र क्षेत्र में अपने स्थानान्तरण की इच्छा व्यक्त की थी, उनका वहां स्थानान्तरण कर दिया गया है। रिकार्ड कार्यालय 'वाई०' डिवीजन मद्रास के तीन सार्टरों का जिन्होंने आन्ध्र क्षेत्र में स्थानान्तरित किये जाने के लिये प्रार्थना की थी, आन्ध्र सर्कल में रिक्त स्थान न होने के कारण स्थानान्तरण नहीं किया जा सका ।

ए० जी० डिविजन, मद्रास के रेलवे डाक सेवा के रिकार्ड कार्यालय के चतुर्थ श्रेणी के पद

5053. **श्री मयावन :** **श्री सुब्राबेलू :**
श्री दीवीकन :

क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ए० जी० डिवीजन, मद्रास के रेलवे डाक सेवा रिकार्ड कार्यालय के चतुर्थ श्रेणी के पदों को गुडापा, चित्तूर और अनन्तपुर जिला रोजगार दफ्तरों द्वारा भेजे गये उम्मीदवारों से भरा जाता है; और

(ख) क्या भर्ती का यह तरीका भर्ती के लिये निर्धारित नियमों के प्रतिकूल नहीं है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री ई० कु० गुजराल) : (क) मद्रास स्थित रिकार्ड कार्यालय ए० जी० डिवीजन रेल-डाक सेवा ए० जी० डिवीजन का ही हिस्सा है जिसका मुख्यालय गुंटाकल में है। अतः मद्रास स्थित रिकार्ड कार्यालय में चतुर्थ श्रेणी के पदों की भर्ती के लिए उम्मीदवार सभी रोजगार कार्यालयों से बुलाए जाते हैं जिनमें मद्रास स्थित रोजगार कार्यालय भी शामिल है ।

(ख) जी नहीं । भर्ती का तरीका जैसा कि भाग (क) के उत्तर से स्पष्ट है, रेल-डाक सेवा-डिवीजनों में जिनका फैलाव एक से अधिक राज्यों में होता है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती के सम्बन्ध में लागू होने वाले निर्धारित नियमों के अनुसार है ।

पश्चिम बंगाल में भूख से मृत्यु

5054. **श्री बे० कृ० दासचौधरी :** **श्री समर गुह :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों में कई व्यक्ति तथा कूच-बिहार जिले में छः व्यक्ति गत तीन महीनों में भूख से मर गये थे ;

(ख) लोग भूख से न मरें इसके लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(ग) उन्हें कृपादान तथा मुफ्त राशन से समय पर खाद्यपदार्थ लेने की अनुमति न देने के लिये कौन-कौन से व्यक्ति उत्तरदायी हैं; और

(घ) क्या इस मामले की तुरन्त जाँच करने का सरकार का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) जी नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होते ।

मेरठ में हरिजनों, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये आरक्षित भूमि

5055. **श्री राम चरण** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मेरठ जिले की तहसील बागपत के वसाटीकरी गांव में चकबन्दी के समय हरिजनों तथा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों को देने के लिये कुछ भूमि आरक्षित रखी गई थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उक्त आरक्षित भूमि गांव के प्रधान द्वारा हरिजनों को देने के बजाये अपने 'भूमि धारी कृषक भतीजे' को 99 वर्ष के स्थायी पट्टे पर दे दी गई है;

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) तथा (घ) : उत्तर प्रदेश सरकार के आदेशान्तर्गत प्रत्येक गांव सभा को नियोजित प्रयोग के लिये एक गाँव के कुल क्षेत्र का 8 प्रतिशत आरक्षित रखना अपेक्षित है । और शेष को खेती के लिये छोड़ दिया जाता है । उन गांवों में जहाँ उपलब्ध रिक्त भूमि 8 प्रतिशत से कम है कोई बंटन सम्भव नहीं है । वसाटीकरी गाँव में रिक्त उपलब्ध भूमि गांव के क्षेत्र के 8 प्रतिशत से कम थी, और इस लिये सब की सब नियोजित प्रयोग के लिये आराक्षित कर दी गई । अत: वहाँ कुछ नये काश्तकारों के प्रवेश की कोई गुंजाइश ही नहीं थी । उपरोक्त कारणों की दृष्टि में, प्रधान, भूमि बंटन के लिये हरिजनों की प्रार्थना को स्वीकार नहीं कर सका । हां, चकबन्दी के दौरान में 12 विस्वा 10 विस्वासी का एक क्षेत्र हरिजनों की आबादी (वास भूमि) के लिये आरक्षित कर दिया है, और यह सब का सब उन को बाँट दिया गया है ।

बंगलौर उपनगरीय फार्म में विद्युतचालित 'हैरो' तथा 'टिलर' का प्रयोग

5056. **श्री एस० आर० दामानी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान बंगलौर उपनगरीय फार्म में एक डच नागरिक द्वारा प्रयोग में लाए जा रहे विद्युत्चालित 'हैरो' तथा 'टिलर' की ओर दिलाया गया है,

(ख) परम्परागत उपकरणों की तुलना में इन नए उपकरणों के क्या लाभ हैं; और

(ग) इसे देश के कृषकों में लोकप्रिय बनाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग) : पावर हैरो टिलर, जिनके नमूनों के आयात की अनुमति दी गई थी, को बंगलौर की एक फर्म द्वारा बनाये जाने की प्रस्तावना है । यह हल पुराने हल की अपेक्षा अच्छा है,

इसमें ट्रैक्टर द्वारा प्रदान की गई शक्ति से इसके मिट्टी से लगने वाले भागों को सहायक चालन प्रदान किया जाता है। यह मिट्टी को पलटता है और उपयोगी मिट्टी की समान परिस्थितियों में यह अधिक तीव्रता व कुशलता से काम करता है।

इस उपकरण के बनाने के लिये डच सहयोग से भारतीय फर्मों के प्रस्तावों को सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया गया है और यह आशा की जाती है कि इस उपकरण का उत्पादन और उसका कृषकों को वितरण सम्बन्धी कार्य शीघ्र ही शुरु हो जायेगा।

अनाज की खेती की तुलना में गन्ने की खेती के अधीन भूमि

5057. **श्री दामानी :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1966-67 की तुलना में 1967-68 में चीनी का उत्पादन बढ़ने का कारण यह है कि गन्ने की खेती अधिक भूमि में हुई है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके कारण खाद्यान्नों की अन्य फसलों का उत्पादन कितना कम हुआ है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्रम विधान का संहिताकरण

5058. **श्री दामानी** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय श्रम आयोग के अध्ययन दल ने यह सिफारिश की है कि रोजगार कल्याण, सामाजिक सुरक्षा तथा औद्योगिक विवादों से सम्बन्धित कानूनों को 'भारतीय श्रम संहिता' के रूप में इकट्ठा तथा संहिताबद्ध किया जाना चाहिए ; और

(ख) यदि हां, तो उस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री हाथी) : (क) जी हां।

(ख) अध्ययन दल की रिपोर्ट राष्ट्रीय श्रम आयोग को, न कि सरकार को, विचारार्थ भेजी गई है। इस मामले पर सरकार आयोग की सिफारिशें प्राप्त होने के बाद ही विचार करेगी।

अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन

5059. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **संसद कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन की आगामी बैठक की तिथि तथा स्थान के बारे में निर्णय किया गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो यह सम्मेलन कब और कहाँ होगा ; और

(ग) इसकी कार्य-सूची में मुख्य-मुख्य बातें क्या होंगी ?

संसद-कार्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठता।

Loss due to Installation of Tubewells in U. P.

5060. **Shri Onkarlal Bohra** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have suffered a loss as a result of installation of 6,000 tubewells in Uttar Pradesh for irrigation purposes ;

(b) if so, the reasons therefor and whether any enquiry has been conducted in this regard ; and

(c) if not, whether Government propose to appoint an Inquiry Committee to look into this loss ?

Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) to (c) The information is being collected from the Government of Uttar Pradesh and will be placed on the Table of the Sabha when received.

Aid to Rajasthan for Minor Irrigation Schemes

5061. **Shri Onkarlal Bohra** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether a special grant has been given or is proposed to be given to the Rajasthan Government during the year 1968-69 for developing minor irrigation with a view to increase the fertility of lakhs of bighas of cultivable land and to provide irrigation facilities in the State ; and

(b) if so, the amount sanctioned or proposed to be given ?

Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) No such proposal is under consideration in the Ministry of Food, Agriculture, C. D. and Cooperation.

(b) Does not arise.

Development of Buffalo Family

5062. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that it has not been considered worthwhile to study the development of buffalo family through an Experts Committee, as has been done twice in the case of cow family ;

(b) if so, the reasons herefor ;

(c) whether it is also a fact that he and she buffaloes are not easily available to meet the requirements of milk, ghee, cheap meat and to work new agricultural implements and carry loads and the demand for buffalo family is rapidly increasing ; and

(d) if so, the schemes proposed to be drawn up for the development of buffalo family ?

Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) No, Sir. The "Cow Protection Committee" which was appointed only in June 1967 is still working. If, however, the Hon'ble Member is referring to the two Committees appointed by Government of India in November 1947 and in June 1954 both these Committees have dealt with cows as well as buffaloes in their reports published as :--

(i) "Reports of the Cattle Preservation and Development Committee, 1948".

(ii) "Report of the Expert Committee on the Prevention of Slaughter of Cattle in India, 1955".

The Special Committee set up in September, 1961 by Central Council of Gosamvardhana on Preserving High-yielding Cattle also considered the question of buffaloes.

(b) Does not arise.

(c) In view of the much higher milk yield and butter fat of buffaloes, as compared to those of the cows, there is a large demand for buffaloes owing to the rapidly increasing demand for milk. Buffaloe rearing and sales are becoming more and more popular and the prices have risen. No specific report of shortage of milch buffaloes has however, come to notice. The buffalo population is increasing at a faster rate than the cow population. Though there is some increase in the use of buffaloes for draught, there is no information about shortage of male buffaloes for this purpose.

(d) The existing cattle development schemes include programmes for cows as well as buffaloes. For example, in the under-mentioned schemes the various facts of development covered both cow and the buffalo population :

(1) Key Village Scheme.

(2) Intensive Cattle Development Scheme.

(3) Establishment of Artificial Insemination Centres in urban and suburban areas.

(4) Establishment of Cattle Breeding and Bull Rearing Farms.

(5) Calf Rearing Scheme.

(6) Progeny Testing Scheme.

(7) Feeds and Fodder Development Schemes.

Likewise, in the schemes drawn up for scientific cattle breeding, establishment of a Central Cattle Breeding Farm has been sanctioned for Surti Breed of buffaloes and another for Murrah buffaloes is under active consideration. A large number of State Cattle Breeding Farms also maintain buffalo-herds of various breeds besides cowherds. In the Fourth Five-Year Plan also, which is still under formulation, development of buffaloes, it is anticipated, will receive due attention.

उर्वरक तथा हैवी केमिकल उद्योगों सम्बन्धी मजूरी बोर्ड

5063. **श्री नि० रं० लास्कर** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्री श्री रामपूर्ति की अध्यक्षता में उर्वरक और कैमिकल उद्योगों सम्बन्धी मजूरी बोर्ड ने अपने प्रतिवेदन को अन्तिम रूप दे दिया है और उसे सरकार को प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या है; और

(ग) सरकार ने उन्हें किस सीमा तक स्वीकार किया है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) सरकार को रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते ।

Cooperative Banks in Banda District

5064. **Shri Jageshwar Yadav** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that many tricksters get loans in collusion with the supervisors from the Cooperative Banks in District Banda, Uttar Pradesh in the name of poor people who are forced to repay the money on receipt of the orders for the attachment of their property after some time for no fault of theirs ;

(b) if so, the number of such cases which have come to light since the year 1960 in the said District ;

(c) whether Government are also aware of the fact that the interests on the deposits in the said banks are not paid to the shareholders but are usurped by the supervisors by showing this amount as expenditure ; and

(d) if so, the action proposed to be taken by Government to set right such malpractices ?

Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Coop. (Shri M. S. Gurupadaswamy) : (a) to (d) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

दिल्ली टेलीफोन केन्द्रों में रद्द किये गये ट्रंक काल

5065. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जुलाई 1968 में दिल्ली टेलीफोन केन्द्रों में टेलीफोन लाइन खराब होने के कारण कितने ट्रंक काल रद्द किये गये थे ;

(ख) इस प्रकार ट्रंक काल रद्द करने के कारण कुल कितने राजस्व की हानि हुई; और

(ग) लाइनों में इस प्रकार की खराबी को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) लाइनें खराब होने के कारण ट्रंक काल रद्द करने सम्बन्धी आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते ।

(ख) ऊपर (क) को दृष्टि में रखते हुए राजस्व का हिसाब नहीं लगाया जा सकता ।

(ग) ऐसी खराबियां रोकने की दृष्टि से अनुरक्षण के लिए निर्दिष्ट निवारक उपाय किये जाते हैं । इन उपायों के बावजूद जब-कभी खराबी हो जाए तो कम से कम समय में संचार व्यवस्था को पुनः चालू करने की कोशिश की जाती है ।

भारतीय मजदूर की मासिक औसत मजूरी

5066. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के श्रमिकों को अलग-अलग कितनी मासिक औसत मजूरी दी जाती है और उनके लिए सुविधाओं की क्या व्यवस्था की गई है ; और

(ख) भारतीय श्रमिकों को दी जाने वाली मजूरी पूर्वी, मध्य-पूर्वी तथा अफ्रीका के देशों, बर्मा, श्रीलंका और पाकिस्तान में दी जाने वाली मजूरी की तुलना में कितनी है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में औसत मासिक मजूरी तथा श्रमिकों को दी जानी वाली सुविधाओं के बारे में ब्यौरा प्राप्त नहीं है। फिर भी एक विवरण, जिसमें कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत आये निर्माणकारी उद्योगों के ऐसे कर्मचारियों की प्रति व्यक्ति वार्षिक आमदनी दी गई है, जो 1964-65 के दौरान 400/-रु० प्रति माह से कम कमाते थे, सभा की मेज पर रख दिया गया है। (पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 1834-68)।

(ख) एक विवरण (पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी.–1834-68) जिसमें भारत के निर्माणकारी क्षेत्र तथा पूर्व, मध्य पूर्व के चुने देशों, अफरीकी देशों, बर्मा, सीलोन तथा पाकिस्तान के श्रमिकों की आय दी गई है सभा की मेज पर रख दिया गया है।

रेलवे डाक सेवा के डिब्बे

5067. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रेलों पर चलने वाले रेलवे डाक सेवा के डिब्बों में उपयुक्त रैक न होने के कारण थैले एक दूसरे के ऊपर अंधाधुंध डाल दिये जाते हैं और इसके परिणामस्वरूप गन्तव्य स्थान पर थैले नहीं निकाले जा सकते और वे आगे चाले जाते हैं ;

(ख) क्या इन थैलों के आगे चले जाने से डाक वितरण में विलम्ब हो जाता है;

(ग) क्या यह सच है कि इन डिब्बों में आपाती द्वारों की व्यवस्था नहीं होती, जिसके फलस्वरूप आग लग जाने पर थैले नष्ट हो जाते हैं ; और

(घ) यदि हाँ, तो उन त्रुटियों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) (क) जिन सेक्शनों में डाक का काम भारी होता है उनके लिए उपलब्ध डाक डिब्बों में रैक लगे रहते हैं, हालांकि वे डाक के थैले रखने के लिए नहीं होते। लेकिन थैलों को डाक के डिब्बे के एक हिस्से में फर्श पर एकत्र किया जाता है और यदि डिब्बे में जगह पर्याप्त न हो तो साथ के तृतीय श्रेणी के डिब्बे में रखे जाते हैं तथा उनको स्टेशनों के अनुसार जहां उतरना होता है, समूहों में क्रम से रखा जाता है। रैकों की कमी के कारण डाक आगे चले जाने के संबन्ध में विभाग को कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) रैकों की कमी के कारण डाक के आगे चले जाने से डाक में विलम्ब हुआ हो, ऐसा कोई मामला विभाग के ध्यान में नहीं आया है।

(ग) डाक-डिब्बों में आपाती द्वारों की कोई व्यवस्था नहीं है और उनमें यह व्यवस्था करना कठिन है। फिर भी अचानक आग भड़कने की स्थिति का सामना करने के लिए अग्निशामक यंत्रों की व्यवस्था है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

कांडला बन्दरगाह से खाद्यान्न की ढुलाई

5068. **श्री रा० की० अमीन** : **श्री चं० चु० देसाई** :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह भी सच है कि कांडला बन्दरगाह पर खाद्यान्नों की ढुलाई में सामान्यत: बहुत विलम्ब होता है ;

(ख) यदि हां, तो इस कारण गत वर्ष में तथा चालू वर्ष के अब तक के समय में से कुल कितने खाद्यानों के नष्ट होने का अनुमान है ; और

(ग) कांडला में पत्तन सुविधाओं के विकास सम्बन्धी योजनाओं का ब्यौरा क्या है ताकि इस प्रकार की हानि को रोका जा सके ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

बिहार में खाद्यान्नों का समाहार

5069. **श्री एम० एस० ओबराय** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार राज्य में चालू वर्ष में खाद्यान्नों के समाहार का लक्ष्य कितना है;

(ख) क्या यह राज्य चालू वर्ष अपनी खाद्यान्नों की आवश्यकताएं पूरी करने योग्य हो जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या इस संबन्ध में कोई अनुमान लगाया गया है और इस वर्ष राज्य सरकार ने खाद्यान्नों के मामले में कितनी सहायता मांगी है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) बिहार में 1967–68 की फसल के खाद्यान्नों की वसूली के लिये कृषि मूल्य आयोग ने इन लक्ष्यों की सिफारिश की थी :—

	हजार मीट्री टनों में मात्रा
खाद्यान्न	
चावल	— 260
खरीफ की फसल के अन्य अनाज	— 60
गेहूँ —	— 25

(ख) अपने उत्पादन में से नहीं ।

(ग) बिहार राज्य से खाद्यान्नों की मांग सामान्यत: महीने के आधार पर थी किन्तु कुछ महीनों में विशिष्ट मांग नहीं की गई थी । उसके द्वारा जनवरी से अगस्त, 1968 तक मांग की गई और केन्द्रीय भण्डार से दी गई मात्रा इस प्रकार है :—

	हजार मीट्री टनों में	
	मांगी गई	**दी गई**
बीज का धान	2.5	2.5
गेहूँ तथा माइलों	448.0	453.7

चीनी मिलों का बन्द होना

5070. **श्री एम० एस० ओबराय** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय कितनी चीनी मिलें बन्द पड़ी हैं ;

(ख) उनके बन्द होने के मुख्य कारण क्या हैं; और

(ग) इन चीनी मिलों को पुन: चालू करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) 1967–68 के मौसम में पांच फैक्टरियों ने कार्य नहीं किया ।

(ख) उनके अपने-अपने क्षेत्रों में गन्ने का न होना ।

(ग) इन का पुन: चालू होना आगामी मौसम में गन्ने की उपलब्धी पर निर्भर करता है ।

अध्ययन दल

5071. **श्री मणिभाई जे० पटेल** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968 में अब तक उनके मंत्रालय के अन्तर्गत कितने अध्ययन दलों का गठन किया गया है ;

(ख) उनका गठन किस-किस प्रयोजन के लिये किया गया है और उनकी कालविधि कितनी-कितनी है ;

(ग) क्या उनका ध्यान जुलाई, 1968 के 'टाइम्स आफ इंडिया' में प्रकाशित इस आशय के एक समाचार की ओर दिलाया गया है जिस में कहा गया है कि उनके मंत्रालय के अन्तर्गत काम करने वाले एक अध्ययन दल को दक्षिण भारत के मुख्य नगरों का भ्रमण करने को कहा गया है; और ;

(घ) यदि हाँ, तो उस दल के अध्ययन का मुख्य विषय और उसके सदस्यों के नाम क्या-क्या हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री हाथी) : (क) सन् 1968 में केवल एक अध्ययन दल स्थापित किया गया ।

(ख) यह दल मैसूर राज्य के मलनाद क्षेत्र को विशेष क्षेत्र विकास कार्य क्रम में शामिल करने की उपयुक्तता के बारे में विस्तार पूर्वक परीक्षण करेगा । दल 28 फरवरी, 1969 को अपनी रिपोर्ट देगा ।

(ग) जी, हां, किन्तु यह दूसरे अध्ययन दल के बारे में है जो सन् 1967 में स्थापित किया गया था ।

(घ) यह दल रेलवे के विभागीय भोजन सम्बन्धी प्रतिष्ठानों में कमीशन के आधार पर लाइसेन्स प्राप्त रेलवे पोर्टरों और फेरी वालों के काम करने तथा रहने की दशाओं का अध्ययन करने का कार्य करेगा । अध्ययन दल का गठन इस प्रकार है :—

(i) श्री टी. वी. आनन्दन,
सदस्य, राज्य सभा————सदस्य

(ii) श्री जे. वी. शर्मा,
सहायक निदेशक,
ट्रेफिक (कमर्शियल),
रेलवे बोर्ड,
रेलवे मंत्रालय————सदस्य

(iii) श्री जे. एन शर्मा,
उप निदेशक,
श्रम तथा रोजगार विभाग————संयोजक

आस्ट्रेलिया से भेड़ों का आयात

5072. **श्री मणि भार्य जे० पटेल :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काश्मीर में भेड़-पालन के उद्देश्य से आस्ट्रेलिया से भेड़ों का आयात करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इसमें कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग) : जम्मू तथा काश्मीर सरकार से अपेक्षित जानकारी इकट्ठी की जा रही है और मिलते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

Opening of Delhi Milk Depots in Ministries

5073. **Shri Sheopujan Shastri** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Milk Depots have not been opened in all the Ministries in the Capital due to which the employees of the Ministries have to come to Parliament House in large numbers for getting milk, ghee, butter, etc. ;

(b) if so, the names of the Ministries where such depots have not been opened; and

(c) the time by which milk depots are likely to be opened in all the Ministries so that the employees may not have any difficulty in getting milk, ghee, butter, etc.

Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde): (a) It has not been possible to open All-day Milk Stalls of the Delhi Milk Scheme in all the Ministries. Milk stalls have been set up at the following locations :

1. North Block.
2. Parliament House.
3. Krishi Bhavan.
4. Udyog Bhavan.
5. Yojna Bhavan.
6. P. & T. Directorate.

7. Rail Bhavan.
8. A. G. C. R.'s Office.
9. Town Hall, Chandni Chowk.
10. University Campus.
11. Zoological Park.
12. Central Dairy, West Patel Nagar.

Admission to Parliament House is restricted to authorised persons only and visit by large numbers to the Milk Stall at the Parliament House is thus not possible.

(b) Places where Milk Stalls of Delhi Milk Scheme are located have been indicated against part (a) of the Question.

(c) The Milk Stalls in operation also serve employees from neighbouring Ministries. Ne proposals for opening additional Milk Stalls are at present under consideration.

बनस्पति संरक्षण के लिये ऊपर से छिड़काव करने वाली मशीनें

5074. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वनस्पति संरक्षण तथा टिड्डी नियंत्रण के लिये केन्द्रीय सरकार के पास विमान, हेलीकोप्टर तथा ऊपर से छिड़काव करने वाले अन्य यन्त्र कितने-कितने हैं, उनकी दैनिक छिड़काव-क्षमता कितनी है और कृषकों से प्रति एकड़ छिड़काव के लिये कितनी राशि वसूल की जाती है ;

(ख) देश में गैर-सरकारी संगठनों के पास ऐसे कितने विमान, हेलीकोप्टर हैं, उनकी दैनिक छिड़काव क्षमता क्या है और छिड़कने के कार्य के लिये उनकी प्रति एकड़ दर क्या है तथा ऐसे संगठनों के नाम क्या क्या हैं ;

(ग) क्या उपरोक्त मशीनों की संपूर्ण क्षमता को प्रयोग में लाया जा रहा है ;

(घ) क्या सरकार ऐसी सरकारी मशीनों की संख्या बढ़ाने अथवा गैर सरकारी क्षेत्र को ऐसी मशीनों की संख्या बढ़ाने हेतु सहायता देने के प्रश्न पर विचार कर रही है ; और

(ङ) यदि हां, तो सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में कितनी-कितनी वृद्धि किये जाने पर विचार किया जा रहा है और यह वृद्धि क्यों की जा रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मन्त्रालय के कृषि विभाग के पास वनस्पति रक्षा तथा टिड्डी नियन्त्रण के लिये 8 वायुयान हैं जिनका उपयोग दोनों प्रयोजनों के लिये किया जा सकता है । इनमें से कोई वायुयान किसी एक कार्य के लिये रिजर्व नहीं किया गया है । इन वायुयानों की दैनिक स्प्रे सम्बन्धी क्षमता अनेक बातों पर निर्भर करती है । प्रत्येक वायुयान के दैनिक कार्यकलापों की क्षमता का निर्धारण करने के लिए इन कारणों का ज्ञान होना आवश्यक है । जहां तक सहाय्य प्राप्त फसलों का सम्बन्ध है छिड़काव दर 3 रुपये प्रति एकड़ का फ्लैट रेट है और ग़ैर सहाय्य प्राप्त फसलों का सम्बन्ध है छिड़काव दर 3 रुपये प्रीत एकड़ का फ़्लैट रेट है और गैर सहाय्य प्राप्त फसलों के लिए प्रथम 100 एकड़ के लिए 2,915 रुपये और उसके पश्चात दर 2.65 रुपये प्रति एकड़ है ।

(ख) जानकारी निम्न प्रकार है :—

ग्रपरेटरों के नाम	फिक्स्ड विंग वायुयान	रोटरी विंग वायुयान (हेलीकाप्टर)
(1)	(2)	(3)
1. सर्वश्री कम्बाटा ऐवियेशन (प्राइवेट) लिमिटेड	1	8
2. सर्वश्री हेलिकोप्टर्स सर्विसिज (प्राइवेट) लिमिटेड	–	5
3. सर्वश्री भारत एयर	–	2
4. सर्वश्री माथुर ऐवियेशन (प्राइवेट) लिमिटेड	6	–
5. सर्वश्री इन्दायर	3	–
6. सर्वश्री एच० एस० सोभा सिंह प्राइवेट लिमिटेड	2	–
7. सर्वश्री खेमका ऐवियेशन (प्राइवेट) लिमिटेड	1	1
कुल :	13	15

इन वायुयानों की दैनिक क्षमता अनेक कारणों पर निर्भर करती है और यदि इन कारणों का पता चल जाये तो क्षमता का निर्धारण हो सकता है। हाई-वौल्यूम छिड़काव हेतु फिक्स्ड विंग के वायुयानों की दर 8 रुपये प्रति एकड़ और हैलिकाप्टरों के लिये दर 10 रुपये प्रति एकड़ है। अल्टरा-लौ-वौल्यूम छिड़काव हेतु दर आधी है।

(ग) नाकारा वायुयानों को छोड़कर सम्पूर्ण क्षमता का उपयोग किया जाता है।

(घ) तथा (ङ) : कुछ वृद्धि करने के बारे में विचार किया जा रहा है।

मध्य प्रदेश में पौधा संरक्षण के लिये सहायता

5075. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री 14 मार्च 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4061 के उत्तर के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1967-68 के दौरान पौधा संरक्षण कार्यक्रम में 50 प्रतिशत सहायता के रूप में केन्द्रीय सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार को कितनी राशि का अनुदान दिया है।

(ख) मध्य प्रदेश में उपरोक्त अवधि के दौरान कितने मूल्य की कीटाणु नाशक औषधि दी है।

(ग) उपरोक्त अवधि में मध्य प्रदेश के किसानों में पौधा संरक्षण के लिये कीटाणु नाशक औषधि खरीदने के पूरे मूल्य वसूल किए जाने के क्या कारण थे ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) नियमों के अन्तर्गत, पौधा संरक्षण पर सब योजना व्यय, योजना सीलिंग के भीतर, 50 प्रतिशत सीमा तक केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किया जाता है। 1967-68 के दौरान राज्य सरकार ने योजना में पौधा संरक्षण पर 19.45 लाख रुपये के एक प्रत्याशित व्यय का प्रबन्ध किया और वे 50 प्रतिशत सहायता के अधिकारी हैं।

इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने 1967-68 में चना बालीय कैटर पिलर महामारी के नियन्त्रण के लिये 82.9 लाख रुपये मन्जूर किये। 39,85,481 रुपए की कीमत की कीटाणु-नाशक औषधियां महामारी को रोकने के लिये प्रयोग की गईं। केन्द्रीय सरकार से इस बात के लिये अनुदान मिलने पर, ये औषधियां किसानों को मुफ्त बांटी गई। 23 लाख रुपए की कीमत की कीटाणु नाशक औषधियां भी, जो कृषि विभाग के पास स्टाक में थी, किसानों को कीमत के 50 प्रतिशत पर चना केटर पिलर की बाधा की प्रारम्भिक आवस्थाओं में और राज्य पेस्ट एक्ट के प्रचालन से पहले बेच दी गई थीं।

(ख) राज्य सरकार ने सूचित कर दिया है कि लगभग 23 लाख रुपये की कीमत की कीटाणु नाशक औषधियां किसानों को 50 प्रतिशत क्षति पूर्ति पर बेच दी गई थी और 39,85,481 रुपये की कीमत की कीटाणु नाशक औषधियां मुफ्त दी गई थीं।

(ग) चना केटर पिलर के नियंत्रण के लिए, जैसा कि ऊपर कहा गया, कीटाणु नाशक औषधियां प्राप्त की गई थीं। अन्य पौधा संरक्षण के लिए 1967-68 के दौरान 50 प्रतिशत क्षति पूर्ति पर कीटाणु नाशक औषधियां बेची गई थीं। यह क्षतिपूर्ति अब हटा ली गई है और 1968-69 में कीटाणु नाशक औषधियां राज्य कृषि विभाग के बिक्री केन्द्रों से लाभ-हानि रहित आधार पर बेची जा रही हैं। क्षति पूर्ति के अनुदान एवं कीटाणु नाशक औषधियों की बिक्री का मामला कितनी ही अन्तर्राज्यीय बैठकों में विचारा गया। अब यह निश्चय किया गया है कि कीटाणु नाशक औषधियों पर क्षति पूर्ति को हटा लिया जाये क्योंकि किसान कीटाणु नाशक औषधियों को खरीदने में समर्थ है और सरकार के लिये सम्भव नहीं है कि किसानों को, उनकी बिक्री की क्षति पूर्ति के लिए, धन की एक बड़ी राशि के अनुदान को अनिश्चित काल के लिये जारी रखा जाये।

संयुक्त डाकखाने का विभागीय तारघर में बदला जाना

5076. **श्री धीरेश्वर कलिता** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त कार्यालयों को विभागीय तार घरों में बदलने के लिये डाक तथा तार विभाग ने क्या मानक निर्धारित किये हैं ;

(ख) क्या संयुक्त कार्यालयों को विभागीय कार्यालयों में बदलने के लिये 200 ए० और सी० संदेशों के निर्धारित मानक से नवगांग तथा धूबरी के संयुक्त कार्यालयों का औसत दैनिक यातायात कम रहा है ;

(ग) यदि ऐसे परिवर्तन के लिये निर्धारित मानक से यह मानक कम नहीं है तो इन दोनों संयुक्त कार्यालयों को विभागीय तार घर में परिवर्तित करने के लिए डाक तथा तार विभाग ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

संसद कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जिन स्थानों में पहले से ही केन्द्रीय तारघर अथवा विभागीय तारघर मौजूद हों, वहां 200 या इससे अधिक दैनिक तारों का औसत है, किन्तु अन्य स्थानों के लिये 500 या इससे अधिक औसत होना चाहिये।

(ख) इन तारघरों को विभागीय तारघरों में बदलने के लिये 500 तारों का औसत मानक निर्धारित है, परन्तु दैनिक तार परियात का फिलहाल इससे कम औसत पड़ता है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

मजदूर संघो का पंजीकरण

5077. **श्री एम० मेघचंद्र** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक त्रिपक्षीय श्रम सम्मेलन में यह तय हुआ था कि भारतीय मजदूर संघ अधिनियम, 1926 के अन्तर्गत मजदूर संघों का पंजीकरण शीघ्रता से तथा उसके गठन के लगभग 3 महीने की अवधि के अन्दर किया जाना चाहिये ;

(ख) क्या मनीपुर मजदूर संघों के पंजीकरण के कार्य में बहुत समय लगता है, तथा पंजीकरण के कुछ मामले 1966 से विचाराधीन हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस विलम्ब के क्या कारण हैं तथा त्रिपक्षीय सम्मेलन के सहमत सिद्धान्तों के अनुसार ऐसे मामलों को जल्दी से निबटाने के बारे में क्या प्रयास किये गये हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री हाथी) : (क) जी हां, जुलाई, 1959 में हुए भारतीय श्रम सम्मेलन के 17वें अधिवेशन ने यह सिफारिश की कि पंजीकरण के आवेदन पत्रों का निपटान शीघ्र किया जाए और व्यवहार में इस संबन्ध में की जाने वाली प्रक्रिया को अंतिम रूप देने में तीन मास से अधिक समय नहीं लगना चाहिए। आवेदकों द्वारा प्रार्थना पत्र के फार्मों में किसी प्रकार का भी सुधार करने में लगाया गया समय इस प्रयोजन के लिये नहीं गिना जाएगा।

(ख) मनीपुर में इस प्रकार का कोई मामला विचाराधीन नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

मनीपुर में खाद्य स्थिति

5078. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मनीपुर के "ग्रेटर इम्फाल" क्षेत्र में राशनिंग की संशोधित व्यवस्था लागू की जा रही है जब कि इस क्षेत्र के बाहर राशन की निर्धारित मात्रा प्रति व्यक्ति को प्रति महीने 1 किलो आटा और 1 किलो धान है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि देहाती क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति को प्रति महीन 1 किलो आटा भी नियमित रूप से नहीं दिया जाता है क्योंकि वहाँ आटे का भण्डार कम है; और

(ग) यदि हां, तो क्या मनीपुर सरकार ने केन्द्रीय सरकार का ध्यान मनीपुर में फैली हुई गम्भीर खाद्य स्थिति की ओर दिलाया है, और मनीपुर के लिए अधिक गेहूँ देने की प्रार्थना की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) ग्रेटर इम्फाल और नगर क्षेत्र तथा मनीपुर के देहाती क्षेत्रों में परिवर्तित राशन

व्यवस्था 15 जून, 1968 से लागू की गई थी । यह सच है कि देहाती क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रति मास राशन की मात्रा एक किलोग्राम आटा और एक किलोग्राम धान है ।

(ख) और (ग) जून में आटे की सप्लाई में कुछ कठिनाई आयी थी, क्योंकि आसाम के कुछ क्षेत्रों में बाढ़ के कारण कलकत्ता से पर्याप्त मात्रा में गेहूँ भेजा नहीं जा सका । अब केन्द्रीय भण्डार से मनीपुर को गेहूँ की सप्लाई पर्याप्त मात्रा में हो रही है और नियत मात्रा में राशन में आटे की सप्लाई नियमित रूप से हो रही है ।

चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र से राज्य सभा में प्रतिनिधित्व

5079. **श्री श्रीचन्द गोयल :** क्या **विधि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चन्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र को राज्य सभा में प्रतिनिधित्व न दिये जाने के क्या कारण हैं; और

(ख) क्या चन्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र के लिए राज्य सभा में एक स्थान बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

विधि मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद युनुस सलीम) : (क) चन्डीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र की जनसंख्या केवल 1.20 लाख है, अत: राज्य सभा में एक स्थान उक्त संघ राज्यक्षेत्र के लिए आवंटित करना आवश्यक नहीं समझा गया ।

(ख) जी, नहीं ।

पंजाब में होशियारपुर निर्वाचन क्षेत्र

5080. **श्री श्रीचन्द गोयल :** क्या **विधि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब राज्य में होशियारपुर निर्वाचन क्षेत्र का संसदीय स्थान कब रिक्त हुआ; और

(ख) इसके लिए उप-निर्वाचन कब होने जा रहा है; और

(ग) उप-निर्वाचन कराने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

विधि मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद यूनुस सलीम) : (क) 23-4-1968.

(ख) 13-10-1968.

(ग) उप-निर्वाचन कराने में कोई विलम्ब नहीं हो रहा है ।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में सन्शोधन

5081. **श्री श्रीचन्द गोयल :** क्या **विधि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में ऐसा संशोधन करने की कोई प्रस्थापना सरकार के विचाराधीन है जिससे साधारण निर्वाचन अथवा उप-निर्वाचन के तत्काल-पूर्व मन्त्रियों द्वारा वैवेकिक अनुदानों का वितरण भ्रष्टाचार की परिभाषा के अन्तर्गत किया जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो संसद् में आवश्यक विधान कब तक पुर:स्थापित किया जायेगा ?

विधि मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद युनुस सलीम) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

रूस से ट्रैक्टरों का आयात

5083. **श्री जुगल मंडल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री 2 मई, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 1605 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूसी सप्लायरों के साथ डी० टी०-14 बी० ट्रैक्टरों के आयात के सम्बन्ध में बातचीत समाप्त हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह निर्णय कर लिया गया है कि इन ट्रैक्टरों को वर्तमान व्यापारिक संस्थाओं के माध्यम से न खरीदा जाये ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) इस विषय पर बातचीत की जा रही है। सरकार की नीति है कि आयात किये गये ट्रैक्टरों का वितरण कार्य, विदेशी सप्लायरों के ऐजेंटों के हाथों में न देकर पब्लिक सेक्टर की राज्य कृषि-उद्योग निगम के द्वारा हो। भविष्य में ट्रैक्टरों का आयात भारतीय राज्य व्यापार निगम के द्वारा किया जायेगा।

वैवेकिक अनुदानों का वितरण

5084. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **विधि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्वाचन आयोग ने केन्द्रीय तथा राज्य मन्त्रियों द्वारा वैवेकिक अनुदानों के वितरण से सम्बन्धित नियमों में संशोधन करने का सुझाव दिया है, ताकि स्वतंत्र तथा निष्पक्ष ढंग से निर्वाचन हो सकें ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार किया है ?

विधि मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद यूनुस सलीम) : (क) निर्वाचन आयोग ने अपने तारीख 25 जून, 1968 के परिपत्र में यह सुझाव दिया है कि या तो अनुदानों के संवितरण को शासित करने वाले नियमों में उपबन्ध करके या अन्यथा कतिपय निर्बन्धन अधिरोपित किये जाने चाहिएं कि जब देशव्यापी साधारण निर्वाचन या मध्यावधि साधारण निर्वाचन या उपनिर्वाचन होने वाला हो तो वैवेकिक अनुदानों में से भुगतान नहीं किये जाने चाहिये, और ऐसा कोई निर्वाचन कराने के लिए अधिसूचना जारी किये जाने के पश्चात् तो किसी भी दशा में ऐसा भुगतान नहीं किया जाना चाहिए।

(ख) सरकार ने निर्वाचन आयोग द्वारा की गई समुक्तियों को नोट कर लिया है।

कलकत्ता की टैक्समाको में हड़ताल

5085. **श्री मुहम्मद इस्माइल** :
श्री हो० ना० मुकर्जी :
श्री विश्वनाथ मेनन :
श्री बे० कृ० दासचौधरी :
श्री वि० कु० मोडक :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में एक बिरला फर्म, टैक्समाको में, अप्रैल, 1968 से हड़ताल चल रही है; जिसमें 10,000 से अधिक कर्मचारी सम्मिलित हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस विवाद को निपटाने के लिए कोई प्रयत्न किये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री हाथी) : (क) कलकत्ता में टैक्समाको लि० के दो कारखानों के लगभग 8,000 श्रमिकों ने 15 अप्रैल, 1968 से हड़ताल की।

(ख) और (ग) हड़ताल शुरू होने के शीघ्र ही बाद पश्चिम बंगाल सरकार की समझौता मशीनरी ने इस मामले में हस्तक्षेप किया और उसने नियोजकों तथा श्रमिकों के साथ अनेक बैठकें की हैं। इस विवाद में सौहार्दपूर्ण समझौता कराने के प्रयास जारी हैं।

भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारी

5086. **श्री जे० एच० पटेल** :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्य विभाग से स्थानान्तरित होकर भारतीय खाद्य निगम में आये हुए कर्मचारियों को स्थायी तौर पर इसी निगम में रखने के प्रस्ताव को दृष्टि में रखते हुए क्या भारतीय खाद्य निगम ने अपने सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त किये गये कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने के लिये कुछ कार्यवाही की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उसने सीधी भर्ती वाले इन कर्मचारियों की अपेक्षाकृत अधिक शैक्षिक अर्हताएं को ध्यान में रखा है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या निगम में सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त कर्मचारियों के लिये पदोन्नति के सभी ग्रेडों में कुछ अभ्यंश निर्धारित करने की गारन्टी देगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग) भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारी विनियमों में सीधी भर्ती वाले कर्मचारियों की भर्ती के लिये नियत अनुभव और योग्यता के अनुसार उनके हितों की रक्षा के लिये पर्याप्त उपबन्ध किये गये हैं। सीधी भर्ती वाले कर्मचारियों के लिये पदोन्नतियों के लिये अलग कोटा निर्धारित करना आवश्यक नहीं समझा गया।

Cultivation of Oil Palm in Kerala

5088. **Shri Vasudevan Nair** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the Kerala Government have proposed a scheme for large scale cultivation of oil palm in the State ;

(b) if so, whether Government have been requested to grant financial assistance for the same ; and

(c) if so, the decision of Government in the matter ?

Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : **(a) and (b)** : A proposal for the Development of oil palm plantation was submitted to the Governments of India and Kerala by the Managing Director, Plantation Corporation of Kerala Limited,

Kottayam. The State Government has proposed that the agency of the Plantation Corporation of Kerala Limited may be utilised for undertaking oil palm cultivation. The State Government also suggested that the necessary financial assistance for this scheme as 100 per cent loan, as was done in the case of plantation of rubber, may be made available to the Plantation Corporation of Kerala Limited. The proposal has been discussed between the officials of the Government of India, the State Government and the plantation Corporation of Kerala Limited and the State Government has been requested to send a detailed project proposal.

(c) The pattern of Central assistance will be decided after an examination of the detailed project proposal.

हैदराबाद और विजयावाडा के तीसरी श्रेणी के डाक कर्मचारियों द्वारा ज्ञापन

5089. **श्री वि० नरसिम्हा राव :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हैदराबाद और विजयावाडा में स्थित पोस्टल स्टोर डिपुओं के तीसरी श्रेणी के कर्मचारियों के अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ ने सरकार को पोस्टल स्टाक डिपुओं के पुनर्गठन के विरुद्ध कोई ज्ञापन दिया है; और

(ख) यदि हां, तो पोस्टल स्टोर डिपुओं को पोस्टल स्टाक डिपुओं के रूप में बदलने के क्या कारण थे ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) (क) दोनों डिपुओं के कर्मचारियों और यूनियनों ने इन डिपुओं को डाक मन्डलों से अलग करने के लिए एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था । किन्तु इसे स्वीकार नहीं किया गया ।

(ख) सर्कल कार्यालय के पोस्टल स्टाक डिपो अराजपत्रित कर्मचारियों के कार्यभाराधीन हैं। डाक-तार सेवाओं का विस्तार होने पर स्टाक डिपुओं की स्थिति और विभिन्न यूनिटों के लिए फार्मों और वस्तुओं की अधिप्राप्ति, संग्रह और वितरण की व्यवस्था की बढ़ी हुई माँग को पूरा करने के लिए सर्वथा अपर्याप्त पाया गया । इन स्टाक डिपुओं का अलग स्टोर डिपुओं के रूप में एक पृथक राजपत्रित अधिकारी के कार्यभार के अन्तर्गत पुनर्गठन आवश्यक समझा गया ।

Kaushalpuri Cooperative Society Farm, Achhalda, Etawah

5090. **Shri Arjun Singh Bhadoria** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the then District Officers got looted the Kaushalpuri Cooperative Society farm established by landless Harijans near Achhalda in Etawah, Uttar Pradesh in 1949-50, and forcibly took possession of the farm after getting the members of the society and its manager jailed under various false charges ;

(b) whether it is also a fact that the said members were ultimately acquitted by the courts ; and

(c) if so, the steps being taken for returning the property to the society ?

Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri M. S. Gurupadaswamy) :(a) to (c) The information is being collected and will be placed on the Table of the House.

Ashokpuri Co-operative Agriculture Farm, Achhalda, Etawah (U. P.)

5091. **Shri Arjun Singh Bhadoria** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the detailed account of the progress made so far since 1950 in regard to the agriculture, community development, cooperation and research in Ashokpuri Cooperative Agriculture Farm, Achhalda in Etawah District (Uttar Pradesh) ;

(b) the expenditure incurred so far since the 29th May, 1950 under different heads ;

(c) whether it is a fact that Government officials took loans worth thousands of rupees in the name of this farm from the 29th May 1950 till the date of its registration and misappropriated huge amounts by showing expenditure under different heads ; and

(d) whether Government propose to conduct a thorough enquiry through a high-powered commission into the full accounts of income and expenditure, Members' List, files and other proceedings of the Committee ?

Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Coop. (Shri M. S. Gurupadaswamy): (a) to (d): The information is being collected and will be placed on the Table of the House.

Excise Duty on Khandsari

5092. **Shri S. M. Joshi** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the rates of excise-duty on the Khandsari production are fixed on the grounds as to whether vacuum-pans were used therefor in the factory ;

(b) whether it is also a fact that more excise-duty is levied on the units producing Khandsari by making use of vacuum-pans ;

(c) whether Government are aware that the small factory-owners do not make use of vacuum-pans to save themselves from paying more excise duty consequent to which less quantity of Khandsari is produced from sugarcane ; and

(d) whether Government would consider the question of fixing the rates of excise duty on the value of machinery installed for production and not on the basis of utilisation or non-utilisation of vacuum-pans ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) No, Sir.

(b) No, Sir.

(c) Vacuum pan is not used in the manufacture of khandsari.

(d) No, Sir.

Relief to Farmers.

5093. **Shri Bansh Narain Singh** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government propose to take steps for giving relief to the farmers in view of the fact that the price of fertilisers and the rates of water for irrigation purposes are rising and the prices of foodgrains are constantly falling ; and

(b) if so, the details thereof ?

Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) and (b) Prevailing prices of foodgrains, though somewhat lower than those in 1967, continue to be generally higher than those in 1965 and 1966. Further, support is being provided to the foodgrains

market at the procurement prices which contain an element of incentive. Moreover, the increased cost of agricultural inputs has been generally compensated by the substantially higher output, resulting from the adoption of new technology. Government's policy is that while a watch is kept over the prices of essential agricultural inputs, farmers receive increasing facilities in the form of credit and ready availability of inputs so that the higher investment does not become a disincentive.

Minor Irrigation Facilities in Mirzapur (U. P.)

5094. **Shri Bansh Narain Singh** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government propose to make some arrangements to provide irrigation facilities in the southern part of Mirzapur District which is rocky and where there are neither tubewells nor canals ; and

(b) if so, the details thereof ?

Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) and (b) The information is being collected from the State Government and will be laid on the Table of the Sabha on receipt.

आसाम में शरणार्थियों के लिये भूमि का अधिग्रहण

5095. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम में सन् 1950 से लेकर प्रत्येक जिले में शरणार्थियों के लिये कितनी बस्तियां स्थापित की गई हैं;

(ख) शरणार्थियों के लिये बस्तियों के सम्बन्ध में भूमि के अधिग्रहण की लागत के रूप में कितनी-कितनी राशि जिला प्राधिकारियों को दी गई;

(ग) क्या यह सच है कि नौनागोंग जिले में अधिगृहीत भूमि को अब 'खास' भूमि घोषित कर दिया जाता है; और

(घ) क्या यह भी सच है कि उन शरणार्थियों को बेदखली के नोटिस दिये गये हैं जिनको शालना और शारिशबाड़ी चाय सम्पदाओं में तथा अन्य अनेक ऐसी ही सरकार द्वारा बनाई गई बस्तियों में भूमि अधिग्रहण के पश्चात् सरकार के संरक्षण में बसाया गया था ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) एक विवरण संलग्न है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1835-68.]

(ख) जानकारी आसाम सरकार से एकत्रित की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जायेगी।

गुजरात में शीतागार की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए केन्द्रीय ऋण

5096. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुजरात को वर्ष 1966-67 में आलू के बीजों को रखने के लिए शीतागार का निर्माण करने के लिए कोई ऋण मन्जूर किया था; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) राज्य सरकार को 1966–67 के दौरान सहकारी क्षेत्र में एक शीतागार की स्थापना के लिए 4 लाख रुपयों की राशि स्वीकार की गई थी ।

बम्बई में स्वचालित टेलीफोन केन्द्र

5097. **श्री गोपाल साबू** : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई में स्वचालित टेलीफोन केन्द्र चालू करने के सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) यह केन्द्र कब तक कार्य करना आरम्भ कर देगा ; और

(ग) यदि कुछ विलम्ब होने की सम्भावना है तो इसका कारण क्या है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) बम्बई में 1,17,400 लाइनों की उपस्कर क्षमता के 21 स्वचल टेलीफोन एक्सचेंज हैं ।

(ख) नये स्वचल टेलीफोन एक्सचेंज़ उत्तरोत्तर खोले जा रहे हैं ।

(ग) टेलीफोनों की पूरी मांग की पूर्ति के लिए साधन सीमित होने के कारण एक्सचेंज खोलना संभव नहीं हो सका है ।

शिलांग में स्वचालित टेलीफोन केन्द्र

5098. **श्री लीलाधर कटकी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिलांग में स्वचालित टेलीफोन केन्द्र चालू करने के सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) यह केन्द्र कार्य करना कब आरम्भ कर देगा ; और

(ग) आसाम क्षेत्र में किन अन्य जिलों को सीधे टेलीफोन करने की सुविधा उपलब्ध होने की सम्भावना हैं ?

संसद कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) शिलांग में 2000 लाइनों के स्वचल क्रासबार टेलीफोन एक्सचेंज के स्थापन का लगभग 60 प्रतिशत काम समाप्त हो गया है ।

(ख) इसके मार्च, 1969 में चालू हो जाने की संभावना है ।

(ग) गौहाटी और शिलांग के बीच स्थान से स्थान उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग प्रणाली दिसम्बर, 1970 तक चालू हो जाएगी । चतुर्थ पंच वर्षीय योजना के दौरान गौहाटी और शिलांग में राष्ट्रव्यापी उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग प्रणाली के चालू हो जाने की संभावना है ।

उड़ीसा के सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिये निधियां

5099. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के सूखाग्रस्त क्षेत्रों के किसानों से कृषि की वसूली स्थगित करने के लिये उड़ीसा सरकार ने 1968-69 में धन नियत करने का अनुरोध किया है, और

(ख) यदि हां, तो कितना धन नियत किया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिंदे) : (क) उड़ीसा सरकार से ऐसी कोई प्रार्थना प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

अल्पकालिक ऋणो को मध्यकालिक ऋणों में बदलना

5100. **श्री चिन्तामणी पाणिग्रही** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसानों द्वारा लिये गये अल्पकालिक ऋणों को मध्यकालिक ऋणों में बदलने के लिये अपेक्षित राशि का अनुमान लगाया गया है ताकि वे चालू वर्ष में सरकारी समितियों से नये ऋण लेने के पात्र हो सकें;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1968-69 में उड़ीसा के लिये अनुमानित राशि कितनी है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने इस राज्य में सरकारी बैंकों को कितनी अतिरिक्त सहायता दी थी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) :

(क) व (ख) : राज्य सरकारों और सहकारी वित्तदायी अभिकरणों द्वारा समय-समय पर अनुमान लगाए जाते हैं । केन्द्र सरकार ने कोई अनुमान नहीं लगाया है ।

(ग) इस वर्ष अब तक केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई सहायता नहीं दी गई है, क्योंकि उड़ीसा राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

श्रम अधिकारी सेवा

5101. **श्री प्र० रं० ठाकुर** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रम अधिकारी सेवा का आरम्भिक गठन किस तारीख को किया गया था ; और इसके लिये क्या विशिष्ट नियम बनाये गये थे ;

(ख) इसके आरम्भिक गठन के समय सेवा में कितने अधिकारी थे और आज तक वर्ष-वार, कितने अधिकारी इस के लिये नियुक्त किये गये हैं ; और

(ग) आरम्भिक गठन के समय, तथा तत्पश्चात् वर्षवार आज तक इसमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कितने व्यक्ति नियुक्त किये गये थे ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) श्रम अधिकारी (केन्द्रीय पूल) भर्ती और सेवा शर्तों से संबन्धित नियम 20 नवम्बर, 1951 को अधिसूचित किये गये । श्रम अधिकारियों का केन्द्रीय पूल 19 दिसम्बर, 1952 को बना ।

(ख) और (ग) पूल बनने के समय आरम्भ में श्रम अधिकारियों की 100 जगहें थीं। इन जगहों के लिये जो श्रम अधिकारी पूल में शामिल किये गये थे उनकी वास्तविक संख्या 79 थी जिनमें 12 ऐसे अधिकारी भी शामिल थे, जो पूल बनने से बाद की तिथियों में भर्ती हुए।

एक वर्ष वार विवरण जिसमें सन् 1952 में पूल बनने के समय से श्रम अधिकारियों की संख्या दी गई, और आज तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियां तथा उसके बाद की गई भर्तियां भी शामिल हैं, सभा पटल पर रख दिया गया है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1836-68]

कृषि स्नातक

5102. **श्री प्र० रं० ठाकुर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री 25 अप्रैल, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8536 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि स्नातकों के बारे में अपेक्षित जानकारी इस बीच एकत्र कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो यह कब तक सभा-पटल पर रखी जायेंगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) अभी तक पूरी जानकारी इकट्ठी नहीं की जा सकी है। 71 संस्थाओं को लिखा गया था जिनमें से केवल 45 ने उत्तर भेजे हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

(ग) जानकारी पूरी होते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

अनुसूचित जातियों के अधिकार तथा विशेषाधिकार

5103. **श्री प्र० रं० ठाकुर** : **श्री अ० कु० किस्कु:**

क्या **विधि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गृह-कार्य मंत्रालय अथवा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के आयुक्त ने वर्ष 1950 से लेकर अब तक कितनी बार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के संवैधानिक अधिकारों और विशेषाधिकारों से सम्बन्धित विशिष्ट मामलों अथवा उनसे उत्पन्न होने वाले प्रश्नों के बारे में मत प्रकट करने अथवा निर्वचन करने के लिए मंत्रालय को कहा; तथा प्रत्येक मामले का विशिष्ट ब्योरा क्या है ; और

(ख) क्या व्यक्त किये गये मत अथवा निर्वचनों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

विधि मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद यूनुस सलीम) : (क) और (ख) : विभागों द्वारा उठाए गए अनेक प्रश्नों पर इस मंत्रालय द्वारा दी गई विधिक सलाह अन्तर्विभागीय टिप्पणों का भाग है और ऐसे टिप्पणों को प्रकाशित करना लोक हित में न होगा।

Consolidation of Holdings in U. P.

5104. **Shri T. P. Shah** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the holdings of even real brothers are being marked separately inspite of their requests for not doing so in the process of consolidation of holdings being done in Uttar Pradesh ;

(b) whether it is also a fact that their holdings have been fragmented as a result thereof ;

(c) if so, the reasons as to why the holdings are being marked separately in the said manner ; and

(d) the number of holdings marked separately against the wishes of such farmers during the last three months ?

Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) to (d) Under the U. P. Consolidation of Holdings Act 1953, there is a provision empowering the Assistant Consolidation Officer to effect partition of a joint holding specifying separately shares of individual tenure holders in a joint family either on application of any of the joint tenure holder or suo-motu on his own motion where he considers it necessary for ensuring proper consolidation. After an enquiry by the Assistant Consolidation Officer regarding share of each holder, the parties are given notice of the proposal for partition and objections are invited. The objections received are decided and the holdings are either partitioned or the proposal is dropped. There is also a provision for appeal by an aggrieved person before the Settlement Officer (Consolidation) relating to partition.

Partition of a joint holding is considered necessary in certain cases so that the lands of individual tenure holder are consolidated in compact blocks. Nothing prevents the individual tenure holders to manage and cultivate their land jointly or to hold their properties jointly.

Information is not available regarding the number of cases in which partitions have been effected by suo-motu action of the Assistant Consolidation Officer and the number of cases in which such partitions have resulted in fragments.

Complaint against Ration Dealer of Bulandshahr.

5105. **Shri T. P. Shah** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 7026 on the 11th April, 1968 and state :

(a) whether the report of enquiry into the charges of black-marketing against M/s. Gopi Mal and Co., Bulandshahr has been received ;

(b) if so, the details thereof ;

(c) whether it is also a fact that no mention has been made in the report of the Central Government Inspector regarding the cancellation of this Company's licence ; and

(d) if so, the action taken against this Company ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) to (d) A detailed report from the Government of Uttar Pradesh is still awaited. It will be laid on the Table of the Sabha on receipt.

श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम

5106. **श्री देवेन सेन** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाचार पत्रों के अंशकालिक संवाददाताओं पर श्रमजीवी पत्र अधिनियम लागू होता है ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या उन पर इसे लागू करने के लिये इसमें संशोधन करने का सरकार का विचार है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री हाथी) : (क) समाचार-पत्रों के अंशकालिक सम्वाददाता जो समाचार-पत्र प्रतिष्ठानों में सम्वाददाता के रूप में नियोजित हैं और जिनके जीवन का मुख्य व्यवसाय पत्रकारिता है, इस अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत आयेंगे ।

(ख) इस अधिनियम को अन्य कर्मचारियों पर लागू करने के लिए इसके उपबन्धों में संशोधन करने का सरकार का विचार नहीं है ।

हल्दिया स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था

5107. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल में हल्दिया नामक स्थान पर एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था की स्थापना के लिये अपेक्षित स्वीकृति के बारे में पश्चिमी बंगाल सरकार को सूचना दे दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो कब ;

(ग) क्या इस संस्था की स्थापना का प्रारम्भिक कार्य आरम्भ कर दिया गया है ;

(घ) यदि नहीं, तो इसकी स्थापना में क्या कठिनाइयां और बाधाएँ हैं ; और

(ङ) क्या सरकार हल्दिया पत्तन के लिये अपनी सम्पत्तियों से वंचित किये गये और विस्थापित किये गये व्यक्तियों के पुत्रों तथा पुत्रियों को प्रशिक्षण देने के लिये इस संस्था को कुछ विशेष सुविधाएँ देगी ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री हाथी) : (क) जी हां ।

(ख) 18 मार्च, 1968 को ।

(ग) और (घ) जानकारी उपलब्ध नहीं ।

(ङ) दस्तकार प्रशिक्षण योजना के अधीन सामान्य सुविधायें उपलब्ध होंगी । माननीय सदस्य के सुझाव, विचार के लिए, राज्य सरकार को अवगत करा दिये जायेंगे ।

दिल्ली में चलते फिरते तथा ग्रामीण डाकघरों में डाक टिकटों का उपलब्ध न होना

5108. **श्री हेम राज** : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में चलते फिरते डाकघरों तथा गाँवों के डाकघरों में कम पैसों वाली डाक-टिकटें उपलब्ध न होने के बारे में सरकार को शिकायतें मिली हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो इस स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

मध्य प्रदेश में किसानों को दीर्घकालिक ऋण

5109. **श्री मणिभाई जे० पटेल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री 4 जुलाई, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4441 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के किसानों के लिए निर्धारित अनुमानित तथा प्रस्तावित दीर्घकालिक

ऋण, जो सहकारी भूमि बन्धक तथा विकास बैंकों के माध्यम से दिया जाना था, वास्तव में दे दिया जा चुका था ; और

(ख) यदि हाँ, तो किसानों को वास्तव में कितनी राशि दी गई तथा इस ऋण की मुख्य शर्तें तथा निबन्धन क्या हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) (क) व (ख) : 1967-68 में मध्य प्रदेश में भूमि विकास बैंकों ने 3 करोड़ रुपए के वास्तविक अनुमान के मुकाबिले में 3.17 करोड़ रुपए तक के दीर्घकालीन ऋण दिए । ये ऋण 10 वर्षों की अवधि के लिए दिए जाते हैं, इनकी ब्याज की दर 9 प्रतिशत होती है और भूमि की प्रतिभूति पर दिए जाते हैं । ट्रेक्टरों तथा अन्य कृषि-मशीनों के लिए दिए जाने वाले ऋणों के बारे में मशीनों का समर्थक ऋणाधार भी लिया जाता है । अधिकांश ऋण भूमि सुधार तथा उत्पादी प्रयोजनों के लिए होते हैं ।

कुल्टी के केन्दुआ बाजार में भूमि का धंस जाना

5110. **श्री भगवान दास** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुल्टी के केन्दुआ बाजार का बहुत बड़ा भू-भाग नीचे धंस गया है जिसके फल-स्वरूप बहुत से लोग विस्थापित हो गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसका कुल कितने लोगों पर प्रभाव पड़ा है; और इन लोगों के पुनर्वास के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(ग) क्या जमीन के नीचे धंस जाने से आई० आई० एन्ड एस० कम्पनी, रामनगर की लोहे की नई खान को खतरा पैदा हो गया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सुरक्षा के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री हाथी) : (क) जी हाँ ।

(ख) 65 परिवार, जिनमें 580 व्यक्ति हैं, विस्थापित हुये हैं । पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा उनके पुनर्वास के लिये उपाय किए जा रहे हैं ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

इन्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी

5111. **श्री भगवान दास** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के प्रबन्धकों ने मजूरी की दरों के बारे में आसनसोल आयरन एण्ड स्टील कान्फ्रेन्स यूनियन के साथ समझौता किया है ;

(ख) यदि हाँ, तो उस समझौते की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या कर्मचारियों का उत्पादन बोनस मजूरी बोर्ड द्वारा निर्धारित मजूरी पर आधारित है ;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार को लोहा तथा इस्पात कर्मचारी संघ बर्नपुर की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ङ) उस अभ्यावेदन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री हाथी) : (क) से (ङ) : सूचना एकत्र की जा रही है।

इण्डियन आयरन एन्ड स्टील कम्पनी

5112. **श्री भगवान दास** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 20 ठेकेदारों और इंडियन आयरन एन्ड स्टील कम्पनी तथा इंडियन स्टैंडर्ड वेगन कम्पनी की तीन यूनियनों के बीच, समझौता अधिकारी और अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट की उपस्थिति में 5 जुलाई, 1967 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गये थे ;

(ख) यदि हां, तो समझौते की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या समझौते को क्रियान्वित किया गया है ;

(घ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा समझौते को क्रियान्वित करवाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ;

(ङ) क्या तीनों यूनियनों ने विवादग्रस्त मामले पर न्याय-निर्णय की मांग की है ; और

(च) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां।

(ख) समझौते में निम्न व्यवस्था है :—

(i) प्रत्येक महिला श्रमिक को 2.25 रु० व पुरुष श्रमिक को 2.37 रु० की दैनिक मजूरी की अदायगी :

(ii) अन्य विवादग्रस्त मामलों को न्यायनिर्णय के लिए भेजना। शोषण की कोई कार्यवाही नहीं की जानी थी तथा श्रमिकों को अपने काम पर वापस आने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया गया था। समझौता 12-7-68 से लागू किया गया।

(ग) और (घ) : वेतन की स्वीकृत दरों को क्रियान्वित कर दिया गया है। विवादों को न्यायनिर्णय के लिए भेजने का प्रश्न पश्चिमी बंगाल की राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(ङ) जी हां।

(च) जैसा कि ऊपर (ग) और (घ) में कहा गया है, यह मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

पश्चिमी बंगाल के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में सहकारी बैंकों द्वारा ऋण की वसूली

5113. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : **श्री योगेन्द्र शर्मा** :
डा० रानेन सेन : **श्री जि० मो० बिस्वास** :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल में 24 परगना जिले के गइघाट, बोनगांव तथा बगदाह थानों के अन्तर्गत क्षेत्रों में बाढ़ आ जाने से फसलों की बहुत अधिक क्षति होने तथा बड़ी संख्या में ढोरों के मर जाने के कारण किसानों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने सहकारी बैंकों से यह कहने की आवश्यकता पर विचार किया कि वे बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के किसानों की इस संकट का सामना करने के लिये सहायता के हेतु

पिछले वर्ष के ऋण की वसूली रोक दें और इस वर्ष उन्हें नये ऋण दें ; और

(ग) यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार तीन पुलिस स्टेशनों के क्षेत्रों में फसलों तथा ढोरों को जिस हद तक नुकसान हुआ है, वह नीचे दिया गया है :—

फसल का नाम	वह क्षेत्र जहां फसलें पूर्णतः नष्ट हुई हैं	वह क्षेत्र जहां फसलें आंशिक रूप में नष्ट हुई हैं
	(एकड़)	(एकड़)
अमन धान	12430	3904
आउस धान	8253	2981
पटसन	1942	1477
ढोरों की मृत्यु	462 (संख्या)	

(ख) व (ग) : सरकारी समितियों द्वारा चालू फसल मौसम के लिये दिये फसल ऋण दिसम्बर, 1968 में फसल के बाद ही वापिस करने होंगे। जिन गांवों में राजस्व प्राधिकारियों द्वारा 6 आने अथवा कम की आनावारी घोषित की जाएगी, वहां सहकारी समितियों द्वारा दिये गए अल्पकालीन ऋणों को ऋण स्थिरीकरण योजना के अन्तर्गत मध्यकालीन ऋणों में बदलना सम्भव होगा। राज्य सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों में तकाबी ऋण देने के लिये विशेष धनराशि आवंटित की है।

मध्य प्रदेश में टिड्डी दल का उत्पात

5114. **श्री यशवंत सिंह कुशवाह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेगिस्तानी टिड्डी दल मध्य प्रदेश और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों की ओर बढ़ रहा है और इससे खरीफ की फसल को भारी खतरा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध मे केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार के सहयोग से क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी, नहीं। जुलाई, 1968 में पश्चिम से भारत पर आक्रमण करने वाले छः टिड्डी दलों को नियंत्रित किया गया और उन्हें पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र में ही रोक दिया गया।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यो की उपलब्धियां) (संशोधन) नियम, 1968

संसदकार्य तथा संचार मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ :—

(एक) उत्तर प्रदेश राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा दिनाँक 25 फरवरी, 1968 को जारी की गई उद्घोषणा, दिनाँक 15 अप्रैल, 1968 की उद्घोषणा द्वारा परिवर्तित के खंड (ग) (चार) के साथ पठित उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियाँ) अधिनियम, 1952 की धारा 5 की उपधारा (3) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियाँ) (संशोधन) नियम, 1968 की एक प्रति जो दिनाँक 10 जुलाई, 1968 के उत्तर प्रदेश राजपत्र में अधिसूचना संख्या 1753/XVII 231–64 में प्रकाशित हुए थे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(दो) ऊपर की अधिसूचना को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण ।

[पुस्तकालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 1808/68]

उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार की अधिसूचनाएं और पश्चिम बंगाल जिला परिषद अधिनियम के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल सरकार की अधिसूचनाएँ ।

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ :—

(1) उत्तर प्रदेश के राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा दिनाँक 25 फरवरी, 1968 को जारी की गई उद्घोषणा, दिनाँक 15 अप्रैल, 1968 की उद्घोषणा द्वारा परिवर्तित के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा 110 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार की निम्नलिखित के अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) उत्तर प्रदेश पंचायत राज (तीसरा संशोधन) नियम, 1967 जो दिनाँक 29 दिसम्बर, 1967 की अधिसूचना संख्या 7566–बी/XXXIII-II-519–61 में प्रकाशित हुए थे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) उत्तर प्रदेश पंचायत राज (पहला संशोधन) नियम, 1968 जो दिनाँक 26 मार्च, 1968 की अधिसूचना संख्या 1856–बी/XXIII–2–49–जी–66 में प्रकाशित हुए थे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[पुस्तकालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 1809/68]

(2) पश्चिमी बंगाल राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा दिनाँक 20 फरवरी, 1968 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित पश्चिमी बंगाल जिला परिषदें अधिनियम, 1963 की धारा 112 की उपधारा (4) के अन्तर्गत पश्चिमी बंगाल सरकार की निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) पश्चिमी बंगाल जिला परिषदें (कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति की शर्तें तथा निबन्धन) नियम, 1968 जो दिनाँक 4 जुलाई, 1968 के कलकत्ता राजपत्र में अधिसूचना संख्या 4895/ए जैड पी में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) अधिसूचना संख्या 4960/ए जैड पी जो दिनाँक 12 जुलाई, 1968 के कलकत्ता राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा पश्चिमी बंगाल जिला परिषदें (कर्मचारियों की भर्ती) नियम, 1964 में कतिपय संशोधन किये गये ।

[पुस्तकालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 1810/68]

(3) ऊपर की मद (2) और (3) में उल्लिखित अधिसूचनाओं को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण ।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1809/68]

अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएँ ।

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ :—अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) गन्ना (नियन्त्रण) दूसरा संशोधन आदेश, 1968 जो दिनांक 2 अगस्त, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1456 में प्रकाशित हुआ था ।

(दो) अन्तर्क्षेत्रीय गेहूँ तथा गेहूँ उत्पाद (वहन नियंत्रण) छठा संशोधन आदेश, 1968 जो दिनांक 7 अगस्त, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1458–क में प्रकाशित हुआ था ।

[पुस्तकालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 1811/68]

(2) (एक) उत्तर प्रदेश राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा दिनाँक 25 फरवरी, 1963 को जारी की गई, उद्घोषणा, दिनाँक 15 अप्रैल, 1968 की उद्घोषणा द्वारा परिवर्तित, के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित उत्तर प्रदेश नगरीय क्षेत्र जमींदारी उन्मूलन तथा भूमि सुधार अधिनियम, 1956 की धारा 86 की उप-धारा (6) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश नगरीय क्षेत्र जमींदारी उन्मूलन तथा भूमि सुधार (संशोधन) नियम, 1968 की एक प्रति जो दिनाँक 8 जून, 1968 के उत्तर प्रदेश राजपत्र में अधिसूचना संख्या यू० ओ० 1087/आई-ए-रै-डी 35–2–66 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) ऊपर की अधिसूचना को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण ।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1812/68]

रिहैबिलिटेशन इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन ।

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री द० रा० चव्हाण) : मैं रिहैबिलिटेशन इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, कलकत्ता के 1966–67 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ सभा-पटल पर रखता हूँ ।

[पुस्तकालय में रखी गयीं । देखिये संख्या एल० टी० 1650/68]

वेस्ट चिरीमिरी कोयला खान आदि में हुई दुर्घटना के बारे में जांच प्रतिवेदन ।

श्री ब० रा० चव्हाण : मैं श्री स० चु० जमीर की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ :—

(1) 11 अप्रैल, 1968 को वेस्ट चिरीमिरी कोयला खान, मध्य प्रदेश, घातक दुर्घटना के बारे में जांच के प्रतिवेदन की एक प्रति ।

(2) केन्द्रीय कोयला खान बचाव केन्द्र समिति, धन्नबाद के 1967–68 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति ।

(3) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 की धारा 7 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत कर्मचारी भविष्य निधि (तीसरा संशोधन) योजना, 1968 की एक प्रति जो दिनांक 13 जुलाई, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1288 में प्रकाशित हुई थी ।

(पुस्तकालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 1813/68)

राज्य सभा से संदेश

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : मुझे राज्य सभा के सचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना देनी है :—

(एक) कि राज्य सभा ने अपनी 9 अगस्त, 1968 की बैठक में लोक-सभा की इस सिफारिश से सहमति प्रकट की है कि राज्य-सभा लोक-सभा की लोक लेखा समिति से श्री एम० एम० धारिया के त्यागपत्र के कारण हुई रिक्तता में, समिति की कार्यावधि के 30 अप्रैल, 1969 को समाप्त होने वाले शेष भाग के लिए समिति से सहयोजित किये जाने के लिए, राज्य सभा से एक सदस्य नामनिर्दिष्ट करे और राज्य-सभा के सदस्य श्री एच० वी० मोमिन को उक्त समिति में कार्य करने के लिए नामनिर्दिष्ट किया है ।

(दो) कि राज्य सभा ने अपनी 19 अगस्त, 1968 की बैठक में लोक सभा की इस सिफारिश से सहमति प्रकट की है कि लोकपाल तथा लोकायुक्त विधेयक, 1968 सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति के लिए, श्री हरिश्चन्द्र माथुर के देहावसान से हुई रिक्तता में, राज्य सभा के एक सदस्य को नियुक्त करे और उक्त संयुक्त समिति में काम करने के लिए राज्य सभा के सदस्य श्री राम निवास मिरधा को नामनिर्दिष्ट किया है ।

———

सदस्यों की गिरफ्तारी तथा रिहाई ।

ARREST AND RELEASE OF MEMBERS

अध्यक्ष महोदय : मुझे सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट, तुगलक रोड, नई दिल्ली से प्राप्त दिनाँक 21 अगस्त, 1968 के तीन संदेश पत्रों की सूचना सभा को देनी है, जिसमें बताया गया कि शान्ति पथ पर, जो चाणक्यपुरी, नई दिल्ली पुलिस थाने के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत है, दण्ड प्रक्रिया

संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत प्रख्यापित निषेध आदेशों का उल्लंघन करते हुए रूसी दूतावास के सामने प्रदर्शन करने और नारे लगाने के कारण भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत 21 अगस्त, 1968 के 6-15 बजे म० प० पर लोक-सभा के सदस्यों सर्वश्री मधु लिमये, जे० एच० पटेल और जार्ज फरनेंडीज को गिरफ्तार किया गया और उन्हें उस दिन विचारण के लिए नई दिल्ली न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया।

अध्यक्ष महोदय ने प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट, नई दिल्ली से प्राप्त दिनांक 21 अगस्त, 1968 के एक पत्र की सूचना भी सभा को दी जिसमें बताया गया कि लोक-सभा के सदस्यों सर्वश्री मधु लिमये, जे० एच० पटेल और जार्ज फरनेंडीज को 21 अगस्त, 1968 को प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट, नई दिल्ली के सामने पेश किया गया। कार्यवाही 7 सितम्बर, 1968 तक के लिए स्थगित की गई और इस बीच उपरोक्त संसद् सदस्यों को रिहा कर दिया गया और उनसे उस तारीख को न्यायालय के सामने उपस्थित होने के लिए निवेदन किया गया।

Shri Rabi Ray (Puri) : Seven Members of Parliament have again been arrested today. They had gone there to handover a Memorandum to the Russian Embassy but they were not allowed to do so. It is not an ordinary incident. The hon'ble Home Minister should be asked to make a statement.

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : It want to know as to why Section 144 has been promulgated and whether we can demonstrate before Russian Embassy peacefully or not ?

अध्यक्ष महोदय : मैं गृह मंत्री को कोई बात कहने के लिये बाध्य नहीं कर सकता।

Shri S. M. Banerjee (Kanpur) : I want to ask about the arrests that were made yesterday. I have no objection to the arrests but the arrested Members were taken to Tilak Marg Police Station and there they were made to sit upto late in the night. The Magistrate arrived at the scene only at 10 O'clock. An investigation should be made in this affair.

Shri Atal Bihari Vajpayee : Section 144 should be promulgated only if there is apprehension of breach of peace otherwise people should be allowed to express their sentiments by peaceful demonstration. What is the harm in it ?

श्री रंगा (श्रीकाकुलम) : आज हम में से 100 से अधिक संसद सदस्य रूसी दूतावास के पास गये थे और हमने वहां शान्तिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन किया था। हम अपना रोष व्यक्त करने के बाद आ गये। पता नहीं उसके बाद क्या हुआ।

विनियोग (रेलवे) संख्या 3 विधेयक

(रेलवे मंत्री श्री चे० मु० पुनाचा) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि वित्तीय वर्ष 1968–69 की रेलवे की सेवा के लिए भारत की संचित निधि में से कुछ और राशियों के भुगतान तथा विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1968–69 की रेलवे की सेवा के लिए भारत की संचित निधि में से

कुछ और राशियों के भुगतान तथा विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि खण्ड 1, 2, 3, अनुसूची, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खण्ड 1, 2, 3, अनुसूची, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक के नाम को विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clauses 1, 2, 3, the Schedule, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री चे० मु० पुनाचा : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि विधेयक को पारित किया जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

विनियोग (रेलवे) संख्या 4 विधेयक

Appropriation (Railways) No. 4 Bill.

श्री चे० मु० पुनाचा : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि 31 मार्च, 1966 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान रेलवे की कुछ सेवाओं पर उन सेवाओं के लिए तथा उस वर्ष के लिए दी गई राशियों के अतिरिक्त व्यय की गई राशियों को पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि में से राशियों के विनियोग का अधिकार देने के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि 31 मार्च, 1966 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान रेलवे की कुछ सेवाओं पर उन सेवाओं के लिए तथा उस वर्ष के लिए की गई राशियों के अतिरिक्त व्यय की गई राशियों को पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि में से राशियों के विनियोग का अधिकार देने के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, 2, 3, अनुसूची, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खण्ड 1, 2, 3, अनुसूची, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 1, 2, 3, the Schedule, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री चे० मु० पुनाचा : मैं प्रस्ताव करता हूँ :—

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

स्वर्ण (नियंत्रण) विधेयक—जारी

GOLD (CONTROL) BILL—ontd.

श्री लोबो प्रभु (उद्दीपी) : अनुच्छेद 19 के अन्तर्गत लगाये गये प्रतिबन्धों के बारे में मैं कह रहा था ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।
[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

साधारण व्यवसाय पर किसी प्रकार के प्रतिबन्ध लगाना उचित नहीं कहा जा सकता ।

खण्ड 5 में स्वर्ण नियंत्रण सम्बन्धी विभिन्न पहलुओं के बारे में लाइसेंस देने के लिये नियम तथा विनियम बनाने के लिये प्रशासक को व्यापक अधिकार दिये गये हैं । मन्त्री महोदय को इस बात का विचार करना चाहिये कि यह उपबन्ध खण्ड 14 से कहां तक मेल खाते हैं जिसके अन्तर्गत सरकार ने विनियम बनाने के अधिकार अपने पास रखे हैं । मैं सभा को यह बताना चाहता हूँ कि स्वर्ण नियंत्रण का प्रशासक सरकार का संयुक्त सचिव होगा और ये सभी अधिकार उन्हें दिये जायेंगे । मन्त्री महोदय को इस बात पर विचार करना चाहिये कि खण्ड 5 के उप-खण्ड (क) को हटा दिया जाये ।

अब मैं सोने के हस्तांतरी के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ । हो सकता है ये लोग सोना खरीदते हैं या अन्य तरीकों से सोना प्राप्त करते हैं । हस्तान्तरी को ऐसे हस्तान्तरक के लिये उत्तरदायी नहीं ठहराया जाना चाहिये, जिसने अपने पास रखे हुए सोने के बारे में घोषणा नहीं की है ।

स्वर्ण शोधकों पर कुछ प्रतिबन्ध लगाये जाने की बात तो समझ में आती है क्योंकि वे उनका काम बहुत महत्व का है, यह कोई साधारण काम नहीं है । इसके बाद दूसरे दर्जे पर

व्यापारी वर्ग है। फिर तीसरे पर प्रमाणित स्वर्णकार है। मेरे विचार में जितनी गुन्जाइश शोधकों और व्यापारियों को दी गयी है उतनी ही इस वर्ग के लिये भी व्यवसाय में प्रवेश करने के सम्बन्ध में गुन्जाइश रखी जानी चाहिये।

अन्तिम वर्ग कारीगरों का है। इस वर्ग को समाप्त करने के लिये निश्चित प्रयास किये जा रहे हैं। जब तक कोई कारीगर सुनार बनने की अर्हता प्राप्त नहीं कर लेता तब तक उसे भर्ती नहीं किया जा सकता। अतः स्वर्णकारों और कारीगरों के साथ भेद-भाव पूर्ण व्यवहार नहीं किया जाना चाहिये। कारीगरों को भी वही अधिकार दिये जाने चाहिये जो शोधकों को दिये गये हैं।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि कारीगरों की लाइसेंस फीस भी अत्यधिक है।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम (विशाखापत्तनम) : मैं खण्ड 11 का विरोध करता हूँ क्योंकि यह खण्ड किसी व्यक्ति को अपना व्यवसाय करने से रोकता है। सरकार को केवल उपयुक्त प्रतिबन्ध ही लगाने चाहिये। सब बातों को प्रशासक पर छोड़ दिया गया है। इसलिये खण्ड 11 संविधान के अनुच्छेद 19 के अन्तर्गत दिये गये मूल अधिकारों के सिद्धान्त का हनन करता है। इस सम्बन्ध में कुछ उपयुक्त प्रतिबन्धों का उल्लेख किया जाना चाहिये था। सब बातों को प्रशासक पर छोड़ देना उचित नहीं है।

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरार जी देसाई) : जहां तक प्रतिबन्ध लगाये जाने के बारे में कानूनी स्थिति का सम्बन्ध है, इस बात का निर्णय तो न्यायालय ही करेगा कि ये प्रतिबन्ध उचित हैं या नहीं। श्री लोबो प्रभु के विचार में ये प्रतिबन्ध उपयुक्त नहीं हैं परन्तु मेरे विचार में ये प्रतिबन्ध उपयुक्त हैं। माननीय सदस्य ने संविधान के अनुच्छेद 19 का हवाला दे कर इन प्रतिबन्धों को अनुचित ठहराया है परन्तु इसका निर्णय तो न्यायालय ही कर सकता है। सरकार को ये प्रतिबन्ध लगाने के अधिकार भी अनुच्छेद 19 में दिये गये हैं। अतः यह कार्यवाही संविधान के अनुसार है।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 129 सभा में मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

The amendment was put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 11 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 11 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 11 was added to the Bill

खण्ड 12 से 15 विधेयक में जोड़ दिये गये

Clauses 12 to 15 were added to the Bill

खण्ड 16—(वस्तुओं अथवा आभूषणों के बारे में घोषणायें)

श्री श्रीनिवास मिश्र (कटक) : मैं संशोधन संख्या 64 प्रस्तुत करता हूं।

श्री नारायण दाण्डेकर (जामनगर) : मैं संशोधन संख्या 92,93,94,95 और 96 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : मैं संशोधन संख्या 130, 131 और 132 प्रस्तुत करता हूँ।

श्रीमती सुचेता कृपालानी (गोंडा) : मैं संशोधन संख्या 133, 134 तथा 135 प्रस्तुत करती हूँ।

श्री वेणी शंकर शर्मा (बांका) : मैं संशोधन संख्या 202 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री नम्बियार (तिरूचिरापल्लि) : मैं संशोधन संख्या 220 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम (विशाखापत्तनम) : मैं संशोधन संख्या 236 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री मोरारजी देसाई : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

(1) पृष्ठ 15—पंक्ति 8.

निकाय निगम अथवा एक 'सार्थ' 'body corporate or firm' शब्दों के स्थान पर 'के द्वारा इस उप-धारा में उल्लिखित घोषणा भी की जायेगी' 'the declaration referrrd to in this sub-section shall also be made by' शब्द रख दिये जायें।

(2) पंक्ति—10

"घोषणा करेगा" "Shall make a declaration" शब्द हटा दिये जायें।

उपाध्यक्ष महोदय : ये संशोधन अब सभा के समक्ष हैं।

श्री श्रीनिवास मिश्र : मैंने स्वर्ण नियंत्रण विधेयक का पहले सावधानी से अध्ययन नहीं किया है। परन्तु उन्होंने खण्ड 16 में परिवार नियोजन को भी सम्मिलित करने का प्रयास किया है। उनका विचार है कि वह प्रत्येक विधेयक द्वारा समाज में सुधार ला सकते हैं। खण्ड 16 में सोना रखने वाले किसी भी व्यक्ति को उसकी घोषणा करना आवश्यक है चाहे सोना आभूषणों के रूप में हो अथवा अन्य वस्तुओं के रूप में। इस खण्ड के प्रयोजन हेतु 'परिवार' शब्द की अद्भुत परिभाषा दी गई है। इस परिभाषा के अधीन पति, पत्नी तथा एक अथवा दो नाबालिग बच्चों को शामिल किये जायेंगे। इसमें व्यस्क बच्चों को परिवार का सदस्य नहीं समझा जायेगा। यह उपबन्ध भेदभावपूर्ण हैं तथा यह लागू करने योग्य नहीं है।, ऐसा लगता है कि माननीय वित्त मन्त्री ने इस खण्ड पर पूरी तरह विचार नहीं किया है। हमारे देश में परिवार की जो कल्पना है वह इस परिभाषा से समाप्त हो जायेगी।

उप-खण्ड (5) में यह व्यवस्था की गई है कि एक नाबालिग व्यक्ति, जो लावारिस है 20 ग्राम से अधिक सोना बिना इसकी घोषणा किये नहीं रख सकता। आगे कहा गया है कि एक व्यक्ति (जो नाबालिग) नहीं है जो परिवार का सदस्य नहीं है 50 ग्राम सोना रख सकता है। इसका अर्थ यह हुआ कि वयस्क बच्चा 50 ग्राम सोना रख सकता है कि इस खण्ड के अनुसार वह परिवार का सदस्य नहीं हो क्या भेदभाव आवश्यक है ? क्या इसका विधेयक के प्रयोजन से कोई सम्बन्ध है ? अतः नाबालिग तथा वयस्क के बीच स्पष्ट रूप से भेदभाव किया गया है, इस प्रकार के प्रतिबन्ध इस विधेयक द्वारा नहीं लगाये जा सकते।

एक व्यक्ति जिसके चार अथवा पांच अथवा दस बच्चे हैं; जैसा कि हम समझते हैं एक हिन्दू संयुक्त परिवार 500 से 600 ग्राम सोना रख सकता है। जबकि दूसरा व्यक्ति जिसके अनेक नाबालिग तथा व्यस्क बच्चे हैं बिना घोषणा किये केवल 50 ग्राम सोना रख सकता है। यह भेदभाव समझ नहीं आया कि चार अथवा पांच वयस्क बच्चों वाले परिवार को प्रति व्यक्ति 50 ग्राम सोना रखने की अनुमति है जब कि दूसरे परिवार को केवल 50 ग्राम सोना रखने ही की अनुमति है।

आभूषणों सम्बन्धी उपखण्ड में यह उपबन्ध किया गया है कि एक नाबालिग, जो परिवार का सदस्य नहीं है, 800 ग्राम सोना रख सकता है जबकि एक व्यक्ति (नाबालिग के अतिरिक्त) जो परिवार का सदस्य नहीं है, 2 हजार ग्राम तक सोने के आभूषण रख सकता है। क्या माननीय वित्त मन्त्री का यह प्रयोजन है कि नाबालिग अपनी सम्पत्ति की रक्षा नहीं कर सकते अतः उनको इससे वन्चित रखा गया है। यदि उनका प्रयोजन यह है तो उनको स्पष्ट रूप से कहना चाहिए।

इस परिभाषा के अनुसार दो नाबालिग भी परिवार बना सकते हैं। परन्तु फिर उनमें से किसको घोषणा करनी होगी। यह देश में लागू सभी कानूनों के विरुद्ध है, क्योंकि एक नाबालिग व्यक्ति कोई घोषणा नहीं कर सकता। अतः मेरा कहना है कि भेदभाव को दूर किया जाये और प्रत्येक व्यक्ति को 50 ग्राम सोना रखने को अनुमति होनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूँगा कि वे संक्षिप्त रूप से अपने विचार व्यक्त करें।

श्री नारायण दाण्डेकर : यदि माननीय मन्त्री समझें कि संशोधन संख्या 93 और 94 से अभिव्यक्ति में सुधार हो सकता है तो वे इनको स्वीकार करलें अन्यथा मुझे उनके बारे में अधिक नहीं कहना है।

संशोधन संख्या 92 महत्वपूर्ण है। इस संशोधन द्वारा मैं पृष्ठ 12 पर दिये गये परन्तुक को समाप्त करना चाहता हूँ। मैंने यह बात संयुक्त समिति की बैठक में भी कही थी। मैं समझता हूँ कि यह परन्तुक किसी भी ऐसे व्यक्ति द्वारा घोषणा किये जाने पर प्रतिबंध लगाता है जो विद्यमान कानून के अन्तर्गत घोषणा नहीं कर सका। अतः मैंने इसको हटाये जाने का सुझाव दिया था।

संशोधन संख्या 95 घोषणा के बारे में छूट से सम्बन्धित है। वस्तु अथवा अन्य कोई चीज रखने की मनाही नहीं है। मैं केवल इतना परिवर्तन चाहता हूँ कि घोषणा की सीमा 50 ग्राम से बढ़ाकर 100 ग्राम कर दी जाये।

जहां तक सोना साफ करने वाले अथवा व्यापारी का सम्बन्ध है मैं नहीं समझ सका कि उसको साधारण व्यक्ति विशेषाधिकार न दिये जाने के क्या कारण हैं विशेषकर जबकि यह भी उपबन्ध है कि उसकी दुकान के माल का पूरा-पूरा हिसाब रखा जायेगा। अतः यही कारण है कि मैंने उप खण्ड 5 से 'नहीं' शब्द निकालने का सुझाव दिया था।

श्री नम्बियार : जैसा कि मेरे माननीय मित्र श्री दाण्डेकर ने कहा मैं चाहता हूँ कि माननीय उप-प्रधान मंत्री पृष्ठ 15 पर उप-खण्ड 7 पर विचार करें। साधारण व्यक्ति की तरह व्यापारी का भी परिवार होता है और वह भी उसकी तरह एक नागरिक है। मैं और परिवार बिना घोषणा

किये 4,000 ग्राम तक सोने के आभूषण रख सकते हैं। परन्तु एक व्यापारी को अपने परिवार के आभूषणों के बारे में भी घोषणा करना पड़ता है। उप-प्रधान का कहना यह है कि व्यापारी इन आभूषणों को भी चोरी छिपे दुकान में रख सकता है अतः उसको इनके बारे में भी घोषणा करनी चाहिए। परन्तु मेरे विचार में इससे चोर बाजारी बढ़ेगी क्योंकि व्यापारी अपने आभूषण किन्हीं अन्य लोगों के पास रख सकता है। अतः हमें एक व्यापारी के परिवार तथा साधारण व्यक्ति के परिवार में यह भेदभाव नहीं करना चाहिए। यह एक गलत बात है और इसको न्यायालयों द्वारा रद्द कर दिया जायेगा। यह एक बुराई है और माननीय मंत्री को इस पर उचित ढंग से विचार करना चाहिए। अतः मैं चाहता हूँ कि मेरे संशोधन को अथवा श्री दाण्डेकर के संशोधन को स्वीकार कर लिया जाये।

श्रीमती सुचेता कृपालानी : मुझसे पहले दोनों वक्ताओं ने मेरा काम बहुत ही सरल कर दिया है। हम इस बात में पूरी तरह सरकार से सहमत हैं कि सोने पर उचित नियंत्रण रखा जाना चाहिए और प्रत्येक लाइसैंस प्राप्त व्यक्ति व्यापारी अथवा सोना साफ करने वाले को उसके पास वाले सोना रखने के लिए जिम्मेदार होना चाहिए परन्तु इसके साथ साथ एक सुनार भी भारत के अन्य नागरिकों की तरह एक नागरिक है अतः उसको भी अन्य नागरिकों के समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए। परन्तु इस उपबन्ध द्वारा हम उसको तथा उसके परिवार को अन्य साधारण नागरिकों को मिलने वाले अधिकारों से वंचित कर रहे हैं। इस भेदभाव से हमारे संविधान को धक्का लगेगा। संविधान के अन्तर्गत एक अथवा दूसरे नागरिक के बीच भेदभाव नहीं किया जा सकता।

इसके कारण सुनार के परिवार के सदस्यों को बहुत परेशानी तथा कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। सुनार की लड़की यदि अपने पिता के घर आती है तो उसे तत्काल सूचना तथा हिसाब देना होगा। इसी प्रकार पिता के घर के बाद उसे हिसाब देना होगा। उत्पादन शुल्क अधिकारी उसे परेशान करेंगे। घोषणा न किये जाने पर बड़े कठोर दण्ड दिये जाने की व्यवस्था की गई है। यदि कानून को अधिक कठोर बनाया जाता है तो लोग भी दूसरे तरीके निकाल लेते है। अतः मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूँगी कि वह व्यापारी के परिवार के सदस्यों के अधिकारों में हस्तक्षेप न करें।

Shri Beni Shanker Sharma : I would request the hon. Minister either to accept the amendments moved by Shri Dandekar and Shrimati Sucheta Kripalani or my amendment as my purpose behind my amendment is served by their amendments also.

The goldsmith is a citizen of India and he should enjoy the same rights as the other citizens of India. By this measure he and his family members are being deprived of the rights which are available to other citizens. It is a great injustice to them. I would, therefore, the hon. Minister to delete this clause.

Deputy Prime Minister and Finance Minister (Shri Morarji Desai) : It is wrong to say that I do not consider anybody else an honestman.

श्री लोबो प्रभु : जो तर्क यहां चल रहे हैं मैं उनसे पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। सुनार के परिवार में रखे सोने तथा व्यक्तिगत रूप में रखे सोने तथा आभूषणों में अन्तर किया गया है। इस बारे में एक उपबन्ध भी है . . .अन्तर्बाधा

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपना भाषण अगले अवसर पर चालू रख सकते हैं।

इसके पश्चात लोक सभा मध्यान्ह भोजन के लिए 2 बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the clock.

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात 2 बजे म० प० पर पुनः समवेत हुई

The Lok Sabha re-assembled after lunch at Fourteen of the clock.

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. SPEAKER *in the Chair*]

सदस्यों की गिरफ़्तारी
Arrests of Members

अध्यक्ष महोदय : मैं सभा को सूचित करना चाहता हूँ कि मुझे सब-डिवीजनल मैजिस्ट्रेट, नई दिल्ली से दिनांक 22 अगस्त, 1968 का निम्नलिखित आशय का पत्र प्राप्त हुआ है :

"कि मैं आप को यह सूचना देना अपना कर्तव्य समझता हूँ कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 64 के अन्तर्गत मैंने सर्वश्री मधु लिमये, जार्ज फर्नेन्डीज, अर्जुन सिंह भदौरिया, शिवचन्द्र झा, को लकप्पा, राम सेवक यादव और महाराज सिंह भारती को, जो चैकोस्लोवाकिया में रूसी सेनाओं के प्रवेश के विरुद्ध रूसी दूतावास के सामने प्रदर्शन कर रहे थे और नारे लगाकर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत जारी किये गये निषेध आर्डर का उल्लंघन कर रहे थे, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत गिरफ्तार कर लेने का आदेश दिया था अतः उन सभी संसद सदस्यों को 11 बजे म० पू० पर गिरफ्तार कर सेन्ट्रल जेल तिहाड़, दिल्ली में न्यायिक मजिस्ट्रेट, नई दिल्ली के समक्ष पेश किया जा रहा है।"

Shri Rabi Ray : This information should have been given before the rising of the House and the hon. Home Minister should have made statement in this regard.

अध्यक्ष महोदय : हम देखेंगे।

चैकोस्लोवाकिया की स्थिति पर प्रधान मन्त्री के वक्तव्य के बारे में प्रस्ताव
MOTION REGARDING PRIME MINISTER'S STATEMENT ON SITUATION IN CZECHOSLOVAKIA

श्री रा० ठो० भण्डारे (बम्बई-मध्य) : मैं यह प्रस्ताव करता हूँ :

"कि यह सभा रूस तथा वारसा संधि के कुछ अन्य देशों के सशस्त्र बलों के चैकोस्लोवाकिया में प्रवेश के बारे में 21 अगस्त, 1968 को सभा में प्रधान मन्त्री द्वारा दिये गये वक्तव्य पर विचार करती है।"

Shri Rabi Ray : Neither the Prime Minister nor the Minister for External Affairs is present in the House.

Shri Atal Bihari Vajpayee : (Balrampur) : I move that the House be adjourned till the Prime Minister arrives.

Shri Rabi Ray : I second it.

अध्यक्ष महोदय : श्री भण्डारे अपना भाषण जारी रखे। प्रधान मन्त्री आ जायेंगी।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : तब तक के लिए सभा स्थगित रखी जाये।

श्री रा० ठो० भन्डारे : मैं सभा को यह बता रहा था कि प्रधान मन्त्री के वक्तव्य में चैकोस्लोवाकिया की जनता के प्रति भारत की मित्रता व्यक्त की गई है तथा वहाँ के लोगों को यह संदेश भी भेजा गया है कि उनके तथा उनके मित्र राष्ट्रों के बीच मतभेद दूर होने के तुरन्त पश्चात घटनाओं में जो परिवर्तन हुआ है, उसके लिये भारत चिन्तित है। उस वक्तव्य में चैकोस्लोवाकिया में हुई घटनाओं पर जो हमें दुख हुआ है उसकी भी घोषणा की गई है। उसमें ऐसी आशा भी व्यक्त की गई है कि रूस तथा वारसा संधि के देशों की सशस्त्र सेनायें शीघ्रातिशीघ्र वहां से वापिस बुला ली जायें। उसमें यह भी आशा व्यक्त की गई है कि वहाँ के लोग अपने भविष्य का निर्णय, अपनी इच्छानुसार, अपने हित को दृष्टि में रखते हुए, कर सकेंगे। इन बातों के साथ-साथ वक्तव्य में यह भी घोषणा की गई है कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून के मूल सिद्धान्तों में भारत को गहरा विश्वास है। अतः इन घोषणाओं को ध्यान में रखते हुए भारत का दृष्टिकोण स्पष्ट कर दिया गया है तथा ऐसी आशा की जाती है कि यह सभा माननीय प्रधान मंत्री के उस वक्तव्य को स्वीकार करेगी।

वहां पर जो घटनायें हुई हैं अब मैं उनके औचित्य के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। देखने की बात तो यह है कि सोवियत रूस तथा वारसा संधि के देशों द्वारा सशस्त्र हस्तक्षेप किये जाने में क्या उद्देश्य है। इस हस्तक्षेप के बारे में रूस ने यह औचित्य दिया है कि चैकोस्लोवाकिया दल तथा वहाँ की सरकार के नेताओं ने वहाँ के भाई लोगों को तुरन्त सहायता, जिसमें सशस्त्र सेना की सहायता भी शामिल है, देने के लिये कहा था। परन्तु चैकोस्लोवाकिया सरकार के अध्यक्ष ने इसका खण्डन किया है। दूसरी ओर हम यह देखते हैं कि चैकोस्लोवाकिया के राष्ट्रपति ने अपने वक्तव्य में यह कहा है कि पार्टी प्रोजीडियम ने इस घटना को न केवल समाजवादी देशों के बीच के सम्बन्धों के मूल सिद्धान्तों के विपरीत अपितु अन्तर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धातों के प्रतिकूल बताया है।

रूस द्वारा दूसरा तर्क यह दिया गया है कि समाजवाद को खतरा था। परन्तु मैं यह पूछना चाहता हूँ कि क्या रूस द्वारा अपनाई गई नीति उचित है अथवा तथ्यों को देखते हुए यह पता लगता है कि उनकी नीति गलत है। मैं इसके इतिहास में तो नहीं जाना चाहता क्योंकि वह सब को मालूम है परन्तु सचाई तो यह है कि चैक साम्यवादी दल एक नये युग में प्रवेश करना चाहता था। वह वहां के लोगों के जीवन में लोकतंत्र की नीति लाना चाहता था परन्तु वारसा संधि के देशों को यह बात पसन्द नहीं थी। इसलिये चैक साम्यवादी दल ने वारसा संधि के अन्य समाजवादी देशों के साथ मतभेद दूर करना तथा समझौता करना चाहा। इस सम्बन्ध में एक समझौता भी किया गया, परन्तु इसके बावजूद वारसा सन्धि के देशों की सेनाओं ने चैकोस्लोवाकिया पर आक्रमण कर दिया और वे सेनाएं उस देश में घुस गईं। एक ओर तो समझौता हो रहा था तथा दूसरी ओर पीठ में छुरा घोंपा जा रहा था। अतः मैं तो कहूँगा कि यह विश्वासघात किया गया है। जब मैं यह सोचता हूँ कि सशस्त्र हस्तक्षेप क्यों किया गया तो इस निर्णय पर आता हूँ कि सोवियत साम्यवादी दल तथा वारसा सन्धि के देशों का उद्देश्य तो उस उदारीकरण की नीति को कुचलना था जिसे चैक साम्यवादी दल ने आरम्भ किया था तथा अपनाया था। इसके अलावा मैं यह समझता हूँ कि वे लोग नहीं चाहते थे कि चैकोस्लोवाकिया के लोगों को स्वतन्त्रता प्राप्त हो।

इन दोनों बातों को देखते हुए मैं इस तर्क पर पहुँचता हूँ कि उन लोगों की कार्यवाही मानवता के विप रीत थी। दूसरे उनकी यह कार्यवाही अन्तर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धान्तों के भी विपरीत थी।

जैसे हमने व्यक्तियों के मूल अधिकारों को स्वीकार किया है उसी प्रकार राष्ट्रों के मूलभूत अधिकार का भी एक सिद्धान्त है तथा राष्ट्रों के इन मूलभूत अधिकारों को सभी सभ्य देशों ने स्वीकार किया है। इन मूल अधिकारों में अनेक अधिकार हैं। पहला अधिकार अस्तित्व के बारे में है। प्रत्येक राष्ट्र को अपना अस्तित्व बनाये रखने का अधिकार है। ये मूल अधिकार 1916 मे बनाये गये थे जिन्हें सशस्त्र सेनाओं के हस्तक्षेप द्वारा नष्ट कर दिया गया है। यह सशस्त्र हस्तक्षेप संयुक्त राष्ट्र सङ्घ के उस घोषणा-पत्र के भी विपरीत है, जिसमें अपने सदस्यों की सब प्रकार की समानता के सिद्धान्त को माना गया है तथा जिस के अधीन उन्हें अपने अन्तर्राष्ट्रीय विवादों को शन्तिपूर्ण तरीकों से निबटाना होता है तथा किसी राज्य के खिलाफ धमकी या बल प्रयोग को रोकना होता है। इन सब बातों को देखते हुए मैं यह कहना चाहता हूँ कि ऐसी कार्यवाही की निन्दा की जानी चाहिये। अतः मैं आशा करता हूँ कि इन सब बातों को देखते हुए सभा मेरे इस प्रस्ताव को स्वीकार करेगी।

अध्यक्ष महोदय : बहुत से संशोधन प्रस्तुत किये गये हैं। उनको प्रस्तुत समझा जायेगा।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम (विशाखपतनम) : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 1 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 2 प्रस्तुत करता हूँ।

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : I beg to move my substitute motion No. 3.

डा० कर्णी सिंह (बीकानेर) : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 4 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री मी० रु० मसानी : (राजकोट) : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 5 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 6 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 7 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री फ्रैंक एन्थनी (नामनिर्देशित आंग्ल भारतीय) : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 8 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री रवि राय (पुरी) : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 9 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री इरास्मो डी सेक्वीरा (मारमागोआ) : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 10 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री कृ० दे० त्रिपाठी (उन्नाव) : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 11 प्रस्तुत करता हूँ।

श्रीमती सुचेता कृपालानी (गोंडा) : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 12 प्रस्तुत करती हूँ।

Shri Yashwant Singh Kushwah (Bhind) : I beg to move my substitute motion No. 13.

श्री एस० एम० जोशी (पूना) : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 14 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री अब्दुल गनी दार (गुड़गांव) : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 15 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री मी० रु० मसानी (राजकोट) : मैं अपने दल द्वारा प्रस्तुत किये गये स्थानापन्न प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ जिसमें सोवियत रूस द्वारा किए गए नग्न तथा घृणित आक्रमण की निन्दा की गई है। पुराने इतिहास को देखने से पता चलता है कि रूसी टैंकों ने ऐसी ही परिस्थितियों में नवम्बर 1956 में अपने पड़ोसी देश हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट पर आक्रमण करके उस देश की वैधानिक सरकार को समाप्त कर दिया था तथा वहां पर वाडार के अधीन एक कठपुतली शासन बना दिया था। अब बारह वर्ष बीत जाने के पश्चात् ठीक उसी प्रकार की घटना पुन: हो रही है। यह देखकर हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि क्या बीसवीं शताब्दी में भी इस तरह के नग्न साम्राज्यवाद में कोई अन्तर नहीं आया है। अब देखने की बात तो यह है कि चैकोस्लोवाकिया के साम्यवादियों का वास्तव में अपराध क्या था। उनका अपराध केवल इतना था कि वे समाजवाद को मानवीय और सुन्दर रूप देना चाहते थे। उनके उद्देश्य ऐसे हैं जो हमारे सदन के अधिकांश सदस्यों को पसन्द आयेंगे। सम्वाददाताओं, लेखकों तथा कलाकारों को अधिकार देना, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, साम्यवादी दल में लोकतंत्र, दल का सदस्य बनने, उस से त्यागपत्र देने की स्वतन्त्रता तथा गुप्त श्लाका से दल के सदस्यों को चुनने का अधिकार देना कुछ ऐसी बातें थी जिनके लिये रूस ने वहां पर अपने टैंक भेजे। इसका कारण यह था कि उसे अपने लोगों के ही भड़क जाने का भय पैदा हो गया था। इसके अतिरिक्त रूस के लोगों में सीमित स्वतन्त्रता होने के कारण वही भावना प्रकट होने लगी थी, जो अन्य देशों में देखने में आ रही है। रूस यह नहीं देखना चाहता था कि स्वतन्त्रता लोहे के पर्दे के दूसरी ओर अपना सिर उठाये। इसका कारण यह था कि उसे इस बात का डर था कि कहीं वही लहर उसके अपने देश में भी न फैल जाये।

यह तीसरा अवसर है कि चैकोस्लोवाकिया के लोगों को अपने जीवन काल में अपने देश पर आक्रमण तथा विदेशियों का अधिकार सहन करना पड़ रहा है। पहला आक्रमण हिटलर ने सन् 1938 में किया था। तब विंस्टन चर्चिल ने उस आक्रमण को सारे विश्व की सभ्यता और स्वतंत्रता पर कुठाराघात की संज्ञा दी थी। दूसरा आक्रमण फरवरी 1948 में किया गया था जब क्रेमिलन के इन्हीं लोगों ने बीन्स और मसारिक की वैधानिक सरकार को उलट दिया था। अब तीसरी बार चैकोस्लोवाकिया के वीर लोग अपनी स्वतन्त्रता को समाप्त होने से बचाने का प्रयत्न कर रहे हैं। वे लोग अहिंसा से मुकाबला कर रहे हैं। वे टैंकों के आगे लेट जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि हमारे ऊपर से इन्हें ले जाइये। वे लोग ऐसी एकता और साहस का परिचय दे रहे हैं जिसकी विश्व भर में प्रशंसा की जानी चाहिये। चौबीस घंटे बीत जाने के पश्चात् भी उन्हें वहां पर कठपुतली सरकार बनाने के लिए कोई आधार नहीं मिल पाया है। साम्यवादी देश में ऐसा होना कोई मामूली बात नहीं होती क्योंकि ऐसे देश में पिट्ठू लोग प्राय: मिल जाया करते हैं।

अब देखने की बात तो यह है कि हमें इससे क्या सबक सीखना चाहिये। सब से पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि हमारे कुछ राष्ट्रीय नेताओं ने रूसी शासन प्रणाली के बारे में हमें जो जानकारी दी थी वह बिल्कुल गलत सिद्ध हुई है। पर्दे के पीछे उनका अब भी वही रूप दिखाई दे रहा है जो स्टालिन के युग में था। सचाई तो यह है कि सोवियत और साम्राज्यवादी तानाशाही की विनाश लीला बढ़ती ही जा रही है। हम देखते हैं कि 1948 में जब स्टालिन जैसा शूर व्यक्ति

था तथा उसके युग में जब टीटो ने विद्रोह किया था तो उस समय स्टालिन ने यूगोस्लाविया में अपने टैंक नहीं भेजे थे। इसका परिणाम यह हुआ कि यूगोस्लाविया एक स्वतंत्र देश बन गया।

चैकोस्लोवाकिया में जो कुछ हुआ है उसे देखते हुए हम यह कह सकते हैं कि उससे हमारे देश की सीमाओं की सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है। कुछ वर्ष पूर्व हमारी सरकार यह समझती थी कि वह मास्को में पीकिंग के खिलाफ शिकायत करके चतुराई से काम ले रही है। अब मास्को और पीकिंग के बीच की वह खाई समाप्त हो रही है और अब पीकिंग तथा स्टालिनवादी तथा नये ढंग के माओवादियों के बीच समझौता होने वाला है। जब ऐसा समझौता हो जायेगा तब इस देश की विदेश नीति समाप्त हो जायेगी तथा देश को अपनी एक नई विदेश नीति बनानी पड़ेगी। ये घटनायें कुछ दिन पहले रूस सरकार द्वारा पाकिस्तान को हथियार मुहैया करने के निर्णय के कुछ सप्ताह भीतर हुई थीं।

अब हमें विश्व की प्रतिक्रिया तथा अपनी प्रतिक्रिया की ओर देखना चाहिये। लगभग संसार के सभी स्वतंत्र देशों के नेताओं के वक्तव्य आ गये हैं। कल हमारे प्रधान मन्त्री ने भी अपना वक्तव्य दिया था उसमें उन्होंने कहा था कि जब कभी भी किसी सिद्धान्त का उल्लंघन किया गया तभी भारत ने उसके प्रति आवाज उठाई। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि यदि यह बात है तो अब आवाज न उठाये जाने के क्या कारण हैं? मैं यह पूछना चाहता हूँ कि यह कहने में क्या गलती है कि रूस की कार्यवाही संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा-पत्र तथा अन्तर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है तथा यह एक नग्न आक्रमण है।

हम देख रहे हैं कि हमारी प्रधान मन्त्री चैकोस्लोवाकिया की घटना के बारे में बार-बार चिन्ता प्रकट कर रही हैं। परन्तु हम यह भी देख रहे हैं कि उनमें इस नग्न आक्रमण तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करने की निन्दा करने का साहस नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि वह चैकोस्लोवाकिया की घटनाओं को "घटनाओं का मोड़" क्यों कह रही है? वह उनका वर्णन क्यों नहीं कर रही हैं। यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि वह घटनाओं का वर्णन क्यों नहीं कर रही हैं? वह यह क्यों नहीं बता रही हैं कि वे घटनायें क्या है।

प्रधान मन्त्री ने कल इस बहाने के पीछे यह आड़ लेने का प्रयत्न किया कि आस्ट्रेलिया के प्रधान मन्त्री को छोड़ कर विश्व के किसी राजनीतिज्ञ अथवा सरकार की किसी सरकार ने अभी तक स्थिति का ऐसा कोई उल्लेख नहीं किया है जैसाकि सभा में सुझाया गया है। परन्तु हम देखते हैं कि विश्व के लगभग सभी स्वतंत्र देशों के राजनीतिज्ञों ने अपने अपने विचार प्रकट किये हैं। आस्ट्रेलिया के प्रधान मन्त्री, श्री गोर्टन, फ्रांस के राष्ट्रपति जनरल डि गाल, यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ऊ थांट आदि सभी नेताओं ने रूस की कार्यवाही की भर्त्सना की है। अतः भारत को भी अपना कर्त्तव्य निबाहना चाहिये। अब हमें मौन नहीं रहना चाहिए। यह मौन रहने का समय नहीं है।

अन्त में मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि यदि हमारी सरकारी इस देश के सम्मान को बनाए रखना चाहती है, यदि वह चाहती है कि हम दुनिया के नजरों में लज्जित न हो तो उसे तीन मांगें रखनी चाहिये। सबसे पहले तो उसे चैकोस्लोवाकिया से रूस तथा देशों की सेनायें वापिस बुलाये जाने की मांग करनी चाहिये। दूसरे यदि रूस चैकोस्लोवाकिया में कठपुतली सरकार

लादता है तो हमें ऐसी सरकार को मान्यता प्रदान नहीं करनी चाहिए। हमारी तीसरी मांग यह होनी चाहिए कि हम तब तक के लिए अपने राजनयिक सम्बन्ध तोड़ देंगे जब तक वहां पर लोगों के प्रतिनिधियों की सरकार नहीं बन जाती है।

श्री पें वेंकटासुब्बया (नन्दयाल): अध्यक्ष महोदय मैं प्रधान मन्त्री द्वारा कल दिये गए वक्तव्य का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूँ। उस वक्तव्य का समर्थन करते समय मैं अपना एक संशोधन भी प्रस्तुत करना चाहता हूँ। रूस तथा वारसा संधि के देशों की इस कार्यवाही से संसार की विचारधारा पर गहरी चोट लगी है। जैसा कि कई मित्र पहले भी कह चुके हैं विश्व के इतिहास में यह एक अपूर्व नग्न आक्रमण हुआ है। इससे संयुक्त राष्ट्र घोषणा-पत्र का स्पष्ट उल्लंघन हुआ है। रूस की कार्यवाही पर विश्व के सभी नेताओं ने अपना गुस्सा प्रकट किया है। चार बड़े राष्ट्रों ने तो सुरक्षा परिषद् में एक ऐसा प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया है जिसमें रूस की कार्यवाही की निन्दा की गई है। वह प्रस्ताव बहुमत से पारित हुआ है।

जैसा कि प्रत्येक आक्रमणकारी करेगा वैसे ही रूस के एक समाचार-पत्र "तास" ने चैकोस्लोवाकिया पर उक्त आक्रमण को उचित ठहराया है। इस बारे में यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि कुछ नेताओं ने चैकोस्लोवाकिया की स्थिति को सुधारने तथा उसे ठोस आधार पर खड़ा करने के लिये सैनिक हस्तक्षेप करने की मांग की थी। परन्तु ऐसी बात नहीं है। सोवियत संघ का इरादा तभी स्पष्ट हो गया था जब उसने चैकोस्लोवाकिया की सीमा पर अपने सैनिकों को भेजना आरम्भ कर दिया था तथा सुधारवादी प्रधान मन्त्री दुबचेक को धमकी दी थी। परन्तु स्वतंत्रता सेनानी श्री दुबचेक लोगों के विचारों को व्यक्त करने में समर्थ रहे। वह सोवियत संघ को अनुग्रह करने को तैयार नहीं थे। वह ऐसा इस लिए नहीं करना चाहते थे कि उन्हें मित्रता पसन्द नहीं थे बल्कि इस लिए क्योंकि वारसा संधि ने उन देशों पर कुछ कर्त्तव्य लगा दिये थे।

अब देखने की बात यह है कि फिर ऐसा क्यों किया गया है। वास्तविकता तो यह है कि पूर्वी यूरोप में उदारीकरण की एक लहर चल पड़ी है तथा सोवियत संघ यह समझता है कि यदि स्वतन्त्र विचारों वाले लोगों को, जो अपनी राष्ट्रीय इच्छाओं के अनुसार समाजवाद लाना चाहते हैं, तथा जो सोवियत संघ के पीछे पीछे चलना नहीं चाहते हैं अपितु उसके सहयोगी बनना चाहते हैं, दबाया नहीं जाता है, तो उनके लिये बहुत कठिनाई पैदा हो जाएगी। ऐसा लगता है कि इससे उनका मन बेचैन रहता होगा जो सत्ता प्राप्त करने तथा पुनः स्टालिन के ढंग का समाजवाद लाने की कार्यवाही कर रहे हैं।

मुझे इस बात की खुशी है कि प्रधान मन्त्री ने सोवियत रूस की कार्यवाही की निन्दा करके उचित काम किया है। केवल यह ही नहीं इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधान मन्त्री ने विश्व के बड़े बड़े नेताओं की इस सम्बन्ध में राय की प्रतीक्षा किए बिना ही अपना वक्तव्य दे दिया है। मैं समझता हूँ कि उनका वक्तव्य हमारी राष्ट्रीय गरिमा, हमारे राष्ट्रीय सम्मान, शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व की नीति में हमारी आस्था तथा अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में हमारे व्यवहार के अनुसार है। इसलिए मेरा सभा से यह अनुरोध है कि हमें उनके ऐसे वक्तव्य का पूरी तरह से समर्थन करना चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं प्रधान मन्त्री के वक्तव्य का समर्थन करता हूँ।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : श्री रा० ठो० भन्डारे के प्रस्ताव के बारे में मेरे दल ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करता हूँ। हमें इस संशोधन को प्रस्तुत करने की कोई आवश्यकता न पड़ती यदि प्रधान मन्त्री द्वारा हमारे देश के गौरव के अनुरूप वक्तव्य दिया गया होता। इसमें सन्देह नहीं कि जो कुछ चैकोस्लोवाकिया में हुआ है उसके प्रति उन्होंने अपनी सहानुभूति प्रकट की है, अपना दुख व्यक्त किया है, परन्तु उन्होंने रूस तथा वारसा सन्धि के अन्य देशों द्वारा जो कुछ वहाँ पर किया गया है, उसकी निन्दा नहीं की है। मुझे इस बात से आश्चर्य होता है कि उन्होंने स्वर्गीय प्रधान मन्त्री श्री नेहरु की पुत्री होते हुए अपने कर्त्तव्य को पूरा क्यों नहीं किया है। पंडित जवाहर लाल नेहरू तो स्वतंत्रता के मामले में अपनी आवाज जोरदार ढंग से उठाया करते थे। हम इनसे भी वैसी ही आशा करते थे। सारे विश्व को यह आशा थी कि संसार का सब से बड़ा लोकतंत्री देश होने के नाते भारत उस बात की कड़े शब्दों में निन्दा करेगा जो कुछ भी चैकोस्लोवाकिया में हुआ है।

आखिर चैकोस्लोवाकिया के लोगों ने ऐसा कौन सा अपराध किया था। चैकोस्लोवाकिया एक साम्यवादी देश है। वह साम्यवादी होने का दावा भी करते हैं। उनका अपराध केवल यही था कि वे अपनी शासन व्यवस्था को उदार बनाना चाहते थे। इसके साथ ही साथ वे सोवियत संघ तथा वारसा संधि के अन्य देशों से सम्पर्क स्थापित करना चाहते थे। केवल इसी बात के लिये उन पर आक्रमण किया गया है। हमारे साम्यवादी भाई यह कहते हैं कि वहाँ पर समाजवाद को खतरा है। अतः मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि उनका यह नारा "विश्व के मजदूरों इकट्ठे हो जाओ" कहाँ चला गया। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या विश्व के मजदूरों को इकट्ठा करने का यह तरीका है। क्या चैकोस्लोवाकिया के लोग मानव नहीं है ? क्या वे अपने भाग्य को अपनी इच्छानुसार नहीं बदल सकते हैं ? ऐसा करके रूस ने यह सिद्ध कर दिया है कि साम्यवाद तथा नाजीवाद में कोई अन्तर नहीं है। दोनों ही एक देश, एक दल तथा एक नेता चाहते हैं। जहां कहीं भी स्वतंत्रता हो, दोनों ही उसे छीनना चाहते हैं। इसलिये जो कुछ वहां पर हुआ हैं, उसकी निन्दा करने का प्रत्येक स्वतंत्रता-प्रेमी भारतीय का कर्त्तव्य है।

यह भी कहा गया है कि रूसी सेनायें चैकोस्लोवाकिया सरकार के आमंत्रण पर वहां गई हैं। मैं उनसे यह पूछना चाहता हूँ कि रूसी सेनाओं, पोलैण्ड की सेनाओं तथा अन्य सेनाओं को आमंत्रित करने वाले नेता कौन-कौन हैं ? क्या भारत सरकार के पास ऐसी कोई जानकारी है ? क्या भारत सरकार ने यह जानकारी भारत स्थित चैकोस्लोवाकिया के दूतावास से प्राप्त की है तथा क्या उन्होंने उनके साथ सहानुभूति प्रकट की है। मेरी जानकारी तो यह है कि हमारी सरकार ने उनके दूतावास के साथ अच्छी तरह व्यवहार भी नहीं किया ? मैं समझता हूँ कि भारत सरकार का यह कर्त्तव्य था कि वह चैकोस्कोवालिया के दूतावास से तुरन्त सम्पर्क स्थापित करती तथा वहाँ की जनता को यह बताती कि भारत सरकार तथा भारत के लोग उनके प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट करते हैं। परन्तु इस दिशा में अब तक कुछ भी कार्यवाही नहीं की गई है।

मैं यह चाहता हूँ कि हमारी सरकार को इस मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिये। जहाँ तक भारत के लोगों का सम्बन्ध है, हम यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि यह एक ऐसा मामला है, जिसका सम्बन्ध केवल उनसे ही नहीं है। यह मानवता तथा राष्ट्रीय अधिकारों का प्रश्न है। हम

सब ऐसे लोगों को, जो अन्तर्राष्ट्रीय सिद्धान्तों को मानने वाले हैं; रूस के लोगों से, जो आज भी संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा-पत्र की शपथ लेते हैं, यह पूछने का अधिकार है कि क्या चैकोस्लोवाकिया की स्वतंत्रता को उसके शक्तिशाली पड़ौसियों द्वारा पैरों के तले कुचला जा सकता है ? यदि आज चैकोस्लोवाकिया की बारी आई हैं तो कल रूमानिया की भी बारी आ सकती है। इसी प्रकार हमारी बारी भी आ सकती है। हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिये, क्योंकि हम भी ऐसे ही देश से घिरे हुए हैं। हमारे देश में भी कुछ ऐसे गद्दार लोग हैं, जो रूस और चीन के तथाकथित लोकतंत्र की चाल चलना चाहते हैं। यदि ऐसी घटनायें न हो, तो यह हमारे ही हित में होगा। अत: मैं इस दिशा में कुछ सुझाव देना चाहूँगा जिन पर सरकार को गम्भीरता पूर्वक विचार करना चाहिये। सब से पहले, हमें यह स्पष्ट कर देना चाहिये कि रूस द्वारा चैकोस्लोवाकिया में बनाई जाने वाली सरकार को हम मान्यता नहीं देंगे। उस देश की वैधानिक सरकार तो अभी कायम है। जब उस देश पर आक्रमण किया गया तो उन्होंने इस मामले पर विचार-विमर्श करने के लिये अपनी संसद् के अध्यक्ष के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमण्डल प्राग स्थित सोवियत दूतावास में भेजा था परन्तु उस प्रतिनिधि मण्डल को वहां पर ही नजरबंद कर लिया गया है तथा वह वापिस नहीं लौटा है। राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री तथा अन्य नेताओं को नजरबन्द कर लिया गया है। हमें चैकोस्लोवाकिया की इस मांग का समर्थन करना चाहिये कि उस प्रतिनिधिमण्डल को तुरन्त रिहा किया जाये। चैकोस्लोवाकिया के राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री तथा अन्य नेताओं को भी रिहा किया जाना चाहिये ताकि वे स्वतंत्रतापूर्वक अपना काम चला सकें।

हमें मालूम है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की बैठक शीघ्र ही होने वाली है। अतः मैं चाहता हूँ कि भारत को वहां चैकोस्लोवाकिया का प्रश्न उठाने में पहल करनी चाहिये। हमें इसके लिये दूसरों द्वारा पहल की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिये।

जब कभी भी ऐसी समस्यायें उत्पन्न हुई हैं और जिनमें हमारा सीधा सम्बन्ध भी नहीं था, हमने उन्हें सुलझाने का प्रयत्न किया है, परन्तु यह एक ऐसा मामला है जिससे हमारा सीधा सम्बन्ध है। पूर्वी यूरोप के देशों के साथ हमारे घनिष्ठ सम्बन्ध हैं तथा चैकोस्लोवाकिया के साथ भी हमारी मित्रता चिरकाल से रही है। इसके अतिरिक्त इन देशों ने कई तरीकों से हमारी सहायता की है। अत: यह बात हमारे ही हित में है कि वहां पर शान्ति बनी रहे। हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिये कि रूस की आक्रामक कार्यवाही के कारण विश्व में कहीं युद्ध न छिड़ जाये। अत: इस सम्बन्ध में हमें अवश्य ही पहल करनी चाहिये। इसके अतिरिक्त हमें समान विचारों वाले देशों तथा गुट-निर्पेक्ष देशों के साथ इस मामले को अवश्य उठाना चाहिये। हमें स्वतंत्रता तथा लोकतंत्र के समर्थक सभी देशों का एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने की दिशा में पहल करनी चाहिये। हमें इस प्रकार के आक्रमण को विफल करने के लिये सारे विश्व के राष्ट्रों का जनमत तैयार करना चाहिये। यह केवल एक दल का प्रश्न नहीं है। यह एक राष्ट्रीय प्रश्न है तथा इसका इसी दृष्टिकोण से विचार किया जाना चाहिये।

Shri Rabi Ray (Puri) : Shri Madhu Limaye and Shri George Fernandes are not being treated properly in the Tihar Jail. They have not been given food and even water there. This is most unfair.

अध्यक्ष महोदय : मैंने गृह मन्त्री से एक वक्तव्य देने के लिये कहा है।

श्री हनुमन्तैया (बंगलौर) : इस सभा को रूस द्वारा किये गये आक्रमण पर गहरा खेद है। मेरे माननीय मित्रों द्वारा पहले से बताया जा चुका है कि वारसा सन्धि के अनुच्छेद 8 में यह दिया हुआ है कि यह घरेलू मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। परन्तु आज की रूस की विज्ञप्ति में कहा गया है कि वहां के लोगों ने हस्तक्षेप करने के लिये अनुरोध किया था और नेताओं ने रूसी सेना को आमन्त्रित किया था। अन्तर्राष्ट्रीय विधि अथवा रूस द्वारा अपने पर निर्भर देशों के साथ किये गये करारों में रूस को अपने इस कार्य के लिये कोई औचित्य नहीं मिल सकता।

परन्तु इसके लिये सरकार को दोषी ठहराना उसी तर्क को दोहराना है जिसका सरकार पर कोई असर नहीं हो सकता। विरोधी दलों को कोई और तर्क सामने रखना चाहिये। निस्सन्देह रूस का यह आक्रमण निन्दनीय है परन्तु इतना कहने से ही यह समस्या हल नहीं हो जाती। हमारा कार्य तो अब शुरू हुआ है। आगे होने वाली घटनाओं में हम महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। चाहे वह सुरक्षा परिषद् के माध्यम से हो या महा सभा या निरपेक्ष देशों के सम्मेलन के माध्यम से हो। मुझे नहीं मालूम सरकार ने इस मामले में अब तक क्या कार्यवाही की है।

मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि विश्व संगठन में हम अपना उचित योगदान देने में असमर्थ रहे हैं। हमारे नेताओं को अपना दबाव डालना चाहिये और सही रास्ता दिखाना चाहिये। इंडोनेशिया को स्वतन्त्रता दिलाने में आपने जो प्रयत्न किये थे वैसे ही प्रयत्नों की इस समय भी आवश्यकता है। हमारे सामने एक और महान् अवसर आया है। हमें एक सम्मेलन बुलाना चाहिये और सुरक्षा परिषद् में भी इसे उठाना चाहिये ताकि यह आक्रमण समाप्त किया जा सके। कुछ वर्षों से सरकार ने कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया है जिससे हमारे देश की अन्तर्राष्ट्रीय विश्व में ख्याति बढ़े।

रूस भारत का मित्र रहा है और आगे भी रहेगा। हो सकता है कि किन्हीं कारणों से चाहे वे गलत भी हों उन्होंने यह गलत कदम उठाया है। अगर रूस को कोई रास्ते पर ला सकता है तो वह केवल भारत ही है। मैं चाहता हूँ कि भारत अपनी इस स्थिति का सदुपयोग करे। और समझा बुझा कर ही हम रूस को रास्ते पर ला सकते हैं, उसकी निन्दा करके नहीं।

रूस जैसे महान देश को अगर विचारों के अन्तर के कारण आक्रमण करना ही था तो उसे चैकोस्लोवाकिया जैसे छोटे देश की बजाय चीन के साथ टक्कर लेनी चाहिये थी। लोकतंत्र तथा साम्यवाद दोनों ही युद्धों को समाप्त करने तथा शांति स्थापित करने में असफल रहे हैं। किसी कारण से चैकोस्लोवाकिया तटस्थ नीति का अनुसरण कर रहा है परन्तु यदि वह मुकाबला करना चाहे तो रूस को मजा चखा सकता है।

सबसे पहले हमें चैकोस्लोवाकिया की निष्कासित सरकार को मान्यता देनी चाहिये ताकि विश्व को हमारे कथन पर विश्वास हो सके। प्रधान मन्त्री ने जो वक्तव्य दिया है वह उस वक्तव्य से कहीं अधिक साहसपूर्ण है जो पहले प्रधान मन्त्री द्वारा हंगरी पर आक्रमण के समय दिया गया था। इसलिये हमें उनके इस वक्तव्य की सराहना करनी चाहिये और इसे पूर्ण समर्थन प्रदान करना चाहिये।

श्री फ्रैंक एंथनी (नामनिर्देशित आंग्ल-भारतीय) : मेरे स्थानापन्न प्रस्ताव का उद्देश्य रूस के नेतृत्व में चैकोस्लोवाकिया पर किये गये आक्रमण की निन्दा करना तथा सरकार से चैकोस्लोवा-

किया से आक्रामक सेनाओं की वापसी के लिये प्रयत्न करने के लिये अनुरोध करना है। प्रधान मन्त्री ने इस देश के लोगों के क्षोभ की ओर ठीक ही निर्देश किया है। जो भी व्यक्ति मानव स्वतंत्रता तथा मानव अधिकारों को मानता है, इस घटना से उसकी भावनाओं को अवश्य ही ठेस पहुँची होगी। चैक नेताओं से बातचीत करने के बाद किया गया यह आक्रमण योजनाबद्ध सा प्रतीत होता है।

अभी हाल में मैंने एक लेख लिखा था जिसमें भारत-रूस मैत्री के महत्व का उल्लेख है। मैंने लिखा था कि पाकिस्तान को रूसी शस्त्र सहायता के बावजूद हमें भारत-रूस मैत्री पर कोई आँच नहीं आने देनी चाहिये। परन्तु यह जो घटना हुई है इसके विश्व में दुखद परिणाम होंगे। संयुक्तराष्ट्र महा सचिव ने भी इस आक्रमण की निन्दा की है और इसे पूर्व-पश्चिम सम्बन्धों पर एक आघात बताया है।

मैं उनमें से एक था जो यह सोचने लगे थे कि वर्तमान रूसी नेतृत्व स्टालिन के युग की तुलना में काफी उदार बन गया है। हम सोचने लगे थे कि वर्तमान रूसी नेता मानव स्वतंत्रता तथा मानव अधिकारों के बारे में जागरूक हो गये हैं। परन्तु चैकोस्लोवाकिया पर जो आक्रमण हुआ है वह इस बात का परिचायक है कि साम्यवादी नीतियाँ फिर से स्टालिन युग की बर्बरता ला रही हैं। इस रूसी हमले ने यह सिद्ध कर दिया है कि मूल साम्यवादी तन्त्र में मानव स्वतंत्रता तथा मानवीय मामलों में उदारवाद के लिये कोई स्थान नहीं है।

चैकोस्लोवाकिया में जो कुछ हुआ है उसके कारण दुनिया के सामने राजनीतिक ही नहीं अपितु नैतिक संकट भी पैदा हो गया है। इसके कारण दो बड़े राष्ट्रों के बीच सैद्धान्तिक शीत युद्ध शुरू होगा और यह भारतीय सिद्धान्त के प्रतिकूल होगा। यह शीत युद्ध मानव अधिकारों का सम्मान करने वाली विचार धारा तथा मानव तथा राष्ट्रीय अधिकारों की उपेक्षा करने वाली विचारधारा के बीच चलेगा।

माननीय मित्रों ने प्रवासी सरकार को मान्यता देने के बारे में कहा है। किन्तु प्रश्न यह है कि ऐसी सरकार होगी भी या नहीं। पहले ही इस प्रकार के झूठे समाचार फैलाये जा रहे हैं कि तथाकथित चेक नेताओं ने क्रान्ति विरोधी और प्रतिक्रियावादी शक्तियों का मुकाबला करने के लिये रूसी सेना को आमंत्रित किया। प्रभुत्व सम्पन्न देशों से घरेलू मामलों में हस्तक्षेप को उचित ठहराने के लिये साम्यवादियों की यह बहुत पुरानी चाल है। हंगरी में भी उन्होंने यही चाल चली थी। सभा को याद होगा कि बेचारे नागी की क्या दशा हुई थी। रूसियों ने उनकी तथा उनके साथ मंत्रियों की हत्या कर दी थी। हम यह आशा करते हैं कि श्री डुबचेक तथा उनके साथियों की वही हालत नहीं होगी जैसी नागी और उनके साथियों की हुई थी।

श्री कन्डप्पन (मैदूर) : यह बड़े खेद की बात है कि हम सभ्यता के युग से दासता के युग की ओर जा रहे हैं। प्रधान मंत्री ने अपने वक्तव्य में स्पष्ट कहा है कि रूस और वारसा सन्धि के अन्य देशों की सेनाओं ने चैकोस्लोवाकिया की भूमि पर कब्जा कर लिया है। रूस ने यह दावा किया है कि चैक नेताओं के निमंत्रण पर उन्होंने कब्जा किया है। कब्जा करने के बाद यह दावा किया जा रहा है। आज तक चैकोस्लोवाकिया में एक भी ऐसा नेता नहीं हुआ जिसने रूसी नेताओं के साथ संधि करनी चाही हो या यह कहा हो कि वह चैकोस्लोवाकिया में रूसी टैंक और सैनिक दस्ते देखना चाहेगा।

श्री मसानी ने कहा है कि चैकोस्लोवाकिया में लोकतंत्रीकरण और उदारीकरण की प्रक्रिया के कारण ये घटनाएं हुई हैं। मेरा दृष्टिकोण इस सम्बन्ध में अलग है। लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया ब्रातिस्लावा सम्मेलन से पहले ही शुरू हो गई थी। उस सम्मेलन के बाद हमने यह समझा की रूस और वारसा संधि वाले देश डुबचेक तथा उनके अन्य साथियों द्वारा उठाएं गये कदमों पर सहमत हो गये हैं। परन्तु वहां जो कुछ हुआ है वह हमारी आशाओं के बिल्कुल विपरीत हुआ है। ब्रातिस्लावा सम्मेलन की विज्ञप्ति जारी करने और चेकोस्लोवाकिया में सेना भेजने के बीच केवल एक ही चीज नजर आती है जिसने सेना के प्रवेश को प्रोत्साहित किया हो और वह चीज है चैकोस्लोवाकिया के राष्ट्रीय दल का संसार के अन्य देशों के साथ बातचीत करने का प्रयत्न हमने समाचार पत्रों में पढ़ा है कि वे अन्य राष्ट्रों से कुछ मदद प्राप्त करना चाहते थे। यदि यह कारण है तो जो कुछ वहां हुआ है उसके बारे में हमें अत्यन्त दुख प्रकट करना चाहिये। हमें इस बात पर भी जोर देना चाहिये कि सेना यथाशीघ्र वापस बुला ली जाये।

कुछ संशोधन दिये गये हैं। मुझे सरकार की विचारधारा का पता नहीं है परन्तु मेरा दल श्रीमती सुचेता कृपालानी और श्री वेंकटासुब्बया का संशोधन स्वीकार करने के लिये तैयार है।

मैं प्रधान मंत्री से एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण चाहता हूँ। आज हमने समाचार पत्रों में पढ़ा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में रूस के प्रतिनिधि श्री जैकब मलिक ने कहा है कि वे इस मामले पर सुरक्षा परिषद् में चर्चा नहीं होने देंगे क्योंकि यह चैकोस्लोवाकिया का अन्दरूनी मामला है। उनका यह कहना कि यह उनका अन्दरूनी मामला है और संयुक्त राष्ट्र संघ उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता एक व्यंग्यपूर्ण बात है। सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिये कि क्या सरकार इस मामले में चर्चा शुरू करने या कम से कम उस चर्चा के लिये अपनी सहमति देने के लिये तैयार है जब सुरक्षा परिषद् में अन्य राष्ट्रों द्वारा वह शुरू की जायेगी।

भारत की विदेश नीति के बारे में प्रधान मंत्री ने साहसी शब्दों का प्रयोग किया है। हमारी नीति गुट निरपेक्षता की है। यह सताए गये लोगों के प्रति सहानुभूति प्रकट करने में हमारे मार्ग में बाधा उपस्थित नहीं करती। यदि ऐसी स्थिति है तो सरकार को इस संशोधन को स्वीकार कर लेना चाहिये। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह समय की पुकार सुने और चैकोस्लोवाकिया के लोगों के प्रति पूरी सहानुभूति प्रकट करे।

श्री बाकर अली मिर्जा (सिकन्दराबाद) : विश्व में एक गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गई है और हमें इस तरह से काम करना चाहिये जिससे शांति स्थापित हो सके। आज की स्थिति यह है कि दो बड़े गुट हैं और उनके अपने प्रभाव क्षेत्र हैं। यदि उस प्रभाव पर आंच आती है तो वे हथियार उठाने को तैयार हो जाते हैं। वर्तमान प्रश्न पर चर्चा करते समय इस बात का ध्यान अवश्य रखा जाना चाहिये।

Shri Rabi Ray (Puri) : There is no body from the Foreign Affairs side to listen to our speeches. Neither the Prime Minister, nor the State Minister is present in the House, who may be taking notes.

उपाध्यक्ष महोदय : उप प्रधान मंत्री उपस्थित हैं।

Shri Rabi Ray : It is the convention of this House that the concerned Minister or his deputy should remain in the House till the discussion continues. You should call the Prime Minister here. Other wise it would amount to slighting of this House.

श्री जी० भा० कृपालानी : (गुना) मेरा निवेदन है कि इस समय हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे। एक राष्ट्र का गला गोंठ दिया गया है। इसलिये हमें बड़ी शांति से सभा की कार्यवाही चलने देनी चाहिये।

श्री बाकर अली मिर्जा : रूस का कथन है कि चैकोस्लोवाकिया को पथ भ्रष्ट किया गया है। उसका यह भी कहना है कि उसकी सुरक्षा को खतरा है क्योंकि रूस विरोधी सरकार द्वारा चैकोस्लोवाकिया पर कब्जा किया जाना उसकी सुरक्षा के हित में नहीं होगा। क्या वहां ऐसी शक्तियां काम नहीं कर रही हैं जिनके द्वारा साम्यवाद विरोधी आन्दोलन चलाने के लिये सभी देशों के लोगों का प्रयोग किया गया हो ? इसलिये हमें यह बात मालूम नहीं है कि किस जानकारी के आधार पर रूस को एक छोटे से देश के विरुद्ध ऐसे कदम उठाने पड़े। इसलिये जो कुछ समाचार पत्रों में आया है उससे कुछ और अधिक बातें अवश्य होंगी।

चैकोस्लोवाकिया की सामरिक स्थिति महत्वपूर्ण है। यदि वह उन लोगों के कब्जे में चला जाता है जो रूस के शत्रु हैं तो पूर्व जर्मनी का प्रश्न उठेगा और पूर्व जर्मनी छिन्न-भिन्न हो जायेगा। उस हालत में पश्चिम जर्मनी मध्य यूरोप में फिर एक बड़ा राष्ट्र बन जायेगा। जिससे रूस डरता है और इसलिये वह बहुत चिन्तित है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो।

यदि अमरीका के सामने ऐसी स्थिति आती तो वह भी इसी प्रकार कार्य करता।

हम चाहते हैं कि हमारा देश विश्व के मामलों में प्रभावशाली भूमिका अदा करे और यह केवल तभी हो सकता है जब उसकी नीति अमरीका और रूस दोनों के प्रति एक जैसी हो। इस तनावपूर्ण वातावरण में यदि कुछ देश अपना संतुलन बरकरार रखें तो वे संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से या किसी अन्य तरीके से इन दोनों देशों को निकट लाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं।

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

श्री योगेन्द्र शर्मा (बेगुसराय) : ये जो घटनाएं हुई हैं उनसे न केवल चैकोस्लोवाकिया के लोगों पर प्रभाव पड़ा है अपितु उनसे अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों पर भी असर पड़ा है। यदि हम एक राष्ट्र के रूप में अपनी राय स्वतंत्रता और समाजवाद के पक्ष में व्यक्त करना चाहते हैं तो हमारे लिये यह आवश्यक है कि हम चैकोस्लोवाकिया की घटनाओं का ठीक-ठीक मूल्यांकन करें और समझें। हम चाहते हैं कि चैकोस्लोवाकिया की अपनी जो समस्याएं हैं और उसके तथा वारसा संधि के अन्य सदस्य देशों के बीच जो समस्याएं हैं वे बिना सैनिक हस्तक्षेप के हल की जायें।

चैकोस्लोवाकिया में जो घटनाएं हुई हैं उनके प्रति हमारे दल की स्थिति सर्वविदित है। जब डुबचेक के नेतृत्व में चेकोस्लोवाकिया के साम्यवादी दल द्वारा सुधार आरम्भ किये गये तब हमारे दल ने समाजवादी लोकतंत्र को मजबूत बनाने तथा उसका विकास करने के लिये उनका पूरा समर्थन किया। उसी समय हमने यह बता दिया था कि समाजवाद विरोधी और साम्राज्यशाही शक्तियां सुधार की इस प्रक्रिया से लाभ उठा रही हैं जिससे चैकोस्लोवाकिया में पूंजीवाद का श्रीगणेश हो सके और उसे पश्चिमी गुट में शामिल किया जा सके। सुधार के नाम पर इन बाहरी तथा अन्दरूनी समाजवाद विरोधी तत्वों का उद्देश्य चैकोस्लोवाकिया की समाजवादी प्रणाली को

उखाड़ फैंकना है। इन तथ्यों से इंकार नहीं किया जा सकता और प्रधान मंत्री डुबचेक ने स्वयं यह कहा है। ब्रातिस्लावा करार में भी इस घटनाओं की ओर ध्यान गया है।

समाजवादी लोकतंत्र को सुदृढ़ करने के उपायों का समर्थन करने के साथ-साथ हमने समाजवाद की रक्षा करने तथा समाजवाद विरोधी और साम्राज्यवादी शक्तियों की योजनाओं को विफल करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया है। ब्रातिस्लावा करार में भी इसका उल्लेख किया गया है। हमें आशा थी कि इन समस्याओं का हल आपसी प्रयत्नों द्वारा खोज निकाला जायेगा परन्तु दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो पाया।

रूस तथा अन्य वारसा संधि देशों ने जिनकी सेनाओं ने चैकोस्लोवाकिया में प्रवेश किया है इस आशय के वक्तव्य दिये हैं कि उनका चेकोस्लोवाकिया में बने रहने का कोई इरादा नहीं है। हालांकि चेकोस्लोवाकिया में समाजवाद विरोधी खतरे को नजर अंदाज नहीं किया जा सकता फिर भी हम आशा करते हैं कि रूसी तथा अन्य सैनिक दस्ते चेकोस्लोवाकिया से यथासंभव शीघ्र वापस बुला लिये जायेंगे।

इस मामले में यहां पर कोई प्रस्ताव पारित करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि पहले कभी ऐसा नहीं किया गया है।

श्री मुहम्मद इस्माइल (मंजेरी) : वास्तव में यह खेदजनक बात है कि दूसरे विश्व युद्ध के 25 वर्ष बाद भी एक देश के सैद्धान्तिक विचार दूसरे देश पर लागू करने के लिये सैनिक शक्ति का प्रयोग किया गया है।

रूस ने कहा है कि जैसे ही उन्हें यह मालूम हो जायेगा कि चेकोस्लोवाकिया में उनकी और अन्य वारसा राष्ट्रों की सेनाओं की उपस्थिति जरूरी नहीं है वैसे ही वे वापिस बुला ली जायेंगी। एक प्रकार से इसका अर्थ यह है कि रूस तथा उसके मित्र देशों ने यह स्वीकार कर लिया है कि उन्होंने वर्तमान परिस्थितियों में जो मार्ग अपनाया है वह अवांछनीय है।

हम नहीं चाहते कि विश्व में हिंसा या आक्रमण फैले क्योंकि इसका प्रभाव केवल उन लोगों पर ही नहीं पड़ेगा जो आक्रमण में प्रत्यक्ष रूप से भाग ले रहे हैं अपितु संसार के प्रत्येक व्यक्ति पर उसका प्रभाव पड़ेगा। ऐसे आक्रमण से हम पर भी प्रभाव पड़ता है। इसलिये इस बात पर विचार करना कि कोई आक्रामक कार्यवाही न की जाये सभी राष्ट्रों के हित में होगा। यदि ऐसी कार्यवाही की जाती है तो उसे तुरन्त खत्म किया जाना चाहिये।

हमारा उद्देश्य केवल रूसी आक्रमण की निन्दा करना और चुप बैठे रहना ही नहीं होना चाहिये। हमें यह प्रयत्न करना चाहिये कि जो कुछ हुआ है उसे उचित ढंग से तथा उचित समय पर ठीक किया जाये और आक्रमण को समाप्त किया जाये। हम ऐसी स्थिति में हैं कि हम रूस को अपनी सेनाएं वहां से वापस बुलाने के लिये राजी करा सकते हैं। भारत सरकार को इस उद्देश्य को लेकर रूस से सम्पर्क स्थापित करना चाहिये और उससे अनुरोध करना चाहिये कि इस विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाया जाये। यदि हम अपने इस उद्देश्य में सफल हो जाते हैं तो यह हमारे लिये सबसे शानदार सफलता होगी। इससे न केवल सारे विश्व को ही लाभ पहुँचेगा अपितु हम भी इससे लाभान्वित होंगें।

Shri Chandra Jeet Yadav (Azamgarh) : The sending of her forces into Czechoslovakia by Soviet Russia is very unfortunate, particularly in the context of her role during the Indo-Pak conflict. We should disapprove of the Soviet action in the strongest terms.

The people that believe in peaceful co-existence, right of nations to act independently and non-interference in the internal affairs of other countries are particularly concerned and distressed over these developments. The action of the Soviet Union was given a great setback to progressive forces in the world. It has provided, an opportunity to imperialist forces to defame and disfigure socialist forces.

The statement that our Prime Minister has made in the House truly reflects the concern of the people as well as the government of our country. This statement strongly conveys our anguish. She has expressed the hope that Russia and her allies would withdraw their forces from the Czechoslovak soil. The Prime Minister's statement is in accord with our past tradition of standing by those who fight for their freedom. It is also in conformity with the principles of peaceful co-existence, and non-interference in the internal affairs of other countries, which we have cherished and upheld.

As far as international issues are concerned, one has to act in a responsible and restrained manner and not to be swept away by emotions. The Prime Minister's statement is well-worded and represents our viewpoint in a correct way.

By marching her troops into Czechoslovakia the Soviet Union has committed a great historical mistake. She should withdraw her troops from there immediately.

The leaders of Czechoslovakia have full freedom to carry out any reforms they like. The Soviet Union has no right to interfere in their internal affairs. The Russian leaders have themselves carried out certain reforms in their country. They cannot deny this right to the people and leaders of Czechoslovakia.

We hoped that as a result of the meeting of Soviet Union and the other Warsaw Pact countries including Czechoslovakia in Bratislava the differences between the Soviet Union and Czechoslovakia would be peacefully resolved. But the turn that the events have now taken is really shocking.

We should not allow Indo-Soviet friendship to weaken. As a friend of the Soviet Union we should tell them that they have adopted a wrong path and they should desist from it.

The developments that have taken place by the entry of Soviet troops and troops of other Warsaw Pact countries in Czechoslovakia are a warning to us all that the time has come when a conference of non-aligned countries should be convened. The right of independent existence of every nation, big or small, should be guaranteed.

Some hon. Members have criticised the foreign policy of the government and have branded it was a weak policy. But it is not so. We have always taken a correct and bold stand on various issues. Our stand in regard to Vietnam, Israeli-Arab conflict and the Soviet intervention in Czechoslovakia is based on merits and independent judgment.

श्री जी० भा० कृपालानी (गुना) : मैं इस सदन का ध्यान चैकोस्लोवाकिया के लोगों के इतिहास की ओर दिलाना चाहता हूँ । उन्हें कई शताब्दियों के पश्चात् स्वाधीनता प्राप्त हुई है । उन्होंने अपने देश में प्रजातन्त्र की स्थापना की है । उनकी आर्थिक उन्नति इतनी अधिक है कि वे औद्योगिक राष्ट्रों के साथ प्रतियोगिता कर सकते हैं , उन्होंने हिटलर के साथ अभूतपूर्व वीरता से युद्ध किया । तब भी हिटलर से युद्ध करने वालों को रूस का दास बना लिया गया है ।

रूस कहता है कि चैकोस्लोवाकिया में हस्तक्षेप करने के लिये उन्हें आमन्त्रित किया गया है । मुझे विश्वास है कि यदि चीन अथवा पाकिस्तान भारत पर आक्रमण करते हैं तो वह अधिक अधिकार से कह सकते हैं कि उन्हें यहाँ के कुछ लोगों ने आमन्त्रण दिया है । इस कार्यवाही का

एक अन्य कारण यह बताया गया है कि वे चैकोस्लोवाकिया में समाजवाद की रक्षा करना चाहते हैं। हमारा देश भी समाजवादी देश है। यदि हम समाजवाद स्थापित करते हैं तो कल रूस कह सकता है कि भारत ने समाजवाद की शपथ लेकर अपना वचन पूरा नहीं किया है। अतः समाजवाद की स्थापना के लिये हमने उस पर आक्रमण किया है।

एक कांग्रेसी सदस्य तथा प्रधान मंत्री ने भी यह कहा है कि पूर्वी यूरोपीय देशों तथा रूस के साथ हमारी मित्रता है। एक मित्र का कर्त्तव्य यह होना चाहिये कि जब उसका मित्र गलती करे तो वह उसे स्पष्ट बताये। मित्र के नाते हमें रूस का बताना चाहिये कि उसने कुछ गलती की है जिससे विश्व युद्ध हो सकता है। हमें रूस को स्पष्ट बता देना चाहिये कि हम चैकोस्लोवाकिया के लोगों पर उसके आक्रमण की निन्दा करते हैं।

हमने स्वतन्त्रता से पूर्व जहाँ कहीं आक्रमण हुआ, उसकी निन्दा की। जवाहर लाल नेहरू ने कहा था कि मेरा मन करता है कि मैं हाथ में बन्दूक लेकर स्पेन में जाकर युद्ध करूँ। हमने इंडोनेशिया में डच आक्रमण की निन्दा की थी। हमने प्रत्येक स्वाधीनता आन्दोलन की सहायता की है। यदि हम भारत में स्वाधीनता संग्राम शुरू न करते तो बर्मा, श्रीलंका तथा अनेक दूसरे देश स्वाधीन न होते।

आपको महान परम्परायें उत्तराधिकार में मिली हैं। क्या हम उन परम्पराओं से दूर जा रहे हैं कि हम इस समय नहीं कह सकते कि हम चैकोस्लोवाकिया की घटनाओं की निन्दा करते हैं ? क्या हम इतने डरपोक हो गये हैं। भारत कई भागों में विभाजित हो सकता है परन्तु संकट आने पर लोग यह जान जाते हैं कि किस प्रकार संगठित होना है तथा संकट का सामना करना है।

हमें रूस के नग्न आक्रमण की निन्दा का एक संकल्प पारित करना चाहिये। इस आक्रमण की निन्दा न करना कर्त्तव्य-विमुखता है। चाहे सरकार इस संकलन में कोई भाग न ले परन्तु हमें ऐसा संकल्प पारित करना चाहिये।

श्री पी० राममूर्ति (मदुरै) : अध्यक्ष महोदय, हम एक गम्भीर स्थिति पर विचार कर रहे हैं। हमारा दल सैद्धान्तिक दृष्टि से न तो रूस का पूर्ण समर्थन करता है और न ही चीन का। अतः हम कुछ निष्पक्ष होकर तथा सोद्देश्य ढंग से इस स्थिति का अवलोकन कर सकते हैं।

चैकोस्लोवाकिया में हुई घटनाओं से, जो रूस तथा वारसा सन्धि वाले कुछ देशों के सैनिक हस्तक्षेप के कारण हुई हैं, सारे समाजवादी तथा लोकतान्त्रिक देश बहुत क्षुब्ध हुए हैं। इसके साथ ही हमें इस दृष्टिकोण से यह समस्यायें देखनी चाहिये कि सारे विश्व में क्या हो रहा है। दूसरे संसार युद्ध के बाद एक समाजवादी विश्व बन गया है। तब से ही समाजवादी और साम्राज्यवादी के तत्वों के बीच सभी स्थानों पर एक विश्व-व्यापी संघर्ष चल रहा है। उस समय रूस विश्व साम्यवादी आंदोलन का नेता था। उसने साम्यवादी देशों के बारे में कुछ सैद्धान्तिक, राजनैतिक और दूसरे संगठन विषयक स्थान अपना लिये हैं। चैकोस्लोवाकिया में हो रही घटनायें उन नीतियों का सीधा परिणाम हैं जो रूस का साम्यवादी दल अथवा वहाँ के नेता अपना रहे हैं।

आज स्थिति क्या है ? आज की स्थिति यह है कि रूस की नीतियों के फलस्वरूप चैकोस्लोवाकिया में क्रान्तिविरोधी तत्व उत्पन्न हो गये हैं। अन्य तत्व उनकी सहायता भी कर रहे हैं। ऐसे तत्व इन घटनाओं की प्रतीक्षा कर रहे थे। रूस ने उन समाजवादी और साम्यवादी देशों का

निशस्त्रीकरण करके और सैद्धान्तिक तथा राजनैतिक दृष्टि से उन्हें नपुंसक बनाकर ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी है कि विश्व का कोई साम्यवादी दल उसकी कार्यवाही का समर्थन नहीं करता। यह स्थिति ऐसी है कि फ्रांस, इटली और इंग्लैण्ड के साम्यवादी दल भी, जो रूस के समर्थक हैं, इस मामले में उसका समर्थन नहीं कर सकते। बल्कि उन्होंने इसकी खुली निन्दा की है।

आज स्थिति यह है कि एक राजनैतिक समस्या उत्पन्न हो गई है। साम्राज्यवाद सदा ही समाजवादी विश्व को बदनाम करने का प्रयत्न करता रहा है। सोवियत रूस की कार्यवाही ऐसी है कि वह उसे किसी व्यक्ति को स्पष्ट शब्दों में कहीं समझा नहीं सकता। जब तक रूस के नेता मूल नीतियों पर फिर से विचार नहीं करते तब तक इन सैद्धान्तिक, राजनैतिक और संगठन सम्बन्धी अन्य प्रश्नों का सैनिक हल नहीं निकाला जा सकता। अन्त में, उसे अनुभव करना चाहिये कि उसकी मूल नीतियों से साम्यवादी आन्दोलन में फूट ही नहीं पड़ी किन्तु उन साम्यवादी दलों में भी फूट पड़ गई है जो रूस का समर्थन करते थे। इन समस्याओं का हल पुनः विचार तथा मूल सिद्धान्तों के आधार पर ही किया जा सकता है।

Shri Rabi Ray (Puri) : The question now before us is not a national question. It is rather such a question about which all of us are worried.

The statement issued by the Soviet Government states that the party leaders and Government Leaders of Czechoslovak Socialist Republic have asked the Soviet Union and other allied States to render the fraternal Czechoslovak people urgent assistance including assistance with armed forces. Such a wrong statement has been issued by the foreign minister of a big nation. But, on the other hand, the National Assembly of Czechoslovakia has in a unanimous resolution condemned the naked aggression of U.S.S.R. There is no doubt in the fact that there is not an iota of truth in the Russian Statement. It is a strange thing that inspite of all those things our Prime Minister has not condemned the Soviet action. Perhaps it is due to the fear of Soviet Government.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।
MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

The Communists deprecate the American aggression but at the same time they welcome Soviet aggression. But, I would like to say that this is a naked aggression. The people of India have expressed anxiety over this question and have deprecated such action. India should raise the question of freedom of Czechoslovakia in the United Nations.

श्री बी० शंकरानन्द (चिकांडी) : कल से हम एक गम्भीर अन्तर्राष्ट्रीय मामले पर विचार कर रहे हैं, रूस एक शक्तिशाली देश है और मेरे विचार में एक छोटे से देश पर अपनी शक्ति का प्रयोग करना बुजदिली है। चैकोस्लोवाकिया में रूस और अन्य देशों की सशस्त्र सेनाओं के प्रवेश से विश्व में बहुत ही गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस पर बहुत सावधानी और गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिये। पिछले दिन इस बारे में प्रधान मंत्री ने जो वक्तव्य दिया है, उसमें वही कहा गया है जो हम व्यक्त करना चाहते हैं।

हमने समाजवाद को अपनाया है परन्तु ऐसा समाजवाद नहीं जिसमें लोकतन्त्र नहीं हो। यदि लोकतन्त्र के विरुद्ध कोई बात होती है तो हमें बड़ी सावधानी से प्रतिक्रिया करनी होगी। हमारी प्रधान मन्त्री ने संयम से उचित शब्दों में हमारी भावनायें व्यक्त की हैं क्योंकि जो कुछ वह कहें, उनका पालन करना उनका उत्तरदायित्व है क्योंकि उन्हें सरकार चलानी है। उन्हें विश्व के संबंधों

में हमारे लिये स्थान बनाना है। आज समूची मानवता खतरे में हैं। अतः हमें प्रधान मन्त्री का समर्थन करना चाहिये ताकि वह हमारी नीतियां चला सकें।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : कल जब मैंने आकाशवाणी से चैकोस्लोवाकिया पर रूस के आक्रमण के बारे में सुना, तो, मुझे एक धक्का सा लगा। हम पिछले कुछ वर्षों से यह आशा कर रहे थे कि विश्व धीरे-धीरे विवेक, तर्क तथा पारस्परिक आदर की ओर बढ़ रहा है परन्तु विश्व के दो सर्वाधिक शक्तिशाली राष्ट्रों में से एक विश्व के सबसे छोटे राष्ट्रों में से एक राष्ट्र के विरुद्ध अपनी शक्ति का प्रयोग कर रहा है। इस पीड़ा में मैंने यह भी अनुभव किया है कि यह बात नहीं कि केवल चैकोस्लोवाकिया की स्वतन्त्रता ही खतरे में है। शायद यह हमारे सम्मान की भी परीक्षा है। हमें राजनीति की आड़ में चुपचाप बैठे नहीं रहना चाहिये। क्या हम इस समय अपना मूल कर्तव्य भूल जायेंगे ? क्या हमने गांधी जी से यही परम्परा ली है कि चाहे कुछ भी हो, हमें कुछ नहीं कहना चाहिये क्योंकि कोई राष्ट्र हमें गेहूँ की कुछ बोरियां देता है। हमें गन्धी जी की परम्पराओं का पालन करना चाहिये।

इस समय कौन से मूल मामले संकट में हैं, मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह मामला बड़ा साधारण तथा स्पष्ट है। एक छोटे से देश पर आक्रमण किया गया है तथा उसकी आत्मा का गला दबाया जा रहा है तथा नंगी तलवार का प्रयोग करके उस छोटे से राष्ट्र की आवाज को दबाया जा रहा है। मैं यह सिद्ध कर दूँगा कि यह आक्रमण के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। ऐसी स्थिति में भारत की क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिये।

मार्शल टीटो ने कहा है कि चैकोस्लोवाकिया में स्थिति ऐसी नहीं है जिससे वहां समाजवाद को खतरा हो।

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. SPEAKER *in the Chair*]

लोगों को यह अनुभव करना चाहिये कि विभिन्न प्रकार की मैत्री में अन्तर है, मैत्री में एक विशेष दायित्व भी निभाना होता है। जब कोई मित्र गलती कर रहा हो तो उसे दृढ़ता के साथ बताने से अधिक दायित्व कुछ नहीं है। इससे शायद वह और गलती करने से बच जाये। हम सोवियत संघ को अपना मित्र मानते हैं और इस मित्रता को बनाये रखना चाहते हैं। परन्तु हमें उनकी गलती के सम्बन्ध में उन्हें दृढ़ता से बताना चाहिये।

साम्यवादी दल के नेता श्री पूर्ण चन्द जोशी ने कहा है कि चैकोस्लोवाकिया में प्रति-क्रान्ति को, वहां के मामलों में हस्तक्षेप करने के प्रयोजन से, बढ़ा-चढ़ा कर क्यों बताया जाये।

कल रात को सुरक्षा परिषद् में सोवियत प्रवक्ता ने कहा है कि वे जो कुछ कर रहे हैं, वह चैकोस्लोवाकिया का घरेलू मामला है तथा सुरक्षा परिषद् को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये। बीसवीं शताब्दी में इस वक्तव्य को किसी देश की घटनाओं के बारे में गलत बयानी का सबसे बड़ा प्रमाण माना जायेगा।

आकाशवाणी से प्रसारित एक समाचार के अनुसार चैकोस्लोवाकिया के राष्ट्रपति, श्री सोबोदा ने कल रात एक प्रसारण में कहा है कि वारसा सन्धि देशों की यह कार्यवाही अवैध है।

उन्होंने घोषणा की कि उनका देश अपने उदारतावादी कार्यक्रम से पीछे नहीं हट सकता। चैकोस्लोवाकिया की राष्ट्रीय विधान सभा ने भी उद्घोषणा जारी करके सोवियत सेनाओं को वापिस जाने के लिये कहा है। इस उद्घोषणा में कब्जा करने की कार्यवाही को चैकोस्लोवाकिया की प्रभुसत्ता का स्पष्ट उल्लंघन बताकर उसकी निन्दा की गई है।

लोगों को यह कहते सुन कर कि ऐसा चैकोस्लोवाकिया के लोगों के हित में हो सकता है, हैरानी होती है। क्या आक्रमण किसी देश के हित में है। हमें बताया जाता है कि चैक लोगों ने सोवियत संघ को आमंत्रित किया था। उन तथाकथित चैक नेताओं के, जिन्होंने रूसी सेना को अपने देश में बुलाया है, हम नाम तथा पद जानना चाहते हैं। स्पष्ट हो गया है कि विदेशी सेनाओं ने चैकोस्लोवाकिया पर हमला किया है। क्या भारत को अपना दृष्टिकोण निश्चित करने में अभी और समय लगेगा ? संयुक्त राष्ट्र संघ में चैक प्रतिनिधि ने कहा है कि रूसी सेनाओं ने वहाँ की सरकार, राष्ट्रपति तथा जनता की इच्छा के विरुद्ध उनके देश में प्रवेश किया है। इसे आक्रमण न कहकर और क्या कहा जा सकता है।

श्रीमती गान्धी ने भारत के प्रधान मन्त्री की हैसियत से चैकोस्लोवाकिया के प्रधान मन्त्री को क्यों नहीं बुलाया और उनसे यह क्यों नहीं कहा कि हमारे देश की परम्परा रही है कि हम हर उस देश का समर्थन करते हैं जो आक्रमण का सामना कर रहे हों तथा हम चैकोस्लोवाकिया के लोगों का समर्थन करते है और उनके साथ हमारी हार्दिक सहानुभूति है।

क्या भारत सरकार को कम से कम वह कुछ नहीं कहना चाहिये जो विश्व साम्यवादी दलों के नेता कह रहे हैं। इटली तथा फ्राँस के साम्यवादी दलों ने चैक नेताओं, चैक साम्यवादी दल तथा श्री सोबोदा और उयूबचैक की वैधानिक सरकार का समर्थन करने की घोषणा की है। रुमानिया के साम्यवादी दल ने कहा है कि चैकोस्लोवाकिया पर अधिकार करने की घटना एक बड़ी भूल है तथा इस कारण यूरोप में शान्ति तथा विश्व में समाजवाद को भारी संकट उत्पन्न हो गया है। क्या भारत को वैसा नहीं करना चाहिये जैसा विश्व के साम्यवादी कर रहे हैं।

रुमानिया के साम्यवादी दल ने कहा है कि चैकोस्लोवाकिया पर अधिकार करने की घटना एक भारी गलती है और इससे यूरोप में शान्ति और विश्व में समाजवाद के लिये गंभीर खतरा पैदा हो गया है। जब दुनिया के सभी साम्यवादी लोग चैकोस्लोवाकिया का समर्थन कर रहे हैं, तो क्या भारत को उसका समर्थन नहीं करना चाहिए। आखिर उन्होंने कौन-सा पाप किया है ? उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की जो समाजवाद के खिलाफ हो, रूसी मित्रता के विरुद्ध हो या लैनिन के सिद्धान्तों के प्रतिकूल हो।

भारत के लिये यह एक वास्तविक चुनौती है, क्या कोई राष्ट्र, केवल छोटा होने तथा पर्याप्त शक्तिशाली न होने के कारण अपने भाग्य का निर्णय नहीं कर सकता ? क्या मनुष्य के भाग्य का फैसला तलवार करेगी ? भारत को एक राष्ट्र के अपने भाग्य का निर्णय करने के अधिकार के समर्थन में अपना मत स्पष्ट रूप से व्यक्त करना चाहिए अन्यथा वह अपने सिद्धान्तों का हनन करने का दोषी है।

चैक लोग क्या चाहते हैं ? वे अपने भाग्य का निर्माण करना चाहते हैं, अपने भाग्य का स्वतः फैसला करना चाहते हैं और उसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं चाहते, यह देश दो बार आक्रमण का शिकार हो चुका है, वे केवल स्वतन्त्रता चाहते हैं और चाहते हैं कि उनके भाग्य का फैसला

केवल उन्हीं पर छोड़ा जाये। आखिर ऐसा चाहना कौन-सा अपराध है जो इस देश को आक्रमण का शिकार बनाया गया ? रूस और उसके मित्र जो चाहें करें लेकिन चैकोस्लोवाकिया के लोगों में एक बार वह ज्वाला फिर प्रज्वलित होगी जो राष्ट्रपति मेसार्थक ने जगायी थी और चैकोस्लोवाकिया अपनी कीर्ति, शक्ति तथा स्वतन्त्रता के साथ फिर से खड़ा होगा।

हमारे सामने केवल एक प्रश्न है—कि क्या हम इस अपराध में मौन धारण करके इसका समर्थन करने के दोषी बनेंगे ? भारत का जबाब क्या होगा ? मैं प्रधान मन्त्री से केवल यही प्रश्न पूछना चाहता हूँ, प्रधान मन्त्री ने जो कुछ कहा है वह पर्याप्त नहीं है। हमें अपनी प्रतिक्रिया तुरन्त व्यक्त करनी चाहिए, हमारी मित्रता को कोई खतरा पैदा नहीं होगा लेकिन हमारी प्रतिष्ठा पर आंच आ सकती है। यदि रूस को यह मालूम हो जाये कि भारत मानव मूल्यों और प्रतिष्ठा को सामान तथा हथियारों की अपेक्षा अधिक महत्व देता है, तो शायद वह हमारा सम्मान करना सीख जाये, यह एक चुनौती है और भारत को उसका मुकाबला करना आवश्यक है।

श्रीमती शारदा मुकर्जी (रतनगिरि) : चैकोस्लोवाकिया की घटना के बारे में संसद द्वारा पारित संकल्पों अथवा संसद् सदस्यों द्वारा व्यक्त विचार का बहुत महत्व है। चैकोस्लोवाकिया के आन्तरिक मामलों में सैनिक हस्तक्षेप के घने बादलों के उमड़ आनेके कारण हमें धक्का पहुँचा है। यह धक्का हमें अपने इस विश्वास के कारण भी अधिक लगा है कि विश्व में शान्ति तथा लोगोंमें सद्भावना को अन्तर्राष्ट्रीय जीवन के आदर्श के रूप में स्वीकार किया जाने लगा है। वास्तव में हमने वास्तविकता को मान्यता नहीं दी। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में केवल अपनी स्वार्थ सिद्धि के सिद्धान्त का सम्मान किया जाता है, यदि इस स्वार्थ की पूर्ति शान्ति से हो जाती है तो ठीक है, और यदि नहीं, तो फिर बल का प्रयोग किया जाता है और चैकोस्लोवाकिया में वास्तव में यही हुआ। मैं समझती हूँ रूस के लिये-यदि आर्थिक दबाव लाभप्रद होता तो वह अपनी स्वार्थ सिद्धि उसी माध्यम को अपनाता, मैं नहीं समझती कि रूस और अमरीका की नीतियों और तरीकों के बीच कोई अन्तर है। इसलिये, चाहे वियतनाम का प्रश्न हो, या कोरिया युद्ध का अथवा चैकोस्लोवाकिया की स्थिति का हो, वही तरीका तथा वही सामान्य कानून लागू होता है।

चैकोस्लोवाकिया पर सेना के कब्जे को उचित ठहराने के लिये जो कुछ भी सैद्धान्तिक कारण दिये गये हों, इस स्थिति की हाल की पृष्ठभूमि कुछ भी हो, लेकिन तथ्य यह है कि इन अत्यधिक शक्तिशाली राष्ट्रों के तौर-तरीके वही हैं। हम वर्तमान परिस्थितियों में अधिक कुछ नहीं कर सकते और इसलिये प्रधान मन्त्री ने कल जो सन्तुलित तथा समुचित वक्तव्य दिया है उसके लिये मैं उन्हें बधाई देना चाहती हूँ।

चैकोस्लोवाकिया पर आक्रमण करके रूस इस बात की जांच करना चाहता है कि क्या इससे उसकी अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को धक्का पहुचेगा और क्या साम्यवादी देशों पर उसका जो नैतिक नेतृत्व है, वह इसका प्रतिकार अथवा विरोध करेगा। इसलिये हमें संसद में बैठकर जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं करना चाहिए, हमें ठीक उसी तरह अपने हित तथा स्वार्थ को दृष्टि में रखकर अपनी नीति निर्धारित करनी चाहिए जिस प्रकार बड़े राष्ट्र अपने स्वार्थों से प्रेरित होकर करते हैं।

ऐसी बात नहीं है कि हम चैकोस्लोवाकिया में रूस की कार्यवाही का समर्थन करते हैं अथवा गलत नहीं समझते, लेकिन मैं यह नहीं समझती कि हम भावनाओं में बहकर अपने उद्देश्य की पूर्ति

कर सकते हैं। अन्य शान्तिपूर्ण तथा रचनात्मक तरीकों जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ फोरम, व्यापार तथा आर्थिक सम्बन्ध से हम इस उद्देश्य की पूर्ति कर सकते हैं। सैनिक कार्यवाही जैसी चीजों की, जिनसे विश्व शान्ति को खतरा पैदा होता है, हमें हमेशा निन्दा करनी चाहिए लेकिन इसके साथ-साथ हमें राष्ट्रीय हित का ध्यान पहले रखना चाहिए। अतः प्रधान मन्त्री का वक्तव्य सराहनीय तथा सन्तुलित है।

Shri Gulam Mohammad Bakshi (Srinagar) : Mr. Speaker, Sir, we fought valiantly against the agressions committed on us by China and Pakistan in 1962 and 1965 respectively. At the same time we had expected that other countries should condemn these agressions by calling them what they were, i.e. aggressions. I feel we shall be accused of having a double standard in the international politics if we do not condemn the Soviet action by calling it an aggression.

During the course of our struggle for freedom, we were equally anxious about the freedom of other countries and we have always been a staunch supporter of the right of self-determination—the right of a nation to shape its destiny. We should condemn this hostile military intervention by Russia in the internal affairs of Czechoslovakia and prove that we still support the right of freedom of other countries.

The statement of the Prime Minister demanding the withdrawal of aggressive forces is not at all enough. She has not taken a clear stand on the issue. It is a challange for India and we have to respond to it, otherwise it will bring down our national honour and prestige in the eyes of other nations. We should, therefore, condemn this aggression by Soviet Russia on Czechoslovakia in clear and unmistakable terms.

श्री स्वैल (स्वायत्तशासी जिले) : मैं नहीं समझता रूस का चैकोस्लोवाकिया के आन्तरिक मामलों में यह सैनिक हस्तक्षेप उचित है। फिर भी, सभा में यह मांग की गई है कि हमें चैकोस्लोवाकिया पर रूस के आक्रमण की स्पष्ट शब्दों में निन्दा करनी चाहिए। ऐसा सुझाव भी दिया गया है कि हमें चैकोस्लोवाकिया में ऐसी किसी सरकार को मान्यता नहीं देनी चाहिए जो उस देश की लोकप्रिय सरकार न हो।

मैं चाहता हूँ कि सदस्यों द्वारा इन दो मांगों के बारे में अपना निश्चित मत अथवा धारणा बनाये जाने से पूर्व प्रधान मन्त्री कुछ बातों का स्पष्टीकरण करें।

इस समय स्थिति स्पष्ट नहीं है। कुछ दिन पहले श्री ब्रेजनेव के बीमार होने का समाचार मिला था। कल ही हमने ऐसा सुना कि रूस के प्रधान मंत्री और प्रतिरक्षा मंत्री ने त्यागपत्र दे दिये हैं। इन सभी बातों से यह सन्देह पैदा होता है कि सोवियत नेताओं के आपस में गंभीर मत-भेद है। क्या सरकार ने इस बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न किया है ? क्या उसने मास्को स्थित अपने दूतावास से सम्पर्क स्थापित करके इस सम्बन्ध में कोई जानकारी प्राप्त की है ?

इसके बाद एक समाचार यह मिला कि सोवियत रूस और वारसा सन्धि वाले देशों के तत्काल हस्तक्षेप का कारण यह है कि चैकोस्लोवाकिया के श्रमिकों और वहाँ के बुद्धिजीवियों के बीच गंभीर संघर्ष चल रहा था। क्या सरकार ने प्राग स्थित अपने दूतावास से यह मालूम करने का प्रयत्न किया है कि क्या इस समाचार में कोई सच्चाई है और क्या यह सच है कि चैकोस्लोवाकिया के श्रमिक इस आकमण के प्रति काफी हद तक उदासीन थे।

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री, तथा वैदेशिक कार्य मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : चैकोस्लोवाकिया की स्थिति पर वक्तव्य देते हुए कल मैंने यह कहा था कि मैं भारी दिल तथा गहरी चिन्ता के साथ ऐसा कर रही हूं और मैंने काफी सोच-विचार तथा परामर्श के बाद

अपने शब्दों का चयन किया था। इतिहास में ऐसे क्षण आते हैं जबकि सरकार जो कुछ कहती है अथवा करती है, उससे उस पर बहुत भारी उत्तरदायित्व आ जाता है। यह भी ऐसा ही एक क्षण है, बुद्धिमता इसी में है कि हम बड़ी सावधानी से चलें।

चैकोस्लोवाकिया तथा वहां के लोगों के साथ मेरा घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है और व्यक्तिगत मैत्री है। कल मैंने चैकोस्लोवाकिया की सरकार तथा वहां के लोगों के लिये अपनी भावनाएँ-संसद की भावनाएं व्यक्त की थीं और यह आशा व्यक्त की थी कि चैकोस्लोवाकिया में फिर से सामान्य तथा विधिवत गठित सरकार बन सकेगी। हमें आशा है कि तर्क, विचार विमर्श तथा वाद-विवाद द्वारा मत-भेद अब भी सुलझाये जा सकते हैं लेकिन बल द्वारा नहीं, केवल इसी तरीके से कोई स्थायी समझौता किया जा सकता है। हमारा अब भी दृष्टिकोण यही है कि ऐसे राजनैतिक मतभेद तथा संघर्ष बल के माध्यम से नहीं सुलझाये जा सकते।

हमें चैक सरकार और दल-नेताओं की सुरक्षा तथा कल्याण की भारी चिन्ता है, जो कुछ भी हो रहा है उस पर हमें खासतौर से चिन्ता है क्योंकि हम इन वर्षों में तनावों को कम करने तथा शीत-युद्ध के वातावरण को शान्त करने में लगे रहे हैं। चैकोस्लोवाकिया में सशस्त्र सेनाओं के प्रवेश की कार्यवाही से सारी स्थिति एक ही झटके में पलट गई है। इसने हमें तत्काल कई वर्ष पीछे फैंक दिया है मानो शांतिपूर्ण हल ढूंढने के लिये लोगों को निकट लाने तथा उनमें परस्पर संम्पर्क स्थापित करने के इस लम्बे काम को एकाएक नष्ट कर दिया गया है।

हम इस बात को अनुभव करते हैं कि विश्व में शान्ति के लिये यह चिन्ता का विषय है। माननीय सदस्यों ने सरकार से अनुरोध किया है कि वह संयुक्त राष्ट्र संघ में भूमिका अदा करे। हमारे देश कोसुरक्षा परिषद् का एक सदस्य होने का सम्मान प्राप्त है, संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर के अन्तर्गत सुरक्षा सम्बन्धी मामलों पर विचार करने का एकमात्र स्थान सुरक्षा परिषद् ही है। एक ऐसी सरकार के लिये जो सुरक्षा परिषद की सदस्य है, उन प्रश्नों पर जिन पर, वहां विचार-विमर्श किया जाना है अपनी स्थिति स्पष्ट करना उचित नहीं हो सकता।

चैकोस्लोवाकिया में जो कुछ हुआ है उस पर हमने अपनी प्रतिक्रिया निर्भय होकर तथा निस्संकोच होकर व्यक्त की है। मैं इस सभा को यह आश्वासन देना चाहूँगी कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणापत्र का, जिस पर मानव जाति की शान्तिपूर्ण विश्व के निर्माण की आशाएं निहित हैं, सदैव पालन करेंगे। हम चैकोस्लोवाकिया के चार्टर अधिकारों की हर प्रकार सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कार्य करेंगे।

सुरक्षा परिषद् के सदस्य के नातें हमने कुछ बुनियादी तथा मूल सिद्धान्त स्वीकार किये हैं जिनका हम इन वर्षों में पालन करते रहे हैं। हमारा यह दृढ़ विश्वास है कि प्रत्येक राज्य को अपने भविष्य तथा भाग्य का फैसला करने के लिए स्वच्छन्द और स्वतन्त्र छोड़ दिया जाना चाहिए और उसके आन्तरिक मामलों में कोई वाह्य हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। निर्णय करने के लिए बल प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए और विचारधारा तथा सामाजिक व्यवस्था में मतभेद दूसरे देश के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप का कारण कभी नहीं बन सकते। ये कोई नये सिद्धान्त नहीं हैं, जिन्होंने कठिन तथा विभिन्न परिस्थितियों में अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में भारत के मार्ग का अनुसरण किया है, वे यह स्वीकार करेंगे कि ये सिद्धान्त हमारी विदेशी नीति की नीव हैं। इन्हीं सिद्धान्तों के सहारे हमने परिस्थितियों को आंका है और उन पर अपना निर्णय लिया है और आगे

भी ऐसा करते रहेंगे। वर्तमान स्थिति ऐसी है जैसे पहाड़ से चट्टान गिरता है क्योंकि संसार इस संकट से या तो सम्मानपूर्वक तथा शान्तिपूर्वक निकल जायेगा और आगे बढ़ेगा या फिर हमें विनाशकारी स्थिति से गुजरना पड़ेगा जिसने द्वितीय विश्व युद्ध के अन्त में इस संसार को हिला दिया था अथवा लगभग नष्ट कर दिया था।

हमने हमेशा तनाव को कम करने के प्रयत्न किये हैं, अब हमारा इसमें एक निहित स्वार्थ है। सभी विकासशील देशों की तरह हमें भी अपने विकास और अस्तित्व को कायम रखने के लिए शान्ति की आवश्यकता है। वर्तमान परिस्थिति में उन सेनाओं को तत्काल वापस बुलाना आवश्यक है जो वहां प्रवेश कर चुकी हैं ताकि चैकोस्लोवाकिया की जनता बिना किसी हस्तक्षेप के तथा तनाव रहित वातावरण में अपने भविष्य का निर्णय करने के लिए स्वतन्त्र हो। चैकोस्लोवाकिया तथा उसके पड़ौसी राज्यों के बीच जो भी समस्याएं हों उन्हें शान्तिपूर्वक निपटाया जाना चाहिए ओर न कि बल प्रयोग के माध्यम से। हमने चैकोस्लोवाकिया और सोवियत गणराज्य के राजदूतों तथा वारसा सन्धि वाले देशों के राजदूतों को इस मामले में अपना दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से बता दिया है। हम अन्य राज्यों के राजदूतों से भी सम्पर्क कायम किये हुये हैं।

हम बहादुर और साहसी चैक जनता के प्रति अपनी सहानुभूति प्रदर्शित करने में किसी से पीछे नहीं हैं। इस दुखद परिस्थिति का जिस शान्ति तथा गौरव से वे मुकाबला कर रहे हैं, उसकी भी हम भूरि-भूरि प्रशंसा करते हैं और हमें इस बात का विशेषकर पता है कि उन्होंने जिस मार्ग को चुना है वह सत्याग्रह का मार्ग है।

जहाँ तक रूस में व्यक्तियों के बीच और चैकोस्लोवाकिया में श्रमिकों तथा बुद्धिजीवियों के बीच संघर्ष के प्रश्न का सम्बन्ध है, हमारे पास इन अफवाहों के बारे में कोई प्रमाणित समाचार अथवा जानकारी नहीं है सिवाय इसके कि कुछ दिन पहले "प्रावदा" में किसी मोटर-गाड़ी उद्योग के 90 श्रमिकों द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र प्रकाशित हुआ था जिसमें उन्होंने समाजवाद को बचाने के लिये कुछ मदद मांगी थी। फिर भी, दो दलों के बीच किसी प्रकार का मतभेद बिलकुल संभव है—चाहे जो भी हो उसे दूर करना उनका अपना काम है।

वर्तमान स्थिति बहुत गंभीर है। हम चाहते हैं कि हम ऐसी स्थिति में हों जब कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ में सचमुच अपनी भूमिका अदा कर सके। चैक जनता के प्रति हमारी पूरी सहानुभूति है और हम उसकी प्रशंसा करते हैं।

श्री मी० रु० मसानी : हम इस विषय में सभा का सर्वसम्मत मत चाहते हैं। यदि सरकार अपने दल की सदस्या श्रीमती सुचेता कृपालानी का संशोधन स्वीकार कर ले तो हम सब इसके पक्ष में मत देंगे।

श्री रा० ढो० भण्डारे : प्रधान मंत्री के भाषण के पश्चात् मैं नहीं समझता मेरे लिये कुछ कहना आवश्यक है। मैं नहीं समझता कि प्रधान मंत्री ने कोई अस्पष्ट बात की है। यह कहना सर्वथा गलत है कि प्रधान मंत्री ने सोवियत संघ की कार्यवाही को माफ कर दिया है अथवा उनके वक्तव्य में अपराधपूर्ण मौन है। उनका वक्तव्य स्पष्ट है और परिपूर्ण है।

हमें चैक जनता को यह बता देना चाहिए कि विदेशी राष्ट्रों से छुटकारा पाने तथा लोकतंत्र की स्थापना करने और शान्ति, समृद्धि तथा समाजवाद के लिये कार्य करने के उनके प्रयत्नों में हम उनके साथ हैं।

जहाँ तक संशोधनों का सम्बन्ध है, मैं इस सभा में अन्य सदस्यों द्वारा पेश किये गये किसी भी संशोधन को स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं हूँ ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री तिन्नेटि विश्वनाथम का स्थानापन्न संशोधन सभा के मतदान के लिये रखता हूँ ।

स्थानापन्न प्रस्ताव मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

The substitute motion was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्रीमती सुचेता कृपालानी का स्थानापन्न प्रस्ताव सभा में मतदान के लिये रखता हूँ ।

लोक सभा में मत विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided.

पक्ष में 82 ; **विपक्ष में** 185 **मत**

Ayes ....82; **Noes.** ....185.

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

The motion was negatived.

अध्यक्ष महोदय : अब मैं अन्य सभी स्थानापन्न प्रस्तावों को सभा के मतदान के लिये रखूंगा ।

संशोधन सभा के मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

The amendments were put and negatived.

सदस्यों की दोषसिद्धि

Conviction of Members.

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को सूचित करना है कि मुझे प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट, नई दिल्ली से दिनांक 22 अगस्त, 1968 का उनका एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें बताया गया है कि चैकोस्लोवाकिया में रूसी फौजों के प्रवेश के विरोध में रूसी दूतावास, चाणक्यपुरी के सामने, जो नई दिल्ली चाणक्यपुरी पुलिस स्टेशन के क्षेत्राधिकार में है, प्रदर्शन कर और नारे लगाकर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत लागू निषेध आदेश का उल्लंघन करने के कारण भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत लगाये गये आरोपों के लिये सेन्ट्रल जेल, तिहाड़ दिल्ली में प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट, नई दिल्ली के न्यायालय में लोक सभा के सदस्य सर्वश्री मधुलिमये, जार्ज फरनेन्डीज, अर्जुन सिंह भदौरिया, शिवचन्द्र झा, क० लकप्पा, राम सेवक यादव और महाराज सिंह भारती का परीक्षण हुआ और उन्हें 22 अगस्त, 1968 को न्यायालय के उठने तक कारावास का दण्ड दिया गया ।

नियम, 193 के अन्तर्गत चर्चा के बारे में

Re-discussion under Rule 193.

अध्यक्ष महोदय : अब हम नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा आरम्भ करेंगे ।

श्री इसहाक साम्भली ।

Shri Ishaq Sambhali : Sir it may be postponed for the time being.

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, इसे अभी स्थगित किया जाता है ।

इसके पश्चात् लोक-सभा शुक्रवार 23 अगस्त, 1968/ 1 भाद्र, 1890 (शक) के ग्यारह बजे (म० पू०) तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, the 23rd August, 1968/1 Bhadra, 1890 (Saka).

Tirthraj Press, Allahabad.